Monday, 16 March, 1959

लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खंड २७, १९५९/१८८० (शक)

[९ से १९ मार्च १९५९/१८ से २८ फाल्गुन १८८० (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

सातवां सत्र, १९५९/१८८० (शक)

(खण्ड २७ में अंक २१ से ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय मात्रा, खंड २७, अंक २१ से अंक ३०—६ से १६ मार्च, १६५६
१५ से २८ फाल्गुन १८८० (शक)]

पृष्ठ

अंक २१—शुक्रवार, ६ मार्च, १६५६/१५ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ६६४ से ६७०, ६७३ से ६७५ और ६७७ से ६८१ . . . २४३७—६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६७१, ६७२, ६७६ और ६८२ से १०१२ . . . २४६२—७५

अतारांकित प्रश्न संख्या १४८२ से १५३८ और १५४० से १५४५ . . . २४७५—२५०१

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

अमरीका पाकिस्तान प्रतिरक्षा संधि . . . . . २५०१—०३

आयव्ययक पत्रों का समय से पहले प्रकट हो जाने के बारे में . . . २५०३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २५०४

विशेषाधिकार समिति

नवां प्रतिवेदन २५०४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

आसाम में विद्रोही नागाओं का उपद्रव . . . २५०५-०६

महेश्वरी देवी जूट मिल्स के बंद होने के बारे में वक्तव्य . . . २५०६-०७

सभा का कार्य २५०७

विनियोग (रेलवे) विधेयक—पुरःस्थापित . . . २५०८

कार्य मंत्रणा समिति

छत्तीसवां प्रतिवेदन २५०८

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १६५८-५६ . . . . २५०८—२१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

छत्तीसवां प्रतिवेदन २५२२

विधेयक पुरःस्थापित २५२२, २५२४-२५

(१) तेलों का जमाना (अपराध) विधेयक २५२२

(२) बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक २५२४

(३) बैंक ऑफ पटियाला विलय विधेयक . . . २५२५

सहकारी समितियां विधेयक—

पुरःस्थापन की अनुमति नहीं दी गयी . . . . . २५२२—२४

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—वापिस लिया गया . . . २५२५—३६

भारतीय आग्नेयास्त्र विधेयक . . . . . . २५३७—३६

दैनिक संक्षेपिका . . . . २५४०—४६

पृष्ठ

अंक २२—सोमवार, ९ मार्च, १९५९/१८ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०१३ से १०१६, १०१८, १०२०, १०२२ से १०२६, १०२८ और १०२९ . . . २५४७–७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०१९, १०२१, १०२७, १०३० और १०३२ से १०४६ . . . २५७१–७९

अतारांकित प्रश्न संख्या १५४६ से १६३८ . . . २५८०—२६१९

स्थगन प्रस्ताव

पंजाब में सुधार शुल्क . . २६१९

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २६१९-२०

सभा का कार्य

अनुदानों की मांगों के लिये समय का आवंटन . २६२०-२१

विधेयक पुरःस्थापित किये गये . . २६२१-२२

(१) विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक . २६२१

(२) भारतीय प्रकाश-स्तम्भ (संशोधन) विधेयक २६२२

विनियोग (रेलवे) विधेयक—पारित . . २६२२

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा २६२२–६४

दैनिक संक्षेपिका २६६५–७०

अंक २३—मंगलवार, १० मार्च, १९५९/१९ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४७ से १०५६, १०७५ और १०५७ से १०६० २६७१–९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६१ से १०७४ और १०७७ से १०९६ २६९६–२७१३

अतारांकित प्रश्न संख्या १६३९ से १७०६ . . २७१३–४१

अतारांकित प्रश्न संख्या ११९ दिनांक १९-११-५८ के उत्तर में शुद्धि २७४१

स्थगन प्रस्ताव के बारे में २७४१-४२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २७४२

राज्य सभा से सन्देश . . २७४२

विशेषाधिकार का प्रश्न

मनीपुर आयव्ययक प्राक्कलनों का समय से पहले पता लग जाना २७४३–४५

सामान्य आयव्ययक के बारे में विशेषाधिकार का कथित उल्लंघन २७४५–४७

	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना——	
गिरिडीह कोयला खान में अग्निकांड	२७४७——४६
विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक——पारित	२७४६
सामान्य आयव्ययक——सामान्य चर्चा	२७४६——८५
दैनिक संक्षेपिका . .	२७८६——६१
अंक २४——बुधवार, ११ मार्च, १६५६/२० फाल्गुन, १८८० (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर——	
तारांकित प्रश्न संख्या १०६७ से ११०५, ११०७ से ११०६ तथा १११२ से १११५ .	२७६३——२८१६
प्रश्नों के लिखित उत्तर——	
तारांकित प्रश्न संख्या ११०६, १११०, ११११, १११६ से ११२५, ११२७ से ११३७ तथा ११३६ से ११४५	२८१७——३१
अतारांकित प्रश्न संख्या १७०७ से १७७८ .	२८३१——६१
डा० एम० आर० जयकर का निधन .	२८६२
सरकारी कर्मचारी आचार नियमों के बारे में	२८६२
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	२८६३
सदस्य की गिरफ्तारी .	२८६३
सदस्य को सजा	२८६३
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति——	
सैंतीसवां प्रतिवेदन . .	२८६४
सरकारी समवायों के प्रतिवेदन के बारे में घोषणा .	२८६४
आसाम सीमा पर गोली वर्षा के बारे में वक्तव्य	२८६४——६५
सामान्य आयव्ययक——सामान्य चर्चा	२८६५——६४
दैनिक संक्षेपिका .	२८६५——२६००
अंक २५——गुरुवार, १२ मार्च, १६५६/२१ फाल्गुन, १८८० (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर——	
तारांकित प्रश्न संख्या ११४६ से ११५३, ११५५ से ११५८, ११६० से ११६२ और ११६४	२६०१——२६
प्रश्नों के लिखित उत्तर——	
तारांकित प्रश्न संख्या ११५४, ११५६, ११६३ और ११६५ से ११६०	२६२६——३६
अतारांकित प्रश्न संख्या १७७६ से १८६५	२६३६——७५

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव

सीमा पर गोली वर्षा . . . . . २९७९—८०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . २९८०—८१

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . . २९८१—३०२२

लेखानुदानों की मांगें . . . . . ३०२२—२७

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—पुरःस्थापित . . . ३०२८

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—पारित . . . ३०२८

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . ३०२९—३२

स्थगन प्रस्ताव—

पूर्वी सीमा पर पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा गोली वर्षा . . ३०३२—४२

दैनिक संक्षेपिका . . . ३०४३—४९

अंक २६—शुक्रवार, १३ मार्च, १९५९/२२ फागुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११९२ से ११९४, ११९६, ११९८ से १२०१, १२०३, १२०५, १२०८, १२०९, १२१२, १२१३, १२१६, १२१८, १२२० तथा १२३० . . . . . . ३०५१—७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११९१, ११९५, ११९७, १२०४, १२०६, १२०७, १२१०, १२११, १२१४, १२१५, १२१७, १२१९, १२२१ से १२२९ तथा १२३१ से १२३५ . ३०७६—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या १८६६ से १९३३ . . . ३०८७—३११५

स्थगन प्रस्ताव—

पंजाब में सुधार शुल्क ३११६-१७

अमरीका और टर्की, ईरान और पाकिस्तान के बीच सैनिक सहायता के लिये हुए करार के बारे में वक्तव्य . . . ३११७—२१

सभा पटल पर रखे गये पर ३१२१-२२

सभा का कार्य ३१२२-२३

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक . . . . ३१२३—३७

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ३१२३—३५

खण्ड २ से २६, १ और अधिनियमन सूत्र ३१३६-३७

पारित करने का प्रस्ताव ३१३७

पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सैंतीसवां प्रतिवेदन ३१३७

नये औद्योगिक एककों को अनुज्ञप्ति देने की नीति के सम्बन्ध में संकल्प ३१३८—५५

सहकारी कृषि के सम्बन्ध में संकल्प . . . ३१५५–५६

दैनिक संक्षेपिका . . . ३१५७—६३

अंक २७—सोमवार, १६ मार्च, १९५९/२५ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२३६ से १२४२, १२४४, १२४६, १२४८, १२४९, १२५१ से १२५३ और १२५६ से १२५९ . . ३१६५—९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२४३, १२४५, १२४७, १२५०, १२५४, १२५५, १२६० से १२८७ और १२८९ . . . ३१९०—३२०७

अतारांकित प्रश्न संख्या १९३४ से १९५९, १९६१ से १९९३ और १९९५ से १९९९ . ३२०७—३७

श्री काशीनाथ राव वैद्य का निधन ३२३७

सभा पटल पर रखा गया पत्र . ३२३७

राज्य सभा से सन्देश . ३२३८

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ३२३८

सदस्य का निकाला जाना ३२३८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

पुनर्वास विभाग का बन्द किया जाना . . ३२३८—४२

घरेलू कर्मचारियों की मांगों के बारे में वक्तव्य . . ३२४१

अनुदानों की मांगें . . . ३२४२—९४

अणु शक्ति विभाग . . . ३२४२—५६

वैदेशिक कार्य मंत्रालय . . . ३२५६—९४

दैनिक संक्षेपिका . . . ३२९५—३३००

अंक २८—मंगलवार, १७ मार्च, १९५९/२६ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९१ से १२९८, १३००, १३०१, १३०४, १३०७, १३०९, १३१०, १३१३, १३१४, १३१६, १३१८, १३१९, १३२१ और १३२२ . . . ३३०१—२८

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२६०, १२६६, १३०२, १३०३, १३०५, १३०६, १३०८, १३११, १३१२, १३१५, १३१७, १३२०, १३२३ और १३२४ . . . ३३२८—३३

अतारांकित प्रश्न संख्या २००० से २०६३ ३३३४—५६

स्थगन प्रस्ताव—

मालद्वीप में रायल एअर फोर्स स्टेशन . ३३५६—६०

सभा पटल पर रखा गया पत्र . . ३३६१

चिनाकुरी खान दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . ३३६१

अनुदानों की मांगें . ३३६२—३४२७

वैदेशिक कार्य मंत्रालय ३३६२—७४

शिक्षा मंत्रालय ३३७५—३४२७

दैनिक संक्षेपिका . . ३३२८—३२

अंक २६—बुधवार, १८ मार्च, १९५९/२७ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३२६ से १३२८, १३३० से १३३४, १३३६, १३३७, १३३९ से १३४१, १३४५, १३४८ और १३४७ . ३४३३—५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३२५, १३२९, १३३५, १३३८, १३४२ से १३४४, १३४६ और १३४९ से १३६३ . . ३४५६—६५

अतारांकित प्रश्न संख्या २०६४ से २१३५ ३४६५—९५

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३४९५

राज्य सभा से सन्देश ३४९६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अड़तीसवां प्रतिवेदन . ३४९६

लोक लेखा समिति

तेरहवां प्रतिवेदन . ३४९६

प्राक्कलन समिति—

बयालीसवां प्रतिवेदन ३४९६—९७

अनुदानों की मांगें ३४९७—३५३६

विधि मंत्रालय . . . . ३४९७—३५३६

मध्य प्रदेश में धान के मूल्यों के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ३४३७—४२

दैनिक संक्षेपिका . ३५४३—४८

पृष्ठ

अंक ३०—गुरुवार, १९ मार्च, १९५९/२८ फाल्गुन, १८८० (शाक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३६४ और १३७३, १३६५ से १३६७, १३६९ से १३७२, १३९४, १३७४, १३७५ और १३७७ से १३८१ . ३५४९—७९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३६८, १३७६, १३८२ से १३९३ और १३९५ से १४०४ . . . . ३५७९—९०

अतारांकित प्रश्न संख्या २१३६ से २१७९ . . . ३५९०—३६०८

उत्तर प्रदेश विधान सभा के एक सदस्य के निलम्बन के बारे में . . ३६०९

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३६०९

अनुदानों की मांगें . . . . . ३६१०—६४

गृह-कार्य मंत्रालय . . . ३६१०—६४

दैनिक संक्षेपिका . ३६६५—६८

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

सोमवार, १६ मार्च, १९५९

२५ फाल्गुन, १८८० (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

"भारत १९५८" प्रदर्शनी

+

†*१२३६. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री जीन चन्द्रन् :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री भक्त दर्शन :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री सूपकार :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री पांगरकर :
श्री मोहन स्वरूप :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री विभूति मिश्र :
श्री दो० चं० शर्मा :
श्री प्र० गं० देव :
श्री बि० दास गुप्त :
श्री सुबिमन घोष :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में "भारत, १९५८" प्रदर्शनी का आयोजन करने में कुल कितना धन खर्च हुआ ;

†मूल अंग्रेजी में

413Ai LSD—1

(ख) विभिन्न स्टालों को किराये पर देने और प्रवेश टिकटों की बिक्री से कितनी आय हुई ;

(ग) कुल कितने व्यक्तियों ने प्रदर्शनी देखी ;

(घ) उनमें से कितने व्यक्ति विदेशी थे ;

(ङ) उनमें से कितने प्रमुख गण्य मान्य व्यक्ति थे ;

(च) ऐसी प्रदर्शनियों का प्रति वर्ष आयोजन करने के सुझाव पर क्या फैसला किया गया है ; और

(छ) कितने राज्यों ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) से (छ). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २४].

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्होंने किसी भी मण्डप का आयोजन नहीं किया ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : आन्ध्र प्रदेश, आसाम और मध्य प्रदेश ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या देश के अन्य भागों में भी ऐसी प्रदर्शनियों का आयोजन करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : समय समय पर देश के विभिन्न भागों में प्रदर्शनियों की जाती हैं ; विभिन्न भागों में ऐसी बड़ी प्रदर्शनियों का आयोजन करना सम्भव नहीं है ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : जिन राज्यों का इस प्रदर्शनी में कोई मण्डप नहीं था, क्या उन्होंने इस बारे में कोई कारण बताये हैं और यदि हां, तो वे कारण क्या हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : इन तीन राज्यों ने अपने निजी मण्डप स्थापित नहीं किये थे परन्तु इन्होंने प्रदर्शनी में भाग लिया था । इन राज्यों से प्राप्त वस्तुओं को विभिन्न मण्डपों, जैसे केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग, सिंचाई और विद्युत आदि के मण्डपों में रखा गया था ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : मैं यह कारण जानना चाहता हूं कि इन्होंने अपने मण्डप क्यों नहीं बनाये ।

अध्यक्ष महोदय : श्री नवल प्रभाकर :

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि इस प्रदर्शनी में दिल्ली नगर निगम की ओर से स्वास्थ्य और सफाई का जो प्रबन्ध किया गया था उस के लिये कितना रुपया देना पड़ा ?

श्री सतीश चन्द्र : उस का बिल करीब करीब २ लाख रु० है जो दिया जायेगा ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, प्रश्न के खंड (एफ) के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस प्रदर्शनी को प्रति वर्ष करने के सम्बन्ध में कोई विचार नहीं किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

क्या मैं जान सकता हूं कि जो लाखों रुपयों की बिल्डिंगें बनाई गई थीं उन का परिणाम क्या होगा और उन का रख रखाव कैसे किया जायेगा अगर प्रति वर्ष प्रदर्शनी नहीं की जायेगी ?

श्री सतीश चन्द्र : इस में बहुत सी इमारतें तो पहले से थीं, कुछ और बढ़ी हैं । फूड एंड ऐग्रिकल्चर मिनिस्ट्री विचार कर रही है कि अगले साल यहां पर वह एक वर्ल्ड ऐग्रिकल्चर एग्जिबिशन करे । इस के अलावा एक विचार यह भी हो रहा है कि इसी जगह एक स्थायी नुमाइश खोली जाय । अभी यह मामला विचाराधीन है ।

†श्री सूपकार : प्रदर्शनी की मुख्य चीजों से हमारे निर्यात को जो आघात पहुंचेगा क्या उसका अध्ययन किया जायेगा ?

†श्री सतीश चन्द्र : बहुत से देशों के शिष्ट मण्डलों ने प्रदर्शनी देखी । हजारों विदेशियों ने भी जो या तो विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिये दिल्ली आये थे या पहले से ही यहां पर थे, प्रदर्शनी देखी । आशा की जाती है कि इस दृश्य प्रचार के फलस्वरूप निर्यात में वृद्धि होगी ।

†श्री बि० दास गुप्त : गैर-सरकारी स्टाल मालिकों पर और राज्य सरकारों पर कुल कितनी धनराशि का किराया लगाया गया और उनसे अब तक कुल कितना धन वसूल हुआ ?

†श्री सतीश चन्द्र : मेरे पास ब्योरेवार भिन्न भिन्न आंकड़े नहीं है । परन्तु प्रदर्शनी में भाग लेने वालों पर एकसम किराया लगाया गया, चाहे वे केन्द्रीय सरकार के मन्त्रालय थे या राज्य सरकारें अथवा गैर-सरकारी व्यक्ति । लगभग २८ लाख रुपये किराये के रूप में प्राप्त होने की आशा है और इसकी वसूली की जा रही है । इसमें से अधिकांश वसूल किया जा चुका है ।

†श्री बि० दस गुप्त : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । मैं विशिष्ट रूप से जानना चाहता था ....

†अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य भिन्न भिन्न आंकड़े जानना चाहें तो वह एक पृथक प्रश्न की सूचना दें ।

†श्री गोरे : प्रदर्शनी स्थल में इस समय बड़े भवन कितने हैं और दो प्रदर्शनियों के बीच उनका किस प्रकार उपयोग किया जायेगा ?

†श्री सतीश चन्द्र : पुरानी प्रदर्शनी द्वारा आठ बड़े मण्डप छोड़े गये थे । नये सरकारी मण्डप अधिकांश स्थायी अथवा अर्ध-स्थायी ढांचे के हैं ।

†श्री गोरे : वह कितने हैं ?

†श्री सतीश चन्द्र : मेरे पास सूची है और मुझे उसमें से गिनना है क्योंकि गैर-सरकारी स्टाल भी इस सूची में मिले हुये हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : उन्हें गिनने की आवश्यकता नहीं है । उससे क्या लाभ होगा ? केवल संख्या रहने दीजिये । माननीय सदस्य सायंकाल जा कर इसका पता लगा सकते हैं । जो भी कुछ पुस्तकालय अथवा पास में उपलब्ध है, मैं उस पर किसी प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री गोरे : यह पुस्तकालय में उपलब्ध नहीं है।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जायें और देखें। इन के बारे में प्रश्न पूछने का क्या लाभ है ?

†श्री सतीश चन्द्र : मैं बता चुका हूं कि भूमि के उस भाग में जहां ये स्थायी मण्डप बनाये गये हैं, एक स्थायी प्रदर्शनी करने का प्रस्ताव है। अगले वर्ष एक विश्व कृषि प्रदर्शनी करने का भी प्रस्ताव है। जिस पर खाद्य तथा कृषि मंत्रालय विचार कर रहा है। प्रदर्शनी स्थल का समय समय पर होने वाली प्रदर्शनीयों के लिये प्रयोग किया जायेगा।

श्री बि० दास गुप्त उठे —

†अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य भिन्न भिन्न आंकड़े चाहें, तो वह एक पृथक् प्रश्न की सूचना दें।

†श्री तंगामणि : विवरण से पता चलता है कि अब तक हुई आय ५४.०३ लाख रुपये है। अनुपूरक अनुदानों के समय हमें बताया गया था कि कुल ६४.०६ लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनके पास इस बारे में सही आंकड़े हैं कि इस प्रदर्शनी में कितना धन खर्च किया गया क्योंकि लेखों को अभी जांच हो रही है और विवरण में यह स्पष्ट नहीं है।

†श्री सतीश चन्द्र : लेखे अन्तिम रूप से बन्द नहीं किये गये हैं परन्तु मैंने नवीनतम स्थिति बतादी है। इससे आय और खर्च के सही अनुमान का पता चलता है। अब प्रदर्शनी समाप्त हो गई है और अब हम सुगमता से आंकड़े इकट्ठा कर सकते हैं।

†श्री तंगामणि : यहां खर्च के बारे में आंकड़े नहीं दिये गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वास्तव में कितना खर्च किया गया। पहले ६४.४६ लाख रुपये का अनुमान लगाया गया था। इस प्रदर्शनी पर वास्तव में कुल कितना खर्च किया गया।

†श्री सतीश चन्द्र : अब ५१ लाख रुपये के खर्च का अनुमान लगाया गया है।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या स्कूल के बच्चों, कालिज के विद्यार्थियों और विश्व विद्यालय के छात्रों को यह प्रदर्शनी देखने के लिये कुछ रियायतें दी गई थीं ?

†श्री सतीश चन्द्र : स्त्रियों और बच्चों के लिये कुछ विशेष दिन रखे गये थे। स्त्रियों और बच्चों को प्रदर्शनी में तीन दिन निःशुल्क प्रवेश करने दिया गया और केवल बच्चों के लिये एक विशेष दिन रखा गया था और हजारों व्यक्तियों ने प्रदर्शनी देखी।

†श्री बि० दास गुप्त : मैं विशेष रूप से यह जानना चाहता था कि गैर-सरकारी स्टालों के स्वामियों से कितना धन वसूल किया गया। इसका उत्तर नहीं दिया गया है।

†अध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय के पास पृथक् आंकड़े हैं ?

†श्री सतीश चन्द्र : मैं बता चुका हूं कि मेरे पास ब्योरा नहीं है।

†अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के पास पृथक पृथक् आंकड़े नहीं हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

जब कभी मंत्री महोदय उत्तर देते हैं तो हमें उन से यह समझ लेना चाहिये कि वे बिना पूर्व-सूचना के ब्यौरा बता सकते हैं या नहीं। इस बात के पीछे पड़ने में और बार बार कहने में कि 'उन्होंने उत्तर नहीं दिया है,' 'उन्होंने उत्तर नहीं दिया, है,' क्या लाभ है? स्पष्टतया माननीय सदस्यों का यह खयाल है कि वे किसी न्यायालय में गवाहों से बहस कर रहे हैं।

†श्री बि० दास गुप्त : मैंने यह बात अपने मूल प्रश्न में पूछी थी, परन्तु उसका उत्तर नहीं दिया गया है।

†अध्यक्ष महोदय : क्योंकि उनके पास आंकड़े नहीं हैं, अतः उन्होंने उत्तर नहीं दिया। अब मैं यह अनुमान लगा सकता हूं तो माननीय सदस्य भी क्यों अनुमान नहीं लगा सकते।

दिल्ली में नगरपालिकाओं पर बकाया रकम

†*१२३७. श्री सुरेन्द्र हुंदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० चं० माझी :

क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों और विस्थापित व्यक्तियों के लिये नई विकसित बस्तियों में नागरिक सेवाओं के लिये नगरपालिकाओं पर आज तक कोई रकम बकाया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी है;

(ग) यह धन कब से बाकी है; और

(घ) नगरपालिकाओं से धनराशि वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) जी, हां।

(ख) १,७६,२५,७६५ रुपये।

(ग) १९४५–४६

(घ) सम्बन्धित अधिकारियों से विषय पर बातचीत चल रही है।

†श्री सुरेन्द्र हुंदा : क्या भवनों के निर्माण पर खर्च की गयी धनराशि को वसूल करने का एक प्रस्ताव है, और यदि हां, तो क्या वह प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है, और यदि हां, तो इस पर अन्तिम रूप से फैसला करने में कितना समय लगेगा?

†श्री अनिल कु० चन्दा : यह भवन निर्माण की लागत के बारे में नहीं है। यह बिजली लगाने का खर्च, नाले डालने का खर्च, सड़कें बनाने का खर्च, घास लगाने के खर्च आदि पर किये गये खर्च के बारे में है।

†मूल अंग्रेजी में

उर्वरक का उत्पादन

+

†*१२३८. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरक के उत्पादन के लिये निर्धारित लक्ष्य कहां तक पूरा हो गया है ;

(ख) क्या देश में उर्वरक संयंत्रों के लिये उपकरण बनाने के लिये कोई प्रयत्न किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) देश में उत्पादन किये जा रहे मुख्य उर्वरक अमोनियम सल्फेट और सुपरफ़ोस्फेट हैं। द्वितीय योजना काल के अन्त तक के लिये निर्धारित क्रमशः २७३,००० टन और १,२०,००० टन के लक्ष्य में से नाइट्रोजन और पी २ ओ ५ (फ़ोरफ़ोरस पेन्टोक्साइड) बनाने की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता लगभग ८७,००० टन और ५०,००० टन है।

(ख) और (ग). सुपरफ़ोस्फेट उर्वरक के बनाने के लिये अपेक्षित अधिकांश उपकरण देश में बनाये जा रहे हैं। नाइट्रोजन वाली उर्वरक के बनाने के लिये अपेक्षित उपकरणों में से भी कुछ देश में बनाये जा सकते हैं। देश के सामान्य औद्योगिक विकास के साथ-साथ देश में बनाये हुये उपकरणों के अनुपात में धीरे-धीरे वृद्धि होने की आशा है।

†श्री सुबोध हंसदा : क्या दुर्गापुर में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव था ? यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति की गयी है ?

†श्री सतीश चन्द्र : दुर्गापुर में तत्काल कोई कारखाना स्थापित नहीं किया जा रहा है। यदि कोई ठोस योजना प्राप्त हुई, तो भविष्य में इस पर विचार किया जायेगा।

†श्री के० सुब्रह्मण्यम् : क्या यह सच है कि उर्वरक की हमारी वार्षिक आवश्यकता १४ लाख टन है और हम देश में केवल उसका आधा ही तैयार कर रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक हम अपनी आवश्यकता को स्वयं पूरा कर सकेंगे ?

†श्री सतीश चन्द्र : १९६१ के अन्त तक हम नाइट्रोजन वाली उर्वरक, अमोनियम सल्फेट लगभग २० लाख टन तक पैदा कर सकेंगे। भविष्य में अधिक उर्वरक क्षमता की योजना बनायी जा रही है।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : नांगल में स्थित उर्वरक कारखाने में उत्पादन कब से आरम्भ हो जायेगा ?

†श्री सतीश चन्द्र : यह आशा की जाती है कि १९६० की दूसरी छमाही में इसमें उत्पादन आरम्भ हो जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री पे० रा० रामकृष्णन् : क्या सरकार का छोटे यूनिट बनाने का भी विचार है ? यदि हां, तो क्या उन्होंने इस बारे में कोई फैसला किया है कि छोटे यूनिटों का क्या अनुकूलतम आकार सम्भव होगा ?

†श्री सतीश चन्द्र : ये सब विषय विचाराधीन हैं । एक टेक्निकल समिति नियुक्त की गयी है जो सब सम्भावनाओं का अध्ययन करेगी ।

†श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि भारतीय उर्वरक संघ (फर्टिलाइजर्स एसोसियेशन ग्राफ इण्डिया) की वार्षिक बैठक में श्री लाल बहादुर शास्त्री ने बताया था कि द्वितीय योजना काल के लिये निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर लिया जायेगा। जब कि खाद्य तथा कृषि मंत्री ने बताया कि उर्वरक का संभरण कम होता जा रहा है ? यदि हां, तो जहां तक उत्पादन मंत्री और प्रयोग करने वाले मंत्री का सम्बन्ध है, तो आशावत्व और निराशावत्व में इतना अन्तर क्यों है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): उर्वरक के उत्पादन और लक्ष्य के बारे में जो कुछ मैं ने कहा उस पर हमारे मंत्रालय और खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में सहमति हो गयी है । मेरा अभी भी विश्वास है कि सम्भवत: १९६० नहीं परन्तु १९६१ के अन्त तक लक्ष्य पूरा करना सम्भव हो सकेगा, इसका तीन चौथाई तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरा हो जायेगा और बाकी १९६१ के अन्त तक। सम्मेलन में मैं ने बिल्कुल यही कहा था जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। खाद्य तथा कृषि मंत्रालय उपभोक्ता है । उनके लिये यह शिकायत करना स्वाभाविक है कि उन्हें पर्याप्त मात्रा नहीं मिल रही है और शायद उनको यह भविष्य में भी न मिल सके । इससे अधिक कुछ नहीं है ।

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड

+
†*१२३९. श्री आसर :
श्री वें० प० नायर :
श्री ईश्वर अय्यर :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री वाजपेयी :
श्री परुलकर :
श्री पुन्नूस :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड, पिम्परी के कार्यकरण और प्रशासन के बारे में बहुत सी शिकायतें की गयी हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इन शिकायतों की कोई जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला है और सरकार ने इस विषय में क्या फैसला किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है :

विवरण

कारखाने के वर्क्स मैनेजर को बम्बई सरकार के अधीन अपने स्थायी पद पर वापस भेज देने के बारे में सरकार को एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था। जैसा कि सदन को ज्ञात है, वर्क्स मैनेजर की सेवाओं को, उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर, बम्बई सरकार को सौंप दिया गया था। इस विषय में हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स के निदेशक-मण्डल ने फैसला किया था। अभ्यावेदन के प्राप्त होने पर सरकार ने इस विषय की जांच की और यह पता लगा कि बोर्ड के फैसले में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में हिन्दुस्तान एन्टी-बायोटिक्स का कार्यकरण बहुत सन्तोषजनक है।

कुछ अन्य मांगों के बारे में भी कुछ अभ्यावेदन किये गये हैं जो निदेशक मण्डल के विचाराधीन हैं।

†श्री आसर : विवरण के अनुसार कुछ अन्य मांगों के बारे में भी अभ्यावेदन किये गये हैं जो निदेशक मण्डल के विचाराधीन हैं। वे मांगें क्या हैं और उन पर अन्तिम निर्णय कब किया जायेगा ?

†श्री मनुभाई शाह : बोर्ड मजूरी ढांचे और कुछ वृद्धि पर विचार कर रहा है जिसकी श्रमिक संघ ने मांग की है। विषय अभी विचाराधीन है और हमें आशा है कि यथासम्भव शीघ्र निर्णय कर लिया जायेगा।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि प्राक्कलन समिति की सिफारिश पर कर्मचारियों के सब प्रश्नों की जांच करने के लिये एक समिति बनाई गयी थी और इस समिति में अधिकांश पदाधिकारी थे ? क्या यह भी सच है कि श्रमिक संघ यह चाहता था कि समिति में उन का भी एक प्रतिनिधि हो ? इसकी अनुमति क्यों नहीं दी गयी ?

†श्री मनुभाई शाह : यह पुरानी कहानी है। संगठन समिति स्थापित की गयी थी। अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार किया गया। अब यह एक नई मांग है। जैसे-जैसे समय व्यतीत होता है और कारखाने की स्थिति दृढ़ होती है, श्रमिकों के लिये नई मांगें रखना न्यायसंगत है। उनकी बातों पर विचार किया जायेगा। अतः यह नया निर्देश केवल और बातों के बारे में है।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।

†अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्या को बाद में अवसर दूंगा।

†श्री अरविन्द घोषाल : क्या कारखाने के टेक्निकल कर्मचारियों ने भी उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई सुझाव दिये ? यदि हां, तो क्या उन पर विचार किया गया ?

†श्री मनुभाई शाह : जी, हां। बहुत से सुझाव प्राप्त होते हैं। सब ओर से सहयोग और सुझावों के कारण इस कारखाने में सर्वोत्तम ढंग से काम हो रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री वाजपेयी : इसके अतिरिक्त कि नये मैनेजिंग डाइरेक्टर खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे, उनकी क्या अर्हतायें हैं ?

†श्री मनुभाई शाह : हमारे विचार में वह अर्हता पर्याप्त है।

श्री वाजपेयी उठे —

†अध्यक्ष महोदय : सरकार के अनुसार वह अर्हता पर्याप्त है। माननीय सदस्य केवल प्रश्नों का उत्तर जान सकते हैं। वह प्रश्नों के घंटे में सरकार पर अपने विचार लाद नहीं सकते ।

†श्री परुलकर : क्या यह सच है कि वर्क्स मैनेजर को वापस भेजने के सम्बन्ध में सरकार को दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए जिनमें से एक पर कारखाने के सभी वैज्ञानिक कर्मचारियों ने हस्ताक्षर किये थे ?

†श्री मनुभाई शाह : जी हां, मैं भी वह बता चुका हूं। हमने उसका उत्तर यह दिया कि देश में वैज्ञानिक कर्मचारियों की उपयोगिता सरकारी क्षेत्रों में परियोजनाओं के विस्तार के साथ-साथ निरन्तर बढ़ रही है। जहां योग्य टेक्निकल और वैज्ञानिक व्यक्तियों के लिये काम उपलब्ध है।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। यह नई मांग का प्रश्न नहीं है। यह पुरानी मांग है । पहले पुनर्गठन समिति स्थापित की गयी थी और अब कार्यान्विती समिति नियुक्त की गयी है। कार्यान्विति समिति में अथवा पुनर्गठन समिति में श्रमिकों का एक भी प्रतिनिधि क्यों नहीं लिया गया ?

†श्री मनुभाई शाह : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है। प्रथम तो यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक समिति में हम प्रत्येक निकाय का प्रतिनिधि रखें वहां निदेशक मण्डल है। उसके सारे प्रभार के लिये सरकार है। हमने प्राक्कलन समिति की सिफारिशों पर ध्यान दिया और जो भी उस कम्पनी के लिये सम्भव था, समय-समय पर उस को कार्यान्वित किया गया।

अगरबत्ती उद्योग

†*१२४०. श्री केशव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, १९५८ को समाप्त होने वाली और जनवरी-मार्च, १९५९ की तिमाही में अगरबत्ती उद्योग को निर्यात संवर्द्धन योजना में से निकाल दिया गया ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) १९५६–५७ और १९५७–५८ में हमारे देश से निर्यात की गयी अगरबत्ती की क्या मात्रा है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २५]

†मूल अंग्रेजी में

†श्री केशव : जैसा कि विवरण से स्पष्ट है, यह कुटीर उद्योग है जिसमें छोटे निर्माता लगे हुए हैं। यह २४ देशों से भी अधिक को निर्यात की जाती है और कुछ ही महीनों में विदेशी मुद्रा की आय ७ लाख रुपये से बढ़ कर २२ लाख रुपये हो गयी है। इस उद्योग को कच्चा माल देने के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

†श्री सतीश चन्द्र : इस समय कच्चा माल अगरबत्ती निर्यातकर्त्ताओं को न देकर वास्तविक प्रयोग करने वालों को दिया जा रहा है। सहकारी समितियों को कच्चा माल देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

†श्री केशव : क्या किसी गवेषणा द्वारा या अन्य किसी प्रकार इस कच्चे माल का देश में उत्पादन करने के लिये कोई व्यवस्था अथवा प्रयत्न किये गये हैं ?

†श्री सतीश चन्द्र : इसको बनाने के लिये एरोमेटिक केमिकल और उड़नशील तेलों की आवश्यकता होती है। गैर-सरकारी क्षेत्रों में इनका निर्माण किया जा सकता है। यदि कोई पार्टी हमें लिखें, तो हम उस पर विचार करेंगे।

†श्री तंगमणि : ये अगरबत्तियां अधिकांश मैसूर और मद्रास राज्य में बनती हैं। आधे से अधिक निर्यात मलाया, सिंगापुर, लंका और केन्या को होता है। क्या हम जान सकते हैं कि क्या सरकार ने इन चार देशों को निर्यात बढ़ाने में कोई विशेष पग उठाये हैं क्योंकि बाद में लंका को निर्यात कुछ कम हुआ ?

†श्री सतीश चन्द्र : अगरबत्ती के निर्यात में कोई ठोस गिरावट नहीं हुई। पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार, जनवरी, १९५७ से मार्च, १९५८ तक लगभग ३० लाख रुपये के मूल्य की अगरबत्तियों का निर्यात किया गया। कच्चे माल के बारे में कुछ कठिनाई रही है। वास्तव में इसको अगरबत्तियों के निर्यात पर आयात करने की आज्ञा दी गयी थी। परन्तु इसमें बहुत कठिनाइयां आयीं और यह तरीका बदलना पड़ा। इनमें से अधिकांश अगरबत्तियां मैसूर राज्य में बनायी जाती हैं और वहीं से निर्यात की जाती हैं, और मद्रास राज्य से नहीं।

भारत-पाक सीमा का सीमांकन

†*१२४१. श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अनिरुद्ध सिंह :
श्री हेम बरुआ :

क्या प्रधान मंत्री ४ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ८९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाक सीमा का सीमांकन करने के सम्बन्ध में कोई और अधिक प्रगति हुई है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या तुकेरग्राम नामक गांव से, जिस पर पाकिस्तान ने बलात् अधिकार जमा लिया था, अब पाकिस्तानी फौजें हट गई हैं ?

†वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी, हां । सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें बताया गया है कि इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २६]

(ख) जी, नहीं ।

†श्री विद्या चरण शुक्ल : भारत-पाक भूमि अभिलेख और सर्वेक्षण सम्मेलन मे जो सितम्बर, १९५८ में हुआ था, यह निश्चय किया था कि इस मास के अन्त तक मलागंज और सूरमा नदी क्षेत्रों में सीमा के खम्बे लग जायेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह काम पूरा हो गया है ; और यदि नहीं, तो उस काम के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मेरे पास इस समय किन्हीं विशेष क्षेत्रों के सम्बन्ध में जानकारी नहीं है । परन्तु शेष सभी ब्यौरे विवरण में दिये हुए हैं ।

†श्री विद्या चरण शुक्ल : नेहरू-नून करार की शर्तों के अधीन पाकिस्तान आसाम और पूर्वी बंगाल के वन आयुक्तों तथा दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को आपस में मिल कर पथरिया वन क्षेत्र के लिये एक अस्थायी सीमांकन रेखा के बारे में निर्णय करना था । क्या वह काम पूरा हो गया है ।

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : इस क्षेत्र में सीमांकन का काम . . .

***†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री* (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जी, नहीं । अभी तक नहीं हुआ है ।

†श्री विद्या चरण शुक्ल : क्या पाकिस्तान सरकार ने नेहरू-नून करार के अधीन यह स्वीकार कर लिया है कि वह अस्थायी सीमांकन होते ही तुकेरग्राम को खाली कर देगी ? और यदि हां, तो भारत सरकार ने इस दिशा में काम को गति देने के बारे में क्या कार्यवाही की है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : जी, हां। पाकिस्तान सरकार ने यह कहा था कि सीमांकन के होते ही वह तुकेरग्राम को खाली कर देगी । उस सरकार ने दोनों बातों को आपस में जोड़ देने का प्रयत्न किया था जबकि दोनों में कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । पथरिया वन क्षेत्र में सीमांकन रेखा निश्चित करने के सम्बन्ध में हमारी ओर से तो हर प्रकार का प्रयत्न किया गया है परन्तु वे प्रयत्न सफल नहीं हो सके क्योंकि पाकिस्तान इस काम में बाधा डाल रहा है ।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या उस सीमा पर भी कोई झगड़ा हुआ है जिसका सीमांकन कर दिया गया है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं प्रश्न को समझ नहीं सका । सीमांकन वहीं हो सकता है जहां कोई झगड़ा न हो । जहां झगड़ा हो वहां पर तो सीमांकन कार्य किया ही नहीं जा सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री दी० चं० शर्मा : विवरण से ज्ञात होता है कि त्रिपुरा पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर सीमांकन का कार्य सब से धीमी गति पर चल रहा है । उसके क्या कारण हैं और गति को तेज करने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : सभा में पहले ही यह बताया जा चुका है कि इस क्षेत्र में सीमांकन का कार्य चलाना कितना कठिन है क्योंकि केवल कुछ निश्चित मौसमों में ही यह काम किया जा सकता है और फिर भूमि को बड़ी सावधानी से मापना पड़ता है और सीमांकन करने से पहले दोनों सम्बन्धित पक्षों में समझौता होना भी आवश्यक है । यदि किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न हो जाये तो सीमांकन के काम को तब तक स्थगित करना पड़ता है जब तक समझौता न हो जाये ।

†श्री हेम बरुआ : क्या तुकेरग्राम के मामले के सम्बन्ध में श्री नून से विशेष रूप से चर्चा की गयी थी और क्या तुकेरग्राम को खाली करना करार की पहली शर्त मानी गयी थी ? तो क्या हमारे प्रधान मंत्री इस बात से सहमत हो गये थे कि जब तक पथरिया वन क्षेत्र का विवाद समाप्त नहीं होता, तब तक तुकेरग्राम पर पाकिस्तानी सेना का ही अधिकार रहे ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : यह करार की कोई पहली शर्त नहीं थी, परन्तु उस बारे में चर्चा की गयी थी । तुकेरग्राम के सम्बन्ध में पाकिस्तान ने यह स्वीकार कर लिया था कि वह एक भारतीय क्षेत्र है और उस पर उसने अस्थायी रूप से अधिकार जमाया हुआ है । परन्तु उन्होंने इसके प्रश्न को पथारिया वन क्षेत्र से जोड़ दिया है, जिसके सम्बन्ध में उनका ख्याल है कि हम ने उनके कुछ क्षेत्र पर अधिकार जमाया हुआ है । उसके लिये हमने यह उत्तर दिया था कि हम पथरिया वन क्षेत्र का सीमांकन करने के लिये तैयार हैं, और यदि कोई सन्देह हो तो बाद में उसका भी फैसला किया जा सकता है और इसलिये वे तुकेरग्राम को खाली कर दें ।

†श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि माननीय प्रधान मंत्री ने कहा है कि तुकेरग्राम भारत का है तो फिर उस क्षेत्र में पाकिस्तानी सेनाओं को रहने की कैसे अनुमति दी गयी है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : तुकेरग्राम के प्रश्न को एक विवादास्पद प्रश्न से जोड़ दिया गया है । यह सत्य है कि तुकेरग्राम भारत के स्वतन्त्र होने के समय से लेकर भारतीय क्षेत्र में ही रहा है । यह भारत का अंग है और इसे भारतीय क्षेत्र ही स्वीकार किया गया है, परन्तु फिर भी परोक्षरूप से यह एक विवादास्पद मामला बन गया है ।

†श्री हेम बरुआ : तो फिर उसे जस्टिस बागे या जस्टिस रेडक्लिफ के सामने क्यों नहीं पेश किया ? यह क्षेत्र तो कभी भी विवादास्पद नहीं था ।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : यह स्वयं तो विवादास्पद प्रश्न नहीं है, परन्तु एक बड़े प्रश्न का एक भाग है । परन्तु अब पाकिस्तान ने उस पर अधिकार जमा लिया है और हम उसके लिये प्रयत्न करते रहे हैं । इसके लिये दो प्रकार के उपाय हो सकते हैं—एक शान्तिपूर्ण ढंग से और दूसरा सैनिक शक्ति से । परन्तु हम दूसरे उपाय को जहां तक हो सके टालने का ही प्रयत्न कर रहे हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : विवरण में यह बताया गया है कि पूर्वी सीमा पर ४५ मील तक सीमा रखाएं निश्चित कर दी गयी हैं । ये सीमा रेखायें पश्चिमी बंगाल के किस-किस जिले में निश्चित की गयी हैं ?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : ब्यौरों के लिये मुझे एक अलग पूर्व-सूचना की आवश्यकता है ।

पुनर्वास औद्योगिक निगम

+

†*१२४२. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री बहादुर सिंह :
श्री पद्म देव :
सरदार इकबाल सिंह : }

क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री १७ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों के लिये एक पुनर्वास औद्योगिक निगम की स्थापना के सम्बन्ध में ब्यौरा तैयार हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) और (ख). कलकत्ता में एक संयुक्त पूंजी समवाय के रूप में एक पुनर्वास औद्योगिक निगम स्थापित करने का विचार है । सन्था के अन्तर्नियम और ज्ञापन तैयार हो गये हैं और शीघ्र ही निगम पंजीबद्ध हो जायेगा । उसके चेयरमैन और सरकारी तथा गैर-सरकारी डायरेक्टरों का चुनाव कर लिया गया है । निगम ऐसे सभी उद्योगों की स्थापना करेगा अथवा स्थापना में सहायता करेगा जिनमें बहुत से लोगों को रोजगार मिलने की सम्भावना हो और जिनमें कम से कम विदेशी मुद्रा की आवश्यकता हो । निगम लघु उद्योगों के संवर्धन की ओर भी विशेष ध्यान देगा।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : निगम के चेयरमैन का क्या नाम है ?

†श्री पू० शे० नास्कर : श्री जी० डी० बिड़ला ।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : इस योजना से कितने विस्थापित व्यक्तियों को लाभ होगा ?

†पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : इस निगम की कुल पूंजी १० करोड़ रुपये होगी । हमारा उद्देश्य यह है कि पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार दिलाने के लिये अधिक से अधिक उद्योग स्थापित किये जायें।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पुनर्वास उद्योग विभिन्न गैर-सरकारी उद्योगपतियों द्वारा गत दो तीन वर्षों से स्थापित किये जा रहे हैं, उन्हें कितनी राशि दी गयी है और उसमें कितनी राशि १० करोड़ रुपयों की इस राशि में सम्मिलित की जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मेहर चन्द खन्ना : वह एक बिल्कुल अलग प्रश्न है ।

†श्री बहादुर सिंह : क्या कोई विस्थापित व्यक्ति भी इस निगम का सदस्य है ?

†श्री मेहर चन्द खन्ना : यह निगम विस्थापित व्यक्तियों के हित के लिये उद्योग स्थापित करने के लिये बनाया जा रहा है ।

†अध्यक्ष महोदय : विस्थापित व्यक्ति भी इसके अंशधारी बन सकते हैं ।

†श्री मेहर चन्द खन्ना : हम तो यह चाहते हैं कि देश के सर्वोत्कृष्ट उद्योगपति इस काम में हमारी सहायता करें । निगम के स्थापित हो जाने के बाद यदि किसी और प्रतिष्ठित उद्योग-पति का नाम सुझाया गया तो मैं निश्चय ही उस बारे में विचार करूंगा ।

†श्री पाणिग्रही : क्या वे उद्योग राज्य सरकार के नियंत्रण में होंगे या कि सीधे ही भारत सरकार के नियंत्रण में ?

†श्री मेहर चन्द खन्ना : यह निगम भारत सरकार के प्रशासनीय नियंत्रण में रहेगा ।

छूट (रिबेट) प्राप्त करने वालों के लिये शक्तिचालित करघे के कपड़े को हथ करघे का कपड़ा बताना

†*१२४४. पंडित द्वा० ना० तिवारी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में ऐसे मामले आये हैं जिनमें शक्ति-चालित करघों के कपड़ों को हथकरघे का कपड़ा बता कर उस पर छूट ले ली गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कितने मामले पकड़े गये हैं और इस प्रकार के कपड़ों की कुल कितनी कीमत है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†पंडित द्वा० ना० तिवारी : क्या सरकार का ध्यान इस सम्बन्ध में फरवरी मास में प्रेस में प्रकाशित इस रिपोर्ट की ओर आकृष्ट किया गया है कि कुछ एक व्यक्ति इस प्रकार से सरकार को धोखा देने का प्रयत्न कर रहे हैं ?

†श्री मनुभाई शाह : हमारी सूचना में जो रिपोर्ट आयी है, वह इस सम्बन्ध में नहीं है कि लोग शक्ति-चालित करघों के कपड़ों पर भी छूट ले रहे हैं, अपितु वे रिपोर्ट इस सम्बन्ध में है कि देश के विभिन्न भागों में कुछ एक अनाधिकृत शक्ति-चालित करघे स्थापित हो रहे हैं । मैं इस सम्बन्ध में पहले भी बता चुका हूं कि सरकार इस बारे में जांच कर रही है और जहां भी कोई अनाधिकृत विद्युत् करघा होता है, उसे बन्द कर दिया जाता है ।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या सरकार के ध्यान में ऐसे मामले आये हैं जहां ऐसे हथकरघा की वस्तुओं पर छूट नही दी गयी है जहां कैलण्डरिंग मशीन लगी हुई है ?

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मनुभाई शाह : जी, नहीं। इस प्रकार का कोई भी मामला हमारे ध्यान में नहीं आया है। वास्तव में छूट हथकरघा के सभी प्रकार के कपड़ों को दी जाती है, भले ही वह फिनिश्ड हो या कैलेण्डर्ड हो।

'मई दिवस' को सवेतन छुट्टी का दिन घोषित करना

†*१२४६. श्री स० म० बनर्जी : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ एक राज्यों ने 'मई दिवस' को औद्योगिक मजदूरों के लिये सवेतन छुट्टी का दिन घोषित कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो किस किस राज्य ने ऐसा किया है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार भी १ मई, १९५९ को सवेतन छुट्टी का दिन घोषित करेगी ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) जी, हां।

(ख) केरल।

(ग) जी, नहीं। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की यह नीति है कि यदि किसी कारखाने के अधिकांश मजदूर १ मई को सवेतन छुट्टी के लिये निवेदन करें और किसी अन्य सवेतन छुट्टी के दिन काम करना स्वीकार कर लें, तो इस कारखाने के मालिक को उन्हें छुट्टी दे देनी चाहिये।

†श्री स० म० बनर्जी : जब सारे संसार में मजदूरों द्वारा मई दिवस मनाया जाता है, तो भारत सरकार उसे सवेतन छुट्टी के रूप में क्यों नहीं घोषित कर रही है ?

†श्री आबिद अली : हम मजदूरों को इसके लिये बाध्य नहीं कर सकते कि वे किसी और सवेतन छुट्टी के स्थान पर यह छुट्टी लें। उक्त नीति बड़े सन्तोषजनक ढंग से चल रही है और इस सम्बन्ध में हमारे पास कोई शिकायत नहीं आयी है।

†श्री स० म० बनर्जी : क्या यह सच है कि सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के मजदूर संघों ने बार बार यह अभ्यावेदन किया है कि कुछ एक कारखानों में काम करने वाले मजदूरों द्वारा प्रार्थना की जाने पर भी वे कारखाने बन्द नहीं किये जातें, और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†श्री आबिद अली : मैं ने पहले ही बता दिया है कि इस सम्बन्ध में हमारे पास कोई शिकायत नहीं आयी है।

†श्री रंगामणि : क्या राज्य सरकारों ने सात दिनों या इससे अधिक दिनों को त्यौहारों की छुट्टी के रूप में घोषित करने का कोई विधान पास किया है ; और यदि हां, तो किस राज्य सरकार ने ऐसा किया है और क्या सरकार अन्य राज्य सरकारों से भी कहेगी कि वे भी वैसा ही करें ?

†अध्यक्ष महोदय : यह 'मई दिवस' के सम्बन्ध में है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री तंगामणि : जी, हां ; 'मई दिवस' भी त्यौहार की छुट्टियों में से एक है।

†अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न के सम्बन्ध में और अधिक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे सकता।

†श्री आसर : क्या सरकार को ज्ञात है कि कुछ एक कार्मिक संघों द्वारा विश्वकर्मा दिवस को एक सवेतन छुट्टी के दिन के रूप में मनाया जाता है ; और यदि हां, तो क्या सरकार मई दिवस को भी एक सवेतन छुट्टी के दिन के रूप में मनाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होता।

चाय का प्रचार

†*१०४८ { श्री अरविन्द घोषाल :
श्री सद्धांतप्पा :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय सम्बन्धी प्रचार की व्यवस्था के सम्बन्ध में विचार करने के लिये कोई समिति स्थापित की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो कब और किस उद्देश्य के लिये ; और

(ग) वह समिति कब तक अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) से (ग). भारत तथा विदेशों में चाय की बिक्री को बढ़ाने के लिये चाय बोर्ड द्वारा किये जाने वाले प्रचार की व्यवस्था का पुनरीक्षण करने के लिये एक विभागीय समिति नियुक्त की गयी है। समिति ने गत दिसम्बर से अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है और इस समय वह प्रचार के वर्तमान तरीकों पर विचार कर रही है ताकि प्रचार सम्बन्धी कार्यों पर खर्च की जाने वाली राशि का अधिकतम लाभ उठाया जा सके। समिति कोई औपचारिक प्रतिवेदन पेश करने की बजाय प्रचार सम्बन्धी व्यवस्था के प्राथमिक पक्ष के बारे में व्यापक नोट तैयार करेगी ताकि वे नोट सरकारी कामों में आ सकें।

†श्री अरविन्द घोषाल : वर्तमान प्रचार सम्बन्धी व्यवस्था की त्रुटियों के बारे में किस-किस प्रकार की शिकायतें आयी हैं ?

†श्री सतीश चन्द्र : यह विभागीय समिति किन्हीं शिकायतों के परिणामस्वरूप स्थापित नहीं की गयी थी। यह तो मंत्रालय ने स्वयं स्थापित की है ताकि पता लग सके कि अन्य प्रचार पर जो राशि खर्च की जा रही है, इसका सदुपयोग हो रहा है।

†श्री च० द० पांडे : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया गया है कि हमारी चाय की विदेशी बाजारों में बिक्री की जो कमी हो गयी है, उसका कारण यह नहीं है कि चाय के लिये मार्केट की कमी है, अपितु उसका कारण यह है कि हमारी चाय के भाव अपेक्षाकृत ऊंचे हैं ? यदि हां, तो अपनी चाय के भावों को अन्य देशों की चाय की तुलना में कम करने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सतीश चन्द्र** : माननीय सदस्य की कल्पना सत्य नहीं है । हमने १९५८ में १९५७ की तुलना में अधिक चाय का निर्यात किया है और उससे अधिक विदेशी मुद्रा कमायी है।

†**श्री च० द० पाण्डे** : मैं तो वास्तव में यह कहना चाहता हूं कि कई अन्य देशों की चाय के भाव हमारे भावों से कम हैं और विदेशों में चाय के लिये हमें उनके मुकाबले का सामना करना पड़ता है ।

†**श्री सतीश चन्द्र** : यह सच है कि सारे संसार में चाय का उत्पादन बढ़ रहा है। उसकी खपत भी निरन्तर बढ़ रही है, परन्तु फिर भी खपत उतनी अधिक नहीं है जितना कि उत्पादन है। इसीलिये सारे संसार में सभी प्रकार की चाय के भाव गिर रहे हैं।

†**श्री भक्त दर्शन** : क्या यह सत्य है कि भारत में जितने प्रकार की चाय पैदा होती है, उसमें से हरी चाय का बाजार ज्यादा खत्म हो रहा है और उस के स्टाक देहरादून, गढ़वाल और अलमोड़ा में रुके हुए हैं और क्या इस कमेटी को खास तौर से यह हिदायत दी जा रही है कि वह इस के बारे में सोचे और कोई उपाय निकाले ?

श्री सतीश चन्द्र : हरी चाय, जो थोड़ी सी हिन्दुस्तान में पैदा होती है--कांगड़ा और देहरादून में . . . .

श्री च० द० पांडे : अलमोड़ा में भी होती है।

†**श्री सतीश चन्द्र** : . . . . वह आम तौर पर अफगानिस्तान में जाती थी, लेकिन वहां भी लोग अब काली चाय ज्यादा पसन्द करने लगे हैं और चाइना और उस से मिले हुए रकबों से भी उस को चाय मिलने लगी है। उस बात पर बराबर गौर हो रहा है।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : जिन देशों में चाय का अधिक प्रचार नहीं है--जैसे कि सऊदी अरब--उन देशों में भारतीय चाय का प्रचार करने के लिये यह समिति क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : सऊदी अरब में चाय इस्तेमाल होती है और हम वहां चाय भेज रहे हैं। परन्तु फिर भी वहां चाय की कम खपत है क्योंकि उस देश की आबादी कम है।

मनुष्य की हड्डियों में 'स्ट्रोन्टियम--९०'

†*१२४९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** २५ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या देश में लोगों की हड्डियों में रेडियो सक्रियता (स्ट्रोन्टियम-९०) के संकेन्द्रण का विश्लेषण करने का नियमित कार्य शुरू हो गया है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: जी, हां। सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें बताया गया है कि मनुष्य की हड्डियों में स्ट्रोन्टियम--९० के संकेन्द्रण का पता लगाने के लिये हाल में जो नमूना सर्वेक्षण किया गया था उसके क्या परिणाम निकले हैं। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २७]**.

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इस प्रकार का सर्वेक्षण, जो कि फिलहाल बम्बई तक ही सीमित है, देश के अन्य भागों में भी किया जायेगा ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जहां तक मुझे ज्ञात है, देश के विभिन्न भागों में कुछ परीक्षण किये जा रहे हैं, परन्तु इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण सर्वेक्षण तथा परीक्षण तो केवल ट्राम्बे में ही किये जा रहे हैं क्योंकि इसके लिये जिन उपकरणों की आवश्यकता है, वे सभी उपकरण वहां पर उपलब्ध हैं।

†श्री दी० चं० शर्मा : विवरण में यह कहा गया है कि उपलब्ध आंकड़े पर्याप्त नहीं हैं। क्या आंकड़े प्राप्त करने के लिये और अधिक प्रयत्न किये जायेंगे ताकि सर्वेक्षण अच्छी प्रकार से किया जा सके ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं नहीं समझता कि विवरण में यह बात कही गयी है। यह सच है कि ये आंकड़े सम्पूर्ण देश से प्राप्त नहीं किये गये हैं। ये आंकड़े केवल मात्र बम्बई के अस्पतालों से दिसम्बर, १९५८ में संकलित किये गये थे। इसके लिये नमूने प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसकी हड्डियां इकट्ठी करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। परन्तु फिर भी हम इन्हें प्राप्त कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि वे आंकड़े इस प्रयोजन के लिये पर्याप्त हैं।

†डा० मेलकोटे : क्या रेडियो सक्रिय वस्तुओं का विश्लेषण करने के लिये विभिन्न स्थानों पर केन्द्र स्थापित करना आवश्यक है ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य स्वयं डाक्टर हैं और वह इस चीज़ को ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : जी, हां। उत्तर देने के लिये आप को धन्यवाद, श्रीमान्।

कोलार की सोने की खानों में तालाबन्दी

+

†*१२५१. श्री आसर :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० चं० बोस :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोलार की सोने के क्षेत्र में तीन खानों में तालाबन्दी घोषित कर दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें फिर से खोलने के सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

†श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, नहीं। केवल नन्दीद्रुग खान में ही १९ जनवरी, १९५९ से २७ जनवरी, १९५९ तक तालाबन्दी घोषित की गयी थी। वह खान २७ जनवरी, १९५९ को पुनः चालू कर दी गयी थी।

(ख) इसका कारण यह था कि वहां के मजदूरों ने 'धीरे काम करो' की नीति को अपना लिया था और खान के अफसर के विरुद्ध हाथ उठाया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) औद्योगिक सम्बन्ध व्यवस्था के पदाधिकारियों ने बीच में पड़कर समझौता कराया था और नन्दीद्रुग खान मजदूर सन्था के प्रधान की ओर से यह आश्वासन दिये जाने पर कि फिर से ऐसी अनुशासनहीनता और हिंसात्मक कार्यवाही नहीं की जायेगी, २७–१–५६ को खान पुनः चालू हो गयी ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** क्या यह सच है कि इस खान के उस अफसर का व्यवहार बहुत ही खराब था, और यदि हां, तो उसे खान से हटा देने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** मुझे इस बारे में ज्ञान नहीं है ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** माननीय मंत्री को यह तो ज्ञात है कि मजदूर अफसर को तंग कर रहे थे, परन्तु उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि अफसर मजदूरों को तंग करता रहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य ने एक प्रश्न पूछा था और माननीय मंत्री ने उसका उत्तर दे दिया है ।

†**श्री वाजपेयी :** उस अवधि में मजदूरों द्वारा अपनायी गई 'काम धीरे करो' की नीति के कारण कुल कितनी हानि हुई थी ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** उसके लिये मुझे पूर्व-सूचना की आवश्यकता है ।

†**श्री तंगामणी :** क्या उस अवधि के लिये मजदूरों को मजूरी अदा की गयी थी ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** जी, नहीं ।

सोवियत एनसाइक्लोपीडिया (रूसी विश्वकोष)

†*१२५२. **श्री शिवनंजप्पा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रेट सोवियत एनसाइक्लोपीडिया (विशाल रूसी विश्वकोष)—१०वां खंड, जिसमें महात्मा गांधी के सम्बन्ध में कई अपमानजनक बातें कही गयी हैं, अभी तक रूस में बिक रहा है: और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन):** (क) हम मास्को स्थित अपने राजदूतालय से पूरी जानकारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परन्तु फिर भी यह आशा नहीं है कि एक विश्वकोष, जिसमें इतनी लाभदायक बातें दी हुई हैं केवल इसी आधार पर मार्केट से उठा लिया जाये कि उसके किसी एक खंड में कुछ आपत्तिजनक बातें लिखी हुई हैं। मास्को स्थित भारतीय राजदूत ने हमें सूचित किया है कि इसका एक नया संस्करण शीघ्र ही प्रकाशित हो रहा है, परन्तु यह ज्ञात नहीं कि क्या जिस खंड में महात्मा गांधी के सम्बन्ध में जानकारी है वह निकला है या नहीं । हां, हमारा ध्यान रूस के हाल में महात्मा गांधी के सम्बन्ध में छपे हुये कुछ लेखों की ओर आकृष्ट किया गया है । उनमें ऐसी कोई बात नहीं है जो आपत्तिजनक हो ।

(ख) जब ग्रेट सोवियत एनसाइक्लोपीडिया (विशाल रूसी विश्वकोष) के खंड १० में महात्मा गांधी सम्बन्धित लेख सब से पहले हमारी सूचना में आया, तब हमने रूसी प्राधिकारियों को अपने विचारों से अवगत करा दिया था । हमें आशा है कि उन्होंने उन्हें ध्यान में रखा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री शिवरंजप्पा : उसमें वास्तव में किस प्रकार की आपत्तिजनक बातें लिखी हुई हैं ?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : एनसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी (वौल्यूम १) १९५३ संस्करण । "गांधी, मोहनदास कर्मचन्द (१८६९–१९४८) भारतीय राजनीतिज्ञ प्रथम महायुद्ध (१९१४–१९१८) के बाद वास्तव में वह ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता थे । उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य-वाद के विरोध के 'अहिंसा' और 'अहिंसात्मक सत्याग्रह' का प्रचार किया ।"

†श्री नाथ पाई : हमने तो सोचा था कि यह कोई दो पृष्ठ का विवरण था । माननीय उपमंत्री ने जो कुछ पढ़ कर सुनाया है उसमें तो कोई विशेष आपत्तिजनक बात नहीं है ।

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : उसे पहले भी सभा में पढ़ कर सुनाया गया था । वह लम्बा-चौड़ा विवरण ही है, जो बाद में पुस्तक से निकाल दिया गया था, अर्थात्, एक और नया पृष्ठ छपवा कर इसके स्थान पर लगवा दिया गया था । उपमंत्री ने अभी जो कुछ पढ़ कर सुनाया है वह तो उसका संक्षेप मात्र है । यह पूर्ण विवरण नहीं है ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि रूस में भी उस विश्वकोष के वे शब्द हटा दिये जायें । तो फिर ऐसा वृत्तान्त यहां क्यों पढ़ कर सुनाया जाये ? हम ऐसी अनादरजनक बातों को सुनना पसन्द नहीं करते ।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड की खानें

†१२५३. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड की चिड़िया खानों[1] में लौह अयस्क का प्रायः संपूर्ण खनन कार्य ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों द्वारा किया जाता है ;

(ख) क्या कोयला खानों की ही तरह लौह-अयस्क की खानों में भी स्थायी ढंग का काम करने वाले श्रमिकों का विभागीकरण कर देने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) क्या चिड़िया खानों के श्रमिकों ने मुख्य श्रम आयुक्त को यह याचिका दी है कि वे इस सम्बन्ध में कार्यवाही करें ताकि श्रमिकों को भविष्य निधि से बंचित न रहना पड़े; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

†श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी हां ।

(घ) इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : प्रश्न के भाग (क) का उत्तर उपमंत्री महोदय ने नकारात्मक दिया है । कम्पनी ने स्वयं कुल कितने श्रमिकों को रखा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में
[1]Chiria Mines

†**श्री ल० ना० मिश्र** : ८०० विभागीय श्रमिक हैं और १७२० ठेकेदारों द्वारा रखे गये हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर भी नकारात्मक है । जब प्रायः सभी श्रमिक स्थायी प्रकार का काम कर रहे हैं तो उनमें से अधिकांश को ठेके के आधार पर रखने के क्या कारण हैं ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : यह कहना ठीक नहीं है कि सभी स्थायी ढंग का काम कर रहे हैं । हम यह चाहते हैं कि अधिक से अधिक विभागीय श्रमिक रखे जायें लेकिन इन परिस्थितियों में ठेके पर श्रमिक रखने से नहीं बचा जा सकता ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या इससे हम यह समझें कि ठेकेदारों के अधीन काम करने वाले अधिकांश श्रमिक स्थायी प्रकार के काम के लिये नहीं हैं और केवल सीजन का ही काम करते हैं ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : यह कहना कठिन है । जहां तक कि लाभों का लागू करने के प्रश्न का सम्बन्ध है, विभागीय श्रमिकों और ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों में मुश्किल से ही कोई भेद होता है । यह काम के स्वरूप और प्रत्येक श्रमिक की नौकरी की शर्तों पर निर्भर करता है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : तब फिर ऐसा क्यों है कि उनके लिये भविष्य निधि सम्बन्धी सुविधायें मंजूर नहीं की जातीं और इस बारे में सरकार का क्या विचार है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : यह हो सकता है कि ठेके पर काम करने वाले कुछ श्रमिकों का उस वस्तु के निर्माण से प्रत्यक्ष कोई सम्बध नहीं हो ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : लौह-अयस्क की खानों में ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों को किस प्रकार का कार्य करना होता है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : इसके लिये मुझे पूर्व-सूचना चाहिये ।

आकाशवाणी

†*१२५६. **श्री हेम बरुआ** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी में कलाकारों, लेखकों (स्क्रिप्ट-राइटरों) और वार्ता प्रसारित करने वालों आदि को भुगतान करने के सम्बन्ध में कोई सिद्धान्त निश्चित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह सिद्धान्त क्या है और क्या सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में कोई भेद किया जाता है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा-सचिव (श्री आ० चं० जोशी)** :(क) प्रसारण करने वालों को भुगतान उनके कार्य के स्तर के आधार पर किया जाता है। जहां तक संगीत का सम्बन्ध है, एक नियमित स्वर-परीक्षा बोर्ड[1] की सहायता से इन्हें कई वर्गों में विभक्त कर दिया गया है । वार्ता प्रसारित करने वालों को व्यक्तिगत योग्यता और प्रतिष्ठा के आधार पर भुगतान किया जाता है ।

(ख) सामान्यतया सरकारी कर्मचारियों को सीमित शुल्क दिया जाता है जो अन्य श्रेणियों के प्रसारण कर्त्ताओं के बराबर का नहीं होता । सरकारी कर्मचारियों को किये जाने वाले भुगतान

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Audition Board.

की सीमायें वित्त मंत्रालय के परामर्श से नियत की जाती हैं । ऐसा मुख्य रूप से इस बात पर अंकुश रखने के लिये किया जाता है ताकि प्रसारण से होने वाली आय का असामान्य अंश हस्तगत करने में किसी के सरकारी कर्मचारी होने का अनुचित लाभ न उठाया जा सके । आकाशवाणी के कर्मचारी कुछ भी शुल्क पाने के अधिकारी नहीं होते ।

†**श्री हेम बरुआ :** सभा-सचिव ने सरकारी कर्मचारियों के बारे में जो बात कही है उसको ध्यान में रखते हुये मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है कि सरकारी कर्मचारियों को, यहां तक कि राजकीय मोटर परिवहन विभाग के कर्मचारियों तक को, जो रेडियो कलाकार होते हैं, २५ रुपये प्रति मास से अधिक राशि का भुगतान नहीं किया जाता और सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य कलाकारों में यह भेद क्यों किया जाता है ।

†**श्री आ० चं० जोशी :** पूरे समय काम करने वाले कर्मचारी होने के नाते सरकारी कर्मचारियों से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे आय या आमदनी करने के ऐसे साधनों की खोज नहीं करेंगे जो उन्हें अपने कर्तव्यों से विमुख कर दें । यह भी हो सकता है, कि अपने कर्तव्यों के बल पर ही सरकारी कर्मचारी अक्सर यह कार्य प्राप्त कर लें ।

†**श्री हेम बरुआ :** ऐसा कैसे हो सकता है ?

†**श्री अन्सार हरवानी :** भुगतान करने के मामले में वार्ता और अन्य कार्यक्रम प्रसारित करने वालों की श्रेणी कौन निर्धारित करता है ?

†**श्री आ० चं० जोशी :** आकाशवाणी ।

†**श्री अन्सार हरवानी :** क्या भुगतान के मामले में निश्चय करने के लिये आपकी कोई स्क्रीनिंग कमेटी है या यह काम डाइरेक्टरों की मर्जी पर छोड़ दिया गया है ?

†**श्री आ० चं० जोशी :** शास्त्रीय और सुगम, दोनों प्रकार के संगीत के सम्बन्ध में इस बात का निर्णय करने और संगीतज्ञो का वर्गीकरण करने के लिये गैर-सरकारी व्यक्तियों की भी एक समिति है ।

†**श्री अन्सार हरवानी :** मैं वार्ता प्रसारित करने वालों की बात पूछ रहा हूं, संगीतज्ञों की नहीं ।

†**श्री आ० चं० जोशी :** आकाशवाणी के स्टेशन डाइरेक्टर इस बात का निश्चय करते हैं ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या अलग-अलग केन्द्रों का प्रसारण-शुल्क अलग-अलग है और जब कि दिल्ली से प्रसारण करने वाले को ५० रुपये मिलते हैं तभी वह यदि गौहाटी से प्रसारण करे तो उसे सिर्फ २० रुपये मिलेंगे ?

†**श्री आ० चं० जोशी :** मैं तो ऐसा नहीं समझता ।

†**श्री हेम बरुआ :** मैं यह स्वयं अपने अनुभव से कह रहा हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य कहते हैं कि यह बात उन्होंने स्वयं अपने अनुभव से कही है । सभा-सचिव कृपया इस बात की जांच कर लें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चाय संबंधी व्यापारिक शिष्टमंडल

†*१२५७. **श्री कुमारन्** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या चाय सम्बन्धी ऐसा कोई व्यापारिक शिष्टमण्डल अमरीका और अन्य विदेशों को भेजने का कोई प्रस्ताव है जो उन देशों में जाकर उनके व्यापारिक हितों से सम्पर्क स्थापित करे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

†**श्री कुमारन्** : मैं माननीय सदस्य का ध्यान 'उद्योग व्यापार पत्रिका' (अंग्रेजी)[1] के एक लेख की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि यदि ऐसा शिष्टमण्डल अमरीका भेजा जाये तो इससे अमरीका और अन्य देशों में हमारी चाय का व्यवसाय आरम्भ करने में मदद मिलेगी, और क्या जान सकता हूं कि क्या सरकार इस सुझाव पर विचार करेगी ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : कुछ ही मिनट पहले मैं बता चुका हूं कि हमारे चाय के व्यापार में कुछ भी कमी नहीं हुई है और वास्तव में हमारा चाय का निर्यात बढ़ गया है । फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री अमरीका को एक शिष्टमण्डल भेज रहा है और उसमें चाय उद्योग के प्रतिनिधि भी हैं ।

केरल को केन्द्रीय सहायता

†*१२५८. **श्री वाजपेयी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचारपत्रों में प्रकाशित हुये इन समाचारों की ओर आकृष्ट किया गया है कि केरल में संसद सदस्यों ने यह आरोप लगाया है कि केरल राज्य को दी गई केन्द्रीय सहायता का दुरुपयोग किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन आरोपों की जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) से (ग). केरल की विकास योजना के लिये दी गई केन्द्रीय सहायता के दुरुपयोग के बारे में योजना आयोग को कोई शिकायत नहीं मिली है ।

†**श्री वाजपेयी** : इस बारे में सामान्यतः क्या आरोप लगाया गया है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : मैंने बताया कि योजना आयोग के पास ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया है, हमें इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली है ।

†**श्री पु० र० पटेल** : क्या यह सच है कि कुछ दिन हुये संसद सदस्यों ने कांग्रेस अध्यक्ष से यह शिकायत की थी और मामले की जांच करने के लिये कहा था ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : मुझे यह कैसे मालूम होगा ?

†**श्री केशव** : क्या यह सच है कि इन साम्यवादियों ने कुछ सहकारी संस्थायें आरम्भ की हैं और उसमें केन्द्रीय निधि का प्रयोग किया गया है और टैंडर भी नहीं मांगे गये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Journal of Industry and Trade.

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : इन छोटी-छोटी बातों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है । योजना आयोग को ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है ।

†**श्री कुट्टिकृष्णन् नायर** : क्या सरकार ने उन आरोपों का परीक्षण किया है जो उन श्रमिक सहकारी संस्थाओं पर लगाये गये हैं जिनका श्रमिकों अथवा सहकारी संस्थाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है परन्तु वे साम्यवादी अधिकारियों के अधीन हैं ? किसी साम्यवादी के नाम पर ठेके ले कर उपठेके दे दिये जाते हैं ।

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : श्रमिक सहकारी संस्थाओं से योजना आयोग का क्या सम्बन्ध है ?

†**श्री तिरुमल राव** : क्या माननीय मंत्री योजना आयोग की ओर से उत्तर दे रहे हैं या कि योजना मंत्रालय की ओर से ? राज्यों के प्रशासकीय मामलों के बारे में योजना आयोग को पूरी जानकारी नहीं हो सकती । हम जानना चाहते हैं कि इस मामले में योजना मंत्रालय क्या कार्यवाही कर रहा है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : मुझे योजना मंत्रालय के कृत्यों का पता लगाना पड़ेगा । संसद में योजना आयोग की ओर से योजना मंत्रालय उत्तर देता है। इसलिये योजना मंत्रालय योजना आयोग और संसद के बीच सम्पर्क स्थापित करता है । इसकी ओर से योजना मंत्री अथवा कोई अन्य व्यक्ति संसद में उत्तर देता है ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं इस बात को स्पष्ट कर देता हूं । योजना आयोग एक विशेषज्ञ निकाय है । योजना मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है जो इस विषय के सारे पहलुओं को देखता है । यह भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और योजना आयोग में सम्पर्क स्थापित करता है । कड़े तरीके से कोई सीमांकन नहीं किया जा सकता क्योंकि योजना आयोग सभी मंत्रालयों से परामर्श करके विस्तृत कार्य करता है । योजना मंत्री एक प्रकार से इन सब में एक सम्पर्क है और संसद् के प्रति मंत्री उत्तरदायी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न केरल राज्य द्वारा केन्द्रीय सहायता का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में है। यह स्पष्ट नहीं कि यह योजना मंत्रालय से सम्बन्धित है या किसी अन्य मंत्रालय से । इसका उत्तर तो वित्त मंत्री को देना चाहिये । आरोप यह लगाया गया है कि केन्द्रीय सहायता का दुरुपयोग किया गया है। माननीय मंत्री को यह कहने की जरूरत नहीं कि योजना आयोग को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है । वह यह कहें कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : योजना आयोग को कुछ काम सौंपे गये हैं परन्तु प्रत्येक शाखा के प्रशासकीय ब्यौरे सम्बन्धी जानकारी उसे नहीं मिलती । वे काम अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों को देखने होते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय मंत्री देखें कि कोई प्रश्न विशेष किसी अन्य मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये तो वह उसे भेज दिया करें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैंगानीज खानों का बन्द हो जाना

†*१२५६. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में मध्य प्रदेश और बम्बई में मैंगानीज की कितनी खानें बन्द हो गई हैं ;

(ख) इनके बन्द होने से कितने श्रमिकों को हानि पहुंची है ; और

(ग) उन्हें पुनः खोलने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) खनिज संरक्षण तथा विकास नियम (१९५८) के अन्तर्गत जारी किये गये नोटिसों के अनुसार १९५८ में मध्य प्रदेश में ३९ और बम्बई में १९ मैंगानीज की खानें बन्द कर दी गई हैं ।

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) सरकार ने निर्यात को बढ़ाने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की है :—

१. नवम्बर, १९५८ सभी ग्रेड के मगानीज अयस्क से निर्यात शुल्क हटा लिया गया है ।

२. खान मालिकों और निर्यातकर्ताओं को विदेशी खरीदारों के साथ दीर्घकालीन संविदाय, जिनकी अवधि तीन वर्ष से कम न हो, करने की अनुमति दे दी गई है । जहाजरानों को आश्वासन दिया गया है कि भविष्य में सरकार की निर्यात नीति बदल जाने पर भी उन्हें निर्यात और वहन अभ्यंश से वंचित नहीं किया जायेगा ।

३. राज्य व्यापार निगम के द्वारा मैंगानीज अयस्क के निर्यात की नीति काफी उदार बना दी गई है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** निर्यात संवर्धन परिषद् की गत बैठक में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने यह कहा था कि श्रमिक कल्याण निधि के लिये मैंगानीज अयस्क पर लगाया गया निर्यात शुल्क हटा दिया गया है । क्या यह सदा के लिये हटा दिया गया है ?

†**श्री आबिद अली :** उसे हटाया नहीं गया बल्कि उसे लागू ही नहीं किया गया ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** उसे लागू तो किया ही नहीं जा सकता क्योंकि अभी विधान ही नहीं बना । क्या विधान बनाने का विचार छोड़ दिया गया है ?

†**श्री आबिद अली :** विरोधी दल के कुछ सदस्य यह आलोचना कर रहे थे कि यह उपकर लगाने से निर्यात और भी कम हो जायेगा । मैं ने यह नहीं कहा कि हम ने विचार छोड़ दिया है । इस समय विधान प्रस्तुत करने का हमारा कोई विचार नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री विद्या चरण शुक्ल:** मध्य प्रदेश और बम्बई में कितनी ऐसी खानें बन्द हुई हैं जिनमें एक समय पर २०० से कम श्रमिक काम करते थे ?

†**श्री आबिद अली:** इसके लिये पूर्व सूचना की आवश्यकता होगी।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव:** माननीय मंत्री ने कहा कि खानों के बन्द हो जाने से बेकार हुए श्रमिकों की संख्या उपलब्ध नहीं है। औद्योगिक सम्पर्क मशीनरी द्वारा यह जानकारी प्राप्त करने में क्या कठिनाई थी ?

†**श्री आबिद अली:** कोई कठिनाई नही थी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

चीन के साथ व्यापार

†*१२४३. **श्री रामेश्वर टांटिया:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन के साथ कोई नया व्यापार करार करने का विचार है; और

(ख) भारत और चीन में मुख्यतः किन-किन वस्तुओं का व्यापार होगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र):** (क) जी हां।

(ख) भारत और चीन के बीच मुख्यतः इन वस्तुओं का व्यापार होता है :—

आयात

गरम मसाले, कच्चा रेशम, रासायनिक पदार्थ, अखबारी कागज, धातुएं, भेषज और औषधियां।

निर्यात

गरम मसाले, तम्बाकू, अभ्रक, चंदन का तेल, कपास, चमड़ा लाख और चीनी।

संरक्षित उद्योग

†*१२४५. **श्री वें० प० नायर:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बारे में कोई जानकारी है कि १९५६, १९५७ और १९५८ में संरक्षित उद्योगों को वार्षिक कितना लाभ अथवा हानि हुई; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० १३००/५९]**

---

†मूल अंग्रेजी में

चंडीगढ़ राजधानी परियोजना

†*१२४७. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंडीगढ़ राजधानी परियोजना के लिये केन्द्र ने अब तक कुल कितनी सहायता दी है ;

(ख) परियोजना को पूरा करने के लिये और कितनी राशि की जरूरत है ;

(ग) क्या परियोजना के कार्य में कोई अड़चन पैदा हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० न० मिश्र)** : (क) ३१ मार्च, १९५९ तक चंडीगढ़ राजधानी परियोजना के लिये दी गई सहायता ८ करोड़ रुपये हो जायेगी ।

(ख) द्वितीय योजना काल में पुनरीक्षित अनुमोदित खर्च ९·३१ करोड़ रुपये है; इस राशि में से १९५९–६० की समाप्ति तक ६·२२ करोड़ रुपये खर्च हो जायेंगे । तृतीय योजना काल में परियोजना को पूरा करने आवश्यक राशि का हिसाब अभी लगाया जाना है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सिंदरी फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्ज (प्राइवेट) लिमिटेड

†*१२५०. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिन्दरी फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्ज (प्राइवेट) लिमिटेड में उत्पादन करते समय कौन से उपोत्पाद प्राप्त होते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि उपोत्पाद के रूप में आक्सीजन प्राप्त होती है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका प्रयोग कैसे किया जाता है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) सिन्दरी उर्वरक कारखानों में मुख्य उपोत्पाद चाक, कोलतार, मोटर बैन्जौल, शुद्ध बैन्जीन और लाइट सालवैंट नफ्था हैं ।

(ख) और (ग) जब सिन्दरी के विस्तार संयन्त्र में अमोनिया संश्लेषण के लिये अपेक्षित नाइट्रोजन को वायु से अलग किया जायेगा तब आक्सीजन छोड़ी जायेगी । नाइट्रिक ऐसिड के उत्पादन के लिये अमोनिया का आक्सीडेशन करने में इसका प्रयोग किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इंडोनेशिया को वस्त्र का निर्यात

†*१२५४. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडोनेशिया को वस्त्र के निर्यात में जापान की प्रतिस्पर्धा के कारण काफी कमी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस देश को निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) यह सच है कि भारत से इंडोनेशिया को होने वाले सूती वस्त्र के निर्यात में काफी कमी हो गई है । परन्तु इसका कारण केवल जापान की प्रतिस्पर्धा नहीं है । वस्तुतः इंडोनेशिया में जापान का आयात भी काफी कम हो गया है । भारतीय वस्त्र के निर्यात में कमी होने के निम्नलिखित मुख्य कारण हैं :—

(१) कुछ अन्य देशों द्वारा दीर्घकालीन ऋण देना ।

(२) इंडोनेशिया द्वारा आयात लाइसेंसों में कमी करना ।

(ख) सूती वस्त्र के निर्यात का प्रोत्साहन करने के लिये सरकार ने हाल ही में जो योजना बनाई है उसके अतिरिक्त सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई में, सिंगापुर में एक विदेशी कार्यालय भारतीय वस्तुओं के लिये मार्किट सर्वेक्षण करने और प्रचार करने के लिये खोला है जिस से भारत से इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलाया फैडरेशन और थाईलैंड को सूती वस्त्र का निर्यात बढ़ाया जा सके ।

साहूपुरी में उर्वरक कारखाना

*१२५५. **श्री मोहन स्वरूप :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाराणसी के निकट साहूपुरी में एक रासायनिक व उर्वरक कारखाना खोलने की योजना कार्यान्वित की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक प्रारम्भ होने की सम्भावना है ;

(ग) उस में तैयार की जाने वाली वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस काम के लिये सरकार द्वारा राज्य सरकार को कितनी सहायता दी जा रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) मशीनें आदि लगाने का काम पूरा होने वाला है और आशा है कि यह वर्ष समाप्त होने से पहले उत्पादन शुरू हो जायेगा।

(ग) अमोनियम क्लोराइड	४०,००० टन प्रति वर्ष
सोडा एश	४०,००० टन प्रति वर्ष

(घ) इस काम के लिए राज्य सरकार को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गयी है।

मेसर्स नेशनल शुगर मिल्स लिमिटेड

†*१२६०. **श्री हाल्दर** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मेसर्स नेशनल शुगर मिल्स लिमिटेड को १६ लाख रुपयों का ऋण दिया था ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि यही कम्पनी २५ लाख रुपये में पश्चिम बंगाल सरकार के पास बन्धक पड़ी हुई है ;

(ग) क्या इस कम्पनी का समापन होने वाला है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) नेशनल शुगर मिल्स लिमिटेड को देने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार को २१ लाख रुपयों का ऋण दिया गया था।

(ख) जी हां, कम्पनी की आस्तियां द्वितीय प्रभार के रूप में पश्चिम बंगाल सरकार के पास बंधक रखी हैं—पहला प्रभार भारत सरकार का है।

(ग) हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पाकिस्तान के साथ व्यापार

†*१२६१. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान पाकिस्तान सरकार की हाल की उस घोषणा की ओर आकृष्ट हुआ है जिसके द्वारा १९५९ की पहली छमाही में कई वस्तुओं के आयात में भारी कमी कर दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो इन वस्तुओं के भारत से निर्यात पर इसका किस प्रकार का कितना प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) उनके सम्बन्ध में निर्यात के अन्य साधनों की खोज के लिये यदि कोई कार्यवाही की जा रही हो तो वह क्या है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). पाकिस्तान ने जिस नयी आयात सूची की घोषणा की है उसमें हमारे निर्यात की कोयले को छोड़ कर बाकी प्रायः सभी महत्वपूर्ण वस्तुयें आ गयी हैं । जहां तक कोयले का सम्बन्ध है, दोनों सरकारों की एक विशेष व्यवस्था द्वारा उसके निर्यात का उपबन्ध कर दिया है । इस प्रकार पाकिस्तान की नयी आयात नीति के फलस्वरूप पाकिस्तान को हमारे निर्यात पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

नीबू घास का तेल[1]

†*१२६२. { **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री कुन्हन : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ १९५७–५८ और १९५८–५९ में अब तक नीबू-घास के कुल कितने-कितने तेल का निर्यात किया गया है ;

(ख) नीबू घास के तेल के निर्यात के संवर्द्धन के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि भाव गिर जाने और उसकी मांग कम हो जाने के फलस्वरुप नीबू घास के तेल उत्पादकों को बड़े कष्ट का सामना करना पड़ रहा है ; और

(घ) क्या सरकार ने नीबू घास के तेल से विटामिन 'ए' निकलने की संभावना से लाभ उठाने के लिये कोई कार्यवाही है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मानुभाई शाह)** : (क) से (घ). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या २८]**

झील कुरंजा बस्ती, दिल्ली के लिए अर्जित भूमि

*१२६३. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि झील कुरंजा की नई बस्ती के लिये ली गई भूमि का प्रतिकर अभी तक किसानों को नहीं दिया गया;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक दिये जाने की आशा है;

(ग) प्रतिकर की दर प्रति बीघा क्या होगी; और

(घ) विस्थापित व्यक्तियों से इस भूमि का कितना मूल्य वसूल किया जायेगा ?

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख). झील कुरंजा की शरणार्थी बस्ती के लिये गोंडली और खुरेजा खास के देहातों की जमीन के उन

†मूल अंग्रेजी में
[1]Lemon Grass oil

मालिकों को जो कि लैंड एक्वीजीशन कलेक्टर की अदालत में हाजिर हुए थे मुआवजा लेने को कहा गया था परन्तु उन्होंने वह मुआवजा लेना नामंजूर कर दिया! जब उस जमीन के बाकी मालिक मुआवजा लेने की इच्छा या अनिच्छा प्रगट करेंगे तब दिल्ली शासन की ओर से एक पंच रिसेटलमेंट आफ डिसप्लेस्ड परसंस (लैंड एक्वीजीशन) ऐक्ट १९४८ के मातहत मुआवजा का निर्णय करने के लिये नियुक्त किया जायेगा।

(ग) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या २८]**

(घ) डेबलपमेंट के बाद १० रुपये ५६ नये पैसे प्रति वर्ग गज। डेवलपमेंट में सड़कें उन पर रोशनी, सियूअर, पीने का पानी (हैंड पम्प) बारिश के पानी को ले जाने वाली नालियां, पौदों का लगाना और पम्पिग स्टेशन और प्लांट की निसबतन कीमत शामिल हैं।

पाकिस्तान में भारतीय सीमा-शुल्क पदाधिकारी पर आक्रमण

†*१२६४. **श्री जाधव :**
श्री स० म० बनर्जी :
श्री वारियर :
श्री तंगामणि :
श्री प्र० च० बरूआ :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २२ फरवरी, १९५९ को स्योलामुख के, जो पाकिस्तानी राज्य-क्षेत्र में है, भारतीय सीमा-शुल्क सम्पर्क अधिकारी, श्री देवजीत सैकिया पर पाकिस्तानियों ने आक्रमण कर दिया था ;

(ख) क्या सरकार को ढाका स्थित भारतीय उप-उच्चायुक्त से इस घटना के संबंध में कोई सूचना मिली है ;

(ग) क्या पूर्वी-पाकिस्तान की सरकार से इसके लिये विरोध प्रगट किया गया है ; और

(घ) उस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) जी हां। २३ फरवरी, १९५९ की रात को सिल्हट जिले के स्योलामुख स्थान के भारतीय सीमा-शुल्क सम्पर्क अधिकारी श्री देवजीत सैकिया पर उनके निवास-व-कार्यालय में १२ पाकिस्तानी राष्ट्रजनों ने, जिनमें ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के दो जवान भी शामिल थे, आक्रमण कर दिया जिससे उनके सिर और सीने में चोट आयी है।

(ख) ढाका स्थित भारतीय कार्यवाहक उप-उच्चायुक्त ने बहुत बाधायें उपस्थित की जाने पर भी इस घटना की सभी बातों की जांच करने के लिये २५ फरवरी, १९५९ को स्योलामुख की यात्रा की।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ). पाकिस्तान को एक बड़ा विरोधपत्र दिया गया है। पाकिस्तान सरकार का ध्यान इस बात की ओर भी आकृष्ट किया गया है कि स्थानीय अधिकारियों ने श्री सैकिया की रक्षा नहीं की, अपराधियों को, विशेषरूप से पाकिस्तानी सशस्त्र सेना वाले अपराधी व्यक्तियों की पहचान कराने के लिये शिनाख्त की परेड कराने के प्रति अनिच्छा प्रगट की और भारतीय कार्यवाहक उप-उच्चायुक्त के श्री सैकिया के पास आने में बाधायें उपस्थित की गयीं।

हमारे उच्चायुक्त ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री से भी यह प्रश्न उठाया है और पाकिस्तान के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

भारतीय मानक संस्था

†*१२६५. { श्री विमल घोष :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री खाडिलकर : }

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन शर्तों और निबंधनों में, जिन पर भारतीय मानक संस्था सरकार का कार्य करती आ रही है, आगामी वित्तीय वर्ष में परिवर्त्तन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो किस रूप में;

(ग) क्या सरकार के लिये काम करने की शर्तों और निबंधनों में होने वाले इस परिवर्त्तन के ही आधार पर संस्था ने अपने सभी कर्मचारियों को उनकी नौकरी समाप्त करने का नोटिस दे दिया है; और

(घ) यदि हां, तो संस्था के कर्मचारियों को उनकी नौकरी की सुरक्षा और अखण्डता के बारे में आश्वस्त करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने वाली है?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). जी हां। व्यय के लिये सहायक अनुदान देने की वर्त्तमान व्यवस्था के स्थान पर १ अप्रैल, १९५९ से राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संबंधी कार्य ठेके के आधार पर भारतीय मानक संस्था को सौंप देने का प्रस्ताव है।

पुनरीक्षित व्यवस्था के संबंध में व्यौरा तैयार किया जा रहा है।

(ग) जी हां।

(घ) यह बात संस्था के आन्तरिक कार्यों से संबंधित है और भारत सरकार से इसका प्रत्यक्ष संबंध नहीं है क्योंकि यह एक गैर-सरकारी संस्था है।

---

†मूल अंग्रेजी में

संयुक्त राष्ट्र संघ के महामंत्री की यात्रा

†*१२६६. श्री अ० मु० तारिक :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री हेम बरूआ :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महामंत्री श्रीनगर और कश्मीर आने वाले हैं ;

(ख) यदि हां, तो यह यात्रा किस प्रकार की है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख). श्री हैमरशोल्ड आधिकारिक रूप से दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों का, जिनमें भारत भी शामिल है, दौरा कर रहे हैं। कश्मीर की उनकी प्रस्तावित यात्रा वहां के संयुक्त राष्ट्रीय सैनिक पर्यवेक्षक-दल के कार्य के संबंध में उनके प्रशासनिक कर्त्तव्यों से संबंधित है। उन्होंने कहा है कि उनकी इस यात्रा से कश्मीर के मसले का कोई संबंध नहीं है।

कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड

†*१२६७. श्री वारियर :
श्री तंगामणि :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान गोदी श्रमिकों की "धीरे काम करो" कार्यवाही के संबंध में कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड के चेयरमैन के प्रेस-वक्तव्य की ओर आकृष्ट किया गया है ;

(ख) क्या सरकार को कलकत्ते के डॉकयार्ड के श्रमिकों का कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) श्रमिकों की मुख्य मांग यह है कि उन्हें मजूरी और हाजिरी के भत्ते का भुगतान किया जाय लेकिन गलत ढंग से काम बन्द कर के उन्होंने इनको प्राप्त करने का अधिकार खो दिया है। इसके अलावा, ये भुगतान कलकत्ता गोदी श्रमिक (रोजगार विनियमन) योजना १९५६ के उपबन्धों से विनियमित होते हैं। इसलिये हमें कोई कार्यवाही नहीं करनी है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

इल्मेनाइट तैयार करने वाले कारखाने का बन्द किया जाना

†*१२६८. { **श्री तंगामणिः**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री कुन्हन् :
श्री वारियर :
श्री कोडियान : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास राज्य में मानवलकुरिचि का हॉपकिन्स एण्ड बिलियम्स लिमिटेड का इल्मेनाइट तैयार करने वाला कारखाना ९ मार्च, १९५९ से बन्द हो गया है।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या ४०० फैक्टरी श्रमिक और २५०० खानों से सम्बन्धित अन्य श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी हां।

(ख) मेसर्स हॉपकिन्स एण्ड विलियम्स ने ६ फरवरी, १९५९ को अनुशक्ति विभाग को यह सूचना दी थी कि वे मानवलकुरिचि स्थित अपना इल्मेनाइट का कारखाना ९ मार्च, १९५९ से बन्द कर रहे हैं क्यों कि वहां जिस ग्रेड का इल्मेनाइट तैयार होता है उसकी बिल्कुल मांग नहीं है। उनके पास लगभग २०,००० टन का अनबिका स्टाक पड़ा है जो १८ महीने के उत्पादन के बराबर होता है।

(ग) ३२३ श्रमिकों पर, जिनमें ठेकेदारों द्वारा खनन कार्य के लिये रखे जाने वाले ९३ श्रमिक भी शामिल हैं, इस कारखाने के बन्द होने का प्रभाव पड़ा है।

(घ) कारखाने के बन्द होने से बचाने के लिये प्रत्येक संभव प्रयत्न किया गया है। यहां तक कि मूल्य घटा करके भी कई देशों में इस इल्मेनाइट के लिये बाजार ढूंढ़ने का प्रयास किया गया है।

"नार्दर्न इंडिया अमृत बाजार पत्रिका" का प्रकाशन

†*१२६९. { **श्री नाथ पाई :**
श्री स० म० बनर्जी :
श्री तंगामणि : }

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि 'नार्दर्न इंडिया अमृत बाजार पत्रिका' नामक समाचार-पत्र बिना पंजीयन के ही प्रकाशित किया गया था ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) और (ख). 'नार्दर्न इंडिया अमृत बाजार पत्रिका' का प्रकाशन बिना अधिकृत घोषणा के किया गया था। प्रेस तथा पुस्तकों का पंजीयन अधिनियम, १८६७ के संबंधित उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

पाकिस्तान में अमरीकी फौजी-अड्डे

†*१२७०. **श्री पाणिग्रही** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लन्दन के एक प्रमुख समाचार पत्र, 'सन्डे टाइम्स' में हाल ही में प्रकाशित एक नक्शे की ओर, जिसमें दिखाया गया था कि पाकिस्तान में अमरीकी फौजी अड्डे विद्यमान हैं, सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने अमरीका सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया है कि भारत की सीमा पर, कश्मीर से बहुत कम दूरी पर, फौजी अड्डों का होना कितना खतरनाक सिद्ध हो सकता है ; और

(ग) क्या भारत सरकार को अमरीका सरकार से इस आशय की कोई सूचना मिली है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी हां। इस नक्शे में पश्चिमी पाकिस्तान में तीन अमरीकी फौजी अड्डे दिखाये गये हैं, जिनमें से एक कराची के निकट है। पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश है और तीसरा संभवतः पंजाब (पाकिस्तान) के किसी स्थान में है।

(ख) और (ग). अमरीकी राजदूत ने वैदेशिक कार्य मंत्रालय को एक संदेश भेजा है जिसमें यह कहा गया है :—

> "मेरी सरकार द्वारा सार्वजनिक रूप से स्पष्टीकरण किये जाने के बावजूद भी यह प्रतीत होता है कि पाकिस्तान स्थित एक संचार-सुविधा के सम्बन्ध में अब भी गलत फहमी बनी हुई है। मैं इस लिये आप को इस बात का स्मरण दिलाना चाहता हूं, क्योंकि संभवतः इस में आपकी दिलचस्पी हो सकती है, कि अमरीका सरकार ने सार्वजनिक रूप से यह कहा है कि यह सुविधा एक विश्वव्यापी संचार पद्धति का ही एक अंग है। यह क्षेप्यास्त्रों का अड्डा नहीं है और मुझे स्पष्ट रूप से इस बात का खंडन कर देने का अधिकार दिया गया है कि पाकिस्तान अमरीका सरकार का क्षेप्यास्त्रों सम्बन्धी कोई अड्डा या अड्डे हैं।"

---

†मूल अंग्रेजी में

फिल्म 'गुलाब का फूल का प्रदर्शन

†*१२७१. **चौ० ब्रह्म प्रकाश** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन को यह हिदायतें दी गयी हैं कि स्कूली बच्चों को चिल्ड्रेंस फिल्म सोसाइटी द्वारा जो उनके मंत्रालय के नियंत्रण में है, निर्मित्त फिल्म "गुलाब का फूल" दिखायी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). चिल्ड्रेंस फिल्म सोसायटी जिन फिल्मों का निर्माण करती है उनके वितरण की व्यवस्था भी वह स्वयं करती है सरकार उनके वितरण की व्यवस्था नहीं करती है ।

पूर्व-अफ्रीकी सांस्कृतिक-दल

†*१२७२. **श्री ही० ना० मुकर्जी** :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री स० म० बनर्जी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी अफ्रीका के कुछ भारतीय निवासियों की ओर से भेजा हुआ एक तथाकथित पूर्व-अफ्रीकी सांस्कृतिक दल कुछ समय से इस देश का दौरा कर रहा है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान अफ्रीकी छात्र संघ (भारत) द्वारा बार-बार किये गये इस अभ्यावेदन की ओर आकृष्ट हुआ है कि उक्त दल के कार्यक्रम पूर्व अफ्रीकी संस्कृति की व्यंगानुवृत्ति[1] हैं और वे दोस्ती और भाईचारे के भारत-अफ्रीकी सम्बन्धी को नष्ट कर देंगे ; और

(ग) यदि इस मामले में कोई कार्यवाही की गई हो तो वह क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) पता चला है कि यह दल, जो गैर-सरकारी है, १९ जनवरी, १९५९ को बम्बई पहुंचा था लेकिन वह बाद में कहां-कहां गया इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) जी हां ।

(ग) बम्बई सरकार को यह मशविरा दिया गया था कि वह केवल व्यावसायिक आधार पर उक्त दल से व्यवहार करे । उन से कहा गया था कि वह उनके कार्यक्रम देख लें और जो भी कार्यक्रम आपत्तिजनक लगे उन्हें निकाल दें । यदि पूरा कार्यक्रम आपत्तिजनक पाया जाये तो बम्बई सरकार जो भी कार्यवाही आवश्यक समझे, कर सकती थी । इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय राज्य सरकार पर ही छोड़ दिया गया था कि इस दल को भारत में अपने कार्य-क्रम में प्रदर्शित करने की अनुमति दी जाये अथवा नहीं । उन से यह भी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया था कि ऐसी कोई भी चीज न दिखायी जाये जो सामान्य रूप से अफ्रीकियों के लिये अपमानकर हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Parody.

गन्दी बस्तियों का हटाया जाना

†*१२७३. श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री तंगामणि :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २० नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्दी बतिस्यों के हटाये जाने से सम्बन्धित मंत्रणा समितियों के प्रतिवेदनों पर विचार पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किये गये हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी हां ।

(ख) गन्दी बस्तियों के हटाये जाने सम्बन्धी मंत्रणा समिति की मुख्य सिफारिशों और उन पर सरकार द्वारा किये गये निर्णयों का एक विवरण लोक-सभा पटल रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३०]** ।

तिब्बत में भारतीय व्यापारी

†*१२७४. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **प्रधान मंत्री** ३ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन के तिब्बत क्षेत्र के भारतीय व्यापारियों की स्थिति में सुधार करने से सम्बन्धित बातों पर १९५४ के चीन-भारत करार और भारत चीन व्यापार करार के आधार पर विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस विचार का क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) उन्हें क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है या की जाने वाली है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) से (ग). जी हां । ज्ञापन में कही गयी बातों पर की गयी कार्यवाही का विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३१]** ।

अमरीका की लघुउद्योग प्रदर्शनी

†*१२७५. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अमरीका ने हाल ही में देश में एक लघु उद्योग प्रदर्शनी आयोजित की थी ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या प्रदर्शनी में प्रदर्शित मशीनों का भारत के छोटे पैमाने के उद्योगों में उपयोग करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिये सरकार के किसी विशेषज्ञ को प्रति नियुक्त किया गया था ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार इस बात को ज्यादा अच्छा समझती है कि छोटे पैमाने के उद्योगों के संचालक स्वयं अपनी जरूरत वाली मशीनों को पसन्द कर खरीदें ।

"भारत—१९५८" प्रदर्शनी

*†१२७६. पंडित द्वा० ना० तिवारी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'भारत—१९५८' प्रदर्शनी के स्टालवालों द्वारा दिये गये इस्पात, नालीदार चादरों आदि का उपयोग करने के सम्बन्ध में कुछ निश्चय किया गया है ; और

(ख) इस्तेमाल हो चुके इस्पात के लिये स्टाल वालों को क्या कीमत दी गयी है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी, हां ।

(ख) इस्तेमाल हो चुके माल का स्टाक रखने वालों को यह हिदायतें दे दी गयी हैं वे यह माल ले कर संबंधित स्टाल वालों को कलकत्ते के लोहे तथा इस्पात निर्देशक द्वारा अंतिम रूप से मूल्य नियत किये जाने तक के लिये दोषपूर्ण और टूटे फूटे सामान के संविहित (कालम १) बिक्री मूल्य (१ नवम्बर, १९५८ के भारत के गजट—भाग २, खण्ड ३ में प्रकाशित संविहित आदेश) के आधार पर उसकी कीमत चुका दें ।

इंडोनेशिया को इंजीनियरिंग के सामान का निर्यात

†*१२७७. श्री अजित सिंह सरहदी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इंजीनियरिंग की वस्तुओं के इंडोनेशिया को, जहां उनकी बड़ी मांग है, निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

इंडोनेशिया को इंजीनियरिंग की वस्तुओं के निर्यात के संवर्द्धन के लिये की गयी अधिक महत्वपूर्ण कार्यवाही इस प्रकार है :

(क) भारत और इंडोनेशिया के व्यापार करार में डीजल इंजनों, तेल और ईख के कोल्हुओं, सिलाई की मशीनों, साइकिल के पुर्जों आदि इंजीनियरिंग की वस्तुओं का भारत से इंडोनेशिया को निर्यात करने की व्यवस्था की गयी है ।

(ख) इंडोनेशिया में भारतीय व्यापारिक प्रतिनिधि आयात करने वालों से सम्पर्क स्थापित करने, बाज़ार की पसन्दगी सम्बन्धी प्रतिवेदन की तैयारी आदि में निर्यात करने वालों की सहायता करते रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) आयात करने वालों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करने, इंडोनेशियाई बाजारों, इंजीनियरिंग सम्बन्धी विदेशी माल की कीमत और किस्म का अध्ययन करने और इंजीनियरिंग सम्बन्धी भारतीय वस्तुओं के प्रचार की व्यवस्था करने के लिये इंजीनियरिंग निर्यात संवर्द्धन परिषद् का एक व्यापारिक शिष्टमण्डल इंडोनेशिया गया है। शिष्टमंडल का प्रतिवेदन उपलब्ध होने के बाद ही इस बात पर विचार हो सकेगा कि निर्यात बढ़ाने के लिये और आगे क्या कार्यवाही की जाय।

काजू का निर्यात

†*१२७८. **श्री कुमारन्** । क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास हमारे काजू के व्यापार में सुधार करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी हां।

(ख) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या** ३२]

दिल्ली में कार्यालयों के स्थान की कमी

†*१२७९. श्री **वाजपेयी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में केन्द्रीय कार्यालयों के लिये स्थान की कमी होने के फलस्वरूप इस समय कितनी राशि मासिक किराये के रूप में दी जा रही है ;

(ख) यदि काम आने योग्य न रह जाने के कारण अस्थायी हटमैन्ट्स को, जिनमें इस समय कार्यालय बसे हुये हैं, खाली कर लिया जाय तो अनुमानतः कितनी राशि देनी पड़ेगी ;

(ग) क्या सरकार इस प्रयोजन के लिये निर्माण कार्य आरम्भ करेगी; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उसकी योजनायें क्या हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) से (घ). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३३**]

पश्चिम बंगाल में कताई मिलें

†*१२८० **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में जिन तीन कताई-मिलों की स्थापना करने वाली है क्या उनके सम्बन्ध में उसने कोई वित्तीय सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र से कितनी वित्तीय सहायता मांगी है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ निर्णय कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) यदि माननीय सदस्य का प्रयोजन रानाघाट और ताहरपुर क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली तीन कताई मिलों से, तो इसका उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(ख) ७०.०८ लाख रुपये ।

(ग) और (घ). ये तीनों योजनायें नामंजूर कर दी गयीं क्योंकि देश के वस्त्र उद्योग की वर्त्तमान अवस्था को ध्यान में रखते हुये और भी सूती कताई मिलों की स्थापना करना व्यवहार्य नहीं माना जाय । इसके अलावा, विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार देने के सम्बन्ध में उद्योगों की स्थापना जिन योजनाओं के लिये पुनर्वास मंत्रालय वित्तीय सहायता देता है ये योजनायें उस नमूने की भी नहीं थीं ।

कीर्तिनगर बस्ती में विकास कार्य

*१२८१. श्री नवल प्रभाकर : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री १९ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिहेविलिटेशन हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा स्थापित कीर्ति-नगर की बस्ती में, समस्त विकास कार्य पूर्ण हो गया है; और

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो यह कब तक समाप्त होने की आशा है ?

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) सियूरेज के अलावा आवश्यक डेवलपमेण्ट का काम लगभग पूर्ण हो गया है ।

(ख) सियूरेज का काम इसी साल के अन्त तक समाप्त होने की आशा है ।

काश्मीरी वस्तुओं का निर्यात

†*१२८२. श्री अ० मु० तारिक : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस को छोड़ कर अन्य योरोपीय देशों ने काश्मीर में तैयार होने वाली कश्मीरी वस्तुओं का आयात करने में बड़ी दिलचस्पी दिखाई है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या की जाने वाली है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) हालांकि दस्तकारी की वस्तुओं के निर्यात के आंकड़े इस आधार पर नहीं रखे जाते कि वे किन-किन राज्यों की बनी हुई थीं; फिर भी यह कहा जा सकता है कि योरोपीय देशों को इन वस्तुओं के निर्यात के परिमाण से प्रगट है उन देशों को भारतीय दस्तकारी की वस्तुओं में, जिनमें कश्मीरी वस्तुयें भी शामिल हैं, कितनी दिलचस्पी है ।

(ख) बिदेशों को दस्तकारी की वस्तुओं के निर्यात का संवर्द्धन करने के काम की देख रेख करने के लिये इंडियन हैण्डीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कारपोरेशन (लिमिटेड) नाम की एक सरकारी कम्पनी खोली गयी है और यह कारपोरेशन विदेशों में व्यापारिक केन्द्र खोलने का विचार कर रहा है । इससे कश्मीर की वस्तुओं के निर्यात को भी बल मिलेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अमरीका से मरम्मत किये हुए मशीनी औजारों का उपहार

†*१२८३. { श्री स० म० बनर्जी :
श्री तंगामणि :
श्री पाणिग्रही :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ७ करोड़ रुपयों के मूल्य के ७००० मरम्मत किये हुये मशीनी औजार अमरीका से उपहार स्वरूप भारत में आने वाले हैं ;

(ख) यदि हां, तो यह उपहार किस योजना के अधीन किया जा रहा है;

(ग) क्या इससे बंगलौर के हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के उत्पादन पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ; और

(घ) यदि हां, तो कितना ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३४]**

करीमगंज में मार्गस्थ यातायात का रोका जाना

†*१२८४. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री हेम बरुआ :
श्री लीलाधर कटकी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता से करीमगंज और सिल्चर के लिये मार्गस्थ स्टीमर और नावें पूर्वी पाकिस्तान के सिल्हट ज़िले के फेचूगंज में वहां के अधिकारियों द्वारा २२ फरवरी, १९५९ से रोक ली गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान अधिकारियों द्वारा रोके गये स्टीमरों और नावों की अलग-अलग संख्या कितनी थी ;

(ग) उनके रोके जाने के कारण क्या हैं ;

(घ) क्या उन्हें छोड़ दिया गया है; और

(ङ) पाकिस्तान प्राधिकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विधि के उल्लंघन करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी हां ।

(ख) पूर्वी पाकिस्तान प्राधिकार द्वारा इस्टर्न ह्वीलर, ४ लांचेज और १९ बार्जेज रोके गये थे ।

(ग) पाकिस्तान की सरकार द्वारा कोई कारण नहीं बताये गये थे किन्तु स्पष्ट है कि ऐसा कछार ज़िले और आसाम सरकार के अधिकारियों के ऊपर बेजा दबाव डालने के लिये किया गया था क्योंकि जान बूझ कर तंग करने के लिये गोली भी चलाई गई थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) और (ङ) आसाम सरकार और भारत सरकार ने इस मामले की शिकायत पाकिस्तान की सरकार से की है। पाकिस्तान से यह समवरोध अन्तिम रूप से १० मार्च की रात से उठा लिया गया है और अब सारी नावें छोड़ दी गई हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना

†*१२८५. { **श्री राम कृष्ण निगम :**
{ **श्री त० ब० विट्ठल राव :**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री ११ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ८५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना की कार्य पद्धति पर पुनर्विलोकन करने के लिये एक समिति नियुक्त करने के बारे में की गई सिफारिश की जांच कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) सिफारिश विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पूर्वी अफ्रीका के साथ व्यापार सन्तुलन

†*१२८६. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी अफ्रीका के साथ व्यापार संतुलन कैसा रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि अफ्रीका के लिये इस्पात फर्नीचर के निर्यात में वृद्धि की कोई संभावना है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री शतीश चन्द्र) :** (क) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३५**]

(ख) जी हां।

सरकारी प्रकाशन

†*१२८७. **श्री अ० मु० तारिक :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री ३ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इन प्रकाशनों पर उत्पादन व्यय और बिक्री से आय के बीच के अन्तर में कमी करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री केसकर) :** निम्नकार्यवाही, जो उपयुक्त और व्यय में कमी करने एवं इस मंत्रालय द्वारा निकाली गई विभिन्न पत्रिकाओं से होने वाली आय में वृद्धि करने के लिये, की गई है :

(१) पत्रिका के आकार को छोटा करना, सस्ते कागज का इस्तेमाल, कर्मचारियों की संख्या में कमी, रंग और ब्लाकों के महंगी चीजें इस्तेमाल करने में कटौती तथा लेख आदि लिखने वालों के पारिश्रमिकों का पुनरीक्षण करना.

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) निःशुल्क वितरण को सीमित करना ;

(३) मूल्य बढ़ाना ;

(४) बिक्री बढ़ाने के लिये विशेष आन्दोलन चलाना और अधिक विज्ञापन प्राप्त करना ; विज्ञापन शुल्क का पुनरीक्षण तथा एजेंसी की शर्तों को ढीला करना ;

(५) पत्रिकाओं की जिल्द आदि में सुधार करना ।

पटसन मिल के मजदूरों की बेकारी

†*१२८६. { **श्री वाजपेयी :**
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में १ मार्च, १९५९ से $1^{1}/_{2}$ प्रतिशत विद्युत से चलने वाले करघों के बन्द कर देने के प्रस्ताव से बहुत बड़ी संख्या में पटसन मिलों में काम करने वाले मजदूरों के बेकार हो जाने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो कितने मजदूर प्रभावित होंगे ; और

(ग) इन मजदूरों के लिये वैकल्पिक रोजगार ढूंढ निकालने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) से (ग). पश्चिमी बंगाल सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसा जान पड़ता है कि अधिक मजदूरों की छंटनी नहीं होगी ।

भारत सेवक समाज

†*१९३४. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **योजना** मंत्री ४ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८ में राज्यवार भारत सेवक समाज द्वारा कुल कितनी राशि व्यय की गई ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : चूंकि भारत सेवक समाज सरकार के अधीन काम नहीं करता है, इस कारण १९५८ में राज्यवार कुल व्यय की गई रकम के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

समाज द्वारा १९५८ (१-१-५८ से ३१-१२-५८ तक) योजना आयोग द्वारा स्वीकृत योजनाओं पर व्यय की गई राशि के बारे में स्थिति नीचे दी गई है :

क्रम संख्या	संगठन का नाम	योजना का विवरण	स्वीकृत राशि	वास्तव में व्यय की गई राशि
१	भारत सेवक समाज दिल्ली प्रदेश, नई दिल्ली	दिल्ली की गन्दी बस्तियों के लिये सामाजिक और	२३,००० रुपये	१९५८ में समाज को ११,५०० रुपये की दो किस्तें दी गई

†मूल अंग्रेजी में

क्रम संख्या	संगठन का नाम	योजना का विवरण	स्वीकृत राशि	वास्तव में व्यय की गई राशि
		आर्थिक कल्याण हेतु जनता का सहयोग प्राप्त करने और उसे गतिशील बनाने के लिये अगुआकारी परियोजना की योजना		थी और उसने सम्पूर्ण राशि व्यय कर दी।
२	भारत सेवक समाज दिल्ली प्रदेश, नई दिल्ली	राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कार्यक्रमों के लिये १० युवक योजना नगरों में और ५ युवक योजना क्लब दिल्ली के गांवों में स्थापित करके जनता का सहयोग प्राप्त करने और उसे गतिशील बनाने के लिये अगुआकारी परियोजना की योजना	२,७४० रुपये	व्यय के लेखा परीक्षित विवरण की प्रतीक्षा की जा रही है।
३	भारत सेवक समाज केन्द्रीय कार्यालय, नई दिल्ली	२५ लोक कार्य क्षेत्रों की स्थापना करके जनता का सहयोग प्राप्त करने और उसे गतिशील बनाने की योजना	५०,००० रुपये	योजना नवम्बर १९५८ में मंजूर की गई थीं। व्यय का व्योरा ३१–३–१९५९ के पश्चात् मालूम होगा।

दिल्ली रेस कोर्स क्लब का मैदान

†१९३५. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २० नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली रेस कोर्स क्लब की भूमि का उपयोग किसी अन्य लोक कार्य में करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव रखा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव किस प्रकार का है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब में श्रम विवाद

†१६३६. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में १६५८–५६ में कुल कितने विवादों का निर्देश न्यायाधिकरणों को किया गया था ;

(ख) निर्दिष्ट मामलों में से उक्त काल में अब तक कुल कितने मामलों का फैसला किया गया है ; और

(ग) न्यायाधिकरणों के पंचाट के विरुद्ध उच्च न्यायालयों में दोनों पक्षों द्वारा (दलवार) कितनी अपीलें दायर की गईं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) से (ग). पंजाब सरकार न्यायनिर्णयन के मामले पंजाब के न्यायाधिकरणों को सौंप देता है। इस ब्यौरे के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

डलहौजी में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिये स्थान

†१६३७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के डलहौजी नामक स्थान में तमाम स्थान खाली है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वहां केन्द्रीय सरकार के कुछ कार्यालय ले जाने के बारे में कोई प्रयत्न किया गया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) जी हां । डलहौजी में पता चला है कि कुछ स्थान खाली हैं ।

(ख) किसी भी केन्द्रीय सरकारी कार्यालय को वहां ले जाने के लिये राजी करना संभव नहीं है ।

भारतीय दूतावास, वाशिंगटन

†१६३८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाशिंगटन के भारतीय दूतावास में कर्मचारियों की संख्या में कमी करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) वैदेशिक कार्य मंत्रालय ने वाशिंगटन स्थित अपने भारतीय दूतावास के कर्मचारियों की संख्या में कमी करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं रखा है। किन्तु सारे मिशनों में व्यय में कमी करने के बारे में दिये गये सामान्य निदेश के परिणामस्वरूप दूतावास ने १६५७ में अपने कर्मचारियों की संख्या पर पुनर्विचार करके उस में कमी करने का प्रस्ताव दिया है।

(ख) कर्मचारियों की संख्या में कमी करने के प्रस्ताव की जांच की गई तथा कुछ पदों को कुछ काल तक न भर कर मितव्ययता बरती गई है।

जम्मू तथा काश्मीर में भारत सेवक समाज को सहायता

†१६३६. **श्री दी० चं० शर्मा** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू तथा काश्मीर के भारत सरकार द्वारा १६५७–५८ में भारत सेवक समाज को कितनी वित्तीय सहायता दी गई ; और

(ख) सहायता किन-किन योजनाओं के लिये दी गई है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) योजना आयोग ने जम्मू तथा काश्मीर में १६५७–५८ में भारत सेवक समाज को कोई प्रत्यक्ष सहायता नहीं दी।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

१६५६-६० के लिये योजना व्यय

†१६४०. { **श्री पांगरकर :**
श्री सिद्धनंजप्पा :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा १६५६–६० के लिये योजना व्यय के रूप में अन्तिम रूप से कुल कितनी राशि रखी गई है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : १६५६–६० के लिये स्वीकृत व्यय १०६२ करोड़ रुपये हैं।

नंगल उर्वरक कारखाना क्षेत्र में सिनेमा हाल

†१६४१. **श्री हेम राज** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नंगल कारखाना क्षेत्र से हटाये गये लोगों की सहकारी समिति के पास से कारखाने के क्षेत्र के अन्दर एक सिनेमा हाल बनवाने के बारे में आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां।

(ख) नंगल उर्वरक तथा रसायन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों ने, जो ऐसे मामलों में निर्णय करने के लिये सक्षम हैं, इसके सभी पहलुओं पर विचार किया और यह निर्णय

†मूल अंग्रेजी में

किया कि यह कम्पनी और कारखाने की बस्ती सभी के लिये सर्वोत्तम होगा यदि सिनेमा के लिये निश्चित किये गये प्लाट को नीलाम के द्वारा उस पक्ष को दिया जाये जो कम्पनी द्वारा लगाई शर्तों को मानने के लिये तैयार हो। ये शर्तें इस प्रकार हैं (१) सिनेमा हाउस बनवाने के लिये निश्चित समय, (२) इसका निर्माण मंत्रणा वास्तुशिल्पक के डिजाइन के अनुसार (जिसमें बैठने की क्षमता, फर्नीचर और सजावट और वातानुकूलित करना आदि भी शामिल हैं) तथा उसके निरीक्षण में हो और (३) प्रवेश शुल्क आदि। बोर्ड ने यह निश्चय किया कि नवनिर्मित सहकारी सिनेमा समिति को चाहिये कि वह सिनेमा प्लाट के लिये नीलाम में अन्य पक्षों के साथ भाग ले बशर्ते कि वह कम्पनी द्वारा लगाई गई शर्तों को मानने के लिये तैयार हो। सरकार ने बोर्ड के निर्णय में हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझा और उसने अभ्यर्थी को यही सूचना दे दी है।

उड़ीसा में नारियल जटा उद्योग

†१६४२. **श्री प्र० के० देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में उड़ीसा में नारियल जटा उद्योग आरम्भ करने का कोई विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो वे कहां स्थापित किये जायेंगे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) उड़ीसा की सरकार ने राज्य में नारियल जटा उद्योग के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार के पास निम्न दो योजनाएं प्रस्तुत की हैं :

(१) १,८१,६९० रुपये के अनुमानित व्यय पर कड़े रेशे और चटाई बनाने के रेशे तैयार करने के लिये एक मिल लगाने की योजना।

(२) १,००,००० रुपये कुल अनुमानित व्यय पर प्रशिक्षण एवं उत्पादन के दो केन्द्र चलाने की योजना।

उपर्युक्त (१) की योजना के बारे में स्थिति यह है कि नारियल जटा बोर्ड ने उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, मैसूर और मद्रास के नारियल की खेती वाले क्षेत्रों और चटाइयां तथा कड़े रेशे तैयार करने की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिये एक प्रतिनिधिमण्डल दौरे पर भेजा था। प्रतिनिधिमण्डल ने लंका का भी दौरा किया है। इस प्रतिनिधिमण्डल का प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के बाद राज्य सरकार की योजना पर निर्णय किया जायेगा।

†मूल अंग्रेजी में

उपर्युक्त (२) में उल्लिखित एवं उत्पादन केंद्रों की योजना निधि की कमी के कारण चालू वित्तीय वर्ष में नहीं शामिल की जा सकी । राज्य सरकार ने इस योजना को अपनी १९५९–६० की वार्षिक योजना में शामिल कर लिया है जैसा कि इस मंत्रालय द्वारा योजना आयोग के परामर्श से सुझाव दिया गया था ।

(ख) ये प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र तथा रेशे तैयार करने वाली मिल कहां स्थापित की जायेगी इस बारे में अन्तिम निर्णय अभी नहीं किया गया है ।

वैस्ट पटेल नगर के मकान

†१९४३. **श्री ओंकार लाल** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वेस्ट पटेल नगर दिल्ली में दुमंजिल मकान कितने हैं ;

(ख) एक कमरे के मकानों के आवंटियों की संख्या कितनी है ;

(ग) दो कमरे के मकानों के आवंटियों की संख्या कितनी है ;

(घ) (ग) भाग में उल्लिखित ऐसे आवंटियों की संख्या कितनी है जिन्हें साथ का कमरा आवंटित नहीं किया गया ;

(ङ) ऐसे आवंटियों की संख्या कितनी है जिनको साथ का कमरा आवंटित नहीं हुआ है और जिन्होंने उस कमरे वाले आवंटियों के साथ आपस में बदल लेने के लिये आवेदन भेजे हैं ; और

(च) कितने आवेदनों पर निर्णय किया जा चुका है ?

†**पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) २४३०।

(ख) ११६५

(ग) ६७५

(घ) ९

(ङ) एक भी नहीं

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता

आन्ध्र प्रदेश में औद्योगिक एकक

†१९४४. **श्री मं० वें० कृष्ण राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में पिछले तीन वर्षों में कितने नये औद्योगिक एकक स्थापित किये गये हैं और उनमें अब तक कितनी प्रगति की गई है ; और

(ख) उनके लिये सरकार ने कुल कितनी राशि स्वीकृत की है और उन्होंने वास्तव में कितनी राशि व्यय की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). उपलब्ध जानकारी बताने वाला एक विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३६**]

हथ करघा उद्योग में प्रशिक्षण

†**१६४५. श्री मं० वें० कृष्ण राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश के वे स्थान कौन-कौन से हैं जहां हथकरघा उद्योग में शिल्पियों को प्रशिक्षण दिया जाता है ; और

(ख) आन्ध्र प्रदेश के वे स्थान कौन से हैं जहां हथकरघा गवेषणा और डिजाइन केन्द्र स्थापित किये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) उप्पद ।

(ख) नमूना बनाने के कारखाने इस समय पोंडुरू, पयाकारा ओपेट, एल्लोर, मंगलागिरि, पेडाना और पुल्लमपेट में चल रहे हैं । मंगलागिरि में एक गवेषणा संस्था स्थापित करने का सरकार का विचार है ।

रूस को फिल्मों का निर्यात

†**१६४६. श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूस को १९५७–५८ और १९५८–५९ में अब तक कुल कितनी भारतीय फिल्मों का निर्यात किया गया है ; और

(ख) उक्त काल में कितनी रूसी फिल्मों का आयात किया गया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). 'एक्सपोज की हुई सिनेमा की फिल्मों के व्यापार का रिकार्ड व्यापार लेखाओं में फुटों में रखा जाता है, संख्या में नहीं । 'एक्सपोज की हुई फिल्में' जिनका रूस में आयात किया गया अथवा वहां से निर्यात किया गया उसके बारे में जानकारी बताने वाला एक विवरण संलग्न है । इन फिल्मों १९५७–५८ और १९५८–५९ में (नवम्बर १९५८ के अन्त तक) डेवलप की हुई अथवा बिना डेवलप की हुई दोनों प्रकार की फिल्में शामिल हैं ।

फोटो के सामान का आयात

†**१६४७. श्री दिनेश सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्न बातें दिखाई गई हों :—

(क) पिछले लाइसेंस काल में जिन फर्मों को फोटो का सामान आयात करने के लिये लाइसेंस दिये गये थे उनके नाम क्या हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उनका कोटा कितना कितना था ;

(ग) किन-किन देशों से उन्हें आयात करने की अनुमति प्राप्त थी ; और

(घ) इसमें से फोटो छापने के काम में आने वाला कितना सामान था ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). आयातकों के नाम और कितने मूल्य के आयात के लाइसेंस एस नम्बर ३०३ / ४ और ३०५ / ४ के अधीन दिये जाते हैं इसके बारे में आयात और निर्यात संबंधी साप्ताहिक समाचार में सूचना नियमित रूप से प्रकाशित होती रहती है, जिसकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

(ग) लाइसेंस देश के आधार पर नहीं अपितु मुद्रा क्षेत्र के आधार पर जारी किये जाते हैं ।

(घ) फोटो छापने के काम में आने वाला कितना सामान था केवल इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

भारतीय विदेश सेवा

†**१६४८. श्री दिनेश सिंह** : क्या **प्रधान मन्त्री** भारतीय विदेश सेवा (ख) की वरिष्ठता निर्धारित करने के बारे में नियमों की एक प्रति सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : भारतीय विदेश सेवा (ख) के लिये चुने गये व्यक्तियों की वरिष्ठता निश्चित करने के संबंध में जो नियम हैं वे "इन्डियन कान्सटीट्यूशन इण्डियन फारेन सर्विस ब्रांच बी—१६५६" शीर्षक पुस्तिका के पैराग्राफ ८ में दिये हुये हैं, जिसकी एक प्रति ३१ जुलाई, १६५६ को सभा-पटल पर रख दी गई थी ।

बिहार का औद्योगिक विकास

†**१६४६. श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्न बातें दिखाई गई हों :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में केन्द्रीय सरकार की सहायता से बिहार में नये स्थापित किये गये अथवा जिनके स्थापित किये जाने की संभावना है उन उद्योगों के नाम क्या हैं और वे कहां कहां स्थित हैं ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा उनमें से प्रत्येक के लिये कितनी कितनी राशि आवंटित की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). उपलब्ध जानकारी बताने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३८]**

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रम की स्थिति में गवेषणा

†१९५०. **श्री केशव :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम के क्षेत्र में गवेषणा करने के बारे में सरकार का कोई विभाग है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस विभाग ने हड़तालों के स्थान और सौदेबाजी और आर्थिक कार्यकलापों की सम्पूर्ण भिन्न प्रस्तुत करने के बारे में कोई गवेषणा की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) मंत्रालय का संलग्न कार्यालय जिसका नाम श्रम ब्यूरो निदेशालय है, मंत्रालय के गवेषणा विभाग के रूप में काम करता है। प्रमुख मंत्रालय में भी कुछ गवेषणा पदाधिकारी हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) औद्योगिक विवाद सम्बन्धी वास्तविक जानकारी ब्यूरो द्वारा एकत्र की जाती है और वही इसका विश्लेषण भी करता है । इसके परिणाम तथा ऐच्छिक करारों और निपटारे की शर्तें समय समय पर भारतीय श्रम गजट में प्रकाशित कर दी जाती हैं । श्रमिकों के महत्वपूर्ण समस्याओं संबंधी लेख भी इस गजट में प्रकाशित किये जाते हैं । निदेशालय इतना बड़ा नहीं है कि वह विस्तृत रूप से गवेषणा कार्य कर सके ।

दिल्ली पोशाक सहकारी औद्योगिक सोसाइटी

†१९५१. **श्री केशव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पोशाक सहकारी औद्योगिक सोसाइटी लिमिटेड,[1] नजफगढ़ रोड, कार्य कर रही है ;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने किन शर्तों पर इसके लिये वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता दी है ;

(ग) क्या इसकी सामान्य बैठकें नियमानुसार हो रही हैं ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या सरकार ने इसको दी जाने वाली सहायता देना बन्द कर दिया है तथा उसके प्रतिनिधित्वों ने बोर्ड और सोसाइटी से त्यागपत्र दे दिया है ; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) से (च).. एक विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३९]

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Delhi Garment Cooperative Industrial Society Ltd.

अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों को पारपत्र

†१९५२. **श्री विद्या चरण शुक्ल :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय के वर्तमान और प्राचीन छात्रों को पिछले दस वर्षों में पाकिस्तान के लिये कितने पारपत्र अथवा परमिट दिये गये हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** पारपत्र में ऐसा कोई कालम नहीं होता जिसमें आवेदक को यह लिखना पड़ता है कि उसने कहां से शिक्षा प्राप्त की है, इस कारण यह जानकारी एकत्र करना संभव नहीं है ।

चण्डीगढ़ में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिये बहु-मंजिली इमारतें

†१९५३. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री ३ दिसम्बर १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५०६ के उत्तर सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए बहु-मंजिली इमारतों के बनाने के लिए प्राक्कलन और योजनायें तैयार कर ली गई हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्योरा क्या है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) और (ख). तारांकित प्रश्न संख्या ५०६ के उत्तर में संसद् को सूचित किया गया था कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालय के लिये बहु-मंजिली इमारत बनाने की योजना और प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है । जिस भूमि पर इमारत बनाने का विचार था वह पंजाब के महा लेखापाल के कार्यालय के लिये पहिले ही प्राप्त कर ली गई थी । पहले ऐसा लगता था कि महा लेखा-पाल का कार्यालय निकट भविष्य में शिमला से बदल कर चन्डीगढ़ नहीं ले जाया जायेगा । इस कारण उस प्लाट पर अन्य कार्यालयों की इमारत बनाने का विचार किया गया था । अब नियंत्रक महा लेखापरीक्षक ने पंजाब के महा लेखापाल के कार्यालय को शिमला से चण्डी-गढ़ बदले जाने के प्रश्न पर पुनर्विचार किया है । इसको ध्यान में रखते हुए और महा लेखा-पाल का कार्यालय चण्डीगढ़ ले जाने के कारण अन्य इमारतों के बनवाने के बारे में अन्तिम निर्णय नहीं किया जा सका तथा केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिये एक सम्मिलित इमारत बनवाने के लिये दूसरा प्लाट प्राप्त करना पड़ेगा ।

विदेशों में भारतीय संगीत

†१९५४. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह व्यवस्था करने का विचार किया जा रहा है कि विशेष अवसरों पर विदेशों में भारतीय दूतावासों और मिशनों में भारतीय संगीत के ग्रामोफोन रिकार्ड बजाये जायें ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) और (ख). विदेशों में ३४ भारतीय मिशनों में पहले से यह प्रबन्ध मौजूद है। शेष १० मिशनों से भी भारतीय संगीत की व्यवस्था करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। परन्तु मितव्ययता की दृष्टि से उन प्रस्तावों को फिलहाल स्वीकार नहीं किया गया है।

छोटे आविष्कारों के विकास के लिये बोर्ड

†१९५५. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री रा० च० माझी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री पांगरकर : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १९ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १२०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसके पश्चात लघु उद्योग संगठन में "छोटे आविष्कार विकास बोर्ड" की स्थापना हो गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो बोर्ड के मुख्य कृत्य तथा अन्य ब्योरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) शीघ्र ही एक छोटे आविष्कार विकास बोर्ड को स्थापित किया जाने वाला है।

(ख) यह ब्योरा तैयार किया जा रहा है और शीघ्र ही उसे अन्तिम रूप दिया जायेगा।

भारत-बर्मा व्यापार

१९५६. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८ में भारत और बर्मा के व्यापार की स्थिति क्या रही ; और

(ख) दोनों देशों के बीच हुये व्यापार संबंधी करार को किस प्रकार कार्यान्वित किया गया ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) १९५८ में भारत और बर्मा के व्यापार की स्थिति निम्न प्रकार रही :—

	(मूल्य करोड़ रु० में) जनवरी—नवम्बर, १९५८
बर्मा को निर्यात . .	६.७६
बर्मा से आयात	३६.५३

†मूल अंग्रेजी में

(ख) भारत और बर्मा के बीच हुए व्यापार करार (इसकी प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं) के अनुसार निर्यात और आयात, दोनों देशों के नियमों एवं विनियमनों के अधीन किया जाता है। करार के पांचवें अनुच्छेद के अनुसार २५ सितम्बर, १६५८ को एक संधि-प्रारूप (प्रोटोकल) (जिसकी प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं) पर हस्ताक्षर किये गये थे जिसके अनुसार विशेष रुपया खातों के द्वारा प्रति वर्ष ३.६५ करोड़ रु० का निर्यात तथा आयात किया जाएगा। इस संधि-प्रारूप के अधीन अभी तक लगभग ६२ लाख रु० का और १०७ लाख रु० का क्रमशः निर्यात और आयात किया गया है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

†१६५७. **श्री स० म० बनर्जी :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कानपुर में श्रमिकों के परिवारों के लिये कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधायें देने के बारे में कोई निश्चय किया गया है?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** ज़ी हां। इस योजना के अन्तर्गत परिवार अपने घरों में रह कर इलाज करा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी

†१६५८. **श्री स० म० बनर्जी :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १६५७-५८ में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के आंकड़ों में काफी वृद्धि हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) और (ख). बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र नहीं किये गये। काम दिलाऊ दफ्तरों के चालू रजिस्टरों में दर्ज नामों की संख्या जो १ अप्रैल, १६५७ को १,११,६०३ थी वह ३१ मार्च, १६५८ को १,३४,२७४ हो गई थी। अर्थात २२,६७१ की वृद्धि हुई।

भूटान को सहायता

१६५६. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **प्रधान मंत्री** २५ नवम्बर, १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २१८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५८-५६ के वित्तीय वर्ष में भूटान में किन-किन कार्यों के लिये किस-किस प्रकार की सहायता दी गई ;

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) १९५९-६० के वित्तीय वर्ष के लिये इस संबंध में क्या व्यवस्था की गई है ; और

(ग) भूटान की सरकार ने और किस प्रकार की तात्कालिक अथवा दीर्घकालीन सहायता मांगी है ?

प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) १९५८-५९ के लिए जितनी सहायता की मंजूरी है, उसमें से निम्नलिखित रकमें अब तक भूटान को दी जा चुकी हैं :—

१. ५०,००० रुपए—सरबंग से लाप्से भोटे तक जो सड़क बनाने का प्रस्ताव है, उसके सर्वेक्षण —कार्य के लिए ;

२. १,००,००० रुपए—सड़क बनाने का सामान खरीदने के लिए ;

३. ६४,००० रुपए—दो ट्रकें खरीदने के लिए ;

४. १०,००० रुपए— खाद की स्पलाई करने के लिए ;

२—इसके अलावा, निम्नलिखित सहायता के प्रस्तावों पर कार्यवाई की जा रही है :—

१. ३५,००० रुपए—४० टन इस्पात की सप्लाई करने के लिए ;

२. ७०,००० रुपए—ट्रैक्टरों की सप्लाई करने के लिए ;

३. नारंगी का रस निकालने का कारखाना खोलने के लिये २.२० लाख रुपए का ऋण ।

(ख) और (ग). १९५९-६० की सहायता और लंबी अवधि की सहायता किस तरह की और कितनी हो इसके बारे में सिक्किम-स्थित राजनीतिक अधिकारी तथा भूटान के अभिकर्ता (एजेंट) के बीच सलाह-मशविरा हो रहा है, और उसके बाद उचित व्यवस्था की जाएगी ।

रेशमी वस्त्र प्रमापीकरण केन्द्र

१९६१. श्री नवल प्रभाकर : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेशमी वस्त्र प्रमापीकरण केन्द्र कहां-कहां काम कर रहे हैं ; और

(ख) निर्यात होने वाले माल की जांच का क्या तरीका है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) सरकार ने रेशमी वस्त्रों के लिए कोई भी प्रमापीकरण केन्द्र स्थापित नहीं किये हैं । यह जानकारी शायद प्रमाणीकरण केन्द्रों के विषय में चाही गयी है जो निर्यात सम्वर्द्धन योजना के अधीन असली रेशमी कपड़ों के लिए केन्द्रीय रेशम मण्डल ने स्थापित किये हैं । ये केन्द्र वाराणसी, बम्बई, बंगलौर, कलकत्ता और मद्रास में चल रहे हैं ।

(ख) जला कर, रसायनिक पदार्थों तथा सूक्ष्म दर्शक यंत्रों से परीक्षण करके देखा जाता है कि प्रमाणित किये जाने वाले कपड़े असली रेशम के ही हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खादी का विकास

१६६२. श्री नवल प्रभाकर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ होने से दिल्ली में खादी के विकास के लिए किये गये कार्यों का ब्योरा क्या है ;

(ख) उसमें कितनी पूंजी लगी हुई है ; और

(ग) सहायता के रूप में कितना धन दिया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) एक विवरण साथ में नत्थी है, जिसमें आवश्यक जानकारी दी गयी है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४०]**

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग मण्डल/आयोग द्वारा १६५३-५४ से १६५८-५६ (३१ दिसम्बर, १६५८) तक लगायी गयी रकम में से १.६१ लाख रु० अनुदान और १.२६ लाख रु० ऋण के रूप में दिये गये हैं। यह रकम गोदाम और इमारतों के निर्माण, चरखों और उसके पुर्जों आदि के बनाने में लगायी गयी है।

(ग) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना में ३१ दिसम्बर, १६५८ तक दिल्ली राज्य में खादी कार्य (अम्बर कार्यक्रम सहित) में लगी संस्थाओं एवं समितियों को २४.७१ लाख रु० के अनुदान और १२.२६ लाख रु० के ऋण दिये हैं।

भारतीय उच्च आयुक्त कार्यालय, आस्ट्रेलिया

†१६६३. श्री दी० चं० शर्मा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५७-५८ और १६५८-५६ में आस्ट्रेलिया में भारतीय उच्च आयुक्त कार्यालय पर कितना खर्च किया गया ; और

(ख) खर्च को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

†प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) १६५८-५६ में हुए असल खर्च के आंकड़े अगले मास के मध्य में उपलब्ध होंगे। ३१ दिसम्बर, १६५८ तक पहले ६ मास के विभागीय आंकड़े १६५७-५८ के असल आंकड़ों के साथ नीचे दिये जाते हैं :—

(१) चांसरी	१६५७-५८	१६५८-५६ के पहले ६ मास के असल आंकड़े
	रुपये	रुपये
(१) पदाधिकारियों के वेतन .	६०,०८५	४२,५१५
(२) कर्मचारियों के वेतन .	४६,३१४	३६,५७०
(३) भत्ते तथा मानदेय .	१,५६,३१८	१,३६,५३२
(४) अन्य प्रभार . .	१,३६,४३४	६६,३४२
	४,०२,१५१	२,८७,६५६

†मूल अंग्रेज़ी में

(२) जानकारी विभाग		
(१) पदाधिकारियों के वेतन	१२,०००	६,५६६
(२) कर्मचारियों के वेतन .	४५,८५४	३६,६३०
(३) भत्ते तथा अधिदेय .	४१,१६४	३३,३६६
(४) अन्य प्रभार . .	१,३७,४८१	६५,६८५
	२,३६,५२६	१,७५,५८३
कुल जोड़ . .	६,३८,६८०	४,६३,५४२

इन आंकड़ों में सिडनी में वाणिज्य विभाग पर हुए खर्च के आंकड़े शामिल नहीं है।

(ख) सभी भारतीय मिशनों को ये हिदायतें दी गई हैं कि वे नितव्ययता पर अधिक ध्यान दें। १६५७-५८ में चांसरी की इमारत के निर्माण को निलम्बित करके, एक नौकरी को खाली रख कर और कारों की खरीद और देखरेख में मितव्ययता करके २,१६,५०० रुपये की बचत की गई थी।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

†१६६४. **श्री पाणिग्रही** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टोर खरीद योजना के अन्तर्गत उड़ीसा में छोटे औद्योगिक एककों के साथ किये गये ठेकों के टेंडरों की जांच राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने की है ; और

(ख) यदि हां, तो १६५५-५६, १६५६-५७ और १६५७–५८ में उड़ीसा में छोटे औद्योगिक एककों को कितने ठेके दिये गये और उनका कुल मूल्य क्या था ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) और (ख). जी हां। राष्ट्रीय डी० जी० एस० एण्ड डी० और इसके प्रादेशिक कार्यालयों से २८ टेंडरों के बारे में जो पूछताछ की गई थी उसके लिये राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने उड़ीसा राज्य के यूनिटों को निःशुल्क सैट भेजे थे। लघु एकक निम्नलिखित कारणों से कोई आदेश प्राप्त नहीं कर पाये :—

(१) उनके उद्धरण प्रतिस्पर्धात्मक नहीं थे।

(२) उद्धरण के टेंडर न देना।

निगम ने १६५६-५७ में ब्लैक क्रोम अपर्स के साथ चपलों का संभरण करने की संविदा के बारे में बात-चीत की थी। संविदा डी०जी०एस०डी० ने उड़ीसा के डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज

†मूल अंग्रेजी में

को न कि किसी छोटे औद्योगिक यूनिट को प्रत्यक्ष रूप से दी थी। दर संविदा पर वास्तव में कितना माल खरीदा गया और उसका क्या मूल्य था यह मालूम नहीं है क्योंकि दर संविदा में स्टोर की मात्रा नहीं बताई जाती है। दर संविदा प्राप्त करने वाले व्यक्ति पदाधिकारियों से प्रत्यक्ष रूप से संभरण आदेश प्राप्त करते हैं जिनकी एक सूची संविदा के साथ संलग्न होती है।

युवक रोज़गार तथा व्यावसायिक मार्ग दर्शन

†१९६५. **श्री अरविन्द घोषाल:** क्या **श्रम और रोज़गार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के किसी काम दिलाऊ दफ्तर में युवक रोज़गार तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन अनुभाग खोले गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ;

(ग) वे कहां स्थित हैं ; और

(घ) अब तक क्या फल प्राप्त हुए हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) जी हां।

(ख) एक।

(ग) कलकत्ता।

(घ) १९५८ में काम दिलाऊ दफ्तरों में ५६ प्रार्थियों का व्यवसाय के चुनाव के बारे में मार्ग दर्शन करने के लिये उन से व्यक्तिगत भेंट की गई और स्कूल और काम दिलाऊ दफ्तरों में ग्रुप गाइडेंस के लिये ४८०७ युवकों से बात-चीत की गई।

प्रति व्यक्ति पूंजी व्यय

१९६६. **श्री नवल प्रभाकर:** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत औसतन प्रति व्यक्ति कितना व्यय किया गया ;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत खेतिहर और गैर-खेतिहर जनता पर पृथक-पृथक प्रति व्यक्ति कितना व्यय हुआ ;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अनुमानित प्रति व्यक्ति व्यय क्या हुआ ; और

(घ) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत खेतिहर और गैर-खेतिहर जनता पर पृथक-पृथक प्रति व्यक्ति व्यय का अनुमान क्या है ?

योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) प्रथम पंचवर्षीय योजना पर औसतन प्रति व्यक्ति ५२.२ रुपये व्यय हुआ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) इसका अलग-अलग हिसाब नहीं लगाया जा सकता क्योंकि खेतिहर तथा गैर-खेतिहर विकास के लिये किये गये व्यय से सारे समाज को लाभ होता है।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर होने वाले व्यय को ४५०० करोड़ रुपये मानने पर इस योजना का प्रति व्यक्ति व्यय १११.७ रुपये होने का अनुमान है।

(घ) इसका उत्तर भी वही है जो भाग (ख) का।

बर्मा में भारतीय

१९६७. { **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री वारियर :
श्री कोडियान : }

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा सरकार ने ६ मारवाड़ी और २ बंगाली व्यापारियों को देश छोड़ देने का आदेश दिया है, जिसके फलस्वरूप वहां के भारतीय व्यापारी आतंकित हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वास्तविक घटना का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) रंगूर में हमारा राजदूतावास जहां तक पता लगा सका है, उसके मुताबिक १७ भारतीय राष्ट्रीक बर्मा से हाल ही में निकाल दिये गये हैं और १४ निकाले जाने को हैं। इसके अलावा, रिपोर्ट है कि १३ और भारतीय राष्ट्रिक बर्मा की विभिन्न जेलों में नजरबन्द हैं।

(ख) जिन विशेष आरोपों के आधार पर यह देश-निकाला दिया गया है और गिरफ्तारियां की गई हैं, वे नहीं बताये गये हैं। जिन भारतीय राष्ट्रिकों को निकाल दिया गया है या जिन्हें देश से निकल जाने के आदेश दिये गये हैं, उन सबको, बर्मा के अधिकारियों ने विदेशी अधिनियम (फारेनर्स ऐक्ट) के अन्तर्गत, अवांछनीय अदेशी (अनडिज़ायरेबल एलियन्स) कहा है। पता चला है कि इनमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है या उन्हें विदेशी-मुद्रा-विनियमों का उल्लंघन करने अथवा जमाखोरी, चोर-बाजारी करने और अन्य समाज-विरोधी कार्रवाईयां करने के अपराध में देश से निकाल दिया गया है।

समवायों में विनियोजित पूंजी

†१९६८. **श्री वें० प० नायर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के पास उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार गैर-सरकारी क्षेत्र के प्राइवेट लिमिटेड समवायों में कुल कितनी पूंजी विनियोजित है ; और

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि १९५६, १९५७ और १९५८ में इन समवायों का सकल और शुद्ध लाभ कितना था और इन से कितना कर वसूल किया गया ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) सरकारी समवायों के अतिरिक्त अन्य प्राइवेट लिमिटेड समवायों की ३१ मार्च, १९५८ तक की प्रदत्त पूंजी अनुमानतः ३१९.२ करोड़ रुपये थी।

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड समवायों को समवाय अधिनियम, १९५६ के अन्तर्गत अपने लाभ और हानि के लेखे सरकार को नहीं भेजने पड़ते हैं।

टिप्पणी : भाग (क) के उत्तर में दी गई जानकारी संयुक्त स्कंध समवाय की मासिक ब्ल्यू बुक नवम्बर, १९५८ (पृष्ठ ७) में दी गई है जिसकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

बहुमंजिली इमारतों सम्बन्धी संगोष्ठी

†**१९६९. श्री मं० रं० कृष्ण:** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बहुमंजिली इमारतों के बारे में कोई संगोष्ठी की गई थी ; और

(ख) क्या इस संगोष्ठी में राज्यों और केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि उपस्थित थे ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :** (क) जी हां, दिसम्बर, १९५८ में कई मंजिल वाली इमारतों के बारे में संगोष्ठी हुई थी।

(ख) गैर-सरकारी व्यक्तियों के अतिरिक्त उन में निम्नलिखित राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों तथा संस्थानों के प्रतिनिधि थे :—

राज्य सरकारें

१. आंध्र प्रदेश
२. बिहार
३. बम्बई
४. केरल
५. मद्रास
६. मध्य प्रदेश
७. मैसूर
८. उड़ीसा
९. पंजाब
१०. राजस्थान
११. उत्तर प्रदेश
१२. पश्चिमी बंगाल

केन्द्रीय मन्त्रालय तथा संस्थायें

१. निर्माण, आवास और संभरण मंत्री
२. योजना आयोग

†मूल अंग्रेज़ी में

३. रेलवे (रेलवे बोर्ड)
४. वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य
५. केन्द्रीय भवन गवेषणा संस्था, रूड़की
६. भारतीय माणक संस्था ।

टंगस्टन कार्बाइड प्लान्ट[1]

†१९७०. { **श्री अरविन्द घोषाल :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा : }

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कोई टंगस्टन कार्बाइड प्लांट है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने और उनका वार्षिक उत्पादन क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) और (ख). केवल एक फर्म टंगस्टन कार्बाइड टिप्स तैयार कर रही है । फर्म की अधिष्ठापित क्षमता २००० पौंड वार्षिक है ।

विद्यार्थियों के लिये प्रलेखीय चल-चित्र

†१९७१. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १५ फरवरी, १९५९ तक समाप्त होने वाले दो वर्षों में प्राइमरी स्कूल से ले कर विश्वविद्यालय स्तर तक के विद्यार्थियों के लिये जो प्रलेखीय चल-चित्र तैयार किये गये उनके विषय क्या थे; और

(ख) उन से विद्यार्थियों को कितना लाभ हुआ है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) १. गोदावरी

२. इंडो गैंजेटिक प्लेन्स (भौगोलिक स्थित, वनस्पति तथा पशु पक्षी)
३. इंडो गैंजेटिक प्लेन्स (कृषि तथा ग्राम्य दृष्य)
४. इंडो गैंजेटिक प्लेन्स (नगर)
५. दि डैकन टेबल लैंड (भौगोलिक स्थिति, वनस्पति, पशु और पक्षी)
६. दि डैकन टेबल लैंड (कृषि, सिंचाई और व्यवसाय)
७. दि डेकन टेबल लैंड (निवासी)
८. ज्योग्राफी आफ़ इंडिया (भारत का भूगोल—जलवायु)

(ख) प्रलेखीय यह चल-चित्रों द्वारा भूगोल का शिक्षण आधिक रुचिपूर्ण हो जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Tungstun Carbide Plants.

'टिनोपाल' और 'डेट' उद्योग

†१९७२. **श्री पांगरकर :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में 'टिनोपाल' और 'डेट' उद्योगों में कितनी विदेशी पूंजी विनियोजित है ;

(ख) इन उद्योगों में इस समय भारतीय पूंजी कितनी लगी हुई है; और

(ग) उपरोक्त उद्योगों में भारतीय पूंजी का विनियोजन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

टिनोपाल :

टिनोपाल स्वयं कोई उद्योग नहीं है । भारत में यह मैसर्ज़ सुहरिड गीगी लिमिटेड, बड़ौदा द्वारा तैयार किया जाता है । इस वस्तु के अतिरिक्त उन्हें उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन भेषज तथा औषधियां बनाने का भी लाइसेंस दिया गया है । इस समवाय की प्रार्थित पूंजी में मैसर्ज़ गीगी का अंश ३०,००,००० रुपये है जो कि कुल पूंजी का ४७ १/२ प्रतिशत है । क्योंकि इस समय भी भारतीय पूंजी का अंश अधिक है इस लिये भारतीय पूंजी विनियोजन को बढ़ाने के लिय कार्यवाही करने का कोई विचार नहीं है ।

डेट:

दो यूनिट अर्थात् मैसर्ज़ हिन्दुस्तान लीवर्स, बम्बई और मैसर्ज़ स्वास्तिक आयाल मिल्ज़, बम्बई, जिन्हें सरकार ने सिंथैटिक डिटैर्जेंट्स के उत्पादन के लिये मंजूरी दी है 'डेट' और साबुन तथा अन्य वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं । इन एककों द्वारा प्रार्थित पूंजी इन सब वस्तुओं के उत्पादन के लिये है । मैसर्ज़ हिन्दुस्तान लीवर्स लिमिटेड जिसकी प्रार्थित पूंजी ५·५ करोड़ रुपये है, पहले केवल विदेशी पूंजी से ही चल रही थी । परन्तु अब सरकार के कहने पर उसने ५५,५८,७५० (१० प्रतिशत) भारतीय पूंजी भी मिला ली है । मैसर्ज़ स्वास्तिक आयल मिल्ज़, बम्बई की सारी पूंजी भारतीय है ।

मोटर कारों और उनके पुर्जों का आयात

†१९७३. **श्री पांगरकर :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में मोटर कारो और अलग पुर्जों के आयात के लिये कितने लाइसेंस दिये गये और उन पर कितना आयात किया गया ; और

(ख) किन-किन देशों से आयात किया गया और उन पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) व्यापार के लिय बनी बनाई मोटर गाड़ियों का आयात करने की अनुमति नहीं दी जाती । १९५८-५९ में (१७ जनवरी,

†मूल अंग्रेजी में

१९५९ तक) अलग-अलग पुर्जों की शक्ल में मोटर गाड़ियों के आयात के लिये (मोटर साइकिलों, स्कूटरों आदि के अतिरिक्त) ५१ लाइसेंस दिये गये और उसी अवधि में अलग पुर्जों के लिये १२२७५ लाइसेंस । इन लाइसेंसों पर वास्तव में कितना आयात किया गया यह मालूम नहीं है ।

(ख) बसों, जीपों, लैंड रोवर और मोटर साइकिलों और अलग पुर्जों के अतिरिक्त अप्रैल-नवम्बर, १९५८ में प्रत्येक देश से अलग-अलग पुर्जों की शक्ल में आयात की गई मोटरगाड़ियों का मूल्य नीचे बताया जाता है :

देश का नाम	मोटर गाड़ियों का मूल्य	पुर्जों का मूल्य
	रुपये	रुपये
ब्रिटेन . . .	७५,८३,०००	२,१८,९१,०००
इटली . . .	४१,६७,०००	१४,२०,०००
अमरीका . . .	३०,२५,०००	९८,५८,०००
पश्चिम जर्मनी . .	...	६७,५०,०००
जापान . .	...	१९,२६,०००
कनाडा . .	...	२,५९,०००
चैकोस्लोवेकिया .	...	२५,०००
अन्य	...	१४,९५,०००

जड़ी बूटियों का निर्यात

१९७४. श्री देवराज : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जड़ी बूटियों का निर्यात किन-किन देशों को कितना (देशवार) होता है और उसका क्या मूल्य है; और

(ख) देश में इन जड़ी बूटियों से भेषज तैयार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) एक विवरण, जिसमें यह बताया गया है कि औषधियां अथवा इत्र बनाने में काम आने वाली जड़ी बूटियों; फूलों और पौधों का देशवार निर्यात बताया गया है, सभा-पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ४ अनुबन्ध संख्या ४१**]

(ख) जड़ी बूटियों से प्रतिवर्ष ३० लाख गेलन टिन्चर और अन्य गलैनिरल्ज़ तैयार किये जाते हैं । इसके अतिरिक्त रावलफिया सर्पेंटाइना से रेजरपाइन, इपकैक से एमेटीन, नम्सवोमिका से स्ट्रिचनीन और ब्रूसीन और बच्ची खुची चाये से कैफीन और इफीउडरा से इफीडरीन तैयार करने वाले एकक भी स्थापित किये गये हैं । रूसी ऋण सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न पौध उत्पादों के निर्माण के लिये एक फीटो कैमिकल उद्योग स्थापित करने के बारे में सरकार विचार कर रही है ।

†मूल अंग्रेजी में

चीनी मिलों के श्रमिकों को बोनस

१९७५. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने राज्यों की चीनी मिलों को १९५७-५८ के मौसम के लिये श्रमिकों को बोनस देने का आदेश दिया गया है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : प्राप्त सूचना के अनुसार, एक राज्य में चीनी मिलों को १९५७-५८ के मौसम के लिये कर्मचारियों को बोनस देने का आदेश किया गया है।

रीठे

†१९७६. **श्री देव राज** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रीठे की कुल कितनी पैदावार होती है ;

(ख) देश में इसकी कितनी खपत होती है ;

(ग) ये किन-किन उद्योगों में इस्तेमाल होते हैं ; और

(घ) कितना निर्यात होता है और आयात करने वाले देशों के क्या नाम हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) रीठे के चूरे से धुलाई की जाती है ।

(घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

१९५७ और १९५८ (जनवरी-नवम्बर) में निर्यात किये गये रीठे की मात्रा निम्नलिखित है :

वर्ष	मात्रा टन
१९५७	२१९
१९५८ (जनवरी-नवम्बर)	१७२

मुख्यतः लंका, नार्वे, सिंगापुर, मलाया, आस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, ट्यूनशिया, अमान, अमरीका और ब्रिटेन को इनका निर्यात किया गया ।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में पत्रकार

†१९७७. **श्री बहादुर सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री ७ मई, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३३७५ के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १९५७ से दिसम्बर, १९५८ तक सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न एककों में कर्मचारियों के प्रोत्साहन के लिये

---

†मूल अंग्रेजी में

कितने व्यक्तियों को वर्गानुसार, वरिष्ठता, तथा योग्यता के आधार पर पत्रकारिता की नौकरियों पर पदोन्नति दी गई ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४२]** विवरण में उल्लिखित तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में और इसके अधीन अन्य पत्रकारिता की नौकरियां केन्द्रीय सूचना सेवा में शामिल कर ली गई हैं। इस बारे में नियम राजपत्रित किये जा चुके हैं ।

भारतीय दस्तकारी के सामान की दुकानें

†**१९७८. श्री इलिया पेरुमाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार देश के प्रत्येक जिला मुख्यालय में भारतीय दस्तकारी के सामान की दुकानें खोलना चाहती है जिससे कि भारतीय कुटीर उद्योग में बनाई गई चीजें जन-साधारण तक पहुंच सकें ।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: जी नहीं। केन्द्रीय सरकार स्वयं प्रत्येक जिला मुख्यालय में दस्तकारी के सामान की दुकानें नहीं खोलना चाहती परन्तु वह राज्यों में दस्तकारी की वस्तुओं का विक्रय बढ़ाने के हेतु दुकानें आदि खोलने की योजनाओं के लिये आर्थिक सहायता देने के बारे में सदा विचार करती रहेगी। वर्तमान नीति यह है कि जहां तक संभव हो सभी लघु-उद्योगों के लिये मिल कर दुकानें खोलने का प्रोत्साहन दिया जाये।

सिंगरेनी कोयला खान

†**१९७९. श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १० फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिगरेनी कोयला खानों से जो अंगहीन व्यक्तियों का पहला दल कृत्रिम अंग लगाने वाले सैनिक केन्द्र, पूना को भेजा गया था वह लौट आया है ;

(ख) अंगहीन लोगों का दूसरा दल कब भेजा जायेगा ; और

(ग) १९५२ से १९५८ तक कितने खनिक के शरीर के अंग कट गये ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी नहीं ।

(ख) अभी कोई तिथि निश्चित नहीं की गई है।

(ग) इस बारे में पूरे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार संख्या ६८ है ।

विदेशों में एम्पोरियमों में बिका हथकरघा वस्त्र

†**१९८०. श्री सुब्बया अम्बलम्** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ और १९५८ में विदेशों में प्रत्येक एम्पोरियम में कितना हथकरघा वस्त्र बिका और उसका क्या मूल्य था ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९५७ और १९५८ में प्रत्येक एम्पोरियम की आय और खर्च क्या था ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

ग्रामीण क्षेत्रों के विस्थापित व्यक्तियों के दावे

१९८१. **श्री सरजू पांडे** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ग्रामीण क्षत्रों के विस्थापित व्यक्तियों के कुल कितने दावे हैं, जिनकी अभी तक अन्तिम रूप से जांच नहीं हुई है ;

(ख) पांच लाख रुपय से ऊपर के कितने ऐसे दावे हैं, जिनका निर्णय अन्तिम रूप से हो गया है ; और

(ग) पांच लाख रुपये से कम के कितने ऐसे दावे हैं, जिनका भुगतान किया जा चुका है ?

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) केवल देहाती जायदादों के १,६५,५०० दावे थे और इनके अतिरिक्त २३,५०० दावे देहाती और शहरी मिली-जुली जायदादों के थे। इन सब १,८९,००० दावों की जांच हो चुकी है।

(ख) और (ग). ५ लाख रुपये से ऊपर और ५ लाख रुपये से कम के दावों के अलग-अलग आंकड़े नहीं रखे गये हैं। ३१-१-५९ तक ३,३६,२०९ दावों की अदायगी की जा चुकी है।

चीफ़ सैटलमेंट कमिश्नर को भेजी गई याचिकायें

†१९८२. **श्री गोरे** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ से १९५८ तक विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास अधिनियम, १९५४ (१९५४ का नं० ४४) की धारा २३ के अन्तर्गत चीफ सैटलमेंट कमिश्नर, नई दिल्ली को कुल कितनी याचिकायें प्राप्त हुईं ; और

(ख) चीफ सैटलमेंट कमिश्नर के पास कितनी याचिकायें अब भी विचाराधीन हैं ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) १५,७२१ ।

(ख) ५,५५१ ।

इनमें धारा २३ के अधीन याचिकायें और धारा २४ के अधीन पुनरीक्षण शामिल हैं।

दिल्ली और शिमला में सरकारी मकानों आदि के किरायों में परिवर्तन

†१९८३. **श्री ओंकार लाल** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और शिमला में रिहायशी और गैर-रिहायशी मकानों आदि के किरायों में परिवर्तन की मंजूरी दे दी गयी है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका क्या व्यौरा है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: (क) नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली के सरकारी रिहायशी मकानों के किराये तो पुनरीक्षित कर दिये गये हैं, परन्तु शिमला में सरकारी रिहायशी मकानों के पुनरीक्षित किराये निश्चित किये जा रहे हैं।

गैर-सरकारी मकानों के किराये सामान्यतः पुनरीक्षित नहीं किये जाते हैं क्योंकि उनमें से अधिकांश सरकारी विभागों के कब्जे में हैं जिनसे कोई किराया नहीं लिया जाता है।

(ख) सभा-पटल पर इस आदेश की एक प्रति रखी जाती है जिसमें नई दिल्ली में रिहायशी मकानों के किरायों में परिवर्तन की मंजूरी दी गई है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०--१३०१/५६]** अन्य मकानों के बारे में पुनरीक्षित किरायों का व्यौरा इस समय उपलब्ध नहीं है।

अश्लील फिल्मों का निर्माण

†१६८४. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यौन और अपराधों का प्रदर्शन करने वाले अश्लील फिल्मों का निर्माण और प्रदर्शन तेजी से बढ़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे फिल्मों का निर्माण रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) और (ख) यह कहना कठिन है कि यौन संबंधी फिल्मों में वृद्धि हो रही है या नहीं। हां, सम्भवतः विदेशी फिल्मों का अनुकरण करते हुये, अपराध के विषयों को लेकर फिल्मों का निर्माण करने की प्रवृत्ति जरूर देखी गई। ऐसे फिल्मों का पर्यवेक्षण करना और यह देखना कि क्या उनमें किसी अनुचित बात का समावेश है, केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड का काम है। हां, सेंसर बोर्ड का ध्यान इस ओर आकर्षित कर दिया गया है ताकि वह ऐसे फिल्मों का सेंसर करते समय और अधिक सावधानी रखे।

पंजाब में मधुमक्खी पालन का विकास

†१६८५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में मधुमक्खी पालन का विकास करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ख) उस राज्य में पुराने चल रहे तरीके के स्थान पर शहद निकालने के नये तरीके लागू करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४३]**

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय उद्योग मंत्रणा परिषद् की पुनरीक्षण उप-समिति

†१९८६. **श्री सम्पत :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय उद्योग मंत्रणा परिषद् की पुनरीक्षण उप-समिति के सदस्यों के क्या नाम हैं ;

(ख) समिति की एक वर्ष में कितनी बार बैठक होती है ;

(ग) क्या लाइसेंस देने के बारे में समिति अपना प्रतिवेदन देती है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४४]

सरकारी भवनों के दोषपूर्ण डिज़ाइन

†१९८७. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री राजेन्द्र सिंह :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने राजधानी में बने कुछ सरकारी भवनों के दोषपूर्ण डिज़ाइन के बारे में जांच करने का फैसला किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या व्यौरा है ; और

(ग) किन-किन भवनों की जांच की जायेगी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :** (क) ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

कीर्ति नगर बस्ती

१९८८. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री २२ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७४६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिहेबिलिटेशन हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा स्थापित कीर्ति नगर बस्ती में जिन लोगों को प्लाट बेचे गये थे उनसे अब तक कुल कितनी धनराशि वसूल की जा चुकी है ;

(ख) उक्त कारपोरेशन के कार्यालय के किराये तथा कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों पर अब तक कितना व्यय हुआ ; और

(ग) कारपोरेशन का कार्य कब तक पूरा होने की आशा है ?

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) ४३,९९,३६८ रुपये और ३१ नये पैसे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १,५६,२२७ रुपये और ५ नये पैसे ।

(ग) आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान ।

कोल्हापुर में अल्युमिनियम का कारखाना

†१९८९. **श्री आसर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोल्हापुर (बम्बई राज्य) में एक अल्युमिनियम का कारखाना स्थापित करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) बम्बई राज्य में कोल्हापुर में एक अल्युमिनियम का कारखाना स्थापित करने के लिये सरकार को कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

द्वितीय अखिल भारतीय कृषि श्रमिक जांच

†१९९०. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री स० म० बनर्जी :
श्री वारियर :
श्री तंगामणि :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय अखिल भारतीय कृषि श्रमिक जांच का प्रतिवेदन तैयार हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सभा पटल पर रखा जायेगा ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) जी, अभी नहीं ।

(ख) प्रतिवेदन तैयार होने पर सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

लंका को दाल का निर्यात

†१९९१. **श्री चांडक :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चालू वित्तीय वर्ष में लंका को दाल निर्यात करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा निर्यात की जायेगी; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या निर्यात की 'फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड' आधार पर आज्ञा दी जायेगी या यह आज्ञा केवल राज्य व्यापार निगम अथवा कुछ विशेष वर्गों के उत्पादकों, व्यापारियों अथवा निर्यातकर्ताओं तक सीमित होगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) जी, हां ।

(ख) २,००० टन ।

(ग) निर्यात राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जायेगा जो सहकारी समितियों से खरीद करेगा ।

सस्ती कारों का निर्माण

†१९९२. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री नाथ पाई :
श्री सुब्बया अम्बलम् :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को ५,००० रुपये से लेकर ६,००० रुपये तक के मूल्य की कारों का विदेशी सहयोजन द्वारा निर्माण करने के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । परन्तु कम मूल्य वाली मोटर कारों के उत्पादन के प्रश्न पर मोटर गाड़ी उद्योग का सामान्य पुनरीक्षण करने के लिये सरकार द्वारा स्थापित की जाने वाली एक समिति द्वारा विचार किया जायेगा जैसा कि १३ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २१४ के उत्तर में बताया जा चुका है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

अलीगढ़ में भारत सरकार का फ़ार्म छापने वाला प्रेस

†१९९३. **श्री नरदेव स्नातक :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलीगढ़ में भारत सरकार के फार्म छापने वाले प्रेस में लिफाफे बनाने वाले कुशल कारीगर हैं या अकुशल कारीगर; और

(ख) कुशल और अकुशल कारीगरों के न्यूनतम वेतन स्तर क्या हैं और क्या कुशल कारीगरों को निर्धारित स्तर पर वेतन मिलता है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी):** (क) भारत सरकार के प्रेसों के कर्मचारियों का औद्योगिक अथवा गैर-औद्योगिक कर्मचारियों में वर्गीकरण किया जाता है ।

†मूल अंग्रेजी में

लिफाफे बनाने वाले औद्योगिक वर्ग में रखे गये हैं। औद्योगिक कर्मचारियों का इस समय कुशल, अर्द्ध-कुशल अथवा अकुशल कर्मचारियों के रूप में कोई वर्गीकरण नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारतीय विदेश सेवा

†१९९५. **श्री दिनेश सिंह : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे **कि :**

(क) भारतीय विदेश सेवा (ए) विभाग में १९५८ में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली कितनी रिक्तियां हैं ;

(ख) क्या वे सब भर ली गयी हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) १०।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कपड़ा मिलें

†१९९६. **श्री इलयापेरुमाल : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२ से १९५८ तक वर्ष-वार मद्रास राज्य में कपड़ा मिलें चालू करने के लिये लाइसेंसों के लिये कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) उसी कालावधि में, वर्ष-वार, कितने लाइसेंस दिये गये और जिनको ये लाइसेंस दिये गये, उनके क्या नाम हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है जिसमें उपलब्ध जानकारी दी हुई है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४५]**

मद्रास में पंजीबद्ध समवाय

†१९९७. **श्री इलयापेरुमाल : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ और १९५८-५९ में अब तक मद्रास राज्य में, जिले-वार, कुल कितने समवाय रजिस्टर किये गये हैं ;

(ख) उन समवायों में कुल कितनी पूंजी विनियोजित है; और

(ग) उपरोक्त कालावधि में मद्रास में कितने समवाय समापित हुए हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री):** (क) से (ग). मद्रास राज्य में १९५७-५८ में और १९५८-५९ के पहले नौ महीनों में क्रमशः ८० समवाय—जिनकी प्राधिकृत

†मूल अंग्रेजी में

पूंजी १५,२२ लाख रुपये है——और ६९ समवाय——जिनकी प्राधिकृत पूंजी १,७८ लाख रुपये है—— रजिस्टर किये गये। उपरोक्त दो वर्षों में मद्रास में परिसमापित हुए समवायों की संख्या क्रमशः ४७ और ३३ बताई गई है।

नोट : नये रजिस्टर किये गये समवायों के नाम और उनके बारे में अन्य विवरण, जैसे रजिस्टर्ड कार्यालय का स्थान (जिसमें जिले का पता लगेगा), औद्योगिक वर्गीकरण, मैनेजिंग एजेंटों, सचिवों और कोषाध्यक्षों, मैनेजिंग डाइरेक्टरों, डाइरेक्टरों आदि के नाम, उद्देश्य, प्राधिकृत, प्रार्थित और प्रदत्त पूंजी आदि भारत में संयुक्त स्कन्ध समवायों सम्बन्धी मासिक ब्लू बुक में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं, जिसकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

मोटर गाड़ी उद्योग

†१९९८. **श्री इलयापेरुमाल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ऐसे कितने कारखाने हैं जिनमें अलग अलग हिस्सों को जोड़ कर मोटर गाड़ियां बनाई जाती हैं और मार्च, १९५७ और मार्च, १९५८ में पृथक् पृथक् उन्होंने कितनी कितनी मोटर गाड़ियां बनायीं; और

(ख) उसी कालावधि में उनके द्वारा तैयार की गई कारों और ट्रकों के खुदरा मूल्य क्या थे?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) भारत में मोटर गाड़ियां बनाने के छः अनुमोदित कारखाने हैं और मार्च, १९५७ और १९५८ में उनका उत्पादन निम्न प्रकार था :

मोटर गाड़ी की किस्म	उत्पादन	
	मार्च, १९५७ संख्या	मार्च, १९५८ संख्या
कारें, जिनमें स्टेशन वैगन शामिल हैं	१०१३	७०९
वाणिज्यिक गाड़ियां, जिनमें जीप की तरह की गाड़ियां शामिल हैं	२१८१	२०३९
कुल	३१९४	२७४८

(ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें उसी अवधि में चुनी हुई कारों और ट्रकों के खुदरा मूल्य बताये गये हैं। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४६]**

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के कर्मचारी

†१६६६. { **श्री ईश्वर अय्यर :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री तंगामणि : }

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १७ नवम्बर, १६५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसमें केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के बारे में मांगी गयी जानकारी एकत्र कर ली गयी है; और

(ख) यदि हां, तो यह सभा-पटल पर कब रखी जावेगी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: (क) जी, हां। अपेक्षित जानकारी १३ मार्च, १६५६ को सभा पटल पर रखी जा चुकी है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री काशीनाथ राव वैद्य का निधन

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे सभा को यह बताना है कि श्री काशीनाथ राव वैद्य का ६६ वर्ष की अवस्था में १३ मार्च, १६५६ को हैदराबाद में निधन हो गया।

श्री वैद्य वर्ष १६५०–५२ में अन्तःकालीन संसद् के सदस्य थे। वह भूतपूर्व हैदराबाद विधान सभा के अध्यक्ष भी रहे थे।

मुझे विश्वास है कि सभा श्री वैद्य के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करने में मेरा साथ देगी। माननीय सदस्य शोक प्रकट करने के लिये एक मिनट खड़े हों।

इसके पश्चात् सदस्य एक मिनट के लिये मौन खड़े रहे।

सभा-पटल पर रखा गया पत्र

प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार के तेरहवें अधिवेशन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का प्रतिवेदन

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: मैं प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार के संविदाकारी पक्षों के तेरहवें अधिवेशन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० १२६८]

---

†मूल अंग्रेज़ी में

राज्य सभा से संदेश

†सचिव : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्यसभा के सचिव से निम्नलिखित संदेश मिले हैं :

(१) कि लोक-सभा द्वारा ११ फरवरी, १९५९ को पारित दिल्ली पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५९ को राज्य-सभा ने अपनी ११ मार्च, १९५९ की बैठक में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

(२) कि इन विधेयकों के बारे में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है :

(१) विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९५९
(२) विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९५९
(३) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९५९

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

†सचिव : मैं चालू सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा ९ फरवरी, १९५९ को लोक-सभा में दी गई अन्तिम सूचना के बाद राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूं :—

१. भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक, १९५९
२. विनियोग विधेयक, १९५९
३. चलचित्र (संशोधन) विधेयक, १९५९ ।

सदस्य का निकाला जाना

†अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे अम्बाला के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से दिनांक १४ मार्च, १९५९ का एक संवाद प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि लोक-सभा के सदस्य श्री अ० क० गोपालन को पंजाब से हटाकर दिल्ली ले जाया गया ताकि उन्हें पंजाब राज्य के सुरक्षा अधिनियम की धारा ७-क के अन्तर्गत पंजाब राज्य की सीमा के अन्दर कोई अपराध करने से रोका जा सके ।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

पुनर्वास विभाग का बन्द किया जाना

श्री नौशीर भरुचा (पूर्व खानदेश) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर पुनर्वास मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

---

†मूल अंग्रेजी में

"पुनर्वास का बन्द किया जाना ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या वक्तव्य बहुत लम्बा है ?

†**पुनर्वास मंत्र (श्री मेहर चन्द खान्ना)** : चार पृष्ठों का है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उसे सभा-पटल पर रख दिया जाये; मैं उसे सदस्यों में परिचालित करा दूंगा । जब वक्तव्य लम्बा हुआ करे तो माननीय मंत्री संक्षेप में कुछ कह दिया करें ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैं वक्तव्य को सभा-पटल पर रखता हूं ।

वक्तव्य

भारत का विभाजन हुए ११ वर्ष से अधिक हो गये हैं । इस दौरान में पाकिस्तान से ६० लाख व्यक्ति भारत में आये । इनमें से ५० लाख व्यक्ति पश्चिमी पाकिस्तान के हैं । पश्चिमी पाकिस्तान से ये व्यक्ति एक साथ आये जब कि पूर्व पाकिस्तान से धीरे-धीरे आये, कभी-कभी इन आने वालों की संख्या में वृद्धि भी हुई थी किन्तु यह सब कुछ वहां के राजनीतिक, आर्थिक वातावरण पर निर्भर था । पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में एक बात यह थी कि वहां भारत से भी कुछ लोग गये किन्तु पूर्वी पाकिस्तान के साथ यह बात नहीं थी ।

चूंकि पश्चिम में विभाजन के पश्चात विस्थापितों को फिर से बसाने के बारे में समस्या का कुछ समाधान था अतः पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों को बसाने के लिये कोई योजना बनाना संभव था और सुयोजित व्यवस्था के अनुसार कार्य प्रारम्भ किया जा सकता था । ११ वर्ष के इस दौरान में हम ने न केवल उनको फिर से बसाने का ही कार्य किया बल्कि पश्चिमी पाकिस्तान में उनकी जो अचल सम्पत्ति रह गई थी उसके लिये उन्हें प्रतिकर भी दिया । प्रतिकर देने का कार्य १९५५ के अन्त से प्रारम्भ हुआ और अब लगभग समाप्ति पर है । ४,६०,००० व्यक्तियों में से जिनको कि प्रतिकर दिया जाना था ३.६ लाख व्यक्तियों के मामले, जिनमें कि उन्हें लगभग १०० करोड़ रुपये का भुगतान करना था, समाप्त हो गये हैं । शेष कार्य को निपटाने के लिये ऐसी आशा है कि प्रति मास १०,००० मामले निपटाये जायेंगे और यह कार्य इस वर्ष के अन्त तक पूरा हो जायेगा ।

३१ मार्च, १९५९ के अन्त तक पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसाने पर १८१.९२ करोड़ रुपये व्यय होगा । इसके अतिरिक्त २४.४९ लाख स्टेन्डर्ड एकड़ भूमि ४ लाख ग्रामीण मकान पंजाब सरकार को दिये गये हैं जिससे कि वह ४.७७ लाख विस्थापित किसानों को बसा सकें । गैर-पंजाबी भूमि दावेदारों के लिये ३८.५३६ स्टेन्डर्ड एकड़, २,४५,५४१ सामान्य एकड़ और ३६,५०,८४४ रुपये मूल्य का जंगल नियत किया गया है । पंजाब में २,६०,००० व्यक्तियों को भूमि का स्थायी अधिकार दिया गया है ।

मकान निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत मकान निर्माण कार्य स्वयं केन्द्र तथा राज्य सरकारों के द्वारा प्रारम्भ किया गया है । ५० करोड़ रुपये की लागत से लगभग २ लाख मकान तैयार किये गये हैं । इसके अतिरिक्त लगभग २,८०,००० शहरी निष्क्राम्य सम्पत्तियां थीं जो विस्थापित व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जा रही थीं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

चिकित्सा, शिक्षा, व्यावसायिक और प्रविधिक प्रशिक्षण, और असंरक्षित महिलाओं, अनाथों, वृद्धों तथा अस्वस्थों को लिये अनाथालय और चिकित्सालय आदि बनाने पर भी काफी धन व्यय किया गया। विस्थापितों को शहरों और बस्तियों में सभी प्रकार को उद्योग खोलने के लिये भी सहायता दी गई जिससे कि उन्हें रोजगार मिल सके।

फिर से बसाने के काम की समाप्ति के साथ, कुछ समय से, पुनर्वास मंत्रालय का ध्यान इसके स्थायी कर्तव्यों को कुछ उन मंत्रालयों को हस्तानतरण करने की ओर लगा हुआ है जो कि केन्द्र के स्थायी मंत्रालय हैं। इससे न केवल यही लाभ होगा कि पुनर्वास मंत्रालय के इन कार्यों को अधिक स्थायित्व मिलेगा बल्कि विस्थापित व्यक्तियों को देश की आम जनता के साथ शीघ्र ही मिलने में सहायता करेगा। इस नीति का अनुसरण करते हुए अनाथालय और चिकित्सालय गृह-मंत्रालय को हस्तान्तरण कर दिये गये हैं और चिकित्सा सहायता, शिक्षा, व्यावसायिक और प्रविधिक प्रशिक्षण, विस्थापित व्यक्तियों के लिये रोजगार की व्यवस्था करने के हेतु उद्योगों की स्थापना करने का कार्य क्रमशः केन्द्र के स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को हस्तान्तरण कर दिये गये हैं। मकान निर्माण का कार्य अधिकांशतः राज्यों में समाप्त हो गया है। यह प्रस्ताव किया गया है कि शेष कार्य निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय को हस्तानान्तरण कर दिया जाये।

भारत के पश्चिमी भाग से पश्चिमी पाकिस्तान को जाने वाले बहुत से मुसलमानों ने भी भारत की अल्प जातियों के लिये भी कुछ समस्यायें उत्पन्न कर दी हैं। निष्क्राम्य सम्पत्ति विधि को लागू करने में भी मुसलमानों के बारे में कुछ कठिनाइयां आई हैं। निष्क्राम्य सम्पत्ति विधि को लागू करने के आधार पर अधीक्षक ने जिन सम्पत्तियों पर अधिकार कर लिया था उनको वापस लेने के लिये इनकी ओर से बहुत से आवेदन पत्र आये। इन आवेदन पत्रों को निपटाने में शीघ्रता करने के परिणामस्वरूप ३८०० से अधिक मामले में २·६ करोड़ रुपये की सम्पत्ति वापिस दे दी गई है। जनवरी, १९५९ में लगभग १०० मामलों को निपटाना बाकी था। कुछ ऐसे मामलों में जिनमें कि वापस करना संभव नहीं था प्रसादतः सहायता दी गई। गुड़गांव, अलवर और भरतपुर जिले के उन बहुत से मेवों की भूमि को वापस करने के लिये भी कार्यवाही की गई जो कि पहले पश्चिमी पाकिस्तान चले गये थे और फिर वापस आ गये। यह कार्य भी अच्छी तरह समाप्त हो गया।

संक्षेप में जिस उद्देश्य से पश्चिमी क्षेत्र में यह मंत्रालय बनाया गया था उसका कार्य समाप्त हो गया। कुछ राज्यों में कुछ काम शेष रह गया है किन्तु मंत्रालय की इच्छा है कि इसे भी इस वर्ष के अन्त तक समाप्त कर देना चाहिये। इस प्रयोजनार्थ हम सम्बन्धित राज्य सरकारों से परामर्श कर रहे हैं और इस सिलसिले में मैं मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर हो आया हूं और उन राज्य सरकारों से पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापितों को फिर से बसाने के सम्बन्ध में शेष कार्य को निपटाने के लिये बातचीत की है। दिल्ली के चारों ओर सरकार द्वारा विस्थापित व्यक्तियों के लिये बनाई गई बस्तियों की शेष समस्या के लिये मैं ने दिल्ली के निगम से बातचीत की है। राजस्थान, बिहार, और बम्बई की सरकारों से भी इसी प्रकार की बातचीत करने का मेरा विचार है। यह भी विचार किया गया है कि पश्चिमी क्षेत्रों के राज्यों के पुनर्वास मंत्रियों का एक सम्मेलन मई, १९५९ के मध्य में बुलाया जाये जिसमें इस सम्पूर्ण समस्या पर बातचीत की जाये और पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसाने के काम को निश्चित

अवधि अर्थात् इस वर्ष के अन्त तक, समाप्त करने के लिये कार्यक्रम तैयार किया जाये । ऐसी आशा की जाती है कि इन कार्यवाहियों के आधार पर इस मंत्रालय का कार्य जहां तक कि पश्चिमी क्षेत्र का सम्बन्ध है इस वर्ष के अन्त तक समाप्त हो जायेगा ।

यह मंत्रालय अस्थायी मंत्रालय है जिसकी स्थापना देश के विभाजन के पश्चात इस समस्या का समाधान करने के लिये असाधारण स्थिति में की गई थी । यह इसीलिये बनाई गई थी कि एक दिन इसका कार्य समाप्त हो जाना चाहिये । विस्थापित व्यक्तियों के हित में यह अच्छा है कि वे स्वयं भी देश के सामान्य नागरिकों के साथ घुलमिल जायें ।

पूर्वी क्षेत्र में यह कार्य अभी कुछ समय तक चलेगा । इस क्षेत्र में अभी तक २ लाख व्यक्ति खेमों में रह रहे हैं और जो परिवार आंशिक रूप से बसा दिये गये हैं उनके सम्बन्ध में भी कुछ काम अभी शेष है । पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के आगमन की समाप्ति हो जाने से हम उनकी संख्या की गणना करने और उनके बसाने के लिये योजना बना सकेंगे । यह आशा की जाती है कि उन योजनाओं के बनने से पूर्व में भी विस्थापितों को फिर से बसाने के काम आगामी दो वर्षों में समाप्त हो जायेंगे और हम यह कह सकेंगे कि ९० लाख व्यक्तियों को फिर से बसाने का कार्य, जो विश्व के किसी देश के इतिहास में देखने को नहीं मिलता सन्तोषजनक ढंग से और अन्तिम रूप से समाप्त हो गया है ।

घरेलू कर्मचारियों की मांगों के बारे में वक्तव्य

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : घरेलू कर्मचारियों के संबंध में कुछ अल्प-सूचना प्रश्न पूछे गए हैं और श्री भक्त दर्शन की ओर से लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने की सूचना प्राप्त हुई है । स्थिति इस प्रकार है ।

भारत सरकार ने घरेलू कर्मचारियों को न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत लाने के प्रश्न पर १९५४–५५ में विचार किया था । इस बात पर भी विचार किया गया था कि क्या घरेलू कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन, रोजगार की न्यूनतम आयु का निर्धारण, मजूरी सहित वार्षिक छुट्टी का उपबन्ध आदि के रूप में संविहित सुरक्षा आवश्यक है । राज्य सरकारें सामान्यत: घरेलू कर्मचारियों के कार्यों और नौकरी की शर्तों के कानून द्वारा विनियमन के पक्ष में नहीं है क्यों कि ऐसे किसी कानून के प्रवर्तन परिणामस्वरूप बहुत से लोगों की छंटनी किए जाने और रोजगार के अवसर कम हो जाने की संभावना है । निरीक्षक तथा प्रवर्तन की समस्या विशेष रूप से कठिन होगी । इस के अतिरिक्त घरेलू कर्मचारियों से संबंधित किसी भी विधान का प्रशासन इसलिए भी कठिन होगा कि प्रत्येक मालिक को नौकरों का रिकार्ड रखना होगा और सरकार को समय-समय पर उसकी जानकारी प्रदान करनी होगी जो कि किसी भी कानून के उचित प्रवर्तन के लिए बहुत आवश्यक है । इस प्रकार का विधान उस समय पारित किया जा सकेगा जब कि रोजगार का क्षेत्र बढ़ जाएगा और हम बे-रोजगार होने वाले घरेलू कर्मचारियों को नौकरी देने की स्थिति में आ जायेंगे । परन्तु आशा है कि लोकमत के प्रभाव और सामाजिक चेतना एवं जागृति के विकास से छुट्टी आदि के संबंध में घरेलू कर्मचारियों की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा ।

उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार इस अवस्था में घरेलू कर्मचारियों की सेवा की शर्तों का विनियमन करने के लिए विधान प्रस्तुत करना उचित नहीं समझती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुदानों की मांगें

अणु शक्ति विभाग

†अध्यक्ष महोदय : अब सभा में अणु शक्ति विभाग की मांग संख्या १००, १०१ और १३६ पर विचार किया जायेगा और वे मतदान के लिये रखी जायेंगी। जो सदस्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें वे कर सकते हैं।

वर्ष १६५६-६० के लिये अणुशक्ति विभाग की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		(रुपये)
१००	अणु शक्ति विभाग	१२,१४,०००
१०१	अणु शक्ति गवेषणा	४,०३,६७,०००
१३६	अणु शक्ति विभाग का पूंजी व्यय	५,०१,४२,०००

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : अब ऐसा प्रतीत होता है कि यह सभा हमारे देश में नाभिकीय अणुशक्ति का जो विकास हुआ है उस में रुचि लेने लगी है। हमारा भविष्य इसी नाभिकीय अणु शक्ति पर निर्भर है। एक औद्योगिक देश के नाते हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे वैज्ञानिक प्रकृति के रहस्यों की खोज करने में कितने पटु हैं और विज्ञान की नई विधियों का हम आवश्यकतानुसार किस प्रकार प्रयोग करते हैं। अणुशक्ति विभाग को अब अणु शक्ति आयोग में बदल दिया गया है। इस प्रकार इसके उच्च कार्यकर्ताओं को प्रशासकीय कार्य से मुक्ति दे कर उन्हें अनुसंधान सम्बन्धी कार्य करने का असवसर दिया गया है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अब भी इस आयोग के पास विभिन्न प्रकार के कार्य हैं जो अन्य विभागों को दिये जा सकते हैं। आप जानते हैं कि अणुशक्ति संस्थान चार प्रकार के कार्य करता है अर्थात् यह चार वर्गों में बंटा है : भौतिकी वर्ग, रसायन वर्ग, इंजीनियरिंग वर्ग और जीव विज्ञान, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य वर्ग।

भौतिकी वर्ग में सैद्धान्तिक भौतिकी, व्यवहारिक गणित, नाभिकीय भौतिकी, और रीएक्टर कन्ट्रोल डिवीजन का कार्य होता है। किन्तु एयर मोनोटोरिंग, स्वास्थ्य भौतिकी, और इलक्ट्रोनिक्स का कार्य ऐसा है जो आसानी से अन्य विभागों को दिया जा सकता है और इस प्रकार आयोग को अपना कार्य करने का और अधिक अवसर मिल सकता है। उदाहरणार्थ एयर मोनोटोरिंग का, जन स्वास्थ्य का काम प्रतिरक्षा मंत्रालय को और इलक्ट्रोनिक्स का कार्य भारत इलक्ट्रोनिक्स को, दिया जा सकता है।

रसायन वर्ग के संबंध में बताया गया है कि परम्परागत रसायन प्रक्रिया तथा स्पेक्ट्रो फोटोमीट्री आदि के १६०० से अधिक विश्लेषणात्मक अनुभव किये हैं किन्तु यह कार्य बड़ी आसानी से विश्वविद्यालयों, वैज्ञानिक परिषद और औद्योगिक गवेषणा अथवा भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर को दिया जा सकता था। इसी प्रकार बम्बई बन्दरगाह में दरार आन्दोलन का अध्ययन प्रतिरक्षा मंत्रालय के नौवहन सर्वेक्षण विभाग को अथवा अन्य किसी निकाय को दिया जा सकता था। इसी तरह आइसोटोप का काम वैज्ञानिक परिषद् तथा औद्योगिक गवेषणा संस्था को दिया जा सकता है।

†मूल अंग्रेजी में

जीव विज्ञान और चिकित्सा वर्ग का कार्य भी अन्य संस्थाओं को बांटा जा सकता है। रेडियन और केन्सर सम्बन्धी खोज कार्य चिकित्सा का कार्य है अतः इसे भी आसानी से विश्वविद्यालयों अथवा चिकित्सा अनुसंधान केन्द्रों को भेजा जा सकता है।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अणुशक्ति विभाग ने कुछ ऐसे कार्य अपने हाथ में ले लिये हैं जो कि इसके क्षेत्र में नहीं हैं। अतः माननीय प्रधान मंत्री से निवेदन है कि वे विभागों का इस प्रकार से विभाजन करें कि अणुशक्ति विभाग का कार्य कम हो जाये और यह सही रूप से अपने कर्तव्यों का पालन कर सके।

एक महत्वपूर्ण समस्या नाभिकीय अणुशक्ति से विद्युत उत्पादन करना है। विभाग के प्रतिवेदन में कहा गया है कि २५०,००० किलोवाट की एक इकाई पर ४५ करोड़ रुपये व्यय होता है। मेरा विचार है कि आगामी ५० वर्षों में नाभिकीय अणुशक्ति से उत्पादित तेल से उत्पादित बिजली से उपयोगिता करने में समर्थ हो जायेगी। इंगलैंड में इतनी बड़ी इकाई पर इसका आधा रुपया ही खर्च में आता है। इसका अभिप्राय तो यह है कि हमारा उत्पादन व्यय दुगना होगा। यह बात मेरी समझ में नहीं आई। प्रतिवेदन में कहा गया है कि नाभिकीय आणविक विद्युत स्टेशन १९६२ के अंत में कार्य करने लगेगा। हो सकता है कि इस के पूरा होने में एक दो वर्ष अधिक लगें किन्तु फिर भी यह अच्छा है कि इसका कार्य प्रारम्भ हो गया है।

प्रतिवेदन में बताया गया है कि नाभिकीय विद्युत का प्रति इकाई मूल्य २-६ नया पैसा होगा। यह तो बहुत ही आकर्षक है और तेल से उत्पादित विद्युत की प्रति इकाई के ही समान इसका भी मूल्य है। चूंकि उत्पादन मूल्य बहुत सी बातों पर निर्भर करता है जो कि अनिश्चित होती है अतः मेरा विचार है कि यह मूल्य इतना कम नहीं होगा। किन्तु फिर भी मेरा विचार है कि सभा इसका समर्थन करेगी।

दो बातें और कहनी हैं। प्रतिवेदन में कहा गया है कि इस अणुशक्ति की बेकार मात्रा को फैंकने के लिये समुद्र में ज्वार के पानी का प्रयोग किया जायगा जिस से कि यह बेकार मात्रा को, वन्दरगाह में काम करने वाले किसी व्यक्ति अथवा मछलियों को बिना हानि पहुंचाये समुद्र में फैंका जा सके। किन्तु यह बहुत ही खतरनाक है। मेरा विचार है कि इस बेकार मात्रा को समुद्र में फैंकने की अपेक्षा पृथ्वी के भीतर किसी गहरे कुंए आदि में दबा दिया जाये। इसका यह लाभ होगा कि जब हम इस बेकार मात्रा का उपयोग करने के लिये कोई साधन ढूंढ लेंगे तो कुंएं से उसे निकाल कर उसका सदुपयोग किया जा सकेगा। दूसरी बात यह है कि रेडिएशन के बारे में हमारा ज्ञान सीमित है तो ऐसी स्थिति में इसे समुद्र में फैंकना श्रेयस्कर नहीं है।

गुल मर्ग अथवा खिलेन मर्ग अफरवट में ब्रह्माण्ड रश्मि प्रयोगशाला बनायी जा रही है। क्या इसका बनाना आवश्यक है। मेरा विचार है कि जब स्पूतनिक इतने ऊंचे जाने लगे हैं और ब्रह्मांण्ड रश्मि के विभिन्न पहलुओं के बारे में उन्होंने खोज कर ली है तो क्या इस प्रयोगशाला के बनाने की आवश्यकता है भी अथवा नहीं। मैं इस विषय में सुनिश्चित नहीं हूं अतः आशा करता हूं कि प्रधान मंत्री इसकी जांच करेंगे।

†**श्री गोरे (पूना)** : सर्व प्रथम मैं अणु शक्ति आयोग को इसके द्वारा किये गये कार्य के लिये बधाई देता हूं। आज जब हम अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो इस विभाग

†मूल अंग्रेजी में

[श्री गोरे]

द्वारा की गई खोज इस में और भी सहायक होगी। डा० भाभा ने अपने एक नोट में लिखा है कि उनका विभाग एक ऐसी वस्तु तैयार कर रहा है जो यदि चावल, खाद्यान्न अथवा नमक आदि में मिला कर खाया जाये तो प्रजनन शक्ति में कमी आ जायेगी। यदि इस में सफलता मिल गई तो यह निश्चय है कि जन संख्या की वृद्धि को रोकने में बड़ी सहायता मिलेगी। आशा है कि वे शीघ्र ही इस में सफलता प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। डा० भाभा ने कहा है कि हमारा भारत तथा अन्य पिछड़े देश अन्ततोगत्वा आणविक शक्ति से उत्पादित विद्युत पर निर्भर होंगे। यह बात सत्य है। लेकिन हम देखते हैं कि विद्युत उत्पादन स्टेशन के लिये इस आय-व्ययक में बहुत थोड़ी राशि रखी गई है। यदि हम इस में अधिक प्रगति चाहते हैं तो हमें इस मद में अधिक राशि देनी चाहिये। मेरा विचार है कि इस स्टेशन की प्रगति में धन अवरोध नहीं डालेगा बल्कि यदि कोई कठिनाई होगी तो वह प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी ही होगी। यदि हम इस में सफलता चाहते हैं तो हमें अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित और उन्हें तेज़ी से प्रशिक्षित करना होगा। अणु शक्ति के विकास के लिये हम ही कुछ नहीं कर रहे हैं। बल्कि चीन जापान आदि भी कर रहे हैं। जब हम यह देखते हैं कि अन्य देश भी इस क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी प्रगति अपर्याप्त है।

अणु शक्ति आयोग की विभिन्न परियोजना के सिलसिले में १५ विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं। व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिये दो प्रकार की छात्रवृतियां रखी गई थी। एक वरिष्ठ और दूसरी छोटी। किन्तु प्रतिवेदन में बताया गया है कि वरिष्ठ छात्रवृत्तियों के लिये उपयुक्त छात्र नहीं मिले अतः उन्हें छोटी छात्रवृतियों में परिवर्तित कर दिया गया। लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूं कि जैसे जैसे आणविक शक्ति से विद्युत उत्पादन करने में हम प्रयत्न करेंगे वैसे वैसे ही प्राविधिकों की समस्या का भी समाधान होता जायेगा। हमें यह प्रयत्न करना चाहिये कि हमारे कालिजों और विश्व विद्यालयों से अधिक विद्यार्थी प्रशिक्षित हो कर निकलें। इस लिये हमें इस बात को प्रसारित करने के लिये प्रयत्न करना चाहिये। विश्व विद्यालयों तथा कालिजों में हमें तत्सम्बन्धी भाषण और प्रदर्शनियों की व्यवस्था करनी चाहिये। यदि यह प्रयत्न किया गया तो प्राशिक्षित व्यक्तियों की कमी नहीं होगी।

मैं भी यह स्वीकार करता हूं कि अणुशक्ति आयोग को इतना कार्य अपने पास नहीं लेना चाहिये और हमें उचित रूप से विभाजित कर देना चाहिये।

गत वर्ष भी मैं ने इस बात का उल्लेख किया था कि डा० भाभा सरीखे व्यक्तियों को प्रशासकीय कार्य नहीं मिलना चाहिये उन्हें तो अनुसंधान का काम करना चाहिये क्योंकि अनुसंधान ही उनका क्षेत्र है। इसलिये ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि उन पर कम से कम प्रशासकीय कार्य रहे और वे शिक्षा के इस पहलू की ओर अधिक समय दे सकें।

इसके अतिरिक्त हमें यह भी देखना चाहिये कि क्या अणुशक्ति का कोई और दूसरा भी उपयोग हो सकता है। इसलिये हमें इसके दूसरे पहलुओं की उन्नति की ओर भी ध्यान देना चाहिये। विश्वविद्यालयों को भी इसके लिये प्रोत्साहन देना चाहिये कि वे भी प्रयत्न करें कि क्या दूसरे पहलुओं पर भी काम किया जा सकता है ?

अंत में श्री भाभा और उनके साथियों को बधाई देते हुए यह निवेदन करता हूं कि हमें अधिक से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का प्रयत्न करना चाहिये। प्रशिक्षण के लिये विशेष रूप से विद्यार्थियों को और सामान्य रूप से जन साधारण को इस कार्य के लिये चुनना चाहिये।

†**श्री वें० प० नायर** (क्विलोन) : हमें इस बात का दुख है कि हम इसकी चर्चा उस रूप में नहीं कर सकते जिस रूप में कि करना चाहते हैं। क्योंकि इस विभाग का प्रतिवेदन हमें कल ही मिला था। आश्चर्य तो इस बात का है कि यह विभाग प्रधान मंत्री के अधीन है और फिर भी इसका प्रतिवेदन जल्दी न मिल सका। आशा तो यह थी कि यह हमें और भी जल्दी मिल जाता जिस से कि हम इस के सम्बन्ध में और भी सुझाव तैयार कर सकते।

सब से पहले तो मुझे इस सयंत्र के स्थान की चर्चा करनी है। इसे बम्बई के निकट लगाया गया है। यह संयत्र निरंतर उन्नति कर रहा है। मान लीजिये कि कल को कोई दुर्घटना हो जाती है तो बम्बई निवासियों का क्या होगा ? प्राय विदेशों में यह देखने में आया है कि इस प्रकार के सयंत्र आबादी से दूर लगाये जाते हैं। मैं यह नहीं समझ सका कि जब इस सयंत्र को लगाया गया था तो क्या इसका ध्यान भी रखा गया था अथवा नहीं ? मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि बम्बई में जो कुछ हुआ है उसे समाप्त कर देना चाहिये बल्कि मैं तो यह चाहता हूं कि भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाये कि इस प्रकार के सयंत्र आबादी से दूर लगाये जायें।

हमारे यहां इस प्रकार के सयंत्र में काम आने वाले दृव्य जल की जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति आयात से की जाती है। हमारे यहां दृव्य जल का कारखाना नांगल में है। मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि जो द्रव्य जल इस के लिये लिया जाता है क्या वह सस्ते दामों पर लिया जाता है ?

हम अपने अणुशक्ति विभाग का विकास अमरीका, कनाडा, और इंगलिस्तान के ढांचे के आधार पर कर रहे हैं। रूस में इस इस क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। मैं माननीय प्रधान मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि इस सम्बन्धी प्रविधिक जानकारी के लिये रूस से कितनी सहायता ली गई है ?

१९५७ और १९५८ के आय-व्ययक लेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों से पता चला है कि इस के लेखा के सम्बन्ध में काफी अनियमिततायें हैं। मैं मानता हूं कि यह सयंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है किन्तु फिर भी किसी भी प्रकार का अपव्यय नहीं होना चाहिये। इसलिये माननीय प्रधान मंत्री से निवेदन है कि वे इसके बारे में ध्यान रखेंगे।

त्रावन कोर खदान (प्राइवेट) संस्थान में ५० प्रतिशत राशि केन्द्रीय सरकार की है और ४५ प्रतिशत केरल राज्य की तथा ५ प्रतिशत राशि मद्रास सरकार की है। किन्तु इसकी प्रबन्धक समिति में हम देखते हैं कि केरल राज्य के ४५ प्रतिशत धन देने के बावजूद भी २ प्रतिनिधि हैं और मद्रास सरकार के ५ प्रतिशत पर १ प्रतिनिधि है। यह बात हमारी समझ में नहीं आई। इस के अतिरिक्त इस के उत्पादन के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। गत वर्ष जब यह प्रश्न उठाया गया था तो प्रधान मंत्री ने कहा था कि कुछ कठिनाइयां थी और विशेष रूप से विनियोजन के सम्बन्ध में तीनों सरकार से बात चीत करना था। किन्तु आज क्या स्थिति है वह देखने योग्य है। भारत सरकार इस उद्योग में उतनी रुचि नहीं ले रही है जितनी कि इसे लेनी चाहिये। उदाहरण के लिये इस उद्योग में माल लाने और ले जाने के लिये कोई रेलवे लाइन नहीं है जब कि इसका माल बन्दरगाह तक ले जाने में काफ़ी धन और जन शक्ति व्यय करनी पड़ती है। इस सम्बन्ध में मैं ने रेलवे मंत्री को भी लिखा था किन्तु कोई उत्तर नहीं मिला। इस के प्रबन्धक से भी बात चीत की किन्तु ज्ञात हुआ कि वह भी इस में कोई रूचि नहीं रखते। मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि एक ऐसे उद्योग में जो

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वें० प० नायर]

केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित हो तथा जिस में केरल और मद्रास सरकार भागीदार हो फिर भी वहां रेलवे लाइन न हो । रेलवे लाइन बनाने में तो विदेशी विनिमय की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी मालूम नहीं कि रेलवे लाइन क्यों नहीं बनाई जाती। सहायक उद्योगों के उत्पादन के सम्बन्ध में भी यही बात है वहां काफ़ी मात्रा में उत्पादन होता है किन्तु भांडार करने की उचित व्यवस्था न होने के परिणाम-स्वरूप ही इस उत्पादन का बहुत कुछ अंश बेकार जाता है।

भारत में इस्पात का उत्पादन आगामी वर्षों में बहुत कुछ बढ़ जायेगा और उसी अनुपात से वेल्डिंग इलेक्ट्रोडेस की आवश्यकता पड़ेगी । यह इलेक्ट्रोडेस रटायल से बनाया जाता है। किन्तु हम देखते हैं कि हमारे देश में रटायल का उत्पादन बहुत ही कम मात्रा में होता है। इसके उत्पादन के लिये न मालूम क्यों अनुज्ञप्तियां नहीं दी गई हैं। किन्तु जहां कि रटायल का उत्पादन होता है उस क्षेत्र में इसका कारखाना बनाने के लिये कोई अनुज्ञप्ति नहीं दी गई है जब कि कलकत्ता, बम्बई, और हिमाचल प्रदेश में इस के एक एक कारखाने हैं। इसलिये मैं कहता हूं कि भारत सरकार उन क्षेत्रों में इतनी रुचि नहीं ले रही है जितनी कि उसे लेनी चाहिये तथा जितनी रुचि की वहां आवश्यकता है ।

एक उदाहरण और देना चाहता हूं नागरकोहल ज़िले में मनावल कुरची में एक कारखाना है जिसका प्रबन्ध एक अंग्रेजी सार्थ करती है। यह सार्थ १९१४ से कार्य कर रही थी। अचानक ही इसने कहा है कि अब वह काम करने में असमर्थ है क्योंकि इस के पास माल काफ़ी इकट्ठा हो गया है और उसके खपत की गुंजाइश नहीं है। इस प्रकार इस कारखाने के बन्द हो जाने से २५ हज़ार मजदूर बेकार हो जायेंगे। लेकिन इस स्थान से ठीक ४० मील दूर चरवा में एक दूसरा कारखाना सरकार का है। उसका विकास भी किया जा रहा है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि एक कारखाना तो बंद किया जा रहा है और दूसरे का विकास किया जा रहा है । सरकार स्वयं इस कार-खाने को अपने हाथ में क्यों नहीं ले लेती। अब तो सरकार को इतने इल्मे नाइट के कारखाने चलाने की जानकारी हो गई है। मेरा विचार तो यह है कि यह सब कुछ इसलिये हो रहा है कि सरकार इन ग़ैर-सरकारी समवायों के प्रति कोई रुचि नहीं रखती है और उन्हें प्रोत्साहन नहीं देना चाहती। इसलिये माननीय प्रधान मंत्री से निवेदन है कि वे इस कारखाने को अपने हाथ मे लें लें। अन्यथा उस क्षेत्र में एक समस्या उत्पन्न हो जायेगी।

प्रतिवेदन में कहा गया है कि सीनियर फैलोशिप के लिये एक भी विद्यार्थी नहीं मिला। मेरी समझ में यह बात नहीं आई । हो सकता है कि उसके लिये योग्यता अधिक रखी गई है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि भविष्य में प्रशिक्षण का कार्य किस प्रकार चलेगा। मुझे तो इस में कुछ गड़बड़ नज़र आती है। आशा है कि प्रधान मंत्री इस तथ्य पर प्रकाश डालेंगे।

प्रायः यह देखने में आता है कि जब कोई खोज होती है तो उसको तुरंत ही लागू करने में कठिनाइयां होती हैं। इसलिये मेरा विचार है कि यदि म्यूटेशन की खोज हो भी गई तो उसे कृषि में लागू करना कठिन हो जायेगा। क्योंकि किसानों को इसकी ओर प्रभावित करना बड़ा कठिन नज़र आता है ।

इन स्थानों में काम करने वाले व्यक्तियों को नाना प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिनका परीक्षण करना चिकित्सकों के लिये संभव नहीं है क्योंकि चिकित्सक स्वयं रेडियो-एक्टीविटी से होने वाली बीमारियों के सम्बन्ध में स्वयं नहीं जानते।

अंत में मैं प्रधान मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे जिरेकानियम कारखाने के बारे में विचार करें। इस वर्ष के प्रतिवेदन में इस कारखाने के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है। मैं इसलिये इस बात पर बल दे रहा हूं कि हमारा यह धारणा बन गई है कि यह मामला खटाई में पड़ गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसकी वर्तमान स्थिति क्या है।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : इस विभाग द्वारा हम एक महान कार्य का सूत्रपात कर रहे हैं। अतः मैं अणुशक्ति केन्द्र के विकास का स्वागत करता हूं। इस संबंध में यह ध्यान रखने योग्य बात है कि हमें अपने उच्च कोटि के वैज्ञानिकों को प्रशासनिक कार्यों के भार से मुक्त रखना चाहिये। और उन को अपना समय गवेषणा इत्यादि के विकास में लगाने का अवसर देना चाहिये। जिस से कि देश उन से अधिकतम लाभ उठा सके।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमने अपनी अणुशक्ति के उपभोग के लिये एक अणुशक्ति पैदा करने वाला संयत्र बनाने की योजना रखी है। मेरे विचार से यह उचित है इस से हम अधिकाधिक शक्ति के उपभोग करने में समर्थ होंगे जिस के फलस्वरूप हमारे जीवन का स्तर ऊंचा होगा।

डा० भाभा ने अपने एक अध्यक्षीय भाषण में यह कहा था कि अगली दो दशाब्दियों के भीतर फ्यूजन पर नियत्रण प्राप्त कर लिया जायेगा। जिस के फलस्वरूप बहुत शक्ति प्राप्त हो जायेगी तथापि अमेरिका व इंगलेंड में अभी ही फ्यूजन पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया गया है इस लिये मैं जानना चाहता हूं कि भारत इस सम्बन्ध में क्या कर रहा है ?

यह गवेषणा केन्द्र चिकित्सा की ओर ध्यान दे कर महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है। केन्द्र में

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

रेडियो आइसोटापों का निर्माण प्रारम्भ हो गया है। वस्तुतः यह बहुत महत्वपूर्ण आविष्कार है जो बीमारियों इत्यादि को दूर करने में बहुत सहायता पहुंचा सकता है। रेडियो आइसोटाप्, फासफोरस, आइडीन इत्यादि केंसर तथा कोढ़ ऐसी भयंकर बीमारियों को दूर करने में प्रभावकारी सिद्ध हुए हैं अतः हमने इन के प्रयोगों के लिये उचित संख्या में डाक्टरों और नर्सों को भी उक्त केन्द्र में प्रशिक्षण देना चाहिये।

अणुशक्ति का विकास कृषि उत्पादन बढ़ाने में भी सहायता कर सकता है। हमें इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है वस्तुतः अभी हम विवाद की प्रारम्भिक अवस्था में ही हैं तथापि इस केन्द्र के सर्वेक्षण विभाग तथा खान सम्बन्धी विभाग को पृथक् कर देना चाहिये।

जहां तक इस केन्द्र की स्थिति का प्रश्न है निसंदेह आगामी दो चार वर्षों में हमारे समक्ष यह समस्या उठ खड़ी होगी, क्योंकि केन्द्र का तेजी से विकास होने जा रहा है। इस लिये हमें इस प्रश्न को सुरक्षा तथा रेडियम धर्मी पदार्थों इत्यादि को उचित तरीके से नष्ट करने की दृष्टि से देखना है तथा इस के लिये उचित व्यवस्था करनी है।

जब से हमारे देश में चिकित्सा सम्बन्धी जटिल औजारों व उपकरणों का निर्माण होने लगा है तब से कई अयोग्य तथा अनर्हत डाक्टर इत्यादि भी रोगियों पर इन मशीनों का प्रयोग करने लगे हैं। यह जनता के लिये हानिकर है क्योंकि अधिकांश डाक्टर लोग रेडियम धर्मिता' के खतरे की चिन्ता नहीं करते हैं। अतः सरकार को चाहिये कि वह यथाशीघ्र इस संबंध में एक विधान पारित करे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री खाडिलकर]

अब मैं अणुशक्ति का प्रश्न लेता हूं। निकट भविष्य में फ्यूजन से नियंत्रित शक्ति अविकसित देशों के विकास के लिये उपलब्ध हो जायेगी। तब मुझे विश्वास है कि हमारी दरिद्रता बीमारी तथा भोजन की कमी इत्यादि सभी समस्यायें बहुत शीघ्र हल हो जायेंगी और इस से विश्व के आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं अपितु राजनैतिक क्षेत्र में भी एक क्रांति पैदा हो जायेगी। निसंदेह जब पहिले पहल १९४२ में अणुशक्ति का आविष्कार हुआ था तो उस समय गैर-सरकारी क्षेत्रों ने इस के उपयोग के संबंध में यह शंका की थी कि इसके उपयोग से सारी टैक्नीकल प्रगति जिस पर इस समय गैर-सरकारी क्षेत्रों का प्रभुत्व है समाप्त हो जायेगी। तथापि दो विरोधी गुटों की प्रतिद्वंदिता से इस क्षेत्र को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचा और सर्व प्रथम अणु शक्ति संयंत्र की स्थापना रूस में हुई तत्पश्चात् अमेरिका और ब्रिटेन में इन संयंत्रों की स्थापना हुई। वास्तव में इस से नयी औद्योगिक क्रांति हो जायेगी और हम लोग औद्योगिक क्रान्ति के द्वार पर खड़े हैं। तथापि हमें विश्वास है कि श्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में यह विभाग तरक्की करेगा। पिछले अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हमारे वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण भाग लिया तथापि यह जान कर दुख हुआ है कि भारत में ऐसे सुयोग्य भारतीय टेक्नीकल जानकारों की कमी है कि जिन्हें छात्रवृति दी जा सके। यह स्थिति शोचनीय है। भारत को इस क्षेत्र में पश्चिमी देशों के स्तर पर आना ही नहीं अपितु उनसे भी आगे बढ़ना है। क्योंकि निर्माण के तरीके में एक बार परिवर्तन होने पर राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में भी परिवर्तन हो जायेगा। जिस से एक नये युग का सूत्रपात होगा।

अणु-शक्ति विभाग की मांगों के सम्बन्ध में, निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१००	४०१	श्री आसर	ट्राम्बे के मछुओं को अन्य स्थानों पर बसाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१००	४०२	श्री आसर	ट्राम्बे के भू-स्वामियों को प्रतिकर न दिया जाना	१०० रुपये
१००	४०३	श्री आसर	प्रतिरक्षा के क्षेत्र में अणु-गवेषणा के विस्तार की आवश्यकता	१०० रुपये
१००	४०४	श्री आसर	विदेशों में रहने वाले भारतीय, वैज्ञानिकों की सेवाओं के उपयोग की आवश्यकता	१०० रुपये
१००	४०५	श्री आसर	बम्बई और उसके उपनगरों के उद्योगों को अणुशक्ति के संभरण की आवश्यकता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१००	३८१	श्री प्र० के० देव	देश में विद्युत या अन्य शक्तियों के अभाव-ग्रस्त स्थानों पर अणु शक्ति केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१०१	३८२	श्री प्र० के० देव	प्रतिरक्षा के क्षेत्र में गवेषणा के विस्तार की आवश्यकता	१०० रुपये
१३९	४१०	श्री शि० ला० सक्सेना	देश की आवश्यकताओं के अनुसार एक बड़े पैमाने पर अणु-शक्ति गवेषणा तथा विकास पर जोर न देना ।	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये
१३९	४११	श्री शि० ला० सक्सेना	अणु-शक्ति गवेषणा तथा विकास के लिये कम से कम ५० करोड़ रुपये आवंटित न कर पाना	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : यह जरूरी है कि संसद्-सदस्य इस विभाग की कार्यावाहियों की जानकारी हासिल करें और जहां भी ठीक समझें, उनकी आलोचना भी करें । इसीलिये, मैं इस छोटी सी, थोड़े वक्त की, इस बहस को एक अच्छी चीज़ समझता हूं । लेकिन इसमें मुश्किल यह है कि इस विभाग की कार्यवाहियों को ठीक से समझने के लिये जरूरी है कि साइंस और टैक्निकल मामलों की काफी जानकारी पहले से हो । इसीलिये मुझे, और शायद अन्य संसद्-सदस्यों को भी, इस पर बोलने में कुछ कठिनाई महसूस होती है । मैं अणुशक्ति के संस्थानों में जब-तब जाता रहता हूं, कई बार गया हूं । उन लोगों ने मुझे कई चीजें समझाई हैं। उसकी वजह से मैं इन मामलों को कुछ-कुछ समझता हूं, लेकिन हां, बिल्कुल पूरी तौर से नहीं । मुझे एक मोटे तौर पर यह पता चल जाता है कि वहां का काम कैसे चल रहा है, ठीक से चल रहा है या नहीं । मैं साइंस और टैक्नोलोजी की जानकारी में बिल्कुल कोरा तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी हमें उसे समझने की कोशिश तो करनी ही पड़ती है । और, मैं इसीलिये जब-तब डा० भाभा को यहां संसद्-सदस्यों के सामने बोलने के लिये बुलाता हूं । वह भी उसे मान लेते हैं और यहां चले आते हैं । उम्मीद है कि यह सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा । । ऐसी बहसों की अपेक्षा उन बैठकों से हमारी जानकारी कहीं ज्यादा बढ़ती है ।

अभी-अभी एक माननीय सदस्य ने उत्पादन, वगैरह के नये ढंगों की बात कही थी । उनका कहना ठीक है, और अगर हमेशा नहीं तो अकसर ठीक ही होता है । लेकिन यहां सवाल यह है कि साइंस और टैक्नोलोजी के मामलों में कभी भी कोई चीज़ अपने-आप जादू के जोर से नहीं हो जाती । मतलब

† मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

यह कि किसी भी नई चीज़ के पैदा होने के लिये जरूरी है कि उसकी पृष्ठभूमि पहले से मौजूद होनी चाहिये। उद्योगों की बढ़ती होने के लिये जरूरी होता है कि पहले से उद्योगों की पृष्ठभूमि मौजूद हो। एक फैक्टरी खड़ी करके, उसे तो उद्योग नहीं कहा जा सकता। उद्योगों की बढ़ती के लिये जरूरी है कि मुल्क में कुछ ऐसे लोग हों जो उनकी टैकनीक से वाकिफ हों। संसद् से बाहर के कुछ लोग उद्योगों की बढ़ती के बारे में बड़े अजीब अजीब ढंग से सोचा करते हैं। कुछ लोग तो वाकई यही समझते हैं कि कुछ रुपया खर्च कर देने से और कुछ लोगों को काम पर रख लेने से ही कोई उद्योग खड़ा हो जाता है। उद्योग तो धीरे-धीरे आगे बढ़ता है और लोगों के साथ-साथ उसकी टैकनीक, उसके वैज्ञानिक तरीके सीखने पड़ते हैं। उसमें वक्त तो लगता ही है, हां उसमें कुछ जल्दी की जा सकती है। साइंस की बढ़ती किसी एक बड़े ऊंचे दर्जे के किसी लायक आदमी के काम का ही नतीजा नहीं होती। ठीक है गणित का कोई बहुत बड़ा पंडित एक बहुत बढ़िया फारमूला पेश कर सकता है। लेकिन उद्योग की बढ़ती तो तभी होगी जब उसके लिये एक काफी पुख्ता बुनियाद मौजूद हो। देश में राष्ट्रीय प्रयोगशालायें (लैबोरेटरीज़) वगैरह बना कर, हमने यही बुनियाद डालने की कोशिश की है। लेकिन उसकी असली बुनियाद तो युनिवर्सिटियां हैं, जो उन प्रयोगशालाओं में काम करने लायक लोग तैयार करें। लेकिन अभी युनिवर्सिटियों के उपकरण का मौजूदा दर्जा उतना ऊंचा नहीं उठ पाया है, जितना कि हम चाहते हैं, या हमें दरकार है। यह तो ठीक है कि युनिवर्सिटियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये, लेकिन साथ ही यह भी ख्याल रखना चाहिये कि अभी कुछ दिनों तक हमारी युनिवर्सिटियां उस दर्जे के लोग नहीं जुटा पायेंगी जो इन खास तरह के कामों, खास तौर से अणु-शक्ति से ताल्लुक रखने वाले कामों, को सम्भाल सकें। अभी हमारे पास ऐसे लोग हैं ही बहुत कम, और अगर उनको भी एक जगह न रखकर यहां-वहां भेज दिया जाये, तो कहीं भी ठीक से काम नहीं चल पायेगा, सभी जगह घटिया किस्म का काम होने लगेगा। तब सभी जगहों पर जो काम होगा वह कुछ लायक लोगों का काम तो लगेगा, लेकिन उस पर किसी बहुत ऊंचे दर्जे के दिमाग की छाप नहीं होगी। काम करने वालों की संख्या बढ़ जायेगी, लेकिन कुल मिला कर उसकी किस्म घटिया हो जायेगी। यदि आप अणु-बम या इसी प्रकार के अन्य मामलों में हुई प्रगति को देखें, तो आप पायेंगे कि उसके लिये बहुत सारे विशेषज्ञों को एक ही जगह रखा गया था और वे दिन-रात उसी के बारे में चर्चा, बहस और कई तरह के परीक्षण करते रहे हैं। अणु-बम बनाने के लिये इकट्ठे होने वाले लोग इतने ज्यादा थे कि एक तरह की बस्तियां सी बस गई थीं। विशेषज्ञों को यहां-वहां देश भर में बिखेर कर वह काम नहीं किया जा सकता। मैं यह सब इसलिये कह रहा हूं कि कई माननीय सदस्यों ने उनको यहां-वहां बिखेरने की बात कही है। वे शायद इस काम को पूरी तरह समझे नहीं हैं। वे सोचते हैं कि यह काम कुछ पुर्जे तैयार करने जैसा है कि अलग-अलग स्थानों पर पुर्जे तैयार कर लिये जायें और बाद में उन्हें जोड़ दिया जाय। लेकिन यह धारणा सही नहीं है गलत नजरिया है। इस ढंग से सोचने से आप एक साथ बैठ कर, मिल जुल कर किसी समस्या को सोचने-विचारने की आवश्यकता नहीं समझ पाते। वैसे अगर देखा जाये तो हमारे मुल्क में अणु-शक्ति का काम बिखरा हुआ ही है। उसका काम केरल में हो रहा है, और कुछ दूसरी फैक्टरियों में भी। कई नई फैक्टरियां खोली जा रही हैं, और खोली गई हैं। उसका काम तो बिखर ही जायेगा, और हम भी उसे सारे देश में बिखराना चाहते हैं। लेकिन हमें उसके सबसे जरूरी भाग को, उसकी बुनियाद को एक ही जगह केन्द्रित रखना पड़ेगा। और अगर देखा जाये तो दूसरे देशों में भी वह केन्द्रित ही है। ऐसे देशों में भी जहां साइंस की मुमकिनात हमारे देश से कहीं ज्यादा हैं, फ्रांस जैसे देश में भी उनको एक ही जगह रखा जाता है। हां, अमरीका और सोवियत संघ जैसे देशों में इसे कई स्थानों पर केन्द्रित रखा गया है, क्योंकि उनके पास ऐसे विशेषज्ञ लोग कहीं ज्यादा हैं। लेकिन यह काम ऐसा है कि इसे केन्द्रित ही रखना पड़ता है।

श्री भरूचा का कहना है कि इस काम के चिकित्सा से ताल्लुक रखने वाले हिस्से को एक जगह रखा जाये और शरीर विज्ञान से ताल्लुक रखने वाले हिस्से को किसी दूसरी जगह । मुझे तो यह बात बड़ी अजीब सी लगी है । साइन्स से ताल्लुक रखने वाले आम कामों को भी इस नजरिये से देखना गलत है, फिर अणु-शक्ति के काम के बारे में तो ऐसे नजरिये का नतीजा बहुत ही बुरा होगा । अगर अलग-अलग जगहों पर काम करने वाले विशेषज्ञ एक ही काम के उनसे ताल्लुक रखने वाले अलग-अलग पहलुओं के बारे में इस तरह अलग-अलग ढंग से सोचेंगे, एक साथ बैठ कर सोचेंगे ही नहीं, तो उन सबका एक नजरिया, काम करने का एक ढंग कैसे बनेगा । लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि किसी दूसरी जगह पर शरीर-विज्ञान से ताल्लुक रखने वाला काम होने ही न दिया जाये । उसके कई ऐसे भी पहलू हैं, जिनके बारे में अस्पतालों में भी काम हो सकता है । लेकिन जहां तक असली और बुनियादी काम का, नई-नई चीजों के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के काम का सवाल है, वह तो एक ही जगह पर, एक ही नजरिये और एक ही तरीके से किया जा सकता है, और तभी उसका कोई नतीजा निकलेगा ।

अणु-शक्ति के काम में हमने अभी तक जितने नतीजे निकाले हैं, जितनी कामयाबियां हासिल की हैं, उनको काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है । मैं बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहना चाहता । लेकिन सच तो यह है कि भारत में यह काम जितने बड़े पैमाने पर और जिस ऊंची किस्म का किया गया है वह दुनिया के छः-सात देशों को छोड़ कर और किसी भी देश में नहीं किया गया है । और वे छः-सात देश तो ऐसे हैं जो भारत से कहीं ज्यादा आगे बढ़े हुए हैं । फिर इस काम में किसी से होड़ लगाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता । ऐसा कह कर मैं कोई बड़ाई की बात नहीं कह रहा हूं । लेकिन सच यह है कि इतनी कामयाबी हमें इसीलिये मिली है कि हमारा प्रयत्न संकेन्द्रित रहा है, एक नजरिये से, एक साथ मिल कर किया गया है । अगर हम इसे शुरू से बिखेर देते, तो अलग-अलग लोग, अलग-अलग जगहों पर इसके अलग-अलग पहलुओं पर अक्लमन्दी की बड़ी-बड़ी बातें तो करते रहते, लेकिन पूरी चीज़ का मतलब कोई भी नहीं समझ पाता । अणु विखण्डन वगैरह के बारे में अलग-अलग लोग बातें तो करते, लेकिन उसका कोई नतीजा न निकलता । हमें इतनी कामयाबियां इसीलिये मिली हैं कि हमने पहले से ही सारे काम को केन्द्रित रखा है, उसे एक मजबूत बुनियाद पर खड़ा किया है ।

हमारे यहां 'अप्सरा' रीएक्टर, तैरने के तालाब के ढंग का 'रीएक्टर' मौजूद है, और 'जीरो एनर्जी रीएक्टर'—'जैर्लीना'—लगने वाला है । कनाडा-भारत रीएक्टर भी हमारे यहां है, जो सचमुच एक बहुत बड़ा 'रीएक्टर' है और जिससे हम बहुत बड़े पैमाने पर परीक्षण वगैरह कर सकेंगे । परीक्षणों और नयी-नयी बातों का पता लगाने का काम इन रीएक्टरों के जरिये ही किया जाता है ।

कुछ लोगों ने ऐसे भी कुछ सुझाव दिये कि युनिवर्सिटियों में छोटे-छोटे रीएक्टर लगाये जायें । अमरीका में ऐसा जरूर किया जा सकता है । उनके पास पैसा भी काफी है और जानकार लोग भी । लेकिन मेरा ख्याल है कि युनिवर्सिटियों में रीएक्टर लगाना ग़लत है । युनिवर्सिटियों को तो अपना सारा जोर इसी बात पर लगाना चाहिये कि वे नाभिकीय भौतिकी (न्युक्लियर फिज़िक्स) में ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित करें, सिखायें । बुनियादी काम वही है । और अगर वह बुनियादी काम हो जायेगा, तो वह 'रीएक्टर' लगाने और उसके लिये दो-चार जानकार लोगों को वहां रखने से कहीं ज्यादा फायदेमन्द साबित होगा और अणु-शक्ति के काम को उससे ज्यादा फायदा पहुंचेगा । युनिवर्सिटियों में 'रीएक्टर' रख देने से सिवा दिखावे के और कुछ हासिल नहीं होगा । हां, लेकिन यह बहुत जरूरी है कि नाभिकीय भौतिकी में लोगों को सचमुच बुनियादी और ठोस ट्रेनिंग देने के लिये युनिवर्सिटियों की मदद की जानी चाहिये । हर युनिवर्सिटी को यही करना चाहिये और उसके लिये जितनी भी ऊंची डिग्री हो सके अपने यहां रखनी चाहिये ।

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

अगर हमारे पास वैज्ञानिक हों,तो हम एक की जगह दो-तीन केन्द्र भी बना सकते हैं। लेकिन अभी, इस हालत में तो हम अपने संकेन्द्रित प्रयत्न में, कोई भी ढिलाई नहीं कर सकते । ट्राम्बे में ही हमारा सारा प्रयत्न संकेन्द्रित है, और वहां उस का प्रसार भी हो रहा है । मेरा ख्याल तो यह है कि ट्राम्बे जा कर चीज़ों को अपनी आंखों से देखे बिना उन सभी चीज़ों को समझना आसान नहीं है । मैं माननीय सदस्यों को दावत देता हूं कि वे वहां जब-तब जा कर उसे देख आयें ; और फिर एक-दो साल बाद जा कर देखें कि उस की कितनी तरक्की हुई है ।

सवाल सिर्फ़ इतना ही नहीं है कि ट्रोम्बे में बड़ी-बड़ी चीजें हैं, एक भारी 'रीएक्टर' है और बड़ी-बड़ी लेबोरेटरियां (प्रयोगशालायें) हैं । उस से भी बड़ी बात तो हमें यह देखनी चाहिये कि वहां कितने नये-नये लोगों को किस तरह से काम सिखाया जा रहा है । अब ट्रोम्बे नये लोगों को काम सिखाने का एक बड़ा केन्द्र बन गया है, भारत भर में सब से बड़ा केन्द्र बन गया है । इस वक्त वहां ९०० भारतीय वैज्ञानिक, टैकनीकल लोग काम कर रहे हैं । पिछले साल उन की संख्या ६०० थी । उन्हें बड़ी अच्छी तरह से, बारीकी के साथ, काम सिखाया जा रहा है । इन लोगों का चुनाव पूरे देश भर में से किया गया है । उन को चुनने की कसौटी भी काफी ऊंची है । काफी ऊंचे दर्जे की क़ाबलियत रखने वाले लोगों को ही लिया जाता है । एक माननीय सदस्य ने एक छात्रवृत्ति के बारे में कहा कि वह अधिक अनुभवी, सीनियर वैज्ञानिक को न दी जा कर एक जूनियर वैज्ञानिक को दी गई है । मुझे उस के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है । बहुत से अच्छे लोगों को और-और तरीकों से चुना गया है । उस छात्रवृत्ति के लिये जिन लोगों ने अर्जी दी थी, उन में उतने ऊंचे दर्जे की काबलियत नहीं थी जो कि मांगी गई थी । हम काबलियत का दर्जा नहीं गिरने देना चाहते । हम ने यह अच्छी तरह समझ लिया है ।

मैं कह सकता हूं कि ट्रोम्बे और दूसरी-दूसरी जगहों पर हमारे जो नये वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, उन का काम देख कर पूरा यकीन हो जाता है कि भारत में साइंस की बहुत ज्यादा तरक्की होगी । हमारे ये नये वैज्ञानिक नई-नई चीज़ें जानने-समझने के लिये उतावले रहते हैं, बड़ी बारीकी से सभी चीज़ों को देखते हैं और खुद भी काफी काबिल हैं । विदेशों से आने वाले सभी लोगों ने उन की तारीफ़ की है । वे विदेशों में भी जाते हैं, और उन में से जो सब से प्रतिभाशाली था, उस की मृत्यु पिछले साल पेरिस में हुई थी ।

इसलिये, अभी इस समय ट्रोम्बे में संकेन्द्रित ढंग से काम किया जा रहा है । इसलिय यह कहना बड़ा मुश्किल है कि किस ढंग से काम किया जाये या उस में क्या तब्दीली और की जाये कि वह कुछ और अच्छे ढंग से या कुछ और सस्ते में होने लगे । हम भी उसे समझने की कोशिश तो करते रहते हैं, लेकिन आखिरकार हमें विशेषज्ञों और टैकनीकल सलाहकारों की राय पर ही चलना पड़ता है ।

डा० भाभा और हमारे दूसरे अनुभवी वैज्ञानिकों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है कि उन्हें प्रशासकीय कामों में नहीं लगाना चाहिये । बात काफी हद तक ठीक है । हम भी यही सोचते थे । लेकिन उन लोगों को प्रशासकीय कामों से बिलकुल अलग रखना भी नामुमकिन सा हो रहा है, क्योंकि दोनों चीज़ें आपस में गुथी हुई हैं, एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं । फिर भी उन का बोझ हलका करने के लिये काफी कुछ किया गया है । हमारे एक बहुत ही अनुभवी अधिकारी को अणु-शक्ति आयोग का वित्तीय और प्रशासकीय काम सौंपा गया है और वह बड़ी काबलियत के साथ उसे चला भी रहे हैं ।

हमारा नया 'रीएक्टर'—जैर्लीना—विद्युत पैदा करने वाले 'रीएक्टर' की प्रणाली को समझने और उस का नमूना तैयार करने में बड़ी मदद देगा । 'केनाडा-भारत रीएक्टर' के आने और

उस का काम शुरू होने पर, भारत के पास संसार का एक सब से बड़ा आइसोटोप तैयार करने वाला 'रीएक्टर' हो जायेगा। इन सभी रीएक्टरों का उपयोग नाभिकीय भौतिकी, बायोफ़िज़िक्स (जीव-भौतिक शास्त्र), औषध, कृषि, रसायन शास्त्र और बायो-केमिस्ट्री (जीव-रासायनिक) के बारे में छानबीन करने और लोगों को उस का काम सिखाने में किया जाता है। अगर इन सभी कामों को एक ही बड़े काम के अलग-अलग पहलुओं से ताल्लुक रखने वाले कामों को, अलग-अलग जगहों पर ले जाया जाये, तो फिर आप को ऐसे आदमी ही नहीं मिलेंगे जो उस बुनियादी और बड़े काम को, उस के सभी पहलुओं को ठीक से समझ सकें। वे आइसोटोप के प्रयोग के बारे में उसी तरह समझ सकते हैं जैसे एक डाक्टर समझ सकता हो कि उस का किसी केस में इस्तैमाल कैसे किया जाये। लेकिन उसे साइंस की एक बड़ी शाखा का काम सीखना तो नहीं कहा जा सकता।

हम ने पिछले साल कुछ रसायन शास्त्रियों को रेडियो किरणों से प्रभावित पदार्थों से ताल्लुक रखने वाले काम सिखाने के लिये रेडियो-केमिस्ट्री शुरू की थी। अगर हम कहें तो पूना की केमिकल लेबोरेटरी भी यह काम कर सकती है। लेकिन सवाल यह है कि पूना की लेबोरेटरी के पास उसे ठीक से करने के लिये न तो यंत्र और आले वगैरह ही हैं और न इस साइंस की पूरी-पूरी जानकारी ही है।

इसी तरह थोरियम का भी एक कारखाना है। सभा को मालूम है कि भारत में थोरियम काफी मिलता है और अणु की साइंस के काम लायक थोरियम तैयार करने के लिये एक कारखाना भी चल रहा है। वह उस क़िस्म का थोरियम तैयार भी कर रहा है।

श्री भरूचा ने ख़ास तौर से इलैक्ट्रोनिक्स के बारे में सवाल उठाया था कि उन को भी अणु-शक्ति संस्थान में ही क्यों शामिल रखा गया है। यह सही है कि इलैक्ट्रोनिक्स के कारखाने और जगहों पर भी हैं और शायद वे इस काम को कर भी सकते थे। लेकिन अगर हम इस बात का रास्ता देखते कि आम तौर पर सभी इलैक्ट्रोनिक्स के लिये एक संस्था या फक्टरी खड़ी की जाये और वही सभी इलैक्ट्रोनिक्स तैयार करे, तो उस से आम तौर पर तो हमारी जरूरतें पूरी हो जातीं, लेकिन यहां इस संस्थान में तो एक ख़ास तरह के इलैक्ट्रोनिक्स की जरूरत थी। इस फैक्टरी या संस्था के खड़े होने में काफ़ी वक्त लग जाता और तब तक इस संस्थान में भी सारा काम रुका रहता। उस पर ख़र्च भी ज्यादा पड़ता। इसीलिये अणुशक्ति संस्थान अब अपनी जरूरत के इलैक्ट्रोनिक्स तैयार करने के काम में ही लगा है। उन इलैक्ट्रोनिक्स को बाहर से मंगाने में काफी खर्च हो जाता। लेकिन सिर्फ बचत का ही सवाल नहीं है। सवाल इस बात का भी तो है कि इस से हमें अपने पैरों पर खड़े होने में मदद मिल रही है। यह संस्थान अपनी ज़रूरत के करीब-करीब सभी हिस्से और पुर्ज़े तैयार कर लेता है। मुझे तो यहां तक बताया गया है कि अगले दो साल में वह संस्थान इलैक्ट्रोनिक्स की सारे देश की जरूरतें पूरी कर सकता है, हर चीज़ बना सकता है। इस का यह मतलब भी नहीं है कि संस्थान को हर छोटी-बड़ी चीज़ तैयार करनी ही चाहिये। मैं तो आपको यह बता रहा हूं कि एक ही जगह संकेन्द्रित ढंग से कोशिश करने से, एक ही जगह सारा जोर लगा कर काम करने से, संस्थान ने तरक्की की है। और, अब हम चाहें तो देश में दो-तीन जगहों पर इलैक्ट्रोनिक्स के दूसरे कारखाने भी खड़े कर सकते हैं। किया भी यही जाना चाहिये, क्योंकि देश की उन्नति के लिये इलैक्ट्रोनिक्स की काफ़ी जरूरत पड़ेगी।

ट्रोम्बे की दूसरी बड़ी चीज़ यह है कि वहां लोगों को काम सिखाया जाता है। वहां सिर्फ़ काम सीखे हुए लोग ही नहीं रखे जाते, लेकिन विज्ञान-सम्बन्धी और टेकनीकल काम जानने वाले लोगों की कमी न पड़ने देने के ख्याल से, वहां २५० नये ग्रेजुएटों और इंजीनियरों को हर साल युनिवर्सिटियों में से भर्ती किया जाता है और उन्हें एक साल तक ट्रेनिंग दी जाती है; उन्हें भारत में होने वाले अणु-शक्ति कार्यक्रम में काम करने लायक बनाया जाता है। एक साल बाद, वहां ३५० लोगों को

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

काम सिखाया जाने लगेगा । इतना ही नहीं, इन लोगों को आगे का काम सीखने के लिये विदेशों में भी भेजने की बात सोची जा रही है । इस तरह, अब ट्रोम्बे का संस्थान भारत में खोज-बीन और लोगों को काम सिखाने का एक बड़ा महत्वपूर्ण केन्द्र बन गया है ।

श्री नौशीर भरूचा ने इस बात पर शक जाहिर किया है कि बिजलीघर १९६२ तक पूरा बन सकेगा । उन का शक बिलकुल ठीक है । १९६२ तो गलती से छप गया है । असल में वह १९६४ है ।

श्री भरूचा ने ऑडिट के बारे में, अणु-शक्ति विभाग के हिसाब की जांच के बारे में भी कुछ कहा था । इस मामले में, यह विभाग पूरी तौर-से "काम्प्ट्रोलर एण्ड ऑडिटर-जनरल" (नियंत्रक महालेखा परीक्षक) की देख-रेख में रहता है । वही इस के हिसाब की जांच-पड़ताल कराते हैं । वह अलग से नहीं की जाती ।

श्री भरूचा ने इस बिजलीघर की लागत का भी जिक्र किया था और इंगलैण्ड के ऐसे ही कुछ आंकड़ों से उस का मुकाबिला किया था । यह आंकड़े तो अभी अनुमानित हैं, और इंगलैण्ड के आंकड़ों जितने ही हैं और हम ने सिर्फ एक अन्दाज लगाने के लिये ही उन आंकड़ों को ले लिया था । जब बिजलीघर बनने लगेगा, तो फिर से हिसाब लगाना पड़ेगा । इन आंकड़ों और इंगलैण्ड के आंकड़ों में बहुत थोड़ा फर्क है ।

†**श्री नौशीर भरूचा** : हमारे आंकड़े उन से ७५ प्रतिशत अधिक हैं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे पता नहीं । आजकल अमरीका और इंगलैण्ड में ऐसी बड़ी फ़र्में हैं, जो बिजलीघर बनाने के लिये अपने इश्तिहार अखबारों में छपाती हैं ।

श्री भरूचा का ख्याल है कि गुलमर्ग में लेबोरेटरी बनाना जरूरी नहीं है । मैं इस चीज़ का विशेषज्ञ तो नहीं हूं, पर मैं उन के ख्याल से सहमत नहीं । सारे देश का दौरा करने और सभी दूसरी जगहों को देखने के बाद ही, विशेषज्ञों ने गुलमर्ग को चुना है ।

श्री वें० प० नायर की शिकायत है कि रिपोर्ट काफी देर से दी गई है । मुझे उस का अफसोस है । अब हम उसे जल्दी तैयार करने की कोशिश करेंगे ।

श्री नायर ने क्विलोन तक छैः मील लम्बी रेलवे लाइन का भी कुछ जिक्र किया था । हम उस की जांच करायेंगे । लेकिन अब भी मेरा ख्याल है कि शायद नहर के जरिये कोचीन तक चीजें भेजी जा सकती हैं । श्री नायर का कहना है कि वैसा करने से वहां के बहुत से मछुओं की रोजी मारी जायेगी ।

†**श्री वें० प० नायर** : रेलवे लाइन से हजारों लोगों को काम मिल जायेगा ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : छैः मील लम्बी लाइन से हजारों को काम नहीं मिलेगा । फिर भी, मैं इस की जांच कराऊंगा ।

मानवालाकुरिची के इल्मेनाइट के बारे म मुझे यह बताया गया है कि वह चावारा के इल्मेनाइट से घटिया होता है, इसीलिये उस की खपत नहीं होती ।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री वें० प० नायर** : गत वर्ष, प्रधान मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि चावारा के मुकाबले मानवालाकुरिची की रेत में इल्मेनाइट की मात्रा ज्यादा होती है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं तो उस वक्त भी, और अभी भी, लोगों द्वारा जुटाई हुई जानकारी ही बता रहा हूं । मुझे यही बताया गया है । मुझे तो इस की कोई खास जानकारी है नहीं ।

एक माननीय सदस्य ने ट्रोम्बे में रेडियो धर्मिता के प्रभाव के खतरों का जिक्र किया था । बात ठीक है । लेकिन यह भी सही है कि ट्रोम्बे में इस की बड़ी सावधानी रखी जाती है । आप खुद वहां जा कर देख सकते हैं । दूसरी जगहों पर जहां इतना ज्यादा खतरा नहीं है, कोई सावधानी नहीं रखी जाती । इसलिये वहां रेडियो धर्मिता का कुछ थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ सकता है । लेकिन ट्रोम्बे में इस पर लगातार नजर रखी जाती है ।

कुछ मछुओं को हर्जाना न देने की बात भी कही गई थी । मैं ने तो कोई भी ऐसी बात नहीं सुनी कि किसी मछुए को ट्रोम्बे से हटाया गया हो । फिर हर्जाना देने का सवाल ही नहीं उठता ।

अन्त में, मेरा यही अनुरोध है कि इन अनुदानों की मांगों की मंजूरी दी जाये । ये सभी मांगें एक ऐसे और इतने अच्छे काम के लिये हैं, जिन की वजह से विदेशों में भारत का नाम ऊंचा हो रहा है और जो आगे आने वाले जमाने के लिये काफी मुमकिनात पेश करता है ।

†**श्री खाडिलकर** : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । संविधान के अन्तर्गत खनन अधिकार केन्द्रीय सरकार को मिला हुआ है । लेकिन फिर 'त्रावनकोर मिनरल्स (प्राइवेट) लिमिटेड' केरल राज्य सरकार को २५,५७,००० रुपये रॉयल्टी के रूप में क्यों अदा करता है ? हमें रेत खरीदने के अलावा, राज्य सरकार को रॉयल्टी क्यों देनी पड़ती है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं नहीं समझ सका ; क्या केन्द्रीय सरकार की ओर से राज्य सरकार को रुपया दिया जाता है ?

†**श्री खाडिलकर** : जी, हां । रेत की खरीद के लिये हम लगभग २३ लाख रुपये से कुछ अधिक अदा करते हैं । वह तो ठीक है, लेकिन इतनी अधिक रॉयल्टी देने की बात मेरी समझ में नहीं आई ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : रॉयल्टी कम्पनी की ओर से अदा की जाती है । यह दूसरी बात है कि कम्पनी सरकारी है लेकिन देती कम्पनी ही है ।

चावारा और मानवालाकुरिची के बारे में यह चीज़ है कि मानवालाकुरिची के मोनाज़ाइट की क़िस्म चावारा की क़िस्म से अच्छी रहती है, लेकिन वहां का इल्मेनाइट चावारा से घटिया क़िस्म का होता है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे जायें ?

†**कुछ माननीय सदस्य** : जी नहीं ।

कटौती प्रस्ताव, सभा की अनुमति से, वापिस लिये गये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं अनुदानों की मांगों को मतदान के लिये रखता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अणुशक्ति विभाग की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		(रुपये)
१००	अणुशक्ति विभाग . . .	१२,१४,०००
१०१	अणुशक्ति गवेषणा	४,०३,९७,०००
१३९	अणुशक्ति विभाग का पूंजी व्यय .	५,०१,४२,०००

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या १६, १७, १८, १९, २० और १११ पर चर्चा होगी । जो माननीय सदस्य इन पर कटौती प्रस्ताव रखना चाहते हों वे उन की सूचना १५ मिनट के अन्दर सभा-पटल पर दे दें ।

वर्ष १९५९–६० के लिये वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		(रुपये)
१६	आदिम जाति क्षेत्र . .	७,९८,३२,०००
१७	नागा पहाड़ियां—त्वेनसांग क्षेत्र .	३,१५,६४,०००
१८	वैदेशिक-कार्य	८,९४,८१,०००
१९	पांडीचरी राज्य	२,५२,१३,०००
२०	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय . .	४,२९,०००
१११	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय . . .	६२,६३,०००

†मूल अंग्रेजी में

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं इन मांगों के सम्बन्ध में केवल एक दो बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहली बात यह है कि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय कुछ ऐसे क्षेत्रों का कार्य करता है जिन का वैदेशिक कार्यों से कोई सम्बन्ध नहीं है और जिन में काफी रुपया खर्च होता है। एक मांग आदिम जाति क्षेत्रों के लिये है, दूसरी नागा पहाड़ियां-त्वेनसांग क्षेत्र के लिये है, तीसरी पांडीचरी राज्य के लिये है आदि-आदि। ये सब सामान्यतः आन्तरिक मामले हैं, परन्तु किसी प्रकार वे वैदेशिक-कार्य में आ गये हैं और उन से वैदेशिक कार्यों की मांगों की राशि बढ़ जाती है।

कुछ मदें तो ऐसी हैं जिन का व्यय प्रायः निश्चित है जैसे संयुक्त राष्ट्रसंघ को हमारा अंशदान —जो काफ़ी बड़ी राशि है—और इजराइल तथा मिस्री सीमान्त के बीच राष्ट्रसंघीय आपात सैन्य दल (यूनाइटेड नेशन्स इमरजेन्सी फ़ोर्स) के लिये हमारा अंशदान।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यदि हम इन निश्चित अंशदानों और भूटान व सिक्किम को दी जाने वाली राज-सहायता को और वैदेशिक सेवा से भिन्न मामलों को निकाल दें तो बहुत छोटी सी राशि रह जायगी, राजदूतीय, और राजनयिक कार्य की राशि बहुत कम हो जायेगी। अगले वर्ष के बजट प्राक्कलनों में जो राशियां रखी गई हैं वे पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक हैं। उदाहरण के लिये आदिम जाति क्षेत्रों के लिये वह ८,००,००,००० रुपये से बढ़ कर ८,७०,००,००० रुपये हो गई है। नागा पाहाड़ियों के सम्बन्ध में जो राशि है वह बढ़ने के बजाय कम हुई है। बजट प्राक्कलन ३,६४,००,००० रुपये का था और पुनरीक्षित प्राक्कलन ३,१२,००,००० रूपये का है। वर्तमान बजट प्राक्कलन ३,५५,००,००० रुपये है। फिर, वैदेशिक-कार्य का गत वर्ष का बजट प्राक्कलन ८,७८,००,००० रुपये है परन्तु इस वर्ष यह ९,७६,००,००० रुपये हो गया है। पांडीचेरी का प्राक्कलन पहले से कुछ कम है। गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष के बजट में १,६२,००,००० रुपये की वृद्धि है। आदिम जाति क्षेत्रों के आर्थिक विकास पर ४२ लाख रुपये का अधिक व्यय है। नागा पहाड़ियां-त्वेनसांग क्षेत्रों में गांव के रक्षकों की संख्या में वृद्धि और एयर डेस्पेच प्लाटून के कर्मचारियों के रहने के स्थान के उपबन्ध के कारण २० लाख रुपये का अधिक व्यय होगा। राष्ट्रसंघ आपात दल (यू० एन० ई० एफ़०) के लिये भारत के अंश के भुगतान के कारण राष्ट्रसंघ को दी जाने वाली राशि में ७४ लाख रुपये की वृद्धि हुई है। विदेशों में प्राप्त वेतनों से आयकर की वसूली करने के निर्णय और उस कटौती को अधिकारियों को अतिरिक्त विदेशी भत्ता दे कर पूरा करने के कारण ४ लाख रुपये की वृद्धि हुई है। एक नया नियम बनाया गया है कि विदेशों में जो अधिकारी अपने वेतनों पर आयकर से मुक्त हैं उन्हें भविष्य में वह आयकर देना होगा, परन्तु साथ ही हम उन के कुल वेतन की राशि भी कम नहीं करना चाहते थे। इसलिये हम ने यह निर्णय किया वे आयकर देंगे परन्तु हम भी उन्हें वह रुपया विदेशी भत्ते के रूप में दे देंगे। वह ४ लाख रुपये के लगभग होता है। फिर भूटान तथा सिक्किम की राज-सहायता की राशियों में विकास व्यय के लिये ११ लाख रुपये की वृद्धि हुई है और विकास कार्यों (विमान बल कर्मचारियों को प्रशिक्षण की लागत के रूप में प्रतिरक्षा प्राक्कलनों में बकाया का भुगतान) में ११ लाख रुपये की वृद्धि हुई है। मैं इन चीजों की ओर ही ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

इस तरह से हमारे व्यय की बहुत सी राशि खर्च की निश्चित मदों में चली जाती है और वास्तविक वैदेशिक सेवा कार्य पर जो व्यय होता है वह अन्य देशों की तुलना में आधिक नहीं कहा जा सकता। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि हम सब कार्य अत्यधिक मितव्ययता से करते

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

हैं। बचत या कमी करने की सम्भावनां सदा बनी रहती है और उसकी कार्यवाही जारी है। परन्तु मैं समझता हूं कि विदेशी क्षेत्र में हमने बहुत कुछ कार्य किया है। और लोग उसको मानते भी हैं; हमारा व्यय अन्य अधिकांश देशों की अपेक्षा बहुत कम ही है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की मांगों पर विचार करते हुए हमारा ध्यान अमेरिका और पाकिस्तान के बीच हुए सैनिक समझौते पर जाता है। सारा देश इसके संबंध में चिंतित है परन्तु सरकार का रवैया अत्यन्त खेदजनक है। वह अमेरिका की अतिक्रमणात्मक नीति का विरोध न करके उसको यह कहकर छिपाना चाहती है कि अमेरिका का भारत के प्रति व्यवहार अमैत्रीपूर्ण नहीं है।

परन्तु प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यदि पाकिस्तान को अमेरिका का समर्थन प्राप्त नहीं है तो वह अकेले भारत को ललकारने का साहस कैसे कर सकता है? स्पष्ट है कि अमेरिका ऊपर से कुछ भी कहे परन्तु वास्तविकता यह है कि वह पाकिस्तान की पूरी परह सहायता कर रहा है। पास्कितान की सैनिक तानाशाही को अमेरिका का समर्थन प्राप्त जैसा कि युनाइटेड प्रेस आफ अमेरिका के १० नवम्बर के इस संवाद से स्पष्ट है :"अमेरिका विदेश विभाग के अधिकारियों ने बताया थाईलैंड, पाकिस्तान और बर्मा में सैनिक शासनों की स्थापना के प्रति अमेरिका चिंतित नहीं है।" एक ओर अमेरिका प्रजातंत्र का पोषक होने का दावा करता है और दूसरी ओर इस प्रकार के वक्तव्य दिए जाते हैं।

भारत सरकार ने सामान्यत: सैनिक समझौतों का विरोध किया है और समस्त भारतीय जनता ने भारत सरकार की विदेशी नीति का समर्थन किया है। परन्तु कुछ समय से इस संबंध में हतोत्साह दिखाई पड़ रहा है। हमारी सरकार अमेरिकी डालर प्राप्त करने के लिए उसकी अतिक्रमणात्मक नीतियों पर परदा डाल रही है।

उदाहरण के लिए जब सोवियत रूस ने पाकिस्तान में अमेरिकी सैनिक अड्डे की स्थापना के विरूद्ध आवाज उठाई थी तो लोक-सभा में यह प्रश्न उठाया गया था। परन्तु हमारी सरकार ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। इसके विपरीत हमारी विदेश उपमंत्री ऐसे वक्तव्य जारी करती हैं कि हमें पूर्ण विश्वास है कि अमेरिका की ओर से सशस्त्रों की सहायता में वृद्धि नहीं हो रही है। इस प्रकार के वक्तव्यों को लेकर बद्धहित व्यक्ति अपना प्रयोजन हल करते हैं। जब श्री बंकर से यह पूछा गया कि पाकिस्तान, टर्की तथा ईरान के साथ सुरक्षा करारों के पश्चात् क्या अमेरिका के भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रह सकते हैं तो उन्होंने हमारे विदेश मंत्री के उपर्युक्त वक्तव्य को दुहरा दिया। इसका अर्थ यह लगाया गया कि आगे भी यदि इस प्रकार के सैनिक समझौते किए जायेंगे तो हमारी सरकार उन्हें भी मान्यता प्रदान करेगी।

जब लोक-सभा में पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हुए पारस्परिक सैनिक समझौते के संबंध में प्रश्न किए जाते हैं तो विचित्र उत्तर दिए जाते हैं। ३ दिसम्बर को तारांकित प्रश्न संख्या ५४६ के उत्तर में यह कहा गया कि अमेरिकी अधिकारियों ने भारत सरकार को आश्वासन दिया है कि पाकिस्तान की सरकार के साथ जो चर्चा हो रही है उसमें किसी नए सैनिक समझौते की कल्पना नहीं है। फिर १८ फरवरी को जब बगदाद संधि के देशों के बीच पारस्परिक प्रतिरक्षा व्यवस्था की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया और यह पूछा गया कि सरकार क्या कदम उठाने का विचार कर रही है तो यह उत्तर दिया गया कि अभी तक इस प्रकार के समझौते वास्तव

†मूल अंग्रेजी में

में हुए नहीं हैं और चूंकि भारत सरकार का दृष्टिकोण भली प्रकार ज्ञात है इसलिए कोई कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है । मेरे विचार से इस प्रकार के उत्तर हमारी सरकार की निष्क्रियता की नीति के घोतक हैं । इस प्रकार के समझौते से शांति को खतरा उत्पन्न हो गया है पर हमारी सरकार कोई कदम नहीं उठाना चाहती ।

हम युद्ध की भावना तो नहीं फैलाना चाहते परन्तु इतना अवश्य चाहते हैं कि हमारी जनता खतरों के प्रति असावधान न रहे ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

हम पाकिस्तान के साथ मैत्री चाहते हैं और इसीलिए उसके साथ सामान्य संबंधों की स्थापना के लिए हम अपने प्रधान मंत्री के प्रयत्नों का समर्थन करते हैं । परन्तु जहां कहीं हम अपने अधिकारों का हनन समझते हैं वहां हम स्पष्ट बता देते हैं । इसीलिए हमने बेरूबारी के ऊपर पाकिस्तान के आधिपत्य का विरोध किया था और प्रधान मंत्री से अनुरोध किया कि वह अपने पूर्व निर्णय को बदलें।

प्रधान मंत्री ने सीमांत आक्रमणों में अमेरिकी शास्त्रास्त्रों के प्रयोग के संबंध में जो चक्करदार बातें कहीं उनसे हमें बहुत आश्चर्य हुआ । जो बात स्पष्ट है उसको इस तरह से टालने का प्रयत्न क्यों किया जाता है ? जब पाकिस्तान और अमेरिका सैनिक समझौते द्वारा आबद्ध हैं तो यह कहना कि पाकिस्तान ने ये शस्त्रास्त्र बाजार से खरीद होंगे बड़ा विचित्र सा लगता हैं । शायद हमारा मुह इसलिए बन्द किया जा रहा है कि इस सप्ताह हमें अमेरिका से अधिक सहायता मिलने वाली है ।

इस बात पर बहुत बल दिया जा रहा है कि यह समझौता साम्यावादी अतिक्रमण के विरुद्ध किया गया है । परन्तु इस समझौते के अनुच्छेद ५ में कहा गया है कि वर्तमान करार के उपबन्धों से अन्य अंतर्राष्ट्रीय करारों में दोनों सरकारों के सहयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । ये करार कौन से हैं ? इसके लिए हमें दक्षिण-पूर्व-एशिया संधि संगठन पर दृष्टिपात करना होगा । संधि के अनुच्छेद ४ में कहा गया है कि यदि संधि क्षेत्र के किसी पक्ष की राजनैतिक स्वतंत्रता को खतरा उत्पन्न हो जाए तो समस्त पक्ष तुरन्त परामर्श करेंगे और सामान्य प्रतिरक्षा के लिए की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में निश्चय करेंगे । क्या इससे यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि इसकी आड़ में काश्मीर अथवा पाकिस्तान को लेकर कभी भी युद्ध की तैयारी की जा सकती है ?

इसके अतिरिक्त एक बात और भी है । आइजनहोवर सिद्धान्त में तो यह कहा गया है कि अमेरिका अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद के विरुद्ध शस्त्रास्त्रों का प्रयोग करेगा परन्तु इस संधि में इस बात का उल्लेख नहीं है । संधि में यह कहा गया है कि शास्त्रास्त्रों का प्रयोग अमेरिका के करार संबंधी दायित्वों के अनुसार किया जाएगा और ये करार है 'सीटो' और 'बगदाद' संधि । परन्तु हमारे सामने जो भी कागजात प्रस्तुत किए गए हैं उनमें इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है । उसमें केवल साम्यवादी अतिक्रमण की बात दुहराई जाती है ।

प्रधान मंत्री सेना की बात करते हैं । परन्तु इस आणुविक युग में सेना का उतना महत्व नहीं है जितना शस्त्रास्त्रों का है । क्या हमने एक बार भी अमेरिका से यह कहा है कि भारत पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र दिया जाना एक अमैत्रीपूर्ण कार्य समझेगा ?

जहां तक साम्यवादी अतिक्रमण की बात है वह निरर्थक है क्योंकि लेबनान तो साम्यवादी देश नहीं है कि फिर वहां अमेरिकी सेनाओं क्यों भेजी गईं । मेरा विचार है कि जब एक बार

[श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती]

ऐसा किया जा सकता है तो भविष्य में वैसा न किए जाने का कैसे भरोसा किया जा सकता है । इस लिए यह अच्छा है कि ये बड़ी शक्तियां हमें अकेला छोड़ दें और ये सैनिक संधियां रद्द कर दी जायें । यदि ऐसा हो जाए तो हम आपस में समझौता करने में सफल होंगे ।

फिर मैं इंडोचीन के संबंध में कुछ कहना चाहती हूं क्योंकि हमारे राष्ट्रपति वहां गए हैं। जिनेवा करार के अनुसार वहां एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी जिसका मुखिया भारत था। आयोग को पैथेट लाओस का लाओस में विलय के लिए कार्य करना था। निर्देश पदों के अनुसार आयोग को सीमान्त घटनाओं की रोकथाम के लिए वहां अतिरिक्त शस्त्रास्त्र और सैनिकों को जाने देने से रोकना था। पैथेट लाओस का लाओस के साथ विलय तो हो गया परन्तु सीमान्तों का उल्लंघन जारी रहा। बाद में लाओस ने पूर्ण स्वतंत्रता घोषित कर दी। जनवरी में आयोग की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई। अभी तक आयोग की बैठक पुनः नहीं बुलाई गई है। भारत को इसका प्रयत्न करना चाहिए ताकि दक्षिण-पूर्व-एशिया में शांति बनी रह सके।

इस प्रश्न के संबंध में यह बात भी उल्लेखनीय है कि कुछ समय से इस प्रकार की खबरें उड़ाई जा रही हैं कि तिब्बत में चीनी सरकार के विरुद्ध एक बड़े पैमाने पर विद्रोह हो रहा है। इस प्रकार की खबरें उड़ाने वालों ने भारत को ही अपना आधार बनाया है। ऐसे ही एक सज्जन श्री पेटरसन हैं जो अपने चीन विरोधी विचारों के लिए सुविख्यात हैं। उन्होंने तिब्बत के संबंध में बहुत से भ्रमक संदेश 'डेली टेलीग्राफ' को भेजे। जब प्रधान मंत्री से तिब्बत के संबंध में प्रश्न पूछे गए तो उन्होंने इस प्रकार की अफवाहों को सर्वथा गलत बताया।

इतना ही नहीं श्री पेटरसन ने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि "मैं इस बात का प्रमाण दे सकता हूं कि तिब्बत की स्थिति के संबंध में मुझ से भारतीय अधिकारियों ने परामर्श किया है।" यह एक गंभीर विषय है। हमारे अधिकारियों को इस प्रकार के व्यक्तियों के साथ सम्पर्क रखने की क्या आवश्यकता है जब कि हमारे प्रधान मंत्री ने स्वयं सरकार की नीति स्पष्ट कर दी है। वास्तव में श्री पेटरसन ने भारत और चीन के बीच मनमुटाव पैदा करने के उद्देश्य से वह पत्र लिखा था। भारत सरकार को इस संबंध में बहुत गंभीर दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था और पत्र में भारत पर जो आक्षेप लगाया गया है उसका प्रतिवाद करना चाहिए था।

इसके पश्चात दक्षिण अफ्रीका का प्रश्न आता है। माननीय प्रधान मंत्री ने स्वयं कहा है कि अफ्रीका में जाग्रति हो रही है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक समस्त महाद्वीप अपनी स्वतंत्रता के लिए युद्ध कर रहा है। भारत को संरक्षकता परिषद् में तो तथा अन्य राष्ट्र संघीय निकायों में अफ्रीका के इस युद्ध का समर्थन करना चाहिए। परन्तु खेद है कि कैमेरून्स के संबंध में हमारी सरकार ने इस प्रकार का दृष्टिकोण नहीं अपनाया।

कैमेरून्स की जनता अपने देश के तीनों भागों का एकीकरण तथा पूर्ण स्वतंत्रता चाहती थी। परन्तु कैमेरून्स के संबंध में निर्णय करने के लिए जो आयोग भेजा गया था और जिसका भारत भी एक सदस्य था उसने कैमेरून्स की जनता की यह मांग मंजूर नहीं की। आयोग ने कहा है कि फ्रांसीसी कैमेरून्स को १९६० में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और जहां तक ब्रिटिश कैमेरून्स का संबंध है उत्तरी भाग को नाइजीरिया में मिला दिया जाना चाहिए और दक्षिणी भाग में जनमतसंग्रह किया जाना चाहिए। इस प्रकार हमने कैमेरून्स की जनता की मांग का समर्थन नहीं किया। इस बात का अफ्रीकी जनता द्वारा गलत अर्थ लगाया जा सकता है।

इतना ही नहीं वरन् जब इस प्रश्न पर राष्ट्रसंघ में मतदान हुआ तो पहली बार एशियाई तथा अफ्रीकी राष्ट्रों में विभाजन रहा और कुछ राष्ट्रों ने भारत के पक्ष में मतदान नहीं किया । यह बहुत आवश्यक है कि एशियाई तथा अफ्रीकी राष्ट्रों में एकमत हो क्योंकि वे सभी साम्राज्यवादी राष्ट्रों के विरुद्ध लड़ रहे हैं ।

संरक्षता परिषद् में जो कुछ हुआ है उसके संबंध में मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूं । परन्तु समय न होने के कारण मैं यहां केवल एक ही उदाहरण दूंगी जिस से मालूम होगा कि हमारे प्रतिनिधि किस प्रकार की गैर जिम्मेदारपूर्ण बातें वहां कहते हैं । एक प्रतिनिधि ने बेल्जियन कांगो के सम्बन्ध में यह मत व्यक्त किया कि वहां बहुत प्रगति हो रही है जब कि हम सब जानते हैं कि वहां शोषण चल रहा है ।

जहां तक एल्जीरिया का प्रश्न है हमें यह बताया जाता है कि किसी देश को मान्यता देने के पूर्व कुछ बातों के संबंध में सन्तोष करना होता है जिनमें से एक बात यह भी है कि उसका एक निश्चित भू भाग हो । परन्तु मेरे विचार से युद्ध की स्थिति में इस प्रकार की सामान्य बातों पर विचार नहीं किया जाना चाहिये । इसके अतिरिक्त यदि हम सामान्य मानदण्ड को ही लेते हैं तो फिर पूर्वी जर्मनी को मान्यता क्यों नहीं दी जाती । इतना समय हो गया है परन्तु अभी तक उसे मान्यता देने का निर्णय नहीं किया गया है ।

अन्त में पांडीचेरी के प्रश्न पर भी विचार करना आवश्यक है । १५६४ में उसका वस्तुत: हस्तान्तरण हो गया था परन्तु वैधानिक हस्तान्तरण अभी तक नहीं किया गया है । फ्रांस में तब से अनेक सरकारें बन चुकी हैं परन्तु इस पर कोई निर्णय नहीं किया गया । जब प्रधान मंत्री से प्रश्न पूछते हैं तो वे उत्तर देते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते । इतना ही नहीं, पांडीचेरी को भारत में मिले इतना समय हो गया है परन्तु अभी भी वहां फ्रांसीसी शासन के कानून चल रहे हैं । उदाहरणार्थ वहां बिना आज्ञा के जुलूस या बैठक आदि पर मनाही है । मैं चाहती हूं कि ऐसे कानूनों को समाप्त किया जाए ताकि वहां की जनता को भारतीय जनता के समान नागरिक स्वतंत्रतायें मिल सकें ।

मैं आशा करती हूं कि इस समय भारत की जैसी स्थिति है उसको देखते हुए हमारे देश के समस्त दल सरकार का समर्थन करेंगे जैसा कि अभी तक करते आए हैं ताकि हम उन संकटों का सामना कर सकें जो हमारे चारों ओर छाए हुए हैं ।

†**श्री अशोक मेहता** (मुजफ्फरपुर) : हम लोग सदैव शान्तिपूर्ण नीति का अनुसरण करते आये हैं । पर जब हम शान्ति के गत वर्ष में किये गये उपायों की ओर देखते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारे प्रयत्नों की तीव्रता में कुछ कमी आ गयी है । मुझे विश्वास है कि संसार में इस समय जो अनेक घटनायें हो रही हैं उनके संबंध में हमारे प्रधान मंत्री काफी सावधान होंगे । मैं समझता हूं कि हमारी ओर से विश्व की समस्याओं को हल करने की दिशा में किये जाने वाले प्रयत्नों में जो कमी आ गयी है उसका कारण यही है कि शायद इस स्थिति में हम उन समस्याओं के समाधान में कोई लाभदायक सहायता नहीं दे सकेंगे ।

पाकिस्तान की ओर ध्यान देने पर हमें मालूम होता है कि यह वर्ष भी वैसा ही है जैसा गत वर्ष था अर्थात् पाकिस्तान सरकार की गतिविधियों के कारण हमारे संबंधों में कुछ कमी आ गई है और हमारे संबंध पहले से भी अधिक बिगड़ गये हैं । पाकिस्तान तथा अमरीका के बीच जो सैनिक

† मूल अंग्रेजी में

[श्री अशोक मेहता]

समझौता हुआ है उसके प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। हम सदा से ही ऐसे करारों का विरोध करते आये हैं। अनेक प्रकार के करार होते रहे हैं जिनसे देशों में परस्पर मतभेद पैदा हो रहे हैं। इन करारों के कारण स्थिति प्रायः गंभीर बनती गयी है। चूंकि पाकिस्तान भी इस प्रकार के करारों में भाग ले रहा है अतः यह हमारे लिए चिन्ता का विषय है। यह अच्छा है कि हम इस मामले में अग्रेतर स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। वैसे इस कारण के कारण स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

माननीय महिला सदस्य ने सीटो करार के कुछ अंश पढ़ कर सुनाये। अमरीका भी उसमें एक पक्ष है। पाकिस्तान के साथ हुये करार में अमरीका का दृष्टिकोण वही है जो सीटो करार में है अतः स्थिति में कुछ अन्तर नहीं पडता। यद्यपि यह ठीक है कि पाकिस्तान को कुछ सहायता दी जा रही है जिससे हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता पर, हम ऐसी नीति का अनुमोदन नहीं करते जिससे संसार में शान्ति को कोई खतरा हो। इस करार से हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और हमें अपनी पुरानी नीति पर ही चलना चाहिये ताकि संसार में शान्ति स्थापित करने के काम में सहायता मिले।

मध्य-पूर्व के देशों की बात लीजिए। पाकिस्तान ने अपने को मध्य-पूर्व का देश घोषित किया है यह एक आश्चर्य की बात है। पाकिस्तान तो दक्षिण एशिया का देश है। आइज़नहावर सिद्धान्त केवल मध्य-पूर्व देशों के लिए है। अत: समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान को मध्य-पूर्व देश कैसे मान लिया गया। मध्य-पूर्व में गड़बड़ी चल रही है। आज के समाचार पत्र में काहिरा और बगदाद के मतभेद की बात का उल्लेख है। मैं समझता हूं कि इसमें पश्चिमी शक्तियों का हाथ है। इन के संबंध में हमें पूर्णतः सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री भी इसी नीति का अनुसरण कर रहे हैं। इस नीति के संबंध में हमारा सहयोग उन्हें प्राप्त है।

पश्चिमी अफ्रीका में स्वतंत्रता की भावना उमड़ रही है पर वहां इस बात का भी भय है कि यहां के राज्यों पर पश्चिमी शक्तियां हावी न हो जायें। अनेक ऐसी बातें बहां हो रही हैं—जैसे घाना में प्राइमरी शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी तथा गाइना में सामान्य शिक्षा का माध्यम फ्रेंच भाषा को बनाया जा रहा है—जिनसे इस बात का डर है कि वहां के राष्ट्रों में फूट न पड़ जायें। यदि वहां ऐसी बातें होती रहीं तो शायद वहां भी गड़बड़ी होने की आशंका है। इस संबंध में हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व है। और यदि हम चाहें तो इस स्थिति में हम भी कुछ प्रभाव डाल सकते हैं।

मध्य अफ्रीका में रंग भेद की समस्यायें हैं। पर यदि प्रयत्न किया जाये जैसा कि मलाया और साइप्रस में हुआ है—तो यहां भी गोरे-काले सभी लोग समान रूप से शान्तिपूर्वक रह सकते हैं।

यदि केन्द्रीय अफ्रीका संघ बनाया जायेगा तो मेरा विश्वास है कि उत्तरी रोडेशिया तथा न्यासालैंड की स्थिति में क्रान्ति उत्पन्न हो जायेगी। यदि ब्रिटेन की संसद् चाहती है कि वहां ऐसी क्रांति न हो तो इस संघ को न बनाया जाये। न्यासालेंड, केनिया, युगान्डा तथा रोडेशिया की समस्याओं को सावधानी से हल किया जाना चाहिए। मध्य अफ्रीका संघ के बनने से तो कुछ गोरे लोगों के हाथों में सत्ता आ जायेगी और अफ्रीका के देशों को जो औपनिवेशिक स्वराज्य मिलेगा उसका कुछ भी अर्थ नहीं होगा और वहां ऐसी स्थिति पैदा हो जायेगी जो शान्ति तथा उन्नति के लिए घातक सिद्ध होगी। अतः यह समस्या हमारे सामने है और मुझे आशा है कि हमारे प्रधान मंत्री समुचित ढंग से ब्रिटिश सरकार पर अपना प्रभाव डालेंगे ताकि अफ्रीका की जनता के हितों की हत्या न होने पावे।

बर्लिन के संकट की बात भी हमारे सामने है। जिन माननीय महिला सदस्य ने मुझ से पहले भाषण दिया है उन्होंने बर्लिन समस्या का उल्लेख तक नहीं किया जैसे उनके सामने वह समस्या है ही नहीं। बर्लिन के संबंध में जो स्थिति है उसका कारण यह है कि दोनों शक्तियां अपने अपने दांव पर मजबूत बनी बैठी हैं। मैं समझता हूं कि सभा इस बात से सहमत होगी कि यदि बर्लिन समस्या को बढ़ने दिया गया तो सम्पूर्ण योरोप तथा हम सभी उसमें फंस जायेंगे।

बर्लिन की समस्या तब तक हल नहीं होगी जब तक आप जर्मनी की समस्या हल नहीं करते। जर्मनी जैसे बड़े राष्ट्र को राष्ट्रों की गणना से बाहर रखना एक अन्याय होगा। इसमें जर्मनी के लोगों का भी कुछ कर्त्तव्य है। जर्मनी के संबंध में ब्रिटेन के प्रधान मंत्री यह चाहते हैं कि किसी प्रकार कुछ हल निकाला जाये। हम भी चाहते हैं कि बर्लिन समस्या को सुलझाने में हम जो कुछ भी सहयोग दे सकें अवश्य दें। यह मानवता का प्रश्न है।

मुझे यह देख कर प्रसन्नता है कि भारत और चीन के बीच स्थित पुराना छोटा सा राष्ट्र नेपाल भी आज लोकतंत्रात्मक प्रणाली की ओर अग्रसर हो रहा है। इस संबंध में नेपाल भारत का साथी है।

तिब्बत हमारा पड़ोसी देश है। तिब्बत के लाखों लोग हमारे देश में भी रहते हैं। अतः तिब्बत में जो कुछ भी होता है उसका हमारे देश पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हम यह स्वीकार करते हैं कि तिब्बत चीन का एक अंग है और चीन का उस पर पूर्ण प्रभुत्व है। चीन के गणतंत्र तथा तिब्बत के प्रशासन के बीच जो सत्रह सूत्रीय करार है उसमें कहा गया है कि तिब्बत को स्वायत्त शासन का अधिकार होगा। मुझे खेद है कि माननीय सदस्या ने अलजीरिया के बारे में तो बहुत कुछ कहा पर तिब्बत के बारे में कुछ भी नहीं कहा। जो स्थिति अलजीरिया की है वही तिब्बत में भी हो रहा है। माओ-त्से-तुंग का कहना है कि तिब्बत में जाकर बसो और वहां के लोगों को अपने जीवन यापन ढंग में बदलो। हमें आशा नहीं थी कि चीन जैसा देश ऐसी नीति का अनुसरण करेगा। मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि भारत सरकार ने पहले चीन की सरकार को जो टिप्पण भेजा था उसमें कहा गया था कि तिब्बत की जनता को समझा बुझा कर काम निकाला जाये न कि शस्त्रसंघर्ष पैदा किया जाये। कोई यह नहीं कहता कि तिब्बत को चीन से पृथक किया जाये पर उसे अपनी संस्कृति तथा सभ्यता के साथ रहने दिया जाये।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** तो चीन आप से पूछेगा कि नागा प्रदेश के सम्बन्ध में आप क्या कर रहे हैं?

†**श्री अशोक मेहता :** एक तो नागाओं का जीवन हम से कुछ भिन्न नहीं है। फिर हम उन्हें अपनी संस्कृति व सभ्यता के अनुसार जीवन बिताने में बाधा नहीं डाल रहे हैं। हम यह तो नहीं कहते कि नागा प्रदेश में जाकर बसो और उनकी सभ्यता को समाप्त कर दो। हम उपनिवेश बनाने तथा दूसरों द्वारा बनाये जाने दोनों को पसन्द नहीं करते। अमरीका और चीन की अनेक बातें ऐसी हैं जिन्हें हम पसन्द नहीं करते, फिर भी हम उनके मित्र हैं तथा उनके प्रति सद्भावना रखते हैं। इस सम्बन्ध में मेरी बात को गलत न समझा जाये। हम अनुचित बातों की, चाहे किसी की हों---आलोचना करने में नहीं चूकते। यदि चीन की सेनायें तिब्बत पर आक्रमण करें और तिब्बत के लोग हमारी सीमा पर भाग कर आये या हमारे देश में आयें, तो हम पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। भारत में रहने वाले तिब्बतियों पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। अतः हम चाहते हैं कि लोग अधिक सद्भावना तथा शान्ति से रहें।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री अशोक मेहता]

माननीय महिला सदस्य ने एक स्थानीय पत्र में प्रकाशित एक अंग्रेज पत्रकार के "सम्पादक के नाम पत्र" की चर्चा की। चूंकि भारत सरकार ने उसे मना कर दिया था कि वह ऐसी बातें न लिखा करें इसीलिये उसने यह पत्र लिखा। पर माननीय सदस्या का कहना है कि चूंकि वह भारत सरकार के पदाधिकारियों का स्नेह पात्र है अतः उसने यह सब लिखा। यदि वह पदाधिकारियों से मिला जुला होता या उनका स्नेह पात्र होता तो उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता। फिर, क्या वह समझती हैं कि भारत सरकार की दो नीतियां हैं— दिल्ली में कुछ और सीमान्त पर कुछ और? हमारी नीति चीन के सम्बन्ध में हमेशा मित्रतापूर्ण रही है। तिब्बत को अपने सांस्कृतिक ढंग से जीवन व्यतीत करने का अधिकार है। हम चीन से हमेशा यही कहते आये हैं कि तिब्बत की समस्या को, वहां के लोगों को समझा-बुझा कर--हल की जाये न कि दबाव द्वारा। माननीय सदस्या की यह धारणा गलत है कि केवल अमरीका ही बुरा है। आज संसार उतना सीधा सादा नहीं है जितना कि वह समझती हैं। ऐसी स्थिति में हमारी नीति सदा ही स्थायी, न्यायपूर्ण तथा मानवीय रही है। हमने सदा विश्व के हित को ध्यान में रखते हुये अपने देश के हित की नीति का अनुसरण किया है।

सेठ गोविन्द दास (जबलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आप इस बात को जानते हैं कि मैं अपनी वैदेशिक नीति का आरम्भ से ही बहुत बड़ा समर्थक रहा हूं। इस लोक-सभा में हमारे साम्यवादी और समाजवादी सदस्य शुरू में प्रायः इस वैदेशिक नीति की आलोचना किया करते थे। आज भी मुझे अभी जो भाषण हुए श्रीमती रेणु चक्रवर्ती का और श्री अशोक मेहता का, उन भाषणों में मुझे दो बातें दिखाई दीं। श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने एक किसी अखबार का यहां उद्धरण पढ़ा छोटी छोटी बातें कहीं और सब मिला कर आज भी हमारी वैदेशिक नीति का मुक्त कंठ से समर्थन नहीं किया। श्री अशोक मेहता ने अन्त तो हमारी वैदेशिक नीति के समर्थन में किया परन्तु आरम्भ में उन्होंने कहा इधर हमारी वैदेशिक नीति कुछ ढीली हो गई है। मुझे वह उस समय भी ढीली न दिखती थी जब कि हम स्वतंत्र नहीं हुए थे और हमारी कांग्रेस सदा ऐसे देशों और ऐसे मानवों का समर्थन करती थी जो स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे। देखा जाय हमारे इन युगों का इतिहास और देखा जाय कि हमने उसमें इस प्रकार के देशों और मानवों का किस प्रकार समर्थन किया है। तो जब हम स्वतंत्र नहीं हुए थे, उस समय भी मुझे अपनी वैदेशिक नीति में कोई ढीलापन दिखाई नहीं देता था और स्वतंत्र होने के बाद जब हमारी वैदेशिक नीति का कभी अमरीका विरोध करता था, कभी रूस विरोध करता था, आरम्भ में हमारी वैदेशिक नीति दोनों की ही समझ में नहीं आती थी, उस समय भी मुझे उसमें कोई ढीलापन नहीं दिखता था।

भारतवर्ष आजादी के पहले और आजादी के बाद निश्चित सिद्धान्तों पर खड़ा रहा है। वे सिद्धान्त भारतीय संस्कृति के अनुरूप रहे हैं। हमारी वैदेशिक नीति कोई यकायक हमारे देश में नहीं आ गई। हम ने सदा इस विश्व में एक तत्व का दर्शन किया था कि जिसे हमारे ऋषि महर्षियों ने ब्रह्म कहा था। हम एक मानव में और दूसरे मानव में, एक जीव में और दूसरे जीव में, कोई भेद नहीं करते थे। हम सब को ब्रह्म रूप मान सब से प्रेम करते थे। भारतीय संस्कृति का यदि कोई मूल आधार है तो वह यही है और इसी आधार पर महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से शान्तिपूर्ण युद्ध करते हुए भी उनसे पूरा प्रेम रखते हुए भी हम को स्वतंत्रता दिलाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसी नीति का अनुसरण किया है। हमारी वैदेशिक नीति भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता के अनुरूप रही है। न मुझे उसमें पहले कोई ढीलापन दिखता था और न आज जब कि श्री अशोक मेहता को उसमें कोई ढीलापन नजर आता है, मुझे उसमें कोई ढीलापन नहीं दिखाई देता।

इस समय सारे संसार की क्या अवस्था है ? विज्ञान इतनी तेजी से बढ़ा रहा है जिसकी कुछ समय पहले हम कल्पना नहीं करते थे । उपग्रह छोड़े जा रहे हैं । अमरीका छोड़ता है, रूस छोड़ता है । रूस का एक उपग्रह तो चन्द्रमा का चक्कर लगाकर सूर्य तक पहुंच गया। परन्तु जब एक छोटे से साहित्यिक के नाते मैं इन सब उपग्रहों को देखता हूं, इन पर विचार करता हूं, तो मेरे मन में एक विचित्र बात आती है । मेरी समझ में नहीं आता कि यह करोड़ों अरबों रुपया इन उपग्रहों पर क्यों खर्च किया जा रहा है ।

एक माननीय सदस्य : उपद्रव के लिए ।

सेठ गोविन्द दास : क्या उद्देश्य है इनका ? यदि इनका उद्देश्य, सारे अन्तरिक्ष में क्या है इसका पता लगाना है तो मैं कहना चाहता हूं कि इन उपग्रहों से हमें वह पता लगने वाला नहीं है। यदि इनका उद्देश्य कोई दूसरे ग्रह पर जाकर वहां से इस पृथ्वी पर युद्ध करने के लिए अणुबम के सदृश कोई और भयानक बम छोड़ना है, तो उस में भी मुझे सफलता कहीं दृष्टिगोचर नहीं होती । यदि इन उपग्रहों का अर्थ यहां से लोगों को लेजाकर किसी दूसरे ग्रह में बसाना है तो मुझे वह भी असम्भव दिखता है । जब एक देश के लोग दूसरे देश में बसने के लिये तैयार नहीं, एक देश वाले दूसरे के लोगों को, हमारी पृथ्वी पर ही लेने के लिए तैयार नहीं, तब यह कल्पना करना कि कोई ऐसा समय आयेगा जब हमें किसी ग्रह पर जाकर बसने के लिए जगह मिलेगी, मैं समझता हूं एक मूर्खतापूर्ण कल्पना है । मुझे ये उपग्रह एक छोटे से साहित्यिक के नाते उसी प्रकार दिखायी देते हैं जिस तरह किसी देहाती बालक के सामने चाभी भरा हुआ खिलौना छोड़ दिया जाये । मेरी समझ में नहीं आता कि इनसे अमरीका का, रूस का या हमारी पृथ्वी के दूसरे देशों का क्या लाभ होने वाला है, यह जो रुपया इन पर खर्च हो रहा है वह हमारी पृथ्वी पर रहने वाले मानवों के ही कल्याण में क्यों नहीं खर्च हो रहा ?

तो हम देखते हैं कि विज्ञान एक तरफ इस तरह आगे बढ़ रहा है । किन्तु विज्ञान तो साधन है, वह साधन हमारे नाश में भी काम आ सकता है, वह साधन हमारे उपकार में भी काम आ सकता है । आज हमें यह देखकर खेद होता है कि जितने वैज्ञानिक आविष्कार हैं वे ज्यादातर हमारे नाश के ही उपाय ढूंढ रहे हैं । विश्व की ऐसी स्थिति में केवल भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है कि जो सच्ची शान्ति चाहता है, सच्चा प्रेम सब देशों से रखता है। पंचशील के हमारे सिद्धान्त उस समय न अमरीका की समझ में आते थे, न रूस की समझ में आते थे, लेकिन आज संसार उन सिद्धान्तों को समझने लगा है, और उन सिद्धान्तों के कारण ही हम गरीब रहते हुए, हम अपढ़ रहते हुए, हमारे पास बड़ी बड़ी सेनायें और बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र न रहते हुए भी हमारा संसार में एक अद्‌भुत प्रकार का सम्मान हो गया है । हम इस बात की कल्पना करते हैं कि एक दिन ऐसा आ सकता है कि जब इस पृथ्वी पर एक मानव और दूसरे मानव में भेद न समझा जाये, एक दिन ऐसा आ सकता है जब ये अस्त्र शस्त्र समुद्र में विसर्जित कर इस संसार में सच्चे प्रेम का सिंधु बहने लगे, एक दिन ऐसा आ सकता है जब सारे संसार की एक सरकार स्थापित हो जाये ।

कुछ लोग लीग आफ नेशन्स के भी विरुद्ध थे । कुछ लोग इस समय जो यूनाइटेड नेशन्स आर्गेनाइजेशन है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके भी विरोधी हैं । मैं इस बात को मानता हूं कि लीग आफ नेशन्स को जो सफलता मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली, यू० एन०ओ० को, संयुक्त राष्ट्र संघ को भी जो सफलता मिलनी चाहिए नहीं मिल रही है । लेकिन यदि मानव मानव एक होने वाले हैं, यदि सारे संसार का एक राज्य स्थापित होने वाला है, तो उसके लिए इस प्रकार की संस्थायें ही एकमात्र उपाय हैं । इसीलिये हमने लीग आफ नेशन्स का समर्थन किया था यद्यपि उस लीग आफ नेशन्स को जिस अमरीका ने स्थापित करने का प्रयत्न किया, वह उसके बाहर रहा । हमने उसका भी समर्थन किया और जो यह संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका भी हम समर्थन करते हैं ।

[सेठ गोविन्द दास]

इस समय यूरोप के जो प्रश्न हैं, अमरीका के जो प्रश्न हैं, उनसे हमारा उतना सम्बन्ध नहीं है कि जितना हमारा सम्बन्ध एशिया के प्रश्नों से, अफ्रीका के प्रश्नों से है। एशिया में कुछ वर्ष पहले एक लहर आयी, चीन में, भारतवर्ष में। भारत में आजादी आयी। चीन जो लूटा जा रहा था पश्चिमी देशों से, उस लूट को मिटा कर वहां पर सारे चीन पर एक राज्य स्थापित किया गया। भारतवर्ष का, चीन का, इन दो महाराष्ट्रों का प्रश्न हल होने पर अब एशिया में थोड़े बहुत प्रश्न नहीं रहे हैं, यह मेरा कहना नहीं है। किन्तु बड़े बड़े प्रश्नों का हल हो गया। अब सबसे बड़े प्रश्न अफ्रीका के हैं । अफ्रीका में हमको आये दिन कोई न कोई सवाल मिलता है जिसका हल होना अत्यन्त आवश्यक है। दक्षिणी अफ्रीका के रंगभेद का सवाल ज्यों का त्यों है। अभी अरब राष्ट्रों का जो एक संघ बना, उसमें जो इराक का झगड़ा है, हम चाहते हैं कि उस झगड़े की किसी प्रकार समाप्ति हो। अभी मध्य अफ्रीका में न्यासालैण्ड का जो झगड़ा उठा हुआ है, और जिसमें पश्चिमी राष्ट्रों का बहुत बड़ा हाथ है, हम चाहते हैं कि उसका भी किसी न किसी प्रकार हल किया जाये। हमारे चारों तरफ, हमारे पड़ौसी जो राष्ट्र हैं, जिनसे हमारा सम्बन्ध दिनों दिन बढ़ रहा है, अभी हमारे राष्ट्रपति स्वयं पधारे हैं उन्हीं राष्ट्रों को, उनके भी अनेक प्रश्न हैं। हम चाहते हैं उनका भी हल हो। हमारे पड़ौसी गोआ का प्रश्न अभी तक हल नहीं हुआ है। कई लोग क्षुब्ध हो उठते हैं। उनको यह दिखायी देता है कि इतने छोटे प्रश्न का हम हल क्यों नहीं कर रहे हैं। परन्तु जैसा मैं ने निवेदन किया, हम कुछ सिद्धान्तों पर चलते हैं। उन सिद्धान्तों के हमारे अनुकूल होने पर यदि हम उन सिद्धान्तों पर चलें, और यदि वे सिद्धान्त हमारे प्रतिकूल जावें, तो हम उन सिद्धान्तों को छोड़ दें, तब तो फिर वही कहावत सिद्ध होगी की "मीठा मीठा गप, और कड़वा कड़वा थू"। ऐसा हमें नहीं करना है। हम यदि समझते हैं कि संसार के जितने जटिल प्रश्न हैं उन सब का हल शान्ति पूर्ण उपायों से हो सकता है, तो फिर गोआ के प्रश्न को भी हम शान्तिपूर्ण उपायों से हल करेंगे। जो भारतवर्ष सदियों तक पराधीन रहा, जिस भारतवर्ष के पास स्वतन्त्रता युद्ध के लिये कोई साधन नहीं थे, वह भी यदि महात्मा गांधी के मार्ग से अहिंसा के द्वारा स्वतन्त्र हुआ, तो क्या हम यह आशा नहीं कर सकते कि जिस प्रकार हमने अंग्रेजों के हृदय में परिवर्तन किया, उसी प्रकार गोआ के सम्बन्ध में भी गोआ के जो विदेशी शासक हैं उनके हृदय में भी हम परिवर्तन करेंगे, हमको इसकी आशा ही नहीं हमको इसका विश्वास है।

तो, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, भारत की वैदेशिक नीति कुछ सिद्धान्तों पर अवलिम्बत है। ये सिद्धान्त हमारे युगों से चले आ रहे हैं, और आज जो हमारी वैदेशिक नीति है, महात्मा गांधी ने जिस नीति का अनुसरण किया, वह भारतीय संस्कृति के अनुरूप है। हमारी आशा है कि एक दिन ऐसा आकर रहेगा जब इस संसार के सब देश और सब मानव परस्पर मैत्री, परस्पर सहयोग करेंगे, और इस युद्ध की समाप्ति हो जायेगी, और युद्ध की समाप्ति के बाद सारा संसार एक सरकार के अन्तगत होकर उन्नति कर सकेगा।

जहां तक युद्धों का मामला है, लोग कहा करते हैं कि युद्ध तो सदा से चले आते हैं, आज भी चल रहे हैं, सदा चलते रहेंगे। पर मैं कहना चाहता हूं कि जो बातें सदा होती रही हैं वही आज नहीं हो रही हैं। एक समय था जिस वक्त आदमी आदमी को खा जाता था। आज तो ऐसी घटना हमको नहीं दीख पड़ती। एक समय था जब मनुष्य शरीर खरीदे और बेचे जाते थे, गुलाम प्रथा थी, और वही व्यक्ति सबसे बड़े आदमी माने जाते थे जिनके पास सबसे अधिक गुलाम रहते थे। चाहे आज भी शोषण हो, परन्तु शोषण होते हुए भी आज मनुष्य शरीरों की खरीद और बिक्री नहीं होती—वे खरीदने और बेचने की चीजें नहीं हैं। इसलिये मुझे तो आश्चर्य मालूम होता है कि आज भी इस सभ्य कहलाने वाले मानव-समाज में और मानव देशों में यह युद्ध किस प्रकार चल रहा है। मुझे इस बात का विश्वास है

कि अगर हमारे इस प्लानेट को—भूमण्डल को—अणुबम से भी बड़े किसी बम के द्वारा सर्वनाश नहीं होना है, तो वह दिन आकर रहेगा कि जब ये युद्ध बन्द होंगे। मैं आज भी यह सोचता हूं कि १९१४ में जिस प्रकार का संसारव्यापी संग्राम हुआ था और १९३९ में जिस प्रकार संसार का सर्वव्यापी संग्राम हुआ था, उस प्रकार का संग्राम शायद अब विश्व नहीं देखेगा। छोटे मोटे युद्ध, छोटी मोटी लड़ाइयां हो सकती हैं, अभी हुई भी हैं, और मुझे इस बात का गर्व है कि उन लड़ाइयों को हल करने में भी हमारे देश का, हमारे प्रधान मन्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। मैं तो उस समय की कल्पना करता हूं, जिस समय ये युद्ध समाप्त होकर यह सारा संसार एक सरकार के अन्तर्गत हो जाये और जितने वैज्ञानिक आविष्कार हैं, वे नाश के लिए नहीं, परन्तु सृष्टि के लिये काम में लाये जायें। इसीलिये मैं इस वैदेशिक नीति का सदा से समर्थक रहा हूं और आज भी हूं और मुझे इस बात का हर्ष है कि आज दुनिया के करीब करीब सब देश हमारी वैदेशिक नीति को समझने लगे हैं और आज जो भारतवर्ष का इतना ऊंचा स्थान तमाम दुनिया में है, उसका कारण हमारी वैदेशिक नीति है।

जो अनुदान आपके सामने रखे गए हैं, मैं उनका हृदय से समर्थन करता हूं।

†**श्री जोकीम आल्वा** (कनारा): मैं मुख्य रूप से अफ्रीका, बर्लिन तथा अमरीकी करार के विषय में अपने विचार प्रकट करूंगा। आज अफ्रीका न्याय की मांग कर रहा है। हमारा कर्तव्य है कि हम उन की मदद करें। जैसे प्रधान मन्त्री ने एक एशियाई सम्मेलन बुलाया था उसी प्रकार एक अफ्रीकी सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए। आज अफ्रीका गोरे लोगों के चंगुल में ऐसा फंस गया है कि उसकी मुक्ति कठिन है। एशिया से तो बढ़ती हुई राष्ट्रीयता के कारण अंग्रेज़ शान्तिपूर्वक चले गये पर ऐसा लगता है कि अफ्रीका में रक्तपात होने के बाद ही—जिस की जम्मेदारी गोरों पर ही होगी—वे अफ्रीका से जायेंगे।

आज अफ्रीका के लोग बड़े कष्टों में हैं। नाइजेरिया, गोल्ड कोस्ट, युगान्डा फ्रेंच इक्वीटोरियल अफ्रीका, फ्रेंच पश्चिमी अफ्रीका, टांगानीका, कान्गों, केनिया, बेलजियन कोगो, उत्तरी रोडेशिया तथा अंगोला में गोरे लोगों की संख्या प्रति दस हजार पीछे ६ से लेकर २०० तक ही है। ये लोग १५०० लाख जनता पर शासन कर रहे हैं।

अफ्रीका में ब्रिटेन, फ्रांस, बेलजियम, पुर्तगाल, स्पेन, और इटली के उपनिवेश हैं। इसमें ब्रिटेन का भाग सबसे अधिक है यह अफ्रीका के एक-चौथाई भाग तथा एक-तिहाई जनता पर शासन करता है। चूंकि हम राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं अतः हमें ब्रिटेन पर प्रभाव डालना चाहिए कि वे अफ्रीका की जनता को स्वराज्य दे दें। यह हमारा कर्तव्य है।

पहले दक्षिणी अफ्रीका की समस्या थी। उसके बाद केनिया का नम्बर आया और अब न्यासा-लैण्ड की समस्या पैदा हुई। केनिया में लगभग १०,००० व्यक्तियों को मृत्यु के घाट उतार दिया गया। अंगोला में पुर्तगालियों के अत्याचारों की कोई सीमा नहीं है।

कीनिया की सरकार ने वहां जो कुछ किया है वह बहुत ही निन्दनीय है और आज जबकि हम राष्ट्रमण्डल के सदस्य हैं हमें स्पष्ट रूप से उसकी निन्दा करनी चाहिए जो अफ्रीका में हो रहा है। आज स्थिति यह है कि बेलजियम को मजबूर होकर कांगो को स्वशासन देने का वादा कर दिया है। इसी प्रकार अलजीरिया का प्रश्न लीजिए। वहां के लोग घोर संकट में हैं। फ्रांस वैसे तो बन्धुत्व के राग अलापता है पर अलजीरिया के मामले में चुप है। आज हम स्वतन्त्रता प्राप्त कर चुके हैं। हमें चाहिए कि हम अलजीरिया के पक्ष का समर्थन करें। मेडागास्कर के लोगों की दशा भी बड़ी खराब है। मिस्र

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जोकीम आल्वा]

की स्थिति भी बहुत खराब थी। पर मिस्र ने अपने बल तथा कुशलता द्वारा अपने को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ा लिया।

अफ्रीका में मोरक्को से लेकर लीबिया तक अरबी बोली जाती है। अतः हमारी विदेश सेवा में अरबी जानने वाले लगभग १०० व्यक्ति होने चाहियें। इस प्रकार हम अफ्रीका के देशों से अच्छा सम्बन्ध स्थापित कर सकने में समर्थ होंगे। हमारे राजनयिक पदाधिकारी लन्दन, पेरिस या मास्को जाना ज्यादा पसंद करते हैं। वे अफ्रीका के जंगलों में जाना नहीं पसन्द करते। अतः प्रधान मन्त्री से मेरा निवेदन है कि वे इस बात को घ्यान में रख कर अपनी नीति निर्धारित करें।

आज न्यासालैण्ड की स्थिति बड़ी विस्फोटक हो रही है। यदि हम वहां की जनता को प्रोत्साहन नहीं देंगे, तो वे थोड़े से गोरों के गुलाम बने रहेंगे। शिक्षा के द्वारा अफ्रीका की जनता को हम उन्नतिशील बना सकते हैं।

बर्लिन समस्या के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि वहां के लिए सब से बड़ा भय है कि कहीं वहां नाजीवाद पुनः स्थापित न हो जाये। वहां के नाजीवाद में लोगों की बड़ी दुर्दशा हुई थी। अतः अब भी लोगों को यही चिन्ता है कि उनका भविष्य क्या होगा।

अमरीका-पाकिस्तान करार के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि यह करार साम्यवादी देशों के विरुद्ध पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए है। अमरीका के उपराष्ट्रपति डा० निक्सन ने भी यही कहा था कि यह करार चीन के विरुद्ध है, हमारे विरुद्ध नहीं है। पर अवसर आने पर हमें भी इससे हानि उठानी पड़ेगी।

†**श्री कासलीवाल** (कोटा): मैं अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। वर्ष १९५८-५९ में मंत्रालय ने अच्छी प्रगति की है। मन्त्रालय के कार्य में जो सुधार हुआ है उससे अब लालफीता शाही में कमी आ गई है और पत्रों को शीघ्रता से निबटाया जाने लगा है।

[**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** पीठासीन हुये]

मन्त्रालय के प्रतिवेदन में बताया गया है कि लैटिन अमरीका के देशों में भी हमारे राजनयिक कार्यालय खुल गये हैं। यह बहुत अच्छी बात है। चिल्ली और बोलिविया में भी हमारे राजनयिक कार्यालय खुल गये हैं। हमें पेरू, कोलम्बिया तथा वेनेंजुला में भी ऐसे कार्यालय स्थापित करने चाहियें।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कहा कि हमारा देश सैनिक सन्धियों के संबंध में बिल्कुल निश्चिन्त है। पर यह बात गलत है। हमारे प्रधान मंत्री सैनिक सन्धियों के कट्टर विरोधी हैं और सैनिक सन्धियों से होने वाले संकटों के संबंध में उन्होंने हमें सावधान कर दिया है। अतः यह कहना गलत है कि हम लोग इन सैनिक सन्धियों के संबंध में बेपरवाही बरत रहे हैं। श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कैमरून तथा अलजीरिया का प्रश्न उठाया। पर इन प्रश्नों के संबंध में हम अपनी राय प्रकट कर चुके हैं। फ्रेंच कैमरून को १ जनवरी, १९६० में और ब्रिटिश कैमरून को १ अक्टूबर, १९६० में स्वतंत्रता मिल जायेगी। अलजीरिया के संबंध में हमारा मत है कि अलजीरिया को स्वतंत्रता दी जाये। पर दुर्भाग्य से राष्ट्र संघ में रखा गया हमारा प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। माननीय सदस्यों ने साइप्रेस के प्रश्न का उल्लेख नहीं किया। उन्हें विदित होना चाहिए कि साइप्रस की समस्या हमारे प्रयत्नों के परिणामस्वरूप ही सुलझ पाई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

बर्लिन के प्रश्न के संबंध में श्री अशोक मेहता ने जो कुछ कहा उससे मैं पूर्णतः सहमत हूं। जब तक जर्मनी की समस्या हल नहीं होती तब तक बर्लिन की समस्या भी हल नहीं होगी। अतः जो शक्तियां बर्लिन प्रश्न से सम्बन्धित हैं उन्हें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे वहां संकट पैदा हो।

आज संसार के सामने शान्ति की समस्या है। इस को हल करने के लिए अनेक सुझाव दिये जा रहे हैं। कनाडा के हाउस आफ कामन्स में भाषण देते हुए श्री लेस्टर पियरसन ने कहा था कि विश्व शान्ति की स्थापना के लिए भारत को एक शिखर सम्मेलन बुलाना चाहिए। वैसे भारत इस सम्मेलन का आयोजन करेगा या नहीं; यह मैं नहीं जानता, पर यह हमारी नीति के लिए प्रशंसनीय बात है कि इस प्रकार भारत को शिखर सम्मेलन बुलाने का आमंत्रण दिया गया।

निशस्त्रीकरण के संबंध में भी भारत का प्रयत्न प्रशंसनीय रहा है। १९५७ में रूस का इस संबंध में रखा गया प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। फिर इस वर्ष भारत तथा योगोस्लाविया द्वारा रखा गया निशस्त्रीकरण प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है। निशस्त्रीकरण आयोग में संसार के ८२ राष्ट्र होंगे। इसके अतिरिक्त अचानक आक्रमणों को बन्द किये जाने के संबंध में भी भारत तथा यूगोस्लाविया द्वारा रखा गया एक प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में स्वीकृत हुआ। अणु शक्ति परीक्षणों को रोकने के लिए रखा गया प्रस्ताव यद्यपि अस्वीकृत हो गया, पर इसके लिए भी हमारा प्रयत्न प्रशंसनीय रहा है। इसके अतिरिक्त १९५७ में भारत, यूगोस्लाविया तथा स्वेडन द्वारा रखा गया सहअस्तित्व प्रस्ताव भी स्वीकृत हो चुका है।

इस प्रकार मेरा कहना है कि भारत की विदेशी नीति पड़ोसी राज्यों से अच्छा संबंध रखने की नीति है। साथ ही हमारी नीति स्पष्टवादिता, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अच्छे उपायों को इस्तेमाल करने तथा मित्रता की नीति है।

†**श्री महन्ती (ढेकानाल)**: वैदेशिक कार्य मंत्रालय की मांगों पर चर्चा करते समय भारत की विदेशी नीति की चर्चा करने का अवसर नहीं मिलता है। वस्तुतः भारत की विदेशी नीति के संबंध में पहिले ही पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। इस समय मैं अपना भाषण कुछ मुख्य भागों तक ही सीमित रखूंगा।

वैदेशिक मंत्रालय का जो वार्षिक प्रतिवेदन हमें दिया गया है, उस से कई महत्वपूर्ण बातों के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। उदाहरणार्थ काबुल और अफगानिस्तान के कैदियों के लिये कुछ राशि निश्चित की गई है। इसके संबंध में मैंने विदेश मंत्रालय तथा लोक सभा सचिवालय के गवेषणा तथा निर्देश शाखा से कुछ जानकारी मांगी थी। मुझे कहीं से भी संतोषजनक जानकारी प्राप्त नहीं हुई। मेरी समझ में नहीं आता कि भारत जैसे स्वतंत्र देश में विदेशों द्वारा भेजे गये कैदियों को क्यों रखा जाता है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: मैं इस संबंध में आपकी भ्रांति दूर करना चाहता हूं। इस समय भारत में लगभग १२ व्यक्ति ऐसे हैं जो अपनी जीविका का उपार्जन करने में बिल्कुल असमर्थ हैं। वस्तुतः ये लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं और जहां चाहें जा सकते हैं। या जिस देश में चाहें जा सकते हैं, लेकिन केवल इसलिये कि वे खुद अपनी रोटी नहीं कमा सकत, हम उन्हें पेन्शन दे रहे हैं। वस्तुतः किसी व्यक्ति को जेल इत्यादि में रखने का कोई प्रश्न नहीं है वे लोग जिस देश में चाहें जाने को स्वतंत्र हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

†श्री महन्ती : इस जानकारी के लिय मैं प्रधान मंत्री को धन्यवाद देता हूं । अब मैं भारत के विदेशी मिशनों पर होने वाले व्यय को लता हूं । भारत के विदेशों में ८६ मिशन हैं जिन पर हम प्रति वर्ष ४३५.६४ लाख रुपये व्यय कर रहे हैं । इस प्रकार औसत रूप से हम ५.६७ लाख रुपये प्रति मिशन पर व्यय कर रहे हैं । जिनमें से ५० प्रतिशत व्यय अधिकारियों के वेतन इत्यादि पर होता है । इतने पर भी हमारा विदेशी प्रचार संतोषजनक नहीं है और हम वहां की जनता से प्रभावशाली सम्पर्क बनाये रखने में असफल रहे हैं । अत : हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिये ।

अब मैं गोआ की समस्या को लेता हूं । एक ओर हम पंचशील का दम भरते हैं दूसरी ओर हम स्वयं गोआ के कटु सत्यों को जनता की निगाहों से छिपाते हैं । इस वर्ष के दौरान पुर्तगाली पुलिस ने १५ बार सीमांत का अतिक्रमण किया । इस पर भारत सरकार ने संयुक्त अरब गणराज्य के द्वारा पुर्तगाली सरकार से विरोध प्रगट किया था तथापि इसका कोई फल नहीं हुआ । सुधा जोशी जैसे सत्याग्रही अब भी वहां की जलों में सड़ रहे हैं । तथापि भारत सरकार गोआ के विरूद्ध कुछ भी नहीं कर सकी है । पहिले भारत सरकार ने गोआ के विरूद्ध आर्थिक नाका बन्दी की थीं, लेकिन कुछ कारणों से वह भी हटा ी गई । गोआ से पुर्तगा ी सरकार की आय का एक मात्र साधन लोह अयस्क और मेंगनीज़ अयस्क का निर्यात है । यह निर्यात जापान को किया जा रहा है और गोआ की सरकार इससे खूब विदेशी मुद्रा कमा रही है । जापान को भारत से भी लोह अयस्क भेजा जा रहा है । भारत सरकार को चाहिये कि वह जापान को लोह अयस्क भेजने के पूर्व यह शर्त रखे कि वह जापान को लोह अयस्क इसी शर्त पर दे सकती है कि वह गोआ से लोह अयस्क का निर्यात न करे ।

अब मैं इजरायल के प्रश्न को लता हूं । हमने इजरायल की सरकार को मान्यता नहीं दी है । इसका कारण यह है कि हम संयुक्त अरब गणराज्य को प्रसन्न रखना चाहते हैं । एक ओर तो हमने अभी पिछले वर्ष स्पेन को मान्यता दी है और उसके साथ कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापित किये हैं ; साथ ही हम पाकिस्तान जैसे तानाशाही देश से भी सम्बन्ध बनाये हुए हैं । लेकिन २० लाख की आबादी वाले इस शांतिप्रिय और महत्वाकांक्षी देश को मान्यता नहीं देते हैं । क्या यही हमारी तटस्थता की नीति है कि हम इस प्रकार एक राष्ट्र को खुश करने के लिये दूसरे देश की उपेक्षा करते हैं ।

विदेश-प्रकाशन निदेशालय का कार्य नितांत निराशाजनक है । वैदेशिक प्रचार पर प्रतिवर्ष ६३ लाख रुपये व्यय किये जाते हैं । इनमें से केवल ६.४६ लाख पुस्तिकायों और प्रकाशनों में व्यय किये जाते हैं । अवशेष सारा व्यय अधिकारियों के वेतन में व्यय होता है । मुझे बताया गया है कि इस निदेशालय से ४६ पत्रिकायें निकलती हैं तथापि जब मैंने उन्हें संसद पुस्तकालय में ढूंढने का प्रयत्न किया तो मुझे केवल दो चार पुस्तिकायें देखने को मिलीं और मैं उन्हें पढ़ कर निराश ही हुआ । यदि स्वयं प्रधान मंत्री इन पुस्तिकायों को पढ़ेंगे तो व इससे भी अधिक निराश होंगे । वस्तुतः इस निदेशालय की पहिले भी पर्याप्त आलोचना हो चुकी है और स्वयं प्रधान मंत्री ने इसे स्वीकार किया है । मैं आशा करता हूं कि प्रधान मंत्री इस पर गौर करेंगे ।

संयुक्त राष्ट्र संघ में जो भारतीय प्रतिनिधिमंडल भेजे जाते हैं उनके सदस्यों का चुनाव करने में सावधानी से काम नहीं लिया जाता है । निस्संदेह इनके कुछ सदस्य बहुत कुशल और योग्य व्यक्ति

†मूल अंग्रेजी में

होते हैं। वे हमारी प्रशंसा के पात्र हैं तथापि कभी कभी कुछ व्यक्तियों को केवल तरक्की देने या ऊंचा उठाने के लिये इन प्रतिनिधि मंडलों में शामिल कर दिया जाता है। मैं पिछले दो तीन वर्षों से उन सदस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा हूं। तथापि उनमें कई सदस्य ऐसे थे जिनके बारे में स्वयं विदेश कार्य मंत्रालय कोई जानकारी नहीं दे सका न अभी तक उनके संबंध में कभी कोई जानकारी ही प्रकाशित हुई। अभी पिछले वर्ष एक व्यक्ति को प्रतिनिधि दल के संवैधानिक सलाहकार की हैसियत से भेजा गया था वह रेहड़ीवालों के संघ का अध्यक्ष था।

अब मैं भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों को लेता हूं। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ जो पारस्परिक प्रतिरक्षा संधि की है वह भारत के लिये एक शोचनीय बात है। दुख की बात यह है कि अमेरिका स्वयं लोकतंत्र राज्य होने का दम भरता है। वह अब्राहमलिंकन और जैफरसन के सिद्धांतों के अनुयायी होने का दम भरता है तथापि दूसरी ओर वह केवल अपने स्वार्थ के कारण विश्व के एक महान लोकतंत्र भारत को कुचलने के लिये पाकिस्तान को सहायता दे रहा है। निस्संदेह अमेरिका हमें भी सहायता दे रहा है। तथापि यह सहायता एक धोका है क्योंकि हम इसे युद्धास्त्र खरीदने में व्यय कर रहे हैं और हम इस राशि का प्रगति के कार्यों के लिये व्यय नहीं कर सकते हैं। अतः यह व्यर्थ है। अतः हमें अमरीकी सहायता लेने से इन्कार कर देना चाहिये।

इस सन्धि के संबंध में प्रधान मंत्री ने यह बताया है कि यह सहायता पाकिस्तान को अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद द्वारा नियंत्रित देशों का सामना करने के प्रयोजन से दी गई है। मेरे विचार से अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद की व्याख्या नहीं की जा सकती है। भारत को भी अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद द्वारा नियंत्रित देश माना जा सकता है। दूसरे अमरीकी सरकार ने इसका प्रतिवाद करने के लिये कोई वक्तव्य नहीं दिया है। अमरीकी राजदूत श्री बंकर ने इसका स्पष्टीकरण किया है लेकिन तत्काल पाकिस्तान के प्रवक्ता ने इसका प्रतिवाद कर दिया। इसलिये यह स्थिति अभी अनिश्चयात्मक है। अतः मेरे विचार से यह अमेरिका की एक चाल है। अमेरिका इस प्रकार हमें उसका पक्ष ग्रहण करने के लिये दबाव डाल रहा है।

वैदेशिक कार्य मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१६	४०६	श्री शि० ला० सक्सेना	आदिम जातियों का जीवन-स्तर ऊंचा करने में असफलता।	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये।
१६	३८३	श्री प्र० के० देव	नेफा क्षेत्र का प्रशासन गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन करने की वांछनीयता।	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१७	४०७	श्री शि० ला० सक्सेना	समस्त नागा जाति को शिक्षा तथा विकास योजना के द्वारा अपना बना लेने में असफलता ।	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये ।
१७	२७५	श्री मो० ब० ठाकुर	नागा विद्रोह को दबाने में असफलता ।	१०० रुपये
१७	३८४	श्री प्र० के० देव .	नागा पहाड़ियों तथा तुएन-सांग क्षेत्र का प्रशासन गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन करने की वांछनीयता ।	१०० रुपये
१८	४०८	श्री शि० ला० सक्सेना	पाकिस्तानी हमलों को रोकने में असफलता ।	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये ।
१८	४०९	श्री शि० ला० सक्सेना	पाक-अमरीका करार के प्रति विरोध प्रदर्शन करने में असफलता ।	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये ।
१८	२७६	श्री मो० ब० ठाकुर .	दक्षिण अफ्रीका की वर्णभेद नीति के विरुद्ध कठोर नीति अपनाने में असफलता ।	१०० रुपये
१८	२७७	श्री मो० ब० ठाकुर .	पूर्वी सीमान्त पर पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा लगातार गोली वर्षा ।	१०० रुपये
१८	२७८	श्री मो० ब० ठाकुर .	गोआ विवाद के सम्बन्ध में पुर्तगाल के विरुद्ध कमजोर नीति ।	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
१८	२७९	श्री मो० ब० ठाकुर .	इजरायल राज्य को मान्यता न देना।	१००
१८	२८०	श्री मो० ब० ठाकुर .	सीमा घटनाओं के बारे में पाकिस्तान के प्रति नीति।	१००
१८	३३९	श्री महन्ती. .	इजरायल के साथ राजनीतिक सम्बन्ध बनाने में असफलता।	१००
१८	३४०	श्री महन्ती. .	समुद्र पार सूचना सेवा को सुधारने के लिए वैदेशिक प्रचार विभाग का पुनर्गठन करने में असफलता।	१००
१८	३४१	श्री महन्ती. .	गोआ को पुर्तगाली उपनिवेशवाद से निकालने में असफलता।	१००
१८	३४२	श्री महन्ती. .	भारत-पाक सीमा विवादों के हल के लिए प्रभावशाली नीति अपनाने में असफलता।	१००
१८	३४३	श्री महन्ती. .	यू० एन० ओ० तथा अन्य विदेशों में जाने वाले भारतीय शिष्ट मंडलों का गठन।	१००
१८	३८५	श्री प्र० के० देव .	हाल के पाकिस्तानी हमलों तथा गोली वर्षा को देखते हुए पाकिस्तान के विरुद्ध कठोर व्यवहार करने की आवश्यकता।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
१८	३८६	श्री प्र० के० देव .	भारत में पुर्तगाली बस्तियों को स्वतंत्र कराने के लिए निश्चित कार्यवाही करने की आवश्यकता	१००
१८	३८७	श्री प्र० के० देव .	वैदेशिक प्रचार विभाग के कार्यों का विस्तार करने की आवश्यकता ।	१००
१८	३८८	श्री प्र० के० देव	सीमा विवादों के बारे में नेहरू-नून समझौतों को लागू न करने की आवश्यकता ।	१००
१८	३९७	श्री आसर . .	गोआ समस्या को सुलझाने में असफलता ।	१००
१८	३९८	श्री आसर . .	गोआ के भारतीय राजनैतिक कैदियों को स्वतंत्र कराने के लिए शीघ्र कार्यवाही करने की आवश्यकता ।	१००
१८	४१४	श्री हेम बरूआ .	कैमरुन्स के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करने की आवश्यकता ।	१००
१८	४१५	श्री हेम बरूआ	ओमान की स्वतंत्रता के लिए वहां की जनता के कार्य का समर्थन तथा अंग्रेज सरकार की नीति का विरोध करने की आवश्यकता ।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
१८	४१६	श्री हेम बरूआ .	अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में पुर्तगाल का 'मार्ग का अधिकार' संबंधी दावा तथा उस पर सरकार का रुख।	१००
१८	४१७	श्री हेम बरूआ .	पाक-अमरीकी सैनिक संधि का विरोध करने में असफलता।	१००
१८	४१८	श्री हेम बरूआ .	नेहरू-नून समझौते के अनुसार बेरुबारी संघ का पाकिस्तान को प्रस्तावित हस्तांतरण ।	१००
१८	४१९	श्री हेम बरूआ .	बर्मा तथा लंका में भारतीय उद्भव के व्यक्तियों की असंतोषजनक दशा।	१००
१८	४२०	श्री हेम बरूआ .	भूतपूर्व फ्रांसिसि बस्तियों का विधि अनुसार हस्तांतरण करने में विलम्ब।	१००
१८	४२१	श्री आसर .	विदेशी सूचना सेवा तथा विदेशी प्रचार विभाग का पुनर्गठन करने की आवश्यकता।	१००
१८	४२२	श्री आसर . .	भारतीय क्षेत्रों पर पाकिस्तानी सेना द्वारा प्रतिदिन गोली वर्षा रोकने में असफलता।	१००
१८	४२३	श्री आसर . .	पाकिस्तान के विरुद्ध कठोर नीति अपनाने में असफलता।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
१८	४२४	श्री आसर .	इजरायल से राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने की आवश्यकता ।	१००
१८	४२५	श्री आसर .	विदेशों में भारतीय दूतावास तथा उच्चायुक्तों के कार्यालयों के भारी व्यय को कम करने में असफलता ।	१००
१८	४२६	श्री आसर .	अफ्रीका, लंका, पाकिस्तान, बर्मा तथा अन्य विदेशों में रहने वाले भारतीयों की असंतोषजनक दशा ।	१००
१८	४२७	श्री शि० ला० सक्सेना	नाभिकीय हथियारों के प्रयोग तथा निर्माण पर प्रतिबंध तथा निशस्त्रीकरण का समर्थन करने की आवश्यकता ।	१००

†**श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर)** : यह सच है कि हमारे देश के आकार तथा हमारे देश की समस्याओं के अनुसार, हमारे वैदेशिक प्रचार पर धन व्यय नहीं किया गया है । परन्तु फिर भी विश्व के विभिन्न भागों में हमारे प्रेस सहचारी, सांस्कृतिक प्रतिनिधि तथा व्यापारिक पदाधिकारी बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं । अभी दो, तीन वर्ष पूर्व मैं एक देश में गया था और वहां पर प्रेस सहचारी का काम देख कर दंग रह गया क्योंकि उस देश के जिन जिन स्थानों पर मैं गया वहीं वहीं मेरा बड़ा स्वागत हुआ । इस आधार पर मैं माननीय प्रधान मंत्री से विदेशी प्रचार में और अधिक धन लगाने के लिए तो कह सकता हूं । परन्तु यह कभी भी नहीं कह सकता कि हमारा विदेशी प्रचार कार्य ठीक तरह से नहीं हो रहा है ।

राष्ट्र संघ में भेजे जाने वाले प्रतिनिधि मंडलों के सम्बन्ध में मेरा विचार है कि हमारा वैदेशिक कार्य मंत्रालय तथा हमारे प्रधान मंत्री भी उनमें भेजे जाने वाले व्यक्तियों

†मूल अंग्रेजी में

का ठीक चुनाव ही करते हैं। यह कहना कि इन प्रतिनिधि मंडलों में सभा के विभिन्न दलों के सदस्यों को भेजा जाना चाहिए मेरे विचार से ठीक नहीं है। जब हम इस सभा में विरोधी विचार धाराओं को व्यक्त करते हैं तब हम इसका किस प्रकार पता लगायें कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य आपस में विरोध न करेंगे और यदि एक प्रतिनिधि मंडल के दो सदस्य आपस में ही एक दूसरे के विचारों का प्रतिवाद करेंगे तो अन्य देश भारत की खिल्ली ही उड़ायेंगे। इसलिए मैं समझता हूं इन प्रतिनिधि मंडलों में भेजे जाने वाले व्यक्तियों का चुनाव ठीक होता है। और राष्ट्रसंघ में भारतीय मंडल भारत के विचार एक समिति से प्रस्तुत करता है।

मुझे साइप्रस की स्वतंत्रता से और आर्चबिशप मैकैरियो के वहां लौट आने में बड़ी प्रसन्नता हुई है। विश्व में कहीं पर भी शांति हो तो भारतवासी के नाते प्रसन्नता होना स्वाभाविक सा ही है। भारत की स्वतंत्रता के समय हिन्दू तथा मुसलमानों को आपसी वैरभाव की ग्रन्थि सुलझाई नहीं जा सकी थी परन्तु आज साइप्रस निवासियों ने ग्रीक साइप्रसवासी तथा तुर्क साइप्रसवासी के आपसी क्षुद्र वैरभावों को भुलाकर, एक साथ बैठ कर जो समझौता किया है वह संसार के देशों के लिए आदर्श है। मैं चाहता हूं कि उत्तर तथा दक्षिणी कोरिया, इंडो-चीन और भारत-पाकिस्तान के मामले भी एक स्थान पर बैठकर सुलझा लिये जायें। मैं मानता हूं कि भारत-पाकिस्तान, में कई बार बातचीतें हो चुकी हैं जिनका कोई फल नहीं निकला परन्तु फिर भी हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिये। हमें और प्रयत्न करने चाहिए और हमारे प्रधान मंत्री तथा पाकिस्तान के प्रेजीडेंट को एक साथ बैठ कर सारी समस्याओं को सुलझा लेना चाहिए।

मुझे इसका बड़ा खेद है कि गोआ की जेलों में चार भारतीय राष्ट्रजन कैद हैं। मैं जानता हूं कि हमारी सरकार उनको छुड़ाने के लिए सभी प्रकार के प्रयत्न कर रही है परन्तु मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह और अधिक कठोर कदम उठायें जिससे सुधा जोशी आदि जो भारतीय राष्ट्रजन वहां पर कैद हैं उनको छुड़ाया जा सके। इसके अतिरिक्त हमें गोआ को स्वतंत्र बनाने के सम्बन्ध में भी कठोर कार्यवाही करनी चाहिए और अन्य स्थानों पर इस प्रश्न को उठाना चाहिए।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

अन्त में, मैं राष्ट्र मंडल के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इसके सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही गई हैं। मेरा अपना विचार है कि यह बड़ी अजीब सी बात है कि राष्ट्रमण्डल का एक देश दूसरे देश के बारे में गलत बातें कहें, तानाशाही को अपनाये, वर्णभेद का बोल बाला रखे और फिर भी उनका राष्ट्रमंडल बना रहे। मेरा विचार है कि राष्ट्रमंडल के प्रश्न पर दुबारा विचार किया जाना चाहिए और ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि राष्ट्र मंडल के देशों का कोई लक्ष्य तो समान हो जाये।

†**श्री म० स० राजू** (राजामुंद्री) : मैं विदेश मंत्रालय को उसके अच्छे काम के लिए बधाई देना चाहता हूं। सीमित संसाधनों तथा अपूर्ण अनुभव होने पर भी विदेश मंत्रालय ने जिस दक्षता से विदेशों में हमारे १०० दूतावासों का प्रशासन चलाया है उस के लिए उसको बधाई देना हमारा कर्तव्य हो जाता है। हमारे राजदूतों के सुन्दर तथा दक्ष काम

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री म० स० राजू]

के प्रमाणस्वरूप ही एशिया के देशों तथा रूस से हमें प्रविधिक सहायता मिल सकती है, हम भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापित कर सके हैं और अमरीका से खाद्यान्नों की तथा धन की सहायता मिल सकी है।

परन्तु अमरीका ने पाकिस्तान से सैनिक सन्धि करके हमारे हक में अच्छा काम नहीं किया है। मैं मानता हूं कि अमरीका का उद्देश्य साम्यवादी विस्तार को रोकना मात्र है परन्तु पाकिस्तान उस सन्धि का नाजायज फायदा उठा रहा है। परन्तु फिर भी हमारी तो शांति बनाये रखने की एक निश्चित नीति है। पाकिस्तान की समस्त जनता तथा जनरल अयूब खां जानते हैं कि लड़ाई से दोनों देशों का बड़ा नुक्सान होगा। और इसलिए मेरा विश्वास है कि जनरल अयूब खां भारत से कभी भी लड़ने को तत्पर नहीं होंगे। हमें अपनी शांति नीति बनाये रखनी है और मैं आशा करता हूं पाकिस्तान भारत विवाद की समस्या भी इसी नीति से सुलझ जायेगी।

†**श्री दिनेश सिंह** (बांदा) : सभा को प्रायः सभी सदस्य हमारी सरकार की वैदेशिक नीति का समर्थन करते हैं। हमारी नीति की सफलता का आधार हमारे प्रधान मंत्री की पंचशील की नीति है। कुछ लोगों ने कहा कि हम अपने लिये उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर सके जितनी करनी चाहिये थी। यह संभव है कि किसी एक गुट में शामिल हो कर हम कुछ प्राप्त कर सकते थे लेकिन हम किसी गुट में केवल इसी उद्देश्य के कारण शामिल नहीं हुए है कि हमारी नीति विश्व में शांति स्थापित करने की है। हमारी इसी नीति को पंचशील की संज्ञा भी दी जाती है। इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र के दोनों गुटों में से एक में मिलने पर पाकिस्तान की जो दशा है उससे भी हम अनभिज्ञ नहीं हैं। पाकिस्तान अपनी कमजोरियों के कारण ही हमें दबाना चाहता है और इसीलिए हमारा उसका विवाद हल नहीं हो रहा है। मेरा इस सम्बन्ध में यही सुझाव है कि हमें इस प्रकार की अपनी विदेश नीति बनानी चाहिए जिससे हमारा और पाकिस्तान के लोगों दोनों का भला हो और हमारे सभी विवाद हल हो जायें। यह नीति स्थिर तथा कठोर होनी चाहिए।

पाकिस्तान के साथ हमारे नहरी-पानी विवाद को लीजिए। पाकिस्तान तथा भारत के जिस क्षेत्र के पानी के सम्बन्ध में विवाद है उस क्षेत्र के अन्दर बहने वाली छः नदियों के उद्गन भारत में हैं जब कि वह बहती पाकिस्तान में हैं। और हम इसी कारण उनका पानी अपनी ओर मोड़ सकते हैं। परन्तु क्योंकि वह भी हमारे ही भाई हैं इसलिए हमने विश्व बैंक की सिफारिश मानकर रावी, व्यास तथा सतलज नदी को छोड़कर अन्य सभी नदियों का पानी पाकिस्तान को दे दिया है। पाकिस्तान ने विश्व बैंक के सुझाव को भी नहीं माना और उसको अब भी संतोष नहीं है। इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि हम माहम टनल योजना को स्वीकार करलें कि हम चिनाब नदी से पानी लें और उसको सतलज की एक सहायक नहर में ले जाकर पाकिस्तान को दे दें। इस प्रकार हमें तो अपनी तरफ से अपना कर्त्तव्य पूरा कर देना चाहिये।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि हम इजरायल को मान्यता क्यों नहीं दे रहे हैं। उनका यह कहना गलत है। इजरायल को हम स्वतंत्र राष्ट्र मानते है और मान्यता देते हैं परन्तु

†मूल अंग्रेज़ी में

इसका अर्थ यह नहीं कि हम उसे मान्यता देते हैं तो उसके साथ राजनैतिक सम्पर्क भी बनायें। राजनैतिक सम्पर्क बनाना दूसरी बात है, और मान्यता देना दूसरी बात है।

अब मैं विदेश सेवा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आज देश में कुछ इस प्रकार की भावना फैलती जा रही है कि विदेश सेवा में जाना ठीक नहीं है और इसी कारण योग्य व्यक्ति अन्य सेवाओं को पसंद करते हैं जबकि विदेश सेवा सबसे महत्वपूर्ण सेवा है।

मेरे विचार से इसका मुख्य कारण इस सेवा में पदोन्नति के कम अवसर होना है। सामान्यतः इस सेवा के व्यक्तियों को मंत्रालयों में नहीं लिया जाता। इसके विपरीत अन्य सेवाओं में से इस सेवा में लोग ले लिए जाते हैं। मैं कुछ उदाहरण देता हूं। दिसम्बर १९५८ में विदेश सेवा में प्रथम श्रेणी के १७ पदों पर विभिन्न मंत्रालयों के पदाधिकारी थे जबकि मंत्रालयों में विदेश सेवा के तीन व्यक्ति थे। मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री इस प्रकार का आश्वासन इन लोगों को दे दें कि विदेश सेवा में उनकी पदोन्नति के अधिक अवसर हैं। इसके अतिरिक्त मंत्रालयों के पदाधिकारियों को विदेशों में पद पर नियुक्त करके फिर थोड़े समय बाद उनका विदेश सेवा में विलीनीकरण किया जाता है उसको रोका जाना चाहिए। विदेश सेवा में काम करने वाले पदाधिकारी यही चाहते हैं कि मंत्रालयों के पदाधिकारी उनके ऊपर नियुक्त करके न भेजे जायें और उनकी ही पदोन्नति उच्च पदों पर हों।

मैं मंत्रालय को बधाई देता हूं कि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय ने काम निबटाने की जो नई पद्धति अपनाई है वह बड़ी अच्छी है इस पद्धति से काम भी शीघ्र समाप्त हो जाता है और धन की भी पर्याप्त बचत हो जाती है। मैं चाहता हूं कि अन्य मंत्रालयों में भी इस पद्धति को लागू किया जाये।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में कुछ विदेश सेवा निरीक्षक है जो संसार भर में भारतीय दूतावासों का निरीक्षण करते हैं। कुछ राजदूत उनके निरीक्षण को पसंद नहीं करते, और उनको जो कुछ वह पूछते हैं नहीं बताते हैं। इस प्रकार उनका निरीक्षण करना बेकार सा होता है। मेरा सुझाव है कि इन निरीक्षकों का काम केवल सेवा की दशा का निरीक्षण करना होना चाहिये।

मेरा विचार है कि ब्रिटेन में हमारे उच्चायोग में कर्मचारियों का बहुत आधिक्य है इसलिए शीघ्रता से यहां का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। मेरा अन्तिम सुझाव यह है कि विदेशों में होंने वाला सभी व्यय वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अधीन ही किया जाये।

श्री अ० मु० तारिक (जम्मू तथा काश्मीर) : जनाब स्पीकर साहब, मैं आपका बेहद ममनून हूं कि आपने मुझे फिर ऐवान से खिताब करने का मौका बख्शा।

जनाबवाला, मैं वज़ारत खारिज़ा के खर्च के मतालिबात की ताईद करता हूं। मैं यह जानता हूं कि पिछले चन्द सालों में जो हमने आजादी के साथ गुजारे, दुनियां में अमन कायम करने के लिए हमारे वज़ीर खारिजा ने जिन्हें इस मुल्क का वज़ीर आज़म होने का भी फख्र हासिल है, निहायत ही कामयाब कोशिश की और मोहब्बत के साथ दुनिया के मसायल को तय करने की कोशिश की। सिर्फ़ दुनिया में ही नहीं बल्कि खुद हमसाया मुल्कों में दोस्ती पैदा करने की कोशिश की, यह हमारी सुलझी हुई पालिसी थी, जिसकी वजह से हम कई बार जंग के असार पर काबू पाने में कामयाब हुए वहां कई बार ऐसा हुआ कि दुनियां में जंग का अन्देशा पैदा हुआ। कई बार हमें ऐसा महसूस हुआ कि जंग की आग हमारे

[श्री अ० मु० तारिक]

दामन के करीब है लेकिन यह इसी पालिसी का नतीजा था हम हमेशा इस आग से सुर्खरू होकर निकले। हमने हमेशा यह कोशिश की कि हम दुनिया को ऐशिया के मुल्कों को अमन का पैगाम दें और कोशिश करें कि अमन से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हों। यह हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान जो हमारा हमसाया मुल्क है और जिसके बारे में हमारी यह राय है, हमारे वज़ीरे आज़म का यह ख्याल है बल्कि हर हिन्दुस्तानी यह चाहता है कि पाकिस्तान खुशहाल मुल्क बने। आखिर वह हमारा हमसाया है। उसकी खुशहाली से हम पर अच्छा असर पड़ेगा। अगर कहीं जिस तरह पाकिस्तान आजकल बदहाली का शिकार हो रहा है, उसी तरह वह बदहाली का शिकार होता रहा तो यकीनन हमारी ख़ारिजा पालीसी पर और हमारे अन्दरुनी हालात पर असर पड़ेगा। पाकिस्तान में कोई सियासी जमात नहीं है, पाकिस्तान में पिछले चन्द सालों में जम्हूरियत का जो हश्र हुआ। उसके लिये पाकिस्तान के लीडर जिम्मेदार हैं, यह पाकिस्तानियों की सियासी बदअहली थी यह बाहर के मुल्कों की साजिश, इसके लिए खुद पाकिस्तान के रहने वालों को और पाकिस्तान की राय आम्मा को सोचना चाहिये। हम हमेशा यह चाहते हैं और हमारी यह ख्वाहिश रही है कि पाकिस्तान एक अच्छे हमसाय की तरह फले फूले।

जनाबवाला, अभी जो यह एक और पैक्ट हुआ है, जो एक मुआहिदा हुआ है ईरान, तुर्की, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान। यह और बात है कि हम खुद अमन पसन्द हैं, यह और बात है कि हम मरना जानते हैं और हम किसी को भी मारना नहीं चाहते लेकिन यह बात नहीं है कि हम मरना ही जानते हैं, इसी मरने ने हमें मारना भी सिखाया है। हम अमन चाहते हैं लेकिन यह जो चिनगारी हमारी सरहदों पर फेंकी जा रही है उससे हम बेखबर तो नहीं हो सकते। आज से चन्द साल पहले अमरीका और पाकिस्तान के बीच जो मुआहिदा हुआ था उसमें यह कहा था कि यह पैक्ट कम्युनिस्ट मुल्कों के हमलों के खिलाफ़ हो रहा है लेकिन अभी जो मुआहिदा हुआ है उसमें यह अल्फ़ाज़ बिलकुल गायब है। हम एक आजाद मुल्क के बाशिन्दा हैं और हम चाहते हैं कि हम आजादी को अपनी मंशा के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह से चाहें इस्तेमाल करें। अब अगर आज हिन्दुस्तान यह चाहता है कि वह कम्युनिस्ट हो जाय तो दुनिया की कोई तोप, तुफंग और जंज़ीर हमें नहीं रोक सकती। हम कम्युनिस्ट बनना चाहते हैं या नहीं यह हमारी जनता की राय पर मुन्नहसिर करेगा। हम दुनिया नें अमन को क़ायम रहते देखना चाहते हैं और हम अमन की दुनिया में रहना चाहते हैं। आज़ाद मुल्कों की तरह हम जो फैसले करना चाहते हैं अपने मुल्क के बारे में, अपने मुल्क के मुस्तक़बिल के बारे में, अपने मुल्क की खुशहाली के बारे में और अपने मुल्क की खारिजा पालिसी के बारे में, यह हम किसी के दबाव से नहीं करेंगे। हम किसी के साथ उलझना नहीं चाहते। हम यह नहीं चाहते कि हम किसी का हक छीनें। हम दुनिया में किसी की लीडरी छीनना नहीं चाहते। आजकल की दुनिया में लीडरी तोपों से कायम नहीं रहती। यह जम्हूरियत का ज़माना है अगर आज आप दुनिया के लोगों की ख़िदमत करेंगे तो यक़ीनन आप दुनिया के लोगों के लीडर हो जायेंगे लेकिन आज अगर आप सिर्फ दौलत से, तलवार से और तोप से वह लीडरी क़ायम करना चाहते हैं तो वह क़ायम होने वाली नहीं है। और वह ज़माने लद गये।

मैं जानता हूं कि हमारे वज़ीरे आज़म अपना बेश्तर वक्त इस मसले के हल करने में लगाते हैं। मैं यह चाहता हूं कि हमने पिछले चन्द सालों में जिस तरह एशियाई मुल्कों के मसायल को हल करने में अपनी मदद दी, अब भी उस मदद को जारी रक्खें। खास तौर पर हमें ईराक के मामलात को नहीं भूलना चाहिये। ईराक़ में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, वह एशिया के मुल्कों के लिये

एक ख़तरा है। अभी यह ख़तरा वहीं है, अभी यह चिनगारी वहीं दब गई है। मैं एक दफ़े फिर अपने वज़ीर आज़म से इस ऐवान के सामने दरख़्वास्त करूंगा कि वह अपने गुड आफ़िसेज़ को फिर एक बार एशियाई मुल्कों के दरमियान मसालहत करने के लिये इस्तेमाल करें।

मैं वज़ीर आज़म की तवज्जह इस तरफ भी दिलाना चाहता हूं कि पिछले चन्द सालों में ऐशिया के मुमालिक में खास तौर पर अरब मुमालिक में हिन्दुस्तान ने एक ख़ास असर पैदा किया। हमने अरबों में एक मुहब्बत, यगानगत और बिरादराना रिश्ते का सद असर पैदा किया था और हमें उसे नज़रअन्दाज़ नहीं करना चाहिये। हमें निहायत शिद्दत के साथ अरबों के मसायल को हल करने की तरफ अपनी तवज्जह देनी चाहिये। अब अरबों की बदक़िस्मती यह रही है कि वहां इल्म की कमी है, अरबों के यहां तेलों का ज़ख़ायर है जिन पर कि बाहर के मुल्क अपनी ख्वाहिशात के लिये और अपने मतालिब के लिये छाये हुये हैं और यह लोग इस मुल्क की पालिटिक्स पर असरअन्दाज़ हैं। अरब मुमालिक को चन्द शेखों के चन्द जागीरदारों को अपना कर वहां क़ब्ज़ा जमाये हैं और इनके ज़रिये इस मुल्क में अमन को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। हमारा यह फ़र्ज होना चाहिये कि हम वहां के लोगों के साथ फिर से इश्तराक कायम करके इस आग को पनपने न दें।

जनाबवाला, मैं इस तरफ़ भी आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि पिछले चन्द एक सालों में काश्मीर की तरफ़ जो बाहर के मुल्कों का नज़ारिया रहा है, मैं इस बारे में हमेशा हुकूमत अमरीका से और अमरीका के सियासतदानों से दरख्वास्त करूंगा कि वह इस मसले को महज़ किसी जमात के नज़रिये से न देखें कि पाकिस्तान इसके बारे में क्या चाहता है या उसका क्या नज़रिया है। देखना यह है कि काश्मीर ने हिन्दुस्तान के एक हिस्से की तौर पर किस कदर तरक्की की है। यह हमारी इन्तिहाई खुशी है कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल श्री डाग हैमरशोल्ड काश्मीर तशरीफ ला रहे हैं। उनके तशरीफ़ लाने की नीयत क्या है यह वह बेहतर जानते हैं लेकिन मैं उनका खैरमक़दम करता हूं। मैं चाहता हूं कि वह अपने कामों के अलावा काश्मीर की तरक्की को देखें वे यह देखें कि हिन्दुस्तान में रहते हुये काश्मीर किस कदर आगे बढ़ा है ताकि उन्हें काश्मीर के बारे में एक राय क़ायम करने का मौक़ा मिले।

जनाबवाला मैं आपकी तवज्जह पबलिसिटी की तरफ़ भी दिलाना चाहता हूं जो कि आज-कल की दुनिया में बहुत ज़रूरी है। मेरे बाज़ दोस्तों और बुज़र्गों ने प्रेस अटैचीज़ की तारीफ़ की। मैं भी उसकी तारीफ़ करता हूं लेकिन जहां तक पबलिसिटी का ताल्लुक़ है मुझे यह कहने में बिलकुल दरेग़ नहीं है कि पबलिसिटी के बारे में हम दूसरे मुमालिक के सामने सिफ़र हैं यानी मैं आपको यक़ीन दिलाऊं कि काश्मीर के मसले पर जो पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों ने जिनकी कि इस मामले में पाकिस्तान के साथ हमदर्दी है, पबलिसिटी की है उसके मुक़ाबिले में हम शर्म के मारे कुछ भी नहीं कह सकते। हमारे पास बाहर के मुल्कों की काश्मीर का मसला समझाने के बारे में कुछ भी नहीं है। मैं दयानतदारी के साथ कहता हूं कि हमारे बहुत से अफ़सर ऐसे हैं जिनको कि खुद यह नहीं मालूम होगा कि काश्मीर कहां है। वे खुद ढूंढते हैं कि काश्मीर कहां है, किस ऐटलस में है। बहुत से ऐटलस जो दुनिया में छपे हैं उनमें काश्मीर को दोनों मुल्कों के दरमियान दिखलाया गया है। उन्हें पता नहीं है कि काश्मीर कहां है। मेरे पास बहुत से ऐसे पबलिकेशंस हैं पाकिस्तान के जो कि दुनिया की मुख़्तलिफ़ ज़बानों में है। अरब में बहुत ज़बानें हैं। हम तो सिर्फ़ एक अरबी ज़बान कहते हैं लेकिन अरब में काफ़ी ज़बानें हैं और उन तमाम ज़बानों में काश्मीर के मुताल्लिक़ ग़लत वाक़यात दिये गये हैं। उनकी तरफ़ से जितना लिटरेचर छपा है उसके मुक़ाबले में हमारे

[श्री अ० मु० तारिक]

पबलिसिटी डिपार्टमेंट का कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि जो खुद काश्मीर गवर्नमेंट ने छापा है या जिन्हें सिर्फ़ आपने डेवलपमेंट प्लांस की बिना पर रखा है। सियासी तौर पर नहीं बल्कि तवारीखी तौर पर भारत बाहर के लोगों को यह समझाने के लिये कि काश्मीर हिन्दुस्तान का है ही नहीं बल्कि काश्मीर हिन्दुस्तान का था, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम बाहर के मुल्कों को

और इसके लिये मैं वज़ीर खारिजा की तवज्जह इसकी तरफ़ दिलाना चाहता हूं कि इसके बारे में पार्लियामेंट के चन्द मेम्बरों की एक छोटी सी कमेटी बना कर इस मसले को हमेशा के लिये तय कर लिया जाये तो बेहतर होगा।

मुझको एक दोस्त ने जो कि इस ऐवान के एक जीइज़्ज़त मेम्बर हैं यह लतीफ़ा सुनाया है कि जब वह मिस्र गये थे वहां पर जो एनफ़ार्मेशन आफ़िसर हमारा मुकर्रर था उससे बातचीत करने के लिये गये तो बदकिस्मती से उस दिन इतवार था और उसने उनसे यह कह दिया कि आज छुट्टी है लिहाज़ा कोई काम नहीं किया जा सकता। वह इस ऐवान का एक मेम्बर है और वह एनफ़ार्मेशन आफ़िसर से एक एनफ़ार्मेशन लेना चाहते थे। हमारे अफ़सरान की यह हालत नाकाबिले बरदास्त है। मैं चाहता हूं कि इस तरफ़ तवज्जह दी जाय।

मैं आज के दिन हिन्दुस्तान के एक खूबसूरत हिस्से काश्मीर के सूबे की तरफ़ से सोवियट डेलिगेशन के उस मुहब्बत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिसका कि इज़हार उन्होंने अभी काश्मीर में किया है। यह और बात है कि कुछ लोग हमसे मुहब्बत करते हैं और कुछ लोग उस मुहब्बत की बिना पर हमसे नफ़रत करते हैं लेकिन हम बहैसियत एक हिन्दुस्तानी के दुनिया के तमाम लोगों को यक़ीन दिलाना चाहते हैं कि हम मुहब्बत और नफ़रत दोनों को सामने रख कर फ़ैसला करते हैं। हम नफ़रत की वजह से नफ़रत नहीं करेंगे और सिर्फ़ मुहब्बत की वजह से किसी के हाथ में नहीं गिरेंगे लेकिन हम एक मुहज़्ज़ब मुल्क होने के नाते और जिसकी तहज़ीब बहुत पुरानी है, हम उस मुहब्बत के लिये उसका शुक्रिया अदा करना अपना फ़र्ज समझते हैं और उनकी दोस्ती का, जिसका इज़हार लिये मुश्तरका तजवीज़ भी कर चुके हैं, निहायत अदब से शुक्रिया अदा करता हूं। एक ज़माने में पिछले चन्द सालों में कब्ल काश्मीर और रूसी इलाक़ों में तिजारत होती थी। बहुत से रूसी मुसलमान काश्मीर आये थे। और यहां के लोगों के साथ बिल्कुल घुल मिल गये थे। उन लोगों से जो हमको अच्छा भी नहीं समझते और बुरा कहते भी डरते हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वह हमें समझने की कोशिश करें। हम किसी से उलझना नहीं चाहते, हमारी ख्वाहिश है कि तमाम दुनिया में अमन र , और हम यह भी चाहते हैं कि अमन की दुनिया में तमाम मुल्क, चाहे वे यूरोप के हों, अफ्रीका के हों या एशिया के हों, एक साथ आयें, एक साथ तरक्की करें और एक साथ दुनिया में जंग के तमाम खतरों को हमेशा हमेशा के लिये खत्म करें।

†**श्री सुबिमन घोष** (बर्दवान) : मैं भारत-पाक सम्बन्धों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब भारत का विभाजन हुआ था तो यह आशा की जाती थी कि जो उपद्रव उस समय हो रहे थे वह खत्म हो जायेंगे। परन्तु यह आशा गलत सिद्ध हुई। मैं काश्मीर के प्रश्न पर अधिक नहीं कहना चाहता जिसमें हमारी सरकार की कमजोरी के कारण अनेक जटलतायें उत्पन्न हो गई हैं। भारत सरकार के असीमित धैर्य का पाकिस्तान द्वारा अनुचित लाभ उठाया जा रहा है और उन्होंने मुर्शिदाबाद सीमान्त पर युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी है। जब तक हमारी सरकार

†मूल अंग्रेजी में

कड़ा दृष्टिकोण नहीं अपनायेगी इन कठिनाइयों का अन्त नहीं हो सकेगा क्योंकि मेरे विचार से युद्ध में विश्वास करने वालों के साथ शान्तिपूर्ण नीति से काम नहीं चल सकता। हिंसा करने वालों के समक्ष घुटने टेकने से स्थिति में सुधार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान में तानाशाही है और प्रजातन्त्र तथा तानाशाही के बीच मित्रता नहीं रह सकती। इतिहास इस तथ्य का साक्षी है।

पिछले दिन पूर्वी सीमान्त पर पाकिस्तानी हमलों के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव उपस्थित किया गया था। मेरा निवेदन है कि पश्चिमी बंगाल इन हमलों से बहुत परेशान है और वह चाहता है कि सरकार या तो उनको रोके और या शासन छोड़ दे। मेरे विचार से यदि सरकार यह समझती है कि इन घटनाओं के निकट भविष्य में समाप्त होने की आशा नहीं है तो वहां सेना नियुक्त कर दी जानी चाहिये।

इसके पश्चात् मैं बेरूबारी के प्रश्न पर आता हूं जो पाकिस्तान को दे दिया गया है। यह लगभग १५ वर्ग मील का क्षेत्र है जिसकी जनसंख्या १२,००० है। भारत सरकार और पश्चिमी बंगाल सरकार ने उसके विकास पर बहुत व्यय किया है। वहां स्कूल खोले गये तथा अस्पताल और पुल बनाये गये। जब सरकार से उसके पाकिस्तान को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्न किया जाता है तो कहा जाता है कि नक्शे न होने के कारण वैसा हो गया। परन्तु ऐसा कहना गलत है। स्वयं पश्चिमी बंगाल के मुख्य मन्त्री ने राज्य विधान-सभा में इसके सम्बन्ध में रखे गये संकल्प पर भाषण करते हुये इस तर्क का खण्डन किया है। उन्होंने कहा है कि नेहरू-नून चर्चा के बहुत समय पहले ही विदेश मंत्रालय में नक्शे भेज दिये गये थे।

इसलिये मेरा निवेदन है कि बेरूबारी का पाकिस्तान को हस्तान्तरण भारत सरकार की और हमारे प्रधान मंत्री की बहुत बड़ी गलती है। वास्तव में उन्हें इसके हस्तान्तरण का अधिकार ही नहीं था। मैं प्रधान मंत्री के प्रति किसी असम्मान की भावना से वैसा नहीं कह रहा हूं। इतना बड़ा अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिये चाहे वह किसी भी पद पर क्यों न हो। इसी कारण पश्चिमी बंगाल विधान मण्डल के दोनों सदनों ने भारत सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया था। अब सरकार इस प्रश्न को दबा देना चाहती है क्योंकि हमारे अनेक बार अनुरोध करने पर भी उसे लोक-सभा में उपस्थित नहीं किया जा रहा है।

अन्त में, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार को सीमान्तों की रक्षा के लिये कठोर कदम उठाने चाहियें। यदि हम इस प्रकार के उपद्रवों को सहन करते रहेंगे तो पाकिस्तान को प्रोत्साहन मिलता रहेगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बेरूबारी के सम्बन्ध में भी सरकार शीघ्र निर्णय करे अन्यथा भारत की एकता के लिये खतरा उत्पन्न होने का भय बना रहेगा।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** (कुम्बकोणम्) : वैदेशिक कार्य मंत्रालय की मांगों का समर्थन करते हुये मैं लोक-सभा के समक्ष अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैंने श्री अशोक मेहता के भाषण और श्रीमती रेणु चक्रवर्ती के हस्तक्षेपों को बड़े ध्यान से सुना। जब श्री मेहता "तिब्बत के हत्याकांड" का उल्लेख कर रहे थे तो श्रीमती चक्रवर्ती ने हस्तक्षेप करते हुये "नागा पहाड़ियों" का उल्लेख किया। यह तुलना अनुचित है क्योंकि एक तो तिब्बत चीन का अंग है इसलिये उसके सम्बन्ध में हम सिवाय विरोध प्रकट करने के और कुछ नहीं कर सकते और दूसरे नागा पहाड़ियों में जनता को नहीं कुचला जा रहा है वरन् नागा उपद्रवियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्]

फिर गोवा का निर्देश किया गया। इसके संबंध में भी हमारी नीति स्पष्ट है कि हम बल का प्रयोग नहीं करना चाहते। पिछले समय में हमारी यह नीति सफल रही है और पांडीचेरी का भारत में वस्तुतः विलय हो गया है। आशा है कालान्तर में गोआ का प्रश्न भी इसी प्रकार शांतिपूर्ण ढंग से हल हो जाएगा।

इसके पश्चात मैं लंका के संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हु। दक्षिण भारत की जनता यह महसूस करती है कि लंका में तामिल राष्ट्रजनों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है। परन्तु मेरे विचार से इस संबंध में स्थिति में सुधार हो रहा है और मुझे आशा है कि शीघ्र ही कोई शांतिपूर्ण हल निकल आएगा।

जहां तक अफ्रीकी-एशियाई संबंधों का प्रश्न है, बांडुंग भावना का प्रसार हो रहा है और अफ्रीका की प्रबुद्ध जनता भारत की ओर पथ-प्रदर्शन के लिए आंखें लगाए हुए है। हम उन्हें निराश नहीं करेंगे और मुझे विश्वास है कि यदि वे गांधीवादी नीति को अपनाने का प्रयत्न करें तो उन्हें लाभ होगा। श्री मार्टिन लूथर किंग ने स्वयं अपनी हाल की भारत यात्रा के दौरान पृथकता की समस्या के संबंध में गांधीवादी नीति के प्रभाव को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था।

यह बात भी उल्लेखनीय है कि लाओस, वियतनाम और कोरिया में हमारे प्रतिनिधियों का कार्य सराहनीय रहा है। इसके कारण भारत को संसार में सम्मान मिला है और मुझे आशा है कि दक्षिण अफ्रीका भी यथाशीघ्र अपनी समस्या के हलहेतु भारत की सहायता मांगेगा और वहां की स्थिति सुधर जाएगी। वास्तव में पिछले कुछ समय के अन्दर वहां सुधार के चिन्ह दिखाई भी पड़े हैं क्योंकि अब अत्याचार की घटनायें कम हो गई हैं।

राष्ट्र संघ में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के संबंध में भी निर्देश किया गया है। मेरा विचार है कि हमारे प्रतिनिधिमण्डल को राष्ट्रसंघ में बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। यह हमारी निष्पक्ष विदेश नीति के कारण ही है जो हमारे प्रधान मंत्री पिछले दस वर्षों से चला रहे हैं। मेरा विचार है कि हमारी विदेश नीति के संबंध में देश में भी पूर्ण एकमत है क्योंकि वह 'पंचशील' के सिद्धान्तों पर आधारित है।

†**श्री कालिका सिंह (आजमगढ़)** : वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के १९५८-५९ के प्रतिवेदन में अनेक विषयों का उल्लेख है। मैं उसमें से केवल पाकिस्तान संबंधी अंश के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। क्योंकि इस समय वही प्रमुख विषय बना हुआ है। प्रतिवेदन में कहा गया है कि इस वर्ष का प्रारम्भ भारत-पाक संबंधों की दृष्टि से बुरा हुआ क्योंकि पाकिस्तान के गैरजिम्मेदार और अतिक्रमणात्मक दृष्टिकोण और पूर्वी सीमान्त पर अनेक हमलों के कारण दोनों देशों के संबंध बिगड़ने लगे। प्रतिवेदन के इस अंश के संबंध में मेरा निवेदन है कि अतिक्रमण का कारण पाकिस्तान स्वयं नहीं है वरन उसके पीछे छिपी हुई अमेरिका और ब्रिटेन की शक्ति है। यदि अमेरिका और ब्रिटेन का समर्थन हटा दिया जाए तो पाकिस्तान की शक्ति नगण्य रह जाती है।

पाकिस्तान और अमेरिका के बीच जो समझौता हाल में हुआ है वह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। बगदाद समझौता तो एक क्षेत्रीय संधि थी जो राष्ट्रसंघीय चार्टर के

†मूल अंग्रेजी में

अनुच्छेद ५२ के अनुसार उचित ठहराई जा सकती थी। परन्तु अब अमेरिका और पाकिस्तान का जो समझौता है वह क्षेत्रीय नहीं कहा जा सकता। इसलिए हम उसके विरुद्ध राष्ट्रसंघ में यह आपत्ति उठा सकते हैं कि राष्ट्रसंघीय चार्टर के अनुसार इस प्रकार का समझौता उचित नहीं है।

ऐसा सोचना निरर्थक होगा कि यदि पाकिस्तान वैसा चाहे तो अमेरिका और ब्रिटेन भारत के विरुद्ध लड़ने को तैयार हो जायेंगे। पाकिस्तान की कोई हस्ती नहीं है, वास्तविक महत्व तो आंग्ल-अमरीकी गुट की इच्छा का है और उसको जानने के लिए हमें काश्मीर और सीमान्त क्षेत्र के इतिहास के पन्ने पलटने होंगे।

वर्तमान युग में राजनैतिक साम्राज्यवाद के स्थान पर सैनिक साम्राज्यवाद का आविर्भाव हुआ है। यदि हम साइप्रस और मलाया की स्वतंत्रता संबंधी संधियों को देखें तो यह बात स्पष्ट हो जाएगी। साइप्रस की संधि में ब्रिटेन के सैनिक अड्डे के लिए उपबन्ध है और मलाया के संबंध में भी राष्ट्रमंडलीय विदेश सेना करार किया गया था। इस प्रकार किसी देश को स्वतंत्रता देते समय उसमें सैनिक अड्डे की व्यवस्था कर ली जाती है।

अब हम देखेंगे कि भारत को स्वतंत्रता देते समय भी ऐसा किया गया था या नहीं। यदि हम ८ अप्रैल, १९४६ के 'डेलीमेल' को पढ़ें तो हमें मालूम होगा कि पाकिस्तान के भावी गवर्नर जनरल श्री जिन्हा को यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया था कि ब्रिटेन पाकिस्तान में अपना सैनिक अड्डा बनाना चाहता है। इस प्रकार १९४६ में ही सैनिक अड्डे का विचार किया जा चुका था।

इसीलिए जब १९४७ में सत्ता का हस्तान्तरण हुआ तब ब्रिटिश सरकार ने गिलगिट के क्षेत्र को, जो काश्मीर का अंग था, किसी प्रकार पाकिस्तान के साथ मिला दिया था क्योंकि सैनिक अड्डे की दृष्टि से गिलगिट की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। इस संबंध में श्री राल्फ आइजर्ज ने जनवरी, १९४७ में यह लिखा था कि सैनिक दृष्टि से यह ब्रिटेन का बहुत महत्वपूर्ण अड्डा है क्योंकि वह सोवियत राज्य की सीमा के निकट है। उन्होंने यह भी लिखा था कि सैनिक अड्डा होने के कारण ही गिलगिट जाने के लिए विशेष अनुमति लेनी पड़ती है और वहां का शासन ब्रिटिश सेना करती है। अमेरिका के अनेक समाचार पत्रों में उनका यह लेख प्रकाशित हुआ था। गिलगिट के इसी महत्व के कारण ही आज दस वर्षों के पश्चात भी ब्रिटेन के वे अड्डे अभी तक कायम हैं।

लन्दन के 'सण्डे टाइम्स' में एक नकशा प्रकाशित हुआ है जिसमें पाकिस्तान में अमेरिका के दो या तीन सैनिक अड्डे दिखाए गए हैं। यह पत्र बहुत विश्वस्त पत्रों में से है। इसलिए इस नक्शे के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इन दस वर्षों में पाकिस्तान किसी गुप्त संधि में रहा है और उसकी स्वतंत्रता का आधार भी वह करार ही है। मेरे विचार से श्री जिन्हा के साथ जो गुप्त संधि हुई थी वह प्रत्येक उत्तराधिकारी को बता दी जाती है। इसके संबंध में अमेरिका तथा ब्रिटेन से पूछना चाहिए कि क्या पाकिस्तान के साथ इस प्रकार की कोई गुप्त संधि है?

जहां तक पाकिस्तान तथा अमेरिका के बीच हुए पारस्परिक समझौते का प्रश्न है वह बहुत अस्पष्ट है। यह कहा जाता है कि अमेरिका पाकिस्तान की सहायता तभी करेगा जब कोई साम्यवादी देश पाकिस्तान पर आक्रमण करेगा। परन्तु जो हथियार दिए गए हैं वे पाकिस्तान के हाथ में हैं। यदि पाकिस्तान भारत या काश्मीर में प्रवेश करता है तो

[श्री कालिका सिंह]

अमेरिका सहज ही कह सकता है कि काश्मीर साम्यवादी है और इसकी आड़ में वह हस्तक्षेप कर सकता है। परन्तु इसका उतना भय नहीं है जितना इस बात का है कि यह मामला सुरक्षा परिषद् में न चला जाए क्योंकि सुरक्षा परिषद् अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस दल या पर्यवेक्षक भेज देगी जैसा कि मिस्र, वियतनाम तथा अन्य स्थानों में किया गया है। हमें इस बात के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए कि ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो सके। पाकिस्तान स्वयं तो हमला नहीं करेगा। अमेरिका उसे वैसा करने की प्रेरणा दे सकता है ताकि मामले को सुरक्षा परिषद् में ले जाकर अपनी इच्छा के अनुसार हल किया जा सके। इसलिए हमें ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होने देना चाहिए जिसका अमेरिका अनुचित लाभ उठा सके।

†**श्री हिनिटा** (स्वायत जिले–रक्षित–अनूसूचित आदिम जातियां): भारत एक बहु-जातीय देश है इसीलिए हमारे यहां संघीय शासन रखा गया है। हमारे देश में अनेक आदिम जातियां है जिनकी प्रगति की स्थिति भिन्न भिन्न है। ये वनजातियां अल्पसंख्यक समूह हैं जिनके लिए संविधान में विशेष संरक्षण की व्यवस्था की गई है। परन्तु खेद है कि बड़ी जातियां उन्हें भार स्वरूप समझती है। यही कारण है कि बहुत से अधिकार जो हमें संविधान के अनुसार मिलने चाहिए थे वे हमें नही दिए गए हैं।

देश की राजधानी में दो साल रहने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि देश के अधि-कांश लोग हमारा अस्तित्व नगण्य समझते हैं। दिल्ली में एक मेहतर पुलिस की गोली से मारे जाने पर सदन में तथा बाहर इतना बवंडर उठा था परन्तु नागा-पहाड़ियों में जो खून बहाया जा रहा है उसकी ओर किसी का तनिक भी ध्यान नहीं जाता है। विभाजन के पश्चात सीमान्त क्षेत्रों में आदिम जातीयों लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। सरकार उनके लिए जो कुछ कर रही है वह उसी प्रकार है जैसे बहुत से भिखारियों की भीड़ में थोड़े से पैसे फेंक देना।

जब नागाओं ने विद्रोह किया तब हमारे देशवासियों को आदिम जातियों के अस्तित्व का प्रथम आभास हुआ। उनको दबाने के लिए सर्वसम्मति से निर्णय किया गया परन्तु बाद में फिर ढील छोड़ दी गई। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कछार के जिले को छोड़कर शेष समस्त पूर्वी सीमान्त में अधिकतर जनसंख्या आदिम जातियों की ही है। इसलिए राजनैतिक दृष्टि से उस क्षेत्र की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। परन्तु फिर भी वहां के विकास के लिए कुछ नहीं किया गया। तिब्बत में साम्यवाद के प्रवेश के पश्चात ही उत्तरपूर्वी सीमान्त के विकास में वास्तविक रुचि प्रदर्शन किया गया।

उसी प्रकार नागा विद्रोह प्रारम्भ होने के दो वर्ष पश्चात भारत सरकार ने नागा क्षेत्रों का शासन राज्य सरकार से अपने हाथ में लेने का निश्चय किया। परन्तु क्या यही बुद्धिमानी है कि जब खतरा बिल्कुल सर पर आ जाए तभी हम अपनी आंखें खोलें? मेरा निवेदन है कि भारत की सुरक्षा की दृष्टि से यह अधिक हितकर होगा कि इन लोगों को सन्तुष्ट करने के लिए प्रयत्न किया जाए।

मैं बहुत ध्यान से इस मांग पर चल रही चर्चा को सुनता रहा हूं परन्तु किसी भी व्यक्ति ने आदिम जातीय क्षेत्रों के लिए रखी गई ११.५ करोड़ रुपए की राशि के संबंध

†मूल अंग्रेजी में

में यह प्रश्न नहीं किया कि वह ठीक तरह खर्च हो रही है या नहीं। मैं सभा को यह बता देना चाहता हूं कि गत महायुद्ध में नागाओं की वफादारी के कारण ही ब्रिटिश शासन जापानी आक्रमण को रोकने में सफल हुआ था। इसके लिए उन्हें शस्त्र दिए गए थे। खेद है कि उन्हीं शस्त्रों का प्रयोग अब राष्ट्रीय सरकार के विरुद्ध किया जा रहा है।

संविधान ने केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के ऊपर आदिम जातियों के प्रति कुछ दायित्व रखे हैं। इन दायित्वों का प्रयोजन यह है कि वे अपनी इच्छानुसार अपना विकास कर सकें। परन्तु खेद है कि उत्तर-पूर्वी सीमान्त में सरकार इस प्रकार की नीति का अनुसरण नहीं कर रही है। मेरे विचार से सरकार की मूल गलती यह है कि वह यथास्थिति बनाए रखने को प्रयत्नशील रहती है और समस्या को अन्तिम रूप से हल करने की ओर ध्यान नहीं देती है।

नागा पहाड़ियों की स्थिति के संबंध में सरकार के प्रतिवेदन में कहा गया है कि दिसम्बर १९५७ में इकाई के निर्माण के समय से शांति और व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। परन्तु यदि बजट प्राक्कलनों को देखें तो मालूम होता है कि अधिकांश राशि प्रशासन और पुलिस पर ही व्यय की जाएगी। यदि हम बजट की राशियों को लेकर हिसाब लगायें तो मालूम होगा कि प्रत्येक नागा के ऊपर ४० रुपए तो शासन के संबंध में व्यय होंगे और केवल १० रुपए उनके उत्थान पर व्यय होंगे। यदि नागा विद्रोही दब गए हैं और शांति की स्थापना हो गई है तो फिर शासन और पुलिस पर व्यय कम होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि शांति हो गई है तो फिर वहां निर्वाचन होने चाहिएं और नागाओं को शासन में स्थान दिया जाना चाहिए ताकि वे यह समझें कि हम स्वयं अपने भाग्य निर्माता हैं। परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि नागा पहाड़ियों की स्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

उत्तर-पूर्वी सीमान्त की स्थिति भी प्राय: वैसी ही है। ८०७ लाख रुपए के उपबन्ध में से ५३४ लाख रुपए पुलिस के लिए हैं, १८३ लाख रुपए प्रशासन के लिए हैं और केवल ५५ लाख रुपए विकास कार्य पर व्यय होंगे।

इन्हीं तथ्यों के आधार पर मैंने बजट की चर्चा में यह कहा था कि सरकार शांति और व्यवस्था के प्रश्न को विकास की अपेक्षा अधिक महत्व दे रही है। मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस स्थिति को बदल दें। मैं यह भी चाहता हूं कि वह पूर्व की समस्त आदिम जातियों को अपने मंत्रालय के अन्तर्गत ले आयें और उनके विकास का कार्य करें।

†**श्री बांगशी ठाकुर** (त्रिपुरा–रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां) : मैं न तो वैदेशिक नीति की आलोचना करता हूं और न अनुदान की मांगों का समर्थन। मैं तो त्रिपुरा और पाकिस्तान क्षेत्रों के बीच जो सीमा बनाई गई है उसके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहता हूं।

सब से पहले मैं फानी नदी सम्बन्धी विवाद को लेता हूं। ८ अप्रैल, १९५८ को मेरे एक प्रश्न का उत्तर देते हुए विदेशी उपमंत्री ने कहा था कि रेडक्लिफ पंचाट के अनुसार फानी नदी की आधी धारा भारत की है। किन्तु पाकिस्तान का दावा है कि यह पूरी धारा उनकी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बांगशी ठाकुर]

स्वतन्त्रता से पूर्व त्रिपुरा राज्य सरकार की आज्ञा के बिना किसी व्यक्ति को इसमें नाव चलाने, पैदल या तैरकर इसे पार करने या मछली पकड़ने आदि का अधिकार नहीं था। त्रिपुरा राज्य का यह अधिकार बहुत दिनों से चला आ रहा है। और ब्रिटिश राज्य ने भी इस अधिकार को मान्यता दे रखी थी। स्वतंत्रता प्रदान करते समय ब्रिटिश सरकार की घोषणा में भी यह कहा गया था कि राज्यों के शासकों के अधिकार ज्यों के त्यों बने रहेंगे। फिर रेडक्लिफ पंचाट की बात कहां से आ गई। इस पंचाट का इससे कोई मतलब नहीं है। इसलिये भारत सरकार तथा पाकिस्तान सरकार दोनों का दावा गलत है और उस घोषणा का विरोधी है जो स्वतन्त्रता के समय की गई थी।

दूसरी बात चमला रोशनाबाद के बारे में है यह क्षेत्र त्रिपुरा राज्य के शासक की ज़मीदारी नाम से पुकारी जाती है किन्तु अब यह क्षेत्र पाकिस्तान में जाने वाला है। यह क्षेत्र उतना बड़ा जितना कि त्रिपुरा राज्य। एक बार गौर के नवाब न इस पर अपना अधिकार जमा लिया था किन्तु अंग्रजों के सत्तारूढ़ होने पर महारानी विक्टोरिया की घोषणा के अनुसार त्रिपुरा के राजा को इस क्षेत्र का राजस्व एकत्रित करने का अधिकार दे दिया गया था। प्रभुसत्ता आने के बाद यह क्षेत्र त्रिपुरा के शासक को लौटा देना चाहिये था किन्तु ऐसा नहीं किया गया। यदि ऐसा कर दिया गया होता तो शरणार्थियों, खाद्यान्न, सब्जी, मछली आदि की समस्या न आती। संचार और परिवहन की भी समस्या न आती। मेरा विचार है कि इस सम्बन्ध में अब तक कोई अभ्यावेदन नहीं किया गया था। किन्तु फिर भी देर आयद दुरुस्त आयद।

अंत में त्रिपुरा की सीमा की सुरक्षा का प्रश्न लेता हूं। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि त्रिपुरा के ४,००० भूतपूर्व सैनिकों को जिन्होंने गत युद्ध में बर्मा में वीरता पूर्वक लड़ाई लड़ी थी भारत सरकार ने बेकार बिठा रखा है। सीमा की सुरक्षा के लिये होमगार्डों के बटालियनों से उन्हें वापिस बुलाया जा सकता है। और सुरक्षा का काम दिया जा सकता है।

श्री यादव (बाराबंकी) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मानव संसार दो हिस्सों में बंटा है। एक हिस्सा ३०वें अक्षांक्ष के उत्तर में बसे वर्तमान सभ्यता के उत्तराधिकारी लोगों का है और दूसरा उस के दक्षिन में बसे पृथ्वी के धनहीन लोगों का है। पूंजीवादी व्यवस्था ने एशिया, अफ्रीका और अन्य भूभागों में मृत्यु रूपी शान्ति स्थापित कर रखी है। दरिद्रता और युद्ध पूंजीवादी व्यवस्था की दो राक्षसी सन्तानें हैं। दरिद्रता और युद्ध पूंजीवादी व्यवस्था में बढ़ते हैं। दो तिहाई मानवता के लिये भूख, पराधीनता, बेकारी और बेरोजगारी तथा एक तिहाई आबादी के लिये, जो कि गोरी सभ्यता की पोषक है, युद्ध। आज दुनियां इन्हीं दो हिस्सों में बटी है। चाहे रूसी खेमा हो चाहे अमरीकी खेमा, यह दोनों खेमे एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं, और दोनों ही गोरी सभ्यता के पोषक हैं। आज भारत की राजनीति अंग्रजों की विदेश नीति से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि आज हिन्दुस्तान को तृतीय खेमे का निर्माण करना चाहिये था उस में वह सफल नहीं हो रहा है। हिन्दुस्तान और इंग्लिस्तिान की विदेश नीति के जुड़े होने का क्या परिणाम होता है, मैं उस की तरफ इशारा करना चाहता हूं।

कई बार इस सदन में और बाहर यह मांग की गई कि हिन्दुस्तान को राष्ट्रमंडल से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेना चाहिये। २६ जुलाई, सन् १९५६ में मिस्र ने स्वेज कैनाल का राष्ट्रीय-करण किया। अगर इस घटना की ओर हम देखें तो स्वेज का राष्ट्रीयकरण इस युग की सब से

---

†मूल अंग्रेजी में

महान् और बड़ी घटना थी। काले मुल्क ने गोरे मुल्क की सम्पत्ति पर बिना मुआवजा दिये कब्जा कर लिया और उस पूंजी पर कब्जा कर लिया जिस से कि अंग्रजों ने लागत से भी कई गुना ज्यादा पैसा कमा लिया था। लेकिन चूंकि हिन्दुस्तान की विदेश नीति अंग्रजों की विदेश नीति से बन्धी हुई है इस लिये हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री ने स्वेज समस्या के बारे में जो कहा वह हिन्दु अखबार में निकला था और वह इस प्रकार है :

"स्वेज समस्या के बारे में मिस्र ने जिस से भारत का दोस्ताना रिश्ता है, बहुत सी उचित और सही बातें कही हैं। फिर भी मैं कहूंगा कि जिस तरह मिस्र ने स्वेज नहर पर कब्जा कर लिया वह हमारा रास्ता नहीं है। हम दूसरा रास्ता मानते हैं। लेकिन दूसरों की आलोचना करने का हमें क्या हक है। हमारे रास्ते में थोड़ा सा फर्क है। यदि वे, यानी मिस्र, दूसरा रास्ता अख्त्यार करते तो बहुत सी दिक्कतें नहीं पैदा होतीं।" २४ सितम्बर, के हिन्दू अखबार में यह निकला था। उस में ब्रियानी राजीनामे का जिक्र करते हुये प्रधान मंत्री ने बताया कि कर्नल नासिर ने उस राजीनामे की धारा २ का उल्लंघन किया। मैं बताना चाहता हूं कि वह धारा २ क्या है। वह धारा इस प्रकार है :

> "मध्य पूर्व में बड़ी शक्तियां के परस्पर विरोधी स्वार्थों ने स्थिति को और भी दुरुह बना दिया है। इन समस्याओं पर विचार करते समय उन की योग्यता ध्यान में रखनी चाहिये, लेकिन समाधान वैध आर्थिक स्वार्थों की रक्षा करते हुये सम्बन्धित राष्ट्रों की स्वतंत्रता पर आधारित होना चाहिये।"

यदि बड़ी शक्तियों और धनी मुल्कों के बैध आर्थिक हितों की सतायें गए राष्ट्रों में सुरक्षा होनी है तो संसार में तरक्की, बराबरी, भाई चारा कायम होना असम्भव है और मैं तो यह कहूंगा कि फिर यदि ऐसी नीति अपनाई जाती है तो इन सारे देशों में स्वतंत्रता, समानता, और समता को नमस्कार कर लेना होगा। ब्रिटेन के एक सोशलिस्ट संसद सदस्य ने ठीक ही कहा है कि प्रधान मंत्री जो हैं हिन्दुस्तान में अंग्रेजों के अन्तिम वाइसराय हैं। जब ऐसी नीति अपनाई जायगी तो उस के ऐसे ही नतीजे निकलेंगे। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि यदि हिन्दुस्तान को सही विदेश नीति अपनानी है तो उसे तृतीय कैम्प का निर्माण करना चाहिये जिसके लिये भौतिक और सैद्धान्तिक दो आधार होने चाहियें। जब तक यह दोनों आधार नहीं होते हैं तब तक तृतीय कैम्प का कभी भी निर्माण नहीं हो सकता है।

इस के अतिरिक्त मैं, अब कुछ पाकिस्तान के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। आज पाकिस्तान के बारे में भी सदन में जिक्र हुआ है। आज जो हिन्दुस्तान की नीति है और जो पाकिस्तान की नीति है, उसके सिलसिले में मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के झगड़े का अन्त होना चाहिए। लेकिन उस का अन्त करने के लिये जिस प्रकार की हमारे देश की सरकार की नीति चल रही है उस से उस झगड़े का अन्त होना सम्भव नहीं प्रतीत होता। यदि आज दोनों देशों की विदेश नीति को हम देखें तो कोई भी बुनियादी फर्क नहीं है। पाकिस्तान को तो सिर्फ इतना ही हक है कि वह सिर्फ अमरीका का गुलाम बना रहे, वह अपने अमरीकी मालिक को छोड़ नहीं सकता, लेकिन हिन्दुस्तान के हक में इतना अन्तर है कि वह कभी रूस की तरफ और कभी अमरीका की तरफ बना रहे। उसे इस की आजादी है वरना बुनियादी तौर पर दोनों में कोई फर्क नहीं है। जब तक यह स्थिति बनी रहती है तब तक पाकिस्तान और हिन्दुस्तान का झगड़ा तय नहीं हो सकता। इस सिलसिले में बहुत नोक झोंक भी हुई। पाकिस्तान के मसले को ले कर, कश्मीर के मसले को ले कर, प्रधान मंत्री ने बहुत से बयानात दिये। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कश्मीर के मसले को ले कर जो हिंदुस्तान की

[श्री यादव]

नीति रही है वह गल्त रही है क्योंकि हिन्दुस्तान की सरकार ने हमेशा यही किया है कि वह एक आदमी पर ही निर्भर रहती रही है। जब शेख अब्दुल्ला थे तब सिर्फ उन्हीं के ऊपर हिन्दुस्तान की सरकार ने सारा भरोसा किया और वहां की जनता से अपना सम्पर्क स्थापित करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। आज जब शेख अब्दुल्ला नहीं हैं और उन की जगह पर बख्शी गुलाम मुहम्मद हैं, तो आज भी उसी एक आदमी पर सारे देश की नीति चल रही है। यदि इस तरह उसे चलते रहने दिया गया तो मैं कह सकता हूं कि कश्मीर की समस्या का कोई हल नहीं हो सकता है। हिन्दुस्तान की जनता का सम्बन्ध कश्मीर की जनता से होना चाहिये न कि वहां के किसी व्यक्ति का यहां के किसी व्यक्ति से।

मैं इस सम्बन्ध में एक और बात बतलाऊं। कश्मीर के सिलसिले में प्रधान मंत्री ने यह शिकायत की है कि शेख अब्दुल्ला ने अपना वादा तोड़ा है। लेकिन इस सम्बन्ध में दोनों ने ही अपने वादे तोड़े हैं। कश्मीर के प्रधान मंत्री शेख अब्दुल्ला ने यह वादा किया था कि कश्मीर हिन्दुस्तान के साथ रहेगा, लेकिन वह अपने वादे से मुकर गये। प्रधान मंत्री ने भी कश्मीर के लिय कोई वादा किया था। उन का वादा यह था कि वहां पर मतगणना होगी। लेकिन आज मतगणना से हमारे प्रधान मंत्री मुकर रहे हैं। इसके साथ ही यह भी सुनने में आया है कि शेख अब्दुल्ला से प्रधान मंत्री की कभी बात-चीत हुई थी--कश्मीर को भूटान जैसी आज़ाद स्थिति देने का विचार किया गया था। जब इस तरह से विदेशी मामलों में एक आदमी से बात करके खिलवाड़ होता रहेगा तो कैसे काम चल सकता है? इस तरह से परिस्थिति उलझती ही रहेगी।

इसके बाद नागा लोगों का प्रश्न उठता है। मेरे एक मित्र ने इस सदन में बोलते हुए कहा कि नागा इलाकों की -- जिसे नेफा कहते हैं और मैं जिसे पूर्वी उत्तर सीमांचल प्रदेश कहता हूं --स्थिति खराब होती जा रही है। वहां एक तरह का लौहावरण कायम है। अगर मैं आज वहां पर जाना चाहूं तो उसके लिये एक विशेष परमिट की आवश्यकता पड़ेगी। आज वहां की स्थिति बहुत खराब है, अगर वहां की स्थति को काबू में रखना है तो लौह आवरण से वह नहीं रह सकती है। हम फौज को लेकर उस को काबू में नहीं कर सकते हैं, पुलिस को ले कर काबू में **नहीं** कर सकते हैं, आज जो वहां पर विद्रोही हैं वे सभी हमारे देश के लोग हैं, उनसे थोड़ा सा प्रेम से, थोड़ा सा मोहब्बत से पेश आना चाहिये। इस समस्या को समझना चाहिये। लेकिन आज हम क्या देखते हैं? आज हमारे देश का क्या मार्ग है? जो गरीब नागाओं का प्रश्न है उसको सत्य और अहिंसा के रास्ते को छोड़ कर गोली और बन्दूक का रास्ता ले कर सुलझाया जाता है। लेकिन जब गोवा का प्रश्न आया तो सत्य और अहिंसा की दुहाई दी जाती है। एक मुंह में दो जबानें रहेंगी तो कैसे काम चलेगा? जब कोई अन्दरूनी मामला हो तो लाठी, डंडा और बन्दूक चलाई जाय लेकिन जब विदेशी मामला हो तो सत्य अहिंसा की दुहाई दी जाय इस तरह से तो आज जो नागा प्रश्न उलझा हुआ है वह और भी उलझता जायेगा। हम को चाहिये कि हम ज़रा हमदर्दी से काम लें, जो कि आज हम नहीं कर रहे हैं।

आज अगर हम लोग नेफा में जाना चाहते हैं तो वहां जाने की इजाजत क्यों नहीं है? हमारे देश के एक हिस्से के लोग दूसरे भाग में जा कर क्यों न सही बातों को जानें? मैं आप से बतलाना चाहता हूं कि पिछले नवम्बर में हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े नेता जो कि कभी कांग्रेस में थे, लेकिन आज नहीं हैं, वहां की स्थिति को देखने के लिये जाना चाहते थे, मेरा मतलब डा० राम मनोहर लोहिया से है. वे बहुत पुराने नेता हैं, वे पहले आसाम गये और वहां से नेफा के इलाके में जाना

चाहते थे। लेकिन उनको वहां नहीं जाने दिया गया । वहां के गवर्नर से जो परमिट मिलती है, जो विज़ा मिलता है, वह उनको नहीं दिया गया। एक ही मुल्क के अन्दर दो मुल्क कर दिये गये हैं।

गवर्नर साहब ने साफ इन्कार तो नहीं किया बल्कि यह कहा कि तुम मुझसे आ कर मिल लो मिलने के बाद न जाने क्या बातचीत हो और उसके बाद वह फिर वापस आयें, यह कैसे कनवीनियेंट हो सकता है, किसी आदमी का कोई प्रोग्राम होता है, कोई कार्यक्रम होता है। इस तरह से आज नागा प्रश्न के साथ खिलवाड़ हो रही है। जिस तरह से आज आप सत्य, अहिंसा इत्यादि की बात वैदेशिक मामलों में करते हैं, विदेशी रिश्तों के बारे में करते हैं, वैसी ही नीति अगर नागा समस्या को हल करने में अपनायें, तो इस समस्या का बड़ी आसानी से समाधान हो सकता है ।

आज जितने माननीय सदस्यों ने भाषण किये हैं, उनमें से अधिकांश ने यही कहा कि हमारी वैदेशिक नीति बहुत सफल रही है तथा हिन्दुस्तान का देश और विदेश में बहुत बड़ा नाम है। मैं समझता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने ये बातें कही हैं, उन के दिमागों में हिन्दुस्तान का वही नक्शा रहा होगा जो कि आज कल अखबारों में रहता है या सिनेमा के पटल चित्रों में प्रधान मंत्री और उनके किसी स्वागत समारोह में शामिल होने या उनके द्वारा किसी को स्वागत समारोहों में शामिल करने में रहता है। लेकिन इसी से हमारे देश की वैदेशिक नीति को आंका नहीं जा सकता है, इस तरह से उसका आंका जाना एक गल्त बात होगी। जब हम अपनी वैदेशिक नीति को आंकते हैं तो सब से पहले हमारा ध्यान काश्मीर की ओर जाता है, फिर गोआ की ओर जाता है, फिर अफ्रीका में कालों के साथ जो ना-बराबरी का व्यवहार किया जा रहा है, उसकी ओर जाता है, और इसके बाद इंग्लैंड में जो व्यवहार काले लोगों के साथ होता है, होटलों में उनको नहीं जाने दिया जाता है, उसकी तरफ जाता है। मैं समझता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री तथा हमारी सरकार के सामने इन प्रश्नों का कोई महत्व ही नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को कहीं पर घुसने नहीं दिया जाता है और उसके संबंध में यहां पर कोई काम-रोको प्रस्ताव लाया जाता है तो अध्यक्ष महोदय कह देते हैं कि यह मामूली चीज़ है कि किसी को निकाल दिया गया है यह किसी के साथ क्या बर्ताव हुआ और क्या नहीं हुआ। जब ऐसी स्थिति है तो मैं पूछना चाहता हूं कि कहां हमारी इज्ज़त है? हर जगह पर हमारी पालिसी ना-काम रही है। आज काले और गोरों के बीच द्वन्द चल रहा है, हैव्स और हैव्व-नौट्स के बीच में द्वन्द चल रहा है, एक के पास सब कुछ है शक्ति है, भोजन है, दूसरे के पास कुछ नहीं है। इस चीज़ को हमें खत्म करना चाहिये था। परन्तु जिस प्रकार की नीति हम अपनाये हुए हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। हिन्दुस्तान जो सह-अस्तित्व का नारा बुलन्द करता है, यह सह-अस्तित्व का नारा कहां है? सह–अस्तित्व की बात तो तभी हो सकती है जब कि एक तीसरे कैम्प का निर्माण करने की कोशिश की जाए। इसके बारे में हिन्दुस्तान के सिर पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है। आज ज़रूरत इस बात की है कि जितने भी अन्डर-डिवेलेप्ड कंट्रीस हैं, जितने भी पिछड़े हुए मुल्क हैं, उनका एक संगठन बने, एक दूसरे से मदद लेकर सारा काम किया जाए, एक दूसरे की सलाह-मश्विरे से काम किया जाए और जब यह चीज़ हो जाएगी तभी जाकर जो दो विरोधी कैम्प हैं, जो आज शीत-युद्ध चला रहे हैं, उनके अन्दर से मन-मुटाव कुछ कम हो सकता है, उनकी नीति में कुछ फर्क पड़ सकता है और वे सह-अस्तित्व की आवश्यकता को अनुभव कर सकते हैं। आज हमारी सरकार ने इसके बारे में क्या किया है? जब तक विश्व-पंचायत स्थापित नहीं होती है, जब तक सारे संसार की रचना के लिए एक वर्ल्ड-डिवेलेपमेंट आथोरिटी नहीं बनती है, तब तक मैं समझता हूं, विश्व का कल्याण नहीं हो सकता है। आज भारत सरकार ने यह जो वीटो का अधिकार बड़े राष्ट्रों को मिला हुआ है, उसका भी विरोध नहीं किया है। एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है जिसको यू० एन० ओ० कहते हैं, उसके सदस्य कौन हैं और किनको अधिक अधिकार प्राप्त हैं? दो चार पांच इसके चौधरी हैं और

[श्री यादव]

उनको अधिक अधिकार प्राप्त हैं, और जो छोटे छोटे राष्ट्र हैं, उनका तो उसमें प्रतिनिधित्व भी नहीं, रिप्रिजेंटेशन भी नहीं है। जब तक इन सब बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है तब तक संसार किस तरह से मानवता की ओर बढ़ सकता है और हिन्दुस्तान की वैदेशिक नीति कैसे सफल कही जा सकती है ? हिन्दुस्तान ने तो इस तरह के किसी भी प्रश्न को उठाया नहीं है, इन के संबंध में कोई बात ही नहीं की है । वह विश्व सरकार की स्थापना की ओर बढ़ा ही नहीं है । उसे चाहिये था कि विश्व सरकार की स्थापना के लिए प्रयत्न करता, वीटो का विरोध करता । जिस तरह से बालिग-मताधिकार पर देशों के अन्दर चुनाव होता है, उसी प्रकार से विश्व पंचायत के लिए भी चुनाव होते और हर राष्ट्र अपनी आबादी के आधार पर अपने प्रतिनिधि भेजता उस पंचायत में और इस के साथ ही साथ एक बड़ी राज्य सभा जैसी कमेटी हो सकती है जिस में हर मुल्क अपने प्रतिनिधि भेज सकता था। जब ऐसा होता तभी युद्ध की संभावनायें समाप्त होने में सहायता मिल सकती थी, काले गोरों का प्रश्न हल हो सकता था, मानवता को नई दिशा मिल सकती थी, युद्ध के खतरे से मानव समाज बच सकता था और हिन्दुस्तान तरक्की की ओर बढ़ सकता था।

श्रीमन्, आज क्या हो रहा है। आज हमारी जो नीति है, वह एक प्रकार से हैंड टू माउथ चल रही है। इसकी जरूरत हुई तो इसको इधर मोड़ दिया जाता है और उस की जरूरत हुई तो इसको उधर मोड़ दिया जाता है । यह कोई सिद्धान्त वाली बाली नीति नहीं है, सत्य और अहिंसा की रट जो भारत लगाता है, उसके अनुकूल यह नीति नहीं है। यह एक सारे संसार का प्रश्न है। दुनिया का प्रश्न है, सारे देश का प्रश्न है, चालीस करोड़ व्यक्तियों का प्रश्न है, एक दो व्यक्तियों का प्रश्न नहीं है । मैं चाहता हूं कि हिन्दुस्तान सोच विचार कर के अपने नीति में इस प्रकार से तबदीली करे कि एक तीसरी शक्ति का निर्माण हो और कम से कम हिन्दुस्तान अपना राष्ट्रमंडल से सम्बन्ध विच्छेद तो कर ले। जब वह ऐसा करे तो शायद जिस तरह से कर्नल नासर ने स्वेज़ नहर का राष्ट्रीयकरण कर के दिखाया है, उस तरह का काम हिन्दुस्तान भी कर सकता है। तभी जो विदेशी पूंजी हिन्दुस्तान में लगी हुई है, उसका अन्त हो सकता है, करोड़ों रुपया जो देश का देश से बाहर जाता है, वह जाना बन्द हो सकता है। इंग्लिस्तान की दलाली वाली नीति से न तरक्की के रास्ते पर हम चल सकते हैं और न स्वस्थ्य परम्परायें ही पड़ सकती हैं।

†**श्री उ० च० पटनायक** (गंजम) : अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र और प्रतिरक्षा के क्षेत्र में जो कठिनाईयां और समस्याएं हमारे सामने आ रहीं हैं वे इसलिये नहीं हैं कि पाकिस्तान का रवैया ठीक नहीं है अथवा अमरीका की सहायता से उस ने सैनिक अड्डे बना लिये हैं अथवा वह हमारी सीमा पर आक्रमण कर रहा है बल्कि इसलिये कि पाकिस्तान अमरीका से सहायता पा रहा है। सन् १६५४ से हम पाकिस्तान की इस सहायता के बारे में उल्लेख कर रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के हथियार जो पाकिस्तान को मिल रहे हैं, अथवा विभिन्न प्रकार के जो अड्डे बन रहे हैं उन के बारे में हमारी सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि ये सब बातें सत्य हैं और सरकार उन पर विचार कर रही है। अतः हमें कुछ बड़ी समस्याओं जैसे कि अमरीका का ध्यान, पर बिचार करना है । अतः इस संबंध में हमें तीन बातों पर ध्यान देना होगा। सर्व प्रथम हमारी विदेश नीति अथवा वैदेशिक कार्य, आन्तरिक नीति में हमारा प्रतिरक्षा संगठन और तीसरे विदेशी ऋण और क्रय जो कि हम कर रहे हैं । यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों कि इस के आधार पर अमरीका भारत तथा पाकिस्तान दोनों से दोस्ती बनाये है। हमें तो वह ऋण देता है और पाकिस्तान को सैनिक सहायता। अतः इस दृष्टि से किये 'विदेशी ऋण' हमारी विदेशी नीति पर काफ़ी प्रभाव डालते हैं।

†मूल अंग्रेज़ी में

यदि हम इन मिलने वाले ऋणों पर दृष्टिपात करें तो हम देखते हैं कि ये ऋण नकद न हो कर खाद्यान्न की सहायता के रूप में हैं। ये खाद्यान्न भी इस प्रकार के होते हैं जो उन के यहां निखद्द समझे जाते हैं किन्तु फिर भी यह उनकी सहायता है इसके लिये हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिये। किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि उनका जो रवैया है उस के प्रति हम दब जायें। पाकिस्तान को वह नाना प्रकार के हथियार व वहां अड्डे बनाये जा रहे हैं जिस के कारण उनका ऐसा रवैया है और हम निराश हैं। पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध प्रयोग करने के लिये अमरीका से सहायता नहीं लेनी चाहिये। इसलिये पहला प्रश्न तो अमरीकी सहायता है जो पाकिस्तान को मिल रही है।

दूसरे हमें यह देखना है कि क्या अमरीका से जो हमें सहायता मिल रही है हम उसके बिना रह भी सकते हैं अथवा नहीं। अमरीका से हमें वहां का बना हुआ सामान मिल रहा है। धन नहीं मिलता जिस से कि किसी भी जगह से हम कोई चीज़ क्रय कर सकें। अमरीका से हमें ट्रैक्टर और जीप तथा मोटर आदि मिल रही हैं किन्तु अन्य देशों की अपेक्षा इनका मूल्य बहुत अधिक है। ये जीप और मोटर गाड़ियां सामुदायिक परियोजना के लिये हम ले रहे हैं। प्रत्येक परियोजना के लिये तीन अथवा चार मोटर या जीप ली जाती हैं मेरा विचार है कि ये आवश्यक नहीं हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि विदेशों से हम जो ऋण ले रहे हैं उसकी एक बार जांच की जाये।

हमें इस बात की जांच करनी चाहिये कि क्या हम अमरीकी सहायता के बिना भी रह सकते हैं। हमें अमरीका को बता देना चाहिये कि हम पंचशील का अनुसरण कर रहे हैं। हम किसी भी देश पर आक्रमण नहीं करना चाहते और न हमें पाकिस्तान की चिंता है कि वह क्या कर रहा है और न इस बात की चिंता है कि अमरीका वहां हवाई तथा अन्य प्रकार के अड्डे बना रहा है। तो मेरा विचार है कि परिस्थिति अवश्य ही बदल जायेगी। हम उन से कह दें कि आप पाकिस्तान को जो चाहे दो हमें आप से कुछ नहीं चाहिये तो अमरीका का दिमाग़ बहुत कुछ ठीक हो जायेगा किन्तु अभाग्यवश हम ऐसा रवैया नहीं लेते। हमें चाहिये कि हम किसी दूसरे देश को अपनी सीमा में अतिक्रमण करने का अवसर ही न दें। मेरा विचार है कि प्रधान मंत्री यदि राष्ट्र के नाम इस प्रकार का संदेश जारी करें तो हम अमरीका से मिलने वाली सहायता के बिना भी रह सकने के लिये तैयार हो जायेंगे। लेकिन सीमाओं पर होने वाले आक्रमणों की कोई चिंता नहीं करता। वहां रहने वाले व्यक्ति सदैव आतंक से डरे रहते हैं। वहां के अस्पतालों, स्कूलों और घरों पर आये दिन पाकिस्तानियों के आक्रमण होते रहते हैं। आज देश में निराशा छा गई है। लोगों को विश्वास होता जा रहा है कि सीमा वाले क्षेत्रों की उपेक्षा हो रही है। सरकार को चाहिये कि वह लोगों में विश्वास भरे। अन्यथा वह दिन दूर नहीं है जब कि, जैसा कि मैं माननीय प्रतिरक्षा मंत्री को आज से दो वर्ष पूर्व बता चुका हूं, काश्मीर जम्मू भी हमारे हाथ से चला जायेगा। यही नहीं वहां काम करने वाले हजारों सैनिक मारे जायेंगे। अतः सरकार को चाहिये कि वह अपनी आन्तरिक नीति को सुदृढ़ करे जिस से कि हम इस प्रकार मौत के मुंह में जाने से बचें यह ठीक है कि हम पंचशील की नीति का समर्थन करते हैं। हमें उस पर गौरव है। मैं मानता हूं कि हमारी इस आन्तरिक नीति से हमारे देश का सम्मान बढ़ा है किन्तु फिर भी हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिये जिस से कि हमें अमरीका के ऊपर निर्भर रहना पड़े।

फिर भी इतना बता देना चाहता हूं कि जैसे जैसे पाकिस्तान की शक्ति बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ही हमारे लिये खतरा भी बढ़ता जा रहा है और हो सकता है कि एक दिन वह आ जाये जब कि हम ऐसी स्थिति में आ जायें कि अपनी रक्षा भी न कर सकें।

यह ठीक है कि हमारे यहां विकास कार्यक्रम चल रहा है। किन्तु इस विकास कार्यक्रम का महत्व क्या है जब कि किसी देश ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। और हम उसका सामाना

करने के लिये भी तैयार न हुए । यदि हमारे देश के ऊपर इन विदेशी हथियारों की सहायता से अथवा हमारे देश में रहने वाले "फिफ्थ कालम" वालों द्वारा आक्रमण कर दिया गया तो हमारे सामने एक विकट समस्या आ जायेगी । इसलिये हमें भविष्य में आने वाले खतरों से अपनी सुरक्षा करनी चाहिये । यह प्रसन्नता की बात है कि यह मामला अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने ले लिया है और वह अमरीका से पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायता के बारे में पूछेगा। किन्तु इस से क्या होता है उनके पास बना हुआ उत्तर तैयार है वह कहेंगे कि साम्यवादियों के आक्रमण से बचने के लिये ही उन्होंने ऐसा किया है । वह यह भी कह सकते हैं कि चूंकि भारत का रुख साम्यवाद की ओर है । उनके यहां केरल में साम्यवादी सरकार भी मौजूद है । वे सहकारी खेती जो साम्यवादी सिद्धान्त पर आधारित है, करने जा रहे हैं अतः इस प्रकार की बातों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि भारत साम्यवादी देश है । हालांकि ऊपरी तौर पर वे प्रजातंत्र की बात करते हैं।

जब इन सब बातों की चर्चा उठायी जाती है तो हमारी सरकार कहती है कि सब कुछ ठीक है । मैं मानता हूं कि सब ठीक है तो फिर सरकार एक समिति की स्थापना क्यों नहीं करती अथवा योजना आयोग को यह काम क्यों नहीं देती कि वह इस बात की जांच करे कि अमरीका से हमें जो मिल रहा है उसकी आवश्यकता भी है अथवा नहीं। दूसरे क्या वह सामान अन्य देशों में हमें सस्ता नहीं मिल सकता । हमें अमरीका वालों को सिर्फ यह बताना है कि हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है । हम इनके बिना भी रह सकते हैं । मुझे विश्वास है कि यदि उन चीज़ों पर जो कि अमरीका से आती हैं यहां सदन में विचार किया जाये तो पता चल जायेगा कौन कौन सी चीज बेकार है और उनको वहां से नहीं मगांना चाहिये । इसलिये हमें उनकी अधिक से अधिक चीजों पर निर्भर नहीं रहना चाहिये ।

अंत में मैं निवेदन करूंगा कि हमें अमरीका से पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायता के बारे में विचार करना चाहिये । कहीं ऐसा न हो कि एक दिन वह हमारे ऊपर आक्रमण कर बैठे ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं हैं मैं उनका आभारी हूं । मांगों के बारे में तो कोई विशेष आलोचना नहीं की गई । अधिकतर आलोचना अथवा चर्चा का संबंध नीति संबंधी मोटे मोटे प्रश्नों से है । मैं कल इन बातों का उत्तर दूंगा ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, १७ मार्च, १९५९/२६ फाल्गुन, १८८० (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

† मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[सोमवार, १६ मार्च, १९५९
२५ फाल्गुन, १८८० (शक)]

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		३१६५—९०
तारांकित प्रश्न संख्या		
१२३६	"भारत १९५८" प्रदर्शनी	३१६५—६९
१२३७	दिल्ली में नगरपालिकाओं पर बकाया रकम . .	३१६९
१२३८	उर्वरक का उत्पादन . . .	३१७०–७१
१२३९	हिन्दुस्तान एन्टी बायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड .	३१७१—७३
१२४०	अगर बत्ती उद्योग	३१७३–७४
१२४१	भारत-पाक सीमा का सीमांकन .	३१७४—७७
१२४२	पुनर्वास औद्योगिक निगम	३१७७–७८
१२४४	छूट (रिबेट) प्राप्त करने के लिये शक्ति चालित करघे को हथ-करघे का कपड़ा बताना	३१७८–७९
१२४६	'मई दिवस' को सवेतन छट्टी का दिन घोषित करना	३१७९–८०
१२४८	चाय का प्रचार	३१८०–८१
१२४९	मनुष्य की हड्डियों में 'स्टोन्टियम-८०' . .	३१८१–८२
१२५१	कोलार की सोने की खानों में तालाबन्दी .	३१८२–८३
१२५२	सोवियट एनसाइक्लोपीडिया (रूसी विश्व कोष) . .	३१८३–८४
१२५३	इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड की खानें	३१८४–८५
१२५६	आकाशवाणी	३१८५–८६
१२५७	चाय सम्बन्धी व्यापारिक शिष्टमण्डल . .	३१८७
१२५८	केरल को केन्द्रीय सहायता . .	३१८७–८८
१२५९	मैंगनीज खानों का बन्द हो जाना . . .	३१८९–९०
प्रश्नों के लिखित उतर . . .		३१९०—३२३७
तारांकित प्रश्न संख्या		
१२४३	चीन के साथ व्यापार	३१९०
१२४५	संरक्षित उद्योग	३१९०

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		

१२४७	चंडीगढ़ राजधानी परियोजना	३१९१
१२५०	सिंदरी फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड	३१९१
१२५४	इंडोनेशिया को वस्त्र का निर्यात	३१९२
१२५५	साहूपुरी में उर्वरक कारखाना	३१९२–९३
१२६०	मेसर्स नेशनल शुगर मिल्स लिमिटेड	३१९३
१२६१	पाकिस्तान के साथ व्यापार	३१९३–९४
१२६२	नीबू-घास का तेल	३१९४
१२६३	झील कुरंजा बस्ती, दिल्ली के लिये अर्जित भूमि	३१९४–९५
१२६४	पाकिस्तान में भारतीय सीमा-शुल्क पदाधिकारी पर आक्रमण	३१९५–९६
१२६५	भारतीय मानक संस्था	३१९६
१२६६	संयुक्त राष्ट्र संघ के महामंत्री की यात्रा	३१९७
१२६७	कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड	३१९७
१२६८	इल्मेनाइट तैयार करने वाले कारखाने का बन्द किया जाना	३१९८
१२६९	"नार्दन इंडिया अमृत बाजार पत्रिका" का प्रकाशन	३१९८–९९
१२७०	पाकिस्तान में अमरीकी फौजी अड्डे	३१९९
१२७१	फिल्म 'गुलाब का फूल' का प्रदर्शन	३२००
१२७२	पूर्व-अफ्रीकी सांस्कृतिक-दल	३२००
१२७३	गन्दी बस्तियों का हटाया जाना	३२०१
१२७४	तिब्बत में भारतीय व्यापारी	३२०१
१२७५	अमरीका की लघु उद्योग प्रदर्शनी	३२०१–०२
१२७६	'भारत १९५८' प्रदर्शनी	३२०२
१२७७	इंडोनेशिया को इंजीनियरिंग के सामान का निर्यात	३२०२–०३
१२७८	काजू का निर्यात	३२०३
१२७९	दिल्ली में कार्यालयों के स्थानों की कमी	३२०३
१२८०	पश्चिमी बंगाल में कताई मिलें	३२०३–०४
१२८१	कीर्तिनगर बस्ती में विकास कार्य	३२०४
१२८२	काश्मीरी वस्तुओं का निर्यात	३२०४
१२८३	अमरीका से मरम्मत किये हुए मशीनी औजारों का उपहार	३२०५
१२८४	करीमगंज में मार्गस्थ यातायात का रोका जाना	३२०५–०६
१२८५	कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना	३२०६

प्रश्नों के लिखित उतर—(क्रमशः)

	विषय	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या		
१२८६	पूर्वी अफ्रीका के साथ व्यापार सन्तुलन .	३२०६
१२८७	सरकारी प्रकाशन .	३२०६–०७
१२८८	पटसन मिल के मजदूरों की बेकारी	३२०७
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१६३४	भारत सेवक समाज . . .	३२०७–०८
१६३५	दिल्ली रेस कोर्स क्लब का मैदान	३२०८–०६
१६३६	पंजाब में श्रम विवाद . . .	३२०६
१६३७	डलहौजी में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिये स्थान	३२०६
१६३८	भारतीय दूतावास, वाशिंगटन . . .	३२ ६–१०
१६३६	जम्मू तथा काश्मीर में भारत सेवक समाज को सहायता	३२१०
१६४०	१६५६–६० के लिये योजना व्यय . .	३२१०
१६४१	नंगल उर्वरक कारखाना क्षेत्र में सिनेमा हाल	३२१०–११
१६४२	उड़ीसा में नारियल जटा उद्योग .	३२११–१२
१६४३	वेस्ट पटेल नगर के मकान .	३२१२
१६४४	आंध्र प्रदेश में औद्योगिक एकक . .	३२१२–१३
१६४५	हथकरघा उद्योग में प्रशिक्षण .	३२१३
१६४६	रूस को फिल्मों का निर्यात .	३२१३
१६४७	फोटो के सामान का आयात .	३२१३–१४
१६४८	भारतीय विदेश सेवा .	३२१४
१६४६	बिहार का औद्योगिक विकास .	३२१४
१६५०	श्रम की स्थिति में गवेषणा	३२१५
१६५१	दिल्ली पोशाक सहकारी औद्योगिक सोसाइटी .	३२१५
१६५२	अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों को पारपत्र . .	३२१६
१६५३	चण्डीगढ़ में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिये बहु-मंजिली इमारतें . .	३२१६
१६५४	विदेशों में भारतीय संगीत . . .	३२१६–१७
१६५५	छोटे आविष्कारों के विकास के लिये बोर्ड . .	३२१७
१६५६	भारत-बर्मा व्यापार	३२१७–१८
१६५७	कर्मचारी राज्य बीमा योजना . . .	३२१८

प्रश्नों के लिखित उतर—(क्रमशः)

	विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१६५८	उत्तर प्रदेश में बेरोज़गारी	३२१८
१६५६	भूटान को सहायता	३२१८–१६
१६६१	रेशमी वस्त्र प्रमापीकरण केन्द्र	३२१६
१६६२	खादी का विकास	३२२०
१६६३	भारतीय उच्च आयुक्त कार्यालय, आस्ट्रेलिया	३२२०–२१
१६६४	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम	३२२१–२२
१६६५	युवक रोजगार तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन	३२२२
१६६६	प्रति व्यक्ति पूंजी व्यय	३२२२–२३
१६६७	बर्मा में भारतीय	३२२३
१६६८	समवायों में विनियोजित पूंजी	३२२३–२४
१६६६	बहु मंजिली इमारतों सम्बन्धी संगोष्ठी	३२२४–२५
१६७०	टंगस्टन कार्बाइड प्लांट	३२२५
१६७१	विद्यार्थियों के लिये प्रलेखीय चल-चित्र	३२२५
१६७२	'टिनोपाल' और 'डेट' उद्योग	३२२६
१६७३	मोटर कारों और उनके पुर्जों का आयात	३२२६–२७
१६७४	जड़ी बूटियों का निर्यात	३२२७
१६७५	चीनी मिलों के श्रमिकों को बोनस	३२२८
१६७६	रीठे	३२२८
१६७७	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में पत्रकार	३२२८–२६
१६७८	भारतीय दस्तकारी के सामान की दुकानें	३२२६
१६७६	सिंगरेनी कोयला खान	३२२६
१६८०	विदेशों में एम्पोरियमों में बिका हथकरघा वस्त्र	३२२६–३०
१६८१	ग्रामीण क्षेत्रों के विस्थापित व्यक्तियों के दावे	३२३०
१६८२	चीफ सेटिलमेंट कमिश्नर को भेजी गई याचिकाएं	३२३०
१६८३	दिल्ली और शिमला में सरकारी मकानों आदि के किरायों में परिवर्तन	३२३०–३१
१६८४	अश्लील फिल्मों का निर्माण	३२३१
१६८५	पंजाब में मधुमक्खी पालन का विकास	३२३१
१६८६	केन्द्रीय उद्योग मन्त्रणा परिषद् की पुनरीक्षण उप-समिति	३२३२
१६८७	सरकारी भवनों के दोषपूर्ण डिजाइन	३२३२

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१६८८	कीर्तिनगर बस्ती . .	३२३२–३३
१६८६	कोल्हापुर में अल्युमिनियम का कारखाना .	३२३३
१६६०	द्वितीय अखिल भारतीय कृषि श्रमिक जांच	३२३३
१६६१	लंका को दाल का निर्यात	३२३३–३४
१६६२	सस्ती कारों का निर्माण .	३२३४
१६६३	अलीगढ़ में भारत सरकार का फार्म छापने वाला प्रेस	३२३४–३५
१६६५	भारतीय विदेश सेवा	३२३५
१६६६	कपड़ा मिलें .	३२३५
१६६७	मद्रास में पंजीबद्ध समवाय	३२३५–३६
१६६८	मोटर गाड़ी उद्योग . .	३२३६
१६६६	केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के कर्मचारी .	३२३७

निधन सम्बन्धी उल्लेख ३२३७

अध्यक्ष महोदय ने श्री काशीनाथ राव वैद्य के निधन का, जो अन्तःकालीन संसद् के सदस्य थे, उल्लेख किया। इसके पश्चात् सदस्य दिवंगत आत्मा के सम्मान में एक मिनट तक मौन खड़े रहे ।

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ३२३७

प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार के संविदाकारी पक्षों के तेरहवें अधिवेशन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी गई ।

राज्य सभा से सन्देश ३२३८

सचिव ने राज्य-सभा से निम्नलिखित सन्देश प्राप्त होने की सूचना दी :—

(१) कि राज्य सभा ने अपनी ११ मार्च, १६५६ की बैठक में लोक सभा द्वारा ११ फरवरी, १६५६ को पारित दिल्ली पंचायत राज्य (संशोधन) विधेयक, १६५६ को, बिना किसी संशोधन के, स्वीकार कर लिया है ।

(२) कि राज्य सभा को निम्नलिखित विधेयकों के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है :—

(१) लोक सभा द्वारा ६ मार्च, १६५६ को पारित विनियोग (रेलवे) विधेयक, १६५६।

(२) लोक सभा द्वारा १० मार्च, १६५६ को पारित विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १६५६ ।

राज्य-सभा से सन्देश—(क्रमशः) **विषय** **पृष्ठ**

(३) लोक सभा द्वारा १२ मार्च, १९५९ को पारित विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९५९ ।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ३२३८

सचिव ने चालू सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित और ६ फरवरी, १९५९ को दी गई अन्तिम सूचना के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयकों को सभा-पटल पर रखा :—

(१) भारतीय आय-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९,

(२) विनियोग विधेयक, १९५९,

(३) चलचित्र (संशोधन) विधेयक, १९५९ ।

सदस्य का निकाला जाना . . . ३२३८

अध्यक्ष महोदय ने लोक सभा को बताया कि उन्हें अम्बाला के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से दिनांक १४ मार्च, १९५९ का एक संवाद प्राप्त हुआ है, जिसमें यह बताया गया है कि लोक-सभा के सदस्य श्री अ० क० गोपालन को पंजाब से हटा कर दिल्ली ले लजाया गया, ताकि उन्हें पंजाब राज्य की सुरक्षा अधिनियम की धारा ७-क के अन्तर्गत पंजाब राज्य की सीमा के अन्दर कोई अपराध करने से रोका जा सके । . .

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ३२३८–४१

श्री नौशीर भरूचा ने पुनर्वास विभाग को बन्द करने के कथित समाचार की ओर पुनर्वास मंत्री का ध्यान दिलाया । पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) ने उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखा ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य ३२४१

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) ने घरेलू कर्मचारियों की मांगों के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

अनुदानों की मांगें . . . ३२४२—९४

(१) अणु शक्ति विभाग की अनुदानों की मांगों पर चर्चा समाप्त हुई । मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुई ।

(२) वैदेशिक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

मंगलवार, १७ मार्च, १९५९/२६ फाल्गुन, १८८० (शक) के लिये कार्यावलि—

वैदेशिक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर और आगे चर्चा तथा शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा ।

———